सेकी SECI

सूर्य सदैव SUN FOR EVER

आठवीं वार्षिक रिपोर्ट

8th ANNUAL REPORT 2018-19

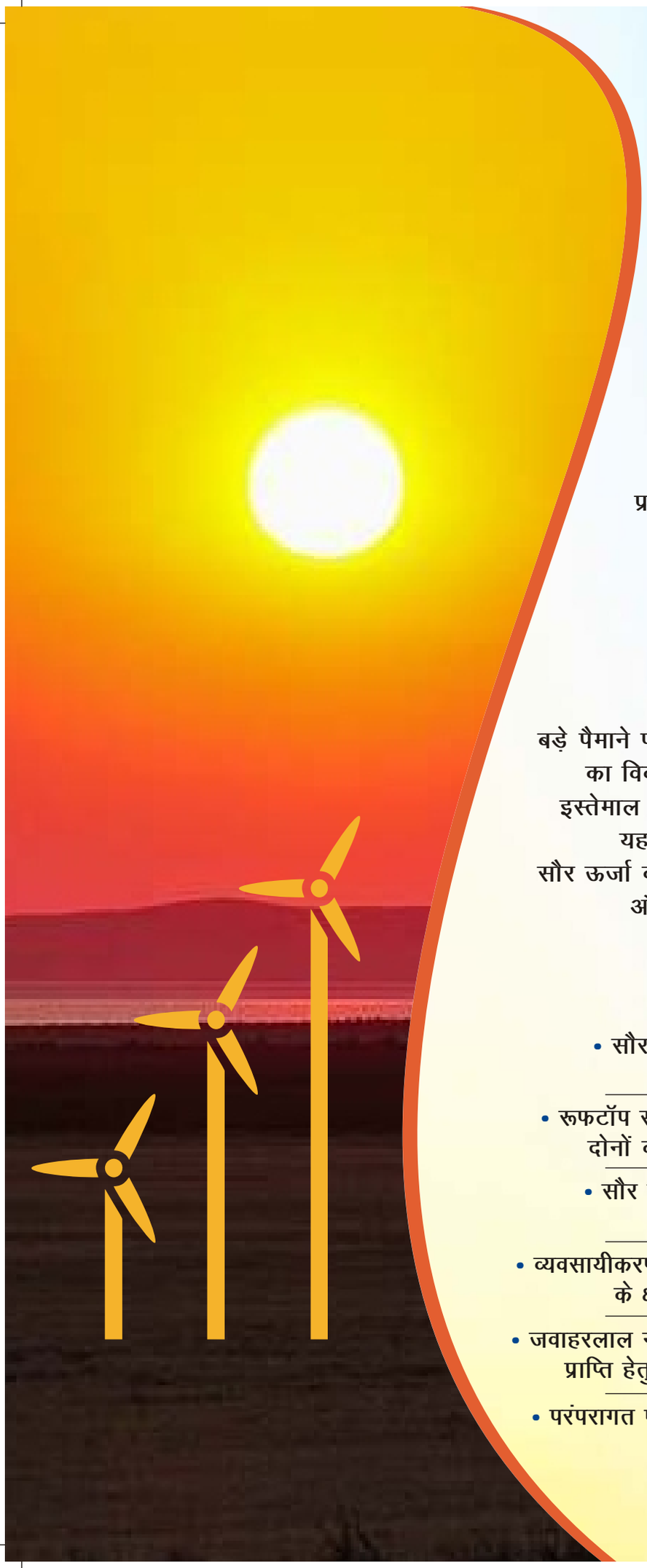

सेकी SECI
सूर्य सदैव SUN FOR EVER

विज़न

प्रचुर सौर विकिरण का इस्तेमाल कर नया 'हरित भारत' बनाना और देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करना।

मिशन

बड़े पैमाने पर सौर अधिष्ठापनों, सौर संयंत्रों और सौर उद्यानों का विकास करने में अग्रणी होना और सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और वाणिज्यीकरण करना ताकि यह भारत के दूर–दराज क्षेत्रों में पहुँच सके।
सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर नई प्रौद्योगिकियों की खोज करने और उनका विकास करने में अग्रणी होना।

उद्देश्य

- सौर पार्कों सहित अल्ट्रा मेगा तथा बड़े पैमाने पर सौर संयंत्रों का विकास करना।
- रूफटॉप सहित ग्रिड संयोजी तथा ऑफ ग्रिड सौर अधिष्ठापनों दोनों का स्वामित्व, प्रचालन, विकास व प्रबंधन करना।
- सौर ऊर्जा के माध्यम से ग्रामीण एवं दूर–दराज क्षेत्रों के लिए ऊर्जा उपयोग कार्यक्रम चलाना।
- व्यवसायीकरण हेतु प्रायोगिक परियोजनाओं के माध्यम से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करना।
- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विद्युत का विनियम, वितरण तथा व्यापार करना।
- परंपरागत एवं नवीकरणीय स्रोतों सहित एकीकृत विद्युत उत्पादन सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देना।

विषय–सूची

क्र.सं.		पृष्ठ संख्या
1	निदेशक मंडल	03
2	अध्यक्ष का संदेश	04–05
3	वार्षिक आम सभा की सूचना	06–08
4	निदेशकों की रिपोर्ट	09–21
	अनुबंध क – सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट(स्टैंडअलोन एवं समेकित)	22–50
	अनुबंध ख – नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	51–52
	अनुबंध ग – निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट	53–57
	अनुबंध घ – निगमित अभिशासन मानदंडो के अनुपालन के संबंध में पेशेवर कंपनी सचिव का प्रमाण–पत्र	58–59
	अनुबंध ङ – वार्षिक विवरण का उद्धरण	60–68
	अनुबंध च – सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	69–73
5.	प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	74–78
6.	तुलन पत्र (स्टैंडअलोन)	79–80
7.	लाभ और हानि विवरण (स्टैंडअलोन)	81–82
8.	नकदी प्रवाह विवरण (स्टैंडअलोन)	83–84
9.	इक्विटी में परिवर्तन का विवरण (स्टैंडअलोन)	85–86
10.	वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां (स्टैंडअलोन)	87–159
11.	तुलन पत्र (समेकित)	160–161
12.	लाभ और हानि लेखा (समेकित)	162–163
13.	नकदी प्रवाह विवरण (समेकित)	164–165
14.	इक्विटी में परिवर्तन का विवरण (समेकित)	166–167
15.	वित्तीय विवरणों के संबंध में टिप्पणियां (समेकित)	168–244
16.	फार्म एओसी–1	245–247
17.	बैंकरों, लेखापरीक्षकों, कंपनी सचिव के ब्यौरे तथा सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कारपोरेट कार्यालय का पता	248

निदेशक मंडल

प्रवीण कुमार
अध्यक्ष

जतीन्द्र नाथ स्वेन
प्रबंध निदेशक

प्रवीण गर्ग
सरकार नामिति निदेशक

सी कन्नन
निदेशक (वित्त)

शैलेश कुमार मिश्रा
निदेशक (वि.प्र.)

मनोज माथुर
निदेशक (सौर)

मुकेश कुमार मिश्रा
स्वतंत्र निदेशक

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारक और भागीदार,

जैसा कि हम सेकी के गठन के 8वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, मैं इस कंपनी में आपके अटूट विश्वास के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिसने सेकी को सभी बाधाओं को पार करते हुए भौतिक और वित्तीय विकास का एक अभूतपूर्व वर्ष रिकार्ड करने में सक्षम बनाया है। इस अवसर पर मैं इस महत्वपूर्ण वित्तीय वर्ष में सेकी की उपलब्धियों को उजागर करना चाहूंगा, जिसने कंपनी को देश के ऊर्जा क्षेत्र का कायाकल्प करने में एक निर्णायक भूमिका के रूप में स्थापित किया है।

वित्त वर्ष 2018–19 ने वैश्विक 'हरित' चेतना के प्रति राष्ट्र के नेतृत्व की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्ज किया है जिसने पेरिस जलवायु समझौते के दौरान भारत द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान देने की प्रतिबद्धता (आईएनडीसी) के रूप में खुद को प्रकट किया था। इस उद्देश्य के लिए देश, विश्व के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) विस्तार कार्यक्रमों में से एक का संचालन कर रहा है।

आपको यह जानकर खुशी होगी कि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एमएनआरई की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में सेकी ने एक वित्तीय वर्ष में 5500 मेगावाट सौर और 3190 मेगावाट नई पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्रदान करके भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपनी प्रतिबद्धता पूरी की है, जो देश की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का 10% से अधिक है। इसके अलावा, कंपनी वर्ष के दौरान कुल सौर और पवन क्षमता वृद्धि के लगभग 30% के लिए जिम्मेदार रही है, और देश में सौर और पवन ऊर्जा के प्रमुख मध्यस्थ–खरीददार और आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरी है।

भारत की मिश्रित विद्युत क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की लगातार बढ़ती हिस्सेदारी को देखते हुए वर्ष 2018–19 नवीकरणीय ऊर्जा की बेहतर प्रणाली–एकीकरण के लिए ऊर्जा–क्षेत्र की नीतियों को आकार देने के मामले में भी महत्वपूर्ण रहा है। इस उद्देश्य के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों और संबंधित बुनियादी ढांचे के उपयोग को अनुकूल बनाने के महत्व के बारे में बढ़ती जागरूकता ने नई प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग अवधारणाओं जैसे कि सौर–पवन हाइब्रिड, फ्लोटिंग सौर, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ सौर एकीकरण आदि में निवेश को प्रोत्साहित किया है।

इस क्षेत्र में, नई नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए एक सामंजस्यपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए सेकी के अथक प्रयासों को भी बल मिला है, और सेकी ने 840 मेगावाट क्षमता की पहली सौर–पवन हाइब्रिड निविदा अवार्ड करने में सफलता प्राप्त की है। वर्ष के दौरान फ्लोटिंग सौर और ऊर्जा भण्डारण प्रौद्योगिकी में भी विकास संबंधी प्रमुख कार्य किए गए, जिससे इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र, रूफटॉप और विकेन्द्रीकृत सौर खंड का अभी तक बड़े पैमाने पर दोहन नहीं हुआ है। इसमें नए व्यापार मॉडल की अपार संभावनाएं और व्यापक क्षमताएं मौजूद हैं। एमएनआरई के अधिदेश के तहत, सेकी ने इस क्षेत्र को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दिया है,

परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों में हजारों रूफटॉप सौर परियोजनाओं की स्थापना हुई है, जिससे मूल्य–आधारित भागीदारों के लिए जन जागरूकता और अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हुआ है।

एमएनआरई की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में अपनी भूमिका के अलावा, सेकी ने परियोजना विकास के क्षेत्र में भी अपने लिए खास जगह बनाई है। पीएमसी (परियोजना प्रबंधन सलाहकार) के रूप में प्रतिष्ठित एजेंसियों के लिए अवधारणा–से–चालू होने तक कई बड़ी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक निष्पादित करके, कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को पूरी तरह से तैयार करने के प्रबंधन में अपनी क्षमता प्रदर्शित की है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने कई नवीन और उच्च–संभावनाओं वाली परियोजनाओं के विकास कार्यों में भी काम किया है, जैसे कि लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश में डीजल के स्थान पर सौर ऊर्जा का प्रयोग, नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड–एकीकरण के लिए बैटरी भंडारण का उपयोग, अस्थायी सौर परियोजनाएं आदि।

वित्तीय क्षेत्र में, सेकी ने वृद्धि करते हुए इस वित्तीय वर्ष के दौरान भी सुदृढ़ विकास रुझान दर्ज किया है, तथा कुल राजस्व और कर पश्चात् लाभ में वर्ष दर वर्ष क्रमशः 177.59% और 99.93% की वृद्धि की है। कंपनी ने भारत सरकार को वित्त वर्ष 2018–19 के लिए 12.94 करोड़ रुपये का लाभांश देने का प्रस्ताव किया है।

जब मैं सेकी के गठन के 8वें वर्ष में इसकी उपलब्धियों की सूची पर एक नज़र डालता हूं, तो मुझे ज्ञात होता है कि कंपनी और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, बड़े पैमाने पर राष्ट्र को प्रदूषण मुक्त बनाने की अवधारणा, हमारी भावी पीढ़ियों के लिए प्रगति का स्थायी मार्ग प्रशस्त करता है और यह केवल आर्थिक विचारों से ही प्रेरित नहीं है। इसलिए, नवीकरणीय ऊर्जा देश के सामाजिक–आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और मैं आपको इन लक्ष्यों के लिए कंपनी की स्थायी प्रतिबद्धता का आश्वासन देता हूं।

माननीय प्रधानमंत्री ने 450 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का अत्यधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कंपनी निर्धारित ऊर्जा क्षेत्र परिदृश्य का सक्रिय रूप से समर्थन और भागीदारी करेगी। फीडबैक और त्वरित विकास की सतत प्रणाली के माध्यम से, सेकी इस क्षेत्र का तेजी से विकास एवं निर्वहन करने, तथा समग्र ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अधिकतम प्रौद्योगिकी और वाणिज्यिक समाधानों के बीच सामंजस्य स्थापित करेगी। मैं इस दृष्टिकोण के लिए सभी भागीदारों से सहयोग करने का अनुरोध करता हूं।

सेकी सरकार द्वारा निर्धारित मिशन को प्राप्त करने के लिए स्थायी दीर्घकालिक विकास प्राप्त करने हेतु विवेक, खुलेपन, निष्पक्षता, व्यावसायिकता और जवाबदेही पर आधारित ठोस कॉर्पोरेट प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। निगमित शासन पर एक रिपोर्ट और प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव मैसर्स विकास गेरा एंड एसोसिएट्स से निगमित शासन के अनुपालन पर प्राप्त प्रमाण–पत्र, निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा हैं जो निदेशक की रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

अंत में, मैं सरकार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, रक्षा, वित्त, भारी उद्योग, लोक उद्यम और विद्युत मंत्रालयों, राज्य सरकारों, केंद्र और राज्य विनियामक आयोगों, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, बहुमूल्य भागीदारों – द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संस्थानों, ट्रांसमिशन और वितरण कंपनियों, राज्य नोडल एजेंसियों, परियोजना विकासकर्ताओं, निवेशकों, बैंकरों, ठेकेदारों, सम्मानित ग्राहकों, परामर्शदाताओं, कर्मचारियों और सभी हितधारकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस दिन को संभव बनाने के लिए सेकी के साथ मिलकर काम किया है।

धन्यवाद,

भवदीय,

हस्ता0/–
प्रवीण कुमार
अध्यक्ष
डीआईएन नं. 01523131

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.09.2019

आठवीं वार्षिक आम सभा की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की आठवीं वार्षिक आम सभा बैठक दिनांक 30 सितम्बर, 2019 (सोमवार) को प्रातः 10.30 बजे कमरा नं. 207, द्वितीय मंजिल, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ब्लॉक नं. 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में आयोजित की जाएगी।

सामान्य कार्य

मद सं. 1

निदेशक मंडल की रिपोर्ट और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय विवरण) के साथ 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित तुलन–पत्र और लाभ एवं हानि लेखा विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण (लेखाकरण नीतियों और लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ) प्राप्त करना, उस पर विचार करना और उसका अंगीकरण करना।

सदस्यों से निवेदन है कि उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार करें और यदि वे उपयुक्त समझें तो एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित संकल्प को संशोधन (नों) के साथ अथवा संशोधन के बगैर उसे पारित करें:

''संकल्प पारित किया जाता है कि शेयरधारकों को परिचालित और बैठक में प्रस्तुत लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय विवरण) और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित तुलन–पत्र एवं लाभ एवं हानि लेखा विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण (लेखाकरण नीतियों और लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ) प्राप्त किया जाए, उस पर विचार किया जाए और उसे अंगीकृत किया जाए।''

मद सं. 2

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति इक्विटी शेयर रु. 36.553 (तीन अंकों तक पूर्णांक) (कुल मिलाकर रु. 12,93,98,000/–) के अंतिम लाभांश की घोषणा करना।

सदस्यों से निवेदन है कि उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार करें और यदि वे उपयुक्त समझें तो एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित संकल्प को संशोधन (नों) के साथ अथवा संशोधन के बगैर उसे पारित करें:

''संकल्प पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक मंडल की सिफारिश के अनुसार 35,40,000 इक्विटी शेयरों पर प्रति इक्विटी शेयर रु. 36.553 (तीन अंकों तक पूर्णांक) (कुल मिलाकर रु. 12,93,98,000/–) का अंतिम लाभांश घोषित किया जाए और एतद्द्वारा किया जाता है और उसे कंपनी के पात्र सदस्यों को भुगतान किया जाए।''

मद सं. 3

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक मैसर्स आर.एस.पी.एच. एंड एसोशिएट्स के पारिश्रमिक के निर्धारण पर विचार करना।

सदस्यों से निवेदन है कि उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार करें और यदि वे उपयुक्त समझें तो एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित संकल्प को संशोधन (ों) के साथ अथवा संशोधन के बगैर उसे पारित करें:

''संकल्प पारित किया जाता है कि मैसर्स आर.एस.पी.एच. एंड एसोशिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, जिसे सीएजी द्वारा अपने पत्र संख्या सीए. वी/सीओवाई/सेंट्रल गवर्नमेंट.सेकी (0)/379 दिनांक 06.08.2019 के माध्यम से वित्त वर्ष 2019–20 के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए रु. 4,50,000 का समेकित शुल्क + शुल्क के 10 प्रतिशत तक जेब खर्च + यथा लागू करों का भुगतान किया जाएगा।''

''यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि प्रबंध निदेशक को मैसर्स आर.एस.पी.एच. एंड एसोशिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के साथ अनुबंध की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए पारिश्रमिक में कोई परिवर्तन करने और तत्संबंध में ऐसे अन्य कार्यों अथवा कृत्यों को करने हेतु आकस्मिक या सहायक हों, अधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा किया जाता है।''

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ता0/–
(सुनील कुमार)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.09.2019

टिप्पणी :

1. 1.बैठक में शामिल होने और मत देने के हकदार सदस्य को अपने स्वयं के स्थान पर शामिल होने और मत देने हेतु प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है और प्रॉक्सी का कंपनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। प्रॉक्सी फार्म संलग्न है।

प्रॉक्सी फॉर्म

मैं/हम.....सुपुत्र/सुपुत्री ..... निवासी .... ऊपर उल्लिखित कंपनी का/के सदस्य होने के नाते एतद्द्वारा .....सुपुत्र/ सुपुत्री ..... निवासी .... सुपुत्र/सपुत्री ..... निवासी .... को कंपनी की 30 सितंबर, 2019 (सोमवार) प्रातः 10.30 बजे हाने वाली आठवीं आम सभा बैठक में या उसके किसी स्थगन के बाद होने वाली सभा में मेरे/हमारे और मेरी/हमारी तरफ से मत देने हेतु अपने प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं।

.....2019 के .....दिवस को हस्ताक्षरित।

_____

टिप्पणी :

प्रॉक्सी फॉर्म अवश्य वापस किया जाना चाहिए और यह उपर्युक्त सभा के आयोजित करने के समय से 48 घंटों से पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। प्रॉक्सी के लिए कंपनी का शेयरधारक होना जरूरी नहीं है।

निदेशकों की रिपोर्ट 2018–19

सेवा में

शेयरधारक,

निदेशक मंडल को 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित कंपनी के व्यवसाय और प्रचालन पर 8वीं वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कंपनी के विकास के रुझान के अनुरूप, वित्त वर्ष 2018–19 महत्वपूर्ण वास्तविक और वित्तीय प्रगति का वर्ष रहा है।

कार्यनिष्पादन उपलब्धियां

वित्त वर्ष 2018–19 की कार्यनिष्पादन उपलब्धियों तथा पिछले वर्ष की तुलनात्मक स्थिति का यहां नीचे उल्लेख किया गया है:

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	**31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए**	**31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए**
शेयर पूंजी	35,400.00	35,400.00
निवल मूल्य	56,395.45	43,684.48
कुल राजस्व	3,26,425.99	1,17,591.15
कर पूर्व लाभ/(हानि)	20,048.77	10,173.61
कर पश्चात् लाभ/(हानि)	12,939.82	6,472.29

वित्तीय निष्पादन

- बिजली की बिक्री, परियोजना निगरानी शुल्क, परामर्शी आय और अन्य आय के कारण कंपनी की कुल आय 3,26,425.99 लाख रुपये तक बढ़ गई है, जबकि पिछले वर्ष संबंधित आंकड़े 1,17,591.15 लाख रुपये था, इस प्रकार 177.59% की वृद्धि दर्ज की गई है;
- कर पूर्व लाभ (पीबीटी) और कर पश्चात् लाभ (पीएटी) क्रमशः बढ़कर 20,048.77 लाख रुपये और 12,939.82 लाख रुपये हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 97.07% और 99.93% की वृद्धि दर्शाता है;
- कंपनी का निवल मूल्य पिछले वर्ष के 43,684.48 लाख रुपये के आंकड़े की तुलना में 56,395.45 लाख रुपये था, इस प्रकार 29.10% की वृद्धि दर्ज की गई है।

लाभांश

निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के दिनांक 27 मई, 2016 के दिशा–निर्देशों के अनुसार, कंपनी को वर्ष 2018–19 के लिए 31.03.2019 तक या तो निवल मूल्य का 5% या कर पश्चात् लाभ का 30% लाभांश, जो भी अधिक हो, का भुगतान करने की उम्मीद है। तथापि, बड़े पैमाने पर सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए कैपेक्स की आवश्यकता को देखते

हुए, सेकी ने 14 फरवरी, 2019 के पत्र द्वारा एमएनआरई से अनुरोध किया है कि लाभांश का भुगतान पीएटी के 10% की दर से करने पर विचार करें। एमएनआरई ने इस पर संज्ञान लिया है और इस मामले को 10 जून, 2019 के पत्र द्वारा डीआईपीएएम को भेज दिया है। डीआईपीएएम की स्वीकृति अभी प्राप्त होनी है।

10% पीएटी की दर से लाभांश की गणना 1,293.98 लाख रुपये बैठती है और इस पर लाभांश कर 265.98 लाख रुपये है। सेकी ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए शेष 184.22 लाख रुपये की अंतिम लाभांश राशि और उस पर 37.88 लाख रुपये के कॉर्पोरेट लाभांश कर का भुगतान कर दिया है। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 1,293.98 लाख रुपये का अंतिम लाभांश और उस पर देय 265.98 लाख रुपये का कॉर्पोरेट लाभांश कर स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के बाद दिया जाएगा।

शेयर पूंजी

31 मार्च, 2019 को कंपनी की निर्गत और प्रदत्त पूंजी प्रत्येक 1,000/– रुपये के 2,00,00,000 शेयर सहित 2,000/– करोड़ रुपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी की तुलना में प्रत्येक 1,000/– रुपये के 35,40,000 इक्विटी शेयर हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 100% है।

निधि और गैर–निधि आधारित सुविधा

कंपनी को एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक से 50 करोड़ रुपये की गैर–निधि आधारित सुविधा प्रदान की गई है। एचडीएफसी बैंक द्वारा स्वीकृत सीमा सभी वर्तमान और भावी प्राप्तियों को बंधक रखने के आधार पर दी गई है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया है और इसके बही खातों में कोई बकाया ऋण नहीं है।

व्यावसायिक गतिविधियां

I. राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत योजनाओं का कार्यान्वयन

सेकी राष्ट्रीय सौर मिशन (एनएसएम) के तहत सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नामित कार्यान्वयन एजेंसी है। नामित एजेंसी के रूप में, सेकी अखिल भारत/राज्य–विशिष्ट आधार पर, जैसा मामला हो, सौर क्षमताओं के लिए निविदाएं आमंत्रित करता है, वीजीएफ के प्रशुल्क/मात्रा, जैसा लागू हो, के आधार पर विकासकर्ताओं का चयन करता है, 25 वर्षीय बिजली खरीद समझौता (पीपीए) के माध्यम से चयनित विकासकर्ताओं से बिजली खरीदता है और उसे 25 वर्षीय बिजली बिक्री समझौतों (पीएसए) के माध्यम से विभिन्न डिस्कोम/बल्क उपभोक्ताओं को बेचता है।

31.03.2019 को, सेकी ने संचयी रूप से 11015 मेगावाट की क्षमता प्रदान की है, जिसमें से 4555 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं चालू हो गई हैं। इसके अलावा, 9700 मेगावाट क्षमता के लिए निविदाएं जारी की गई हैं, जिसके लिए वर्तमान में निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं।

वर्ष के दौरान, सेकी ने 4150 मेगावाट की सौर परियोजनाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं, जिनमें से 1750 मेगावाट की निविदाएँ राज्य–विशिष्ट थीं और शेष 2400 मेगावाट निविदाएँ अखिल भारतीय आधार पर थीं। इसमें से वर्ष के दौरान 1950 मेगावाट क्षमता वाली सौर परियोजनाएं प्रदान की गई हैं और वित्त वर्ष 2019–20 में 2200 मेगावाट की शेष क्षमता वाली सौर परियोजनाएं को अंतिम रूप दिया जाएगा।

इसके अलावा, पहले से चल रही निविदाओं से 3550 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं प्रदान की गई है, जिससे वर्ष के दौरान प्रदान की गई कुल क्षमता 5500 मेगावाट तक पहुंच गई है।

उपर्युक्त के अलावा, सेकी ने दो मेगा टेंडर भी जारी किए हैं, अर्थात् विनिर्माण सुविधाओं से जुड़ी सौर परियोजनाओं के लिए; तथा लेह और कारगिल क्षेत्रों में 7500 मेगावाट की सौर परियोजनाओं के विकास के लिए। इन निविदाओं की प्रक्रिया चल रही है।

सेकी द्वारा स्थापित बड़े पैमाने पर निविदा और कार्यान्वयन तंत्र से सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारी निवेश हुआ है, और परिणामस्वरूप टैरिफ प्रतिस्पर्धी बना है। वर्ष के दौरान, परियोजनाएं 2.44 से 2.82 / कि.वॉट घंटा टैरिफ पर दी गई हैं।

वित्त वर्ष 2018–19 में, सेकी द्वारा कार्यान्वित निविदाओं के तहत, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में 2010 मेगावाट की कुल क्षमता वाली परियोजनाएँ शुरू की गईं। यह नोट करना उचित है कि यह देश में वर्ष के दौरान कुल सौर क्षमता का लगभग 31% का प्रतिनिधित्व करता है।

महाराष्ट्र में 10 मेगावाट की सौर परियोजना

राजस्थान में 100 मेगावाट की सौर परियोजना

II. आईएसटीएस संबद्ध पवन विद्युत निविदाओं का कार्यान्वयन

सेकी राष्ट्रीय लक्ष्य की पूर्ति के लिए अखिल भारत आधार पर बड़े पैमाने पर पवन ऊर्जा परियोजनाओं की एक कार्यान्वयन एजेंसी है। दिनांक 31.03.2019 तक, सेकी ने 7240 मेगावाट की क्षमता वाले पांच ट्रैंच प्रदान किए हैं, जिसमें से लगभग 729 मेगावाट को संचयी रूप से चालू किया गया है। वित्त वर्ष 2018–19 और वित्त वर्ष 2019–20 में शेष क्षमता को चालू किया जाना है। इसके अलावा, विकासकर्ताओं से बोलियां आमंत्रित करने (31.03.2019 तक) के लिए 2400 मेगावाट (ट्रैंच–VI और VII) के लिए आरएफएस जारी किए गए हैं।

वर्ष के दौरान, तीन ट्रैंचों (V, VI और VII) में 3600 मेगावाट के लिए निविदा जारी की गई हैं, जिनमें से 1190 मेगावाट (31.03.2019 तक) प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष की निविदाओं में से वर्ष के दौरान 2000 मेगावाट की क्षमता भी प्रदान की गई है, जिससे कुल प्रदान की गई क्षमता 3190 मेगावाट हो गई है। शेष क्षमता प्रदान करने की प्रक्रिया चल रही है।

इस क्षेत्र में सेकी की पहल ने प्रतिस्पर्धी खरीद प्रक्रिया के माध्यम से पवन ऊर्जा दरों को युक्तिसंगत बनाया है और उद्योग में प्रतिस्पर्धा को सुदृढ़ किया है। इन निविदाओं ने सभी राज्यों

सेकी निविदा–परियोजना में पवन टरबाइन

के लिए पवन ऊर्जा के बड़े पैमाने पर अंतर–राज्य हस्तांतरण को सक्षम करके किफायती दरों पर पवन ऊर्जा का लाभ उठाना संभव बना दिया है। वर्ष के दौरान, परियोजनाओं को 2.51 से 2.77 / कि.वॉट घंटा के बीच टैरिफ पर प्रदान किया गया है।

प्रदान की गई क्षमता में से, 729 मेगावाट की परियोजनाओं को वित्तीय वर्ष में चालू किया गया है, जो वर्ष के दौरान देश में चालू क्षमता का 46% से अधिक है।

III. ग्रिड से संबद्ध रूफ–टॉप कार्यक्रम

सेकी भारत में रूफटॉप सौर परियोजनाओं की स्थापना के लिए योजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक है। सेकी ने रूफटॉप सोलर के लिए विभिन्न निविदाओं को कार्यान्वित किया है, जिसमें दोनों कैपेक्स (छत के मालिक द्वारा निवेश) और रेस्को (छत के मालिक के साथ पीपीए) मॉडल शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2016–17 में, सेकी ने अखिल भारत आधार पर सामाजिक, आवासीय और संस्थागत क्षेत्रों के लिए भारत की सबसे बड़ी रूफटॉप निविदा आमंत्रित की थी, जिसमें सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 30% सब्सिडी और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 70% सब्सिडी का प्रावधान था। इस निविदा के अंतर्गत कुल 136 मेगावाट क्षमता की 2000 से अधिक परियोजनाओं को सफलतापूर्वक चालू (31.03.2019 तक) किया गया है।

वित्त वर्ष 2016–17 में, सेकी ने केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों, विभागों आदि में सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 25% प्रोत्साहन के प्रावधान से और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 60% सब्सिडी से रूफटॉप सौर परियोजनाओं की स्थापना के लिए एमएनआरई की 'उपलब्धि संबद्ध प्रोत्साहन योजना' के अंतर्गत एक निविदा भी प्रारंभ की थी। इस निविदा के अंतर्गत सेकी द्वारा 31.03.2019 तक कुल 80 मेगावाट क्षमता की लगभग 900 परियोजनाओं को सफलतापूर्वक चालू किया गया है और शेष क्षमता को लागू करने का कार्य चल रहा है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, लखनऊ

राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान, कटक

IV. सौर पार्क स्कीम

सेकी को ढांचागत सहायता अर्थात् सौर परियोजनाओं की स्थापना के लिए विकासकर्ताओं को विकसित भूमि और बिजली निकासी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सौर पार्कों (40000 मेगावाट) के विकास के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत एमएनआरई द्वारा 31.03.2019 तक कुल 23499 मेगावाट की क्षमता वाले 42 सौर पार्कों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

कार्यान्वयन प्रक्रिया के भाग के रूप में, सौर पार्क विकास एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित पार्कों के अनुमोदन के लिए एमएनआरई को डीपीआर प्रस्तुत की जाती हैं, और एमएनआरई द्वारा सौर पार्कों की मंजूरी देने पर सेकी द्वारा पूर्व–निर्धारित प्रगति–संबद्ध उपलब्धियों के आधार पर सब्सिडी जारी की जाती है।

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में सौर पार्कों को संबंधित राज्य नामित एजेंसियों के साथ सेकी की संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से लागू किया जा रहा है।

V. कैनल टॉप/कैनल बैंक योजना

कैनल टॉप और कैनल–बैंकों पर सौर परियोजनाओं के विकास के लिए एमएनआरई की योजना वित्तीय वर्ष 2014–15 में शुरू की गई थी और इसके कार्यान्वयन के लिए सेकी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। कंपनी की भूमिका विभिन्न राज्यों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करना और प्रगति से संबंधित उपलब्धियों के आधार पर सीएफए प्रदान करना रही है।

इस योजना के तहत, 7 राज्यों में अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, कर्नाटक, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 31.03.2019 तक कुल 94 मेगावाट क्षमता वाली परियोजनाओं को चालू किया गया है।

VI. सीपीएसयू स्कीम

एमएनआरई ने वित्तीय वर्ष 2015–16 में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए सरकारी विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना लागू की थी, और इसके लिए सेकी को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। 1000 मेगावाट की लक्ष्य क्षमता से इस योजना में घरेलू स्तर पर निर्मित सौर मॉड्यूल और/या सेलों का उपयोग करके सौर परियोजनाओं को विकसित करने के लिए सीपीएसयू को सीएफए प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। सेकी को पात्र सीपीएसयू को सीएफए जारी करने का कार्य सौंपा गया था। इस योजना के अंतर्गत 31.03.2019 तक 881.76 मेगावाट की परियोजनाएँ चालू कर दी गई हैं।

VII. रक्षा स्थापनाओं के लिए योजना

रक्षा स्थापनाओं को सौर ऊर्जा परियोजनाएं लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, एमएनआरई ने वित्त वर्ष 2014–15 में 300 मेगावाट की क्षमता वाली एक वीजीएफ योजना शुरू की थी, जिसमें सेकी कार्यान्वयन एजेंसी थी। परियोजनाओं का विकास करने के लिए, सेकी आयुध निर्माणी बोर्ड, सैन्य इंजीनियरिंग सेवा, सीमा सुरक्षा बल, छावनी बोर्ड और वायु सेना स्टेशन आदि सहित विभिन्न संगठनों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है और कई मामलों में व्यवहार्यता मूल्यांकन और बोली प्रबंधन की सहायता प्रदान की गई है। दिनांक 31.03.2019 तक एमएनआरई द्वारा स्वीकृत कुल 270 मेगावाट क्षमता वाली परियोजनाओं में से 96 मेगावाट की क्षमता वाली परियोजनाओं को चालू कर दिया गया है।

VIII. नवीकरणीय ऊर्जा में निर्माणाधीन क्षेत्र

फ्लोटिंग सोलर– जिन स्थानों पर भूमि उपलब्ध नहीं है/भूमि का उपयोग नहीं हो सकता, वहां फ्लोटिंग सोलर प्रौद्योगिकी सौर ऊर्जा का उपयोग करने का एक विकल्प है। इस प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सौर पीवी पैनल जल निकायों जैसे बांध जलाशयों, झीलों आदि पर तैरते प्लेटफार्मों पर लगाए जाते हैं।

सेकी देश में कई राज्यों में बड़े पैमाने पर फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं के विकास के लिए काम कर रहा है। एनएचपीसी/एनएचडीसी और टैंगेडको के साथ संयुक्त कार्यकारी समूहों का गठन किया गया है, और 2500 मेगावाट की प्रारंभिक अनुमानित क्षमता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जलाशयों, जैसे कि रिहंद, हीराकुंड, ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर बांध का दौरा किया गया है।

2018–19 में, उत्तर प्रदेश के रिहंद बांध में 150 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना का आरएफएस जारी किया गया है और तकनीकी–वाणिज्यिक मूल्यांकन 31.03.2019 तक पूरा कर लिया गया है।

सौर पवन हाइब्रिड– सौर पवन हाइब्रिड प्रौद्योगिकी का उद्देश्य पवन और सौर प्रौद्योगिकियों के संयोजन से भूमि और सामान्य बुनियादी ढांचे, जैसे बिजली की निकासी, ट्रांसमिशन नेटवर्क आदि का उत्कृष्ट उपयोग करना है। सौर और पवन संसाधन उपलब्धता की पूरक प्रकृति के आधार पर, यह प्रौद्योगिकी व्यक्तिगत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से जुड़े अनियमित अंतराल के स्थान पर बेहतर बिजली उत्पादन प्रदान करती है।

2018–19 में, सेकी ने सौर–पवन हाइब्रिड परियोजना (ट्रैंच–I) के विकास के लिए आरएफएस जारी किया है, जिसके तहत जनवरी, 2019 में 840 मेगावाट की क्षमता के लिए प्राधिकार पत्र (एलओए) जारी किए गए थे। 1200 मेगावाट (ट्रैंच–II) के लिए आरएफएस मार्च, 2019 में जारी किया गया है जो प्रक्रिया में है।

संबद्ध सौर का विनिर्माण– वित्त वर्ष 2018–19 में सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) प्रौद्योगिकी में भारत के घरेलू विनिर्माण आधार को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, सेकी ने सौर विनिर्माण क्षमता के साथ सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं।

ऊर्जा भंडारण सहित सौर– भारत में बिजली के मिश्रित उपयोग के स्तर के बढ़ने से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में अनियमितता की चुनौतियों से निपटने के लिए ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियां लगाने की आवश्यकता बढ़ रही है।

सेकी ऊर्जा भंडारण सहित कई निविदाओं पर काम कर रहा है। प्रदर्शन मामले के रूप में, सेकी विश्व बैंक वित्त–पोषण की मदद से अपनी 160 मेगावाट सौर–पवन हाइब्रिड कैपेक्स परियोजना में 20 मेगावाट बैटरी भंडारण प्रणाली विकसित करने की योजना बना रहा है।

IX. परियोजना का विकास

निविदाओं के माध्यम से बीओओ आधार की बड़े पैमाने पर सौर और पवन क्षमता बनाने के अलावा, सेकी अपने निजी निवेश से और परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) के रूप में सौर और पवन क्षमता का विकास भी करता है। कुछ पहल नीचे दी गई हैं:

पीएमसी के अंतर्गत परियोजनाएं– सेकी पीएमसी मोड के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं के लिए लगभग 500 मेगावाट की परियोजनाएं लागू कर रहा है, जिनमें से लगभग 100 मेगावाट को चालू किया गया है। वित्त वर्ष 2018–19 में निष्पादित की जा रहीं कुछ प्रमुख परियोजनाएँ इस प्रकार हैं:

- **एससीसीएल के लिए 129 मेगावाट**– सेकी सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) की ओर से तेलंगाना के विभिन्न स्थानों में 129 मेगावाट की कुल क्षमता वाली सौर परियोजनाओं का विकास कर रहा है। ईपीसी संविदा प्रदान किया गया है और परियोजनाएं निष्पादित (31.03.2019 तक) की जा रही हैं।
- **बीडीएल, इब्राहिमपटनम के लिए 5 मेगावाट**– सेकी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल), इब्राहिमपटनम में 5 मेगावाट सौर परियोजना विकसित कर रहा है। परियोजना निष्पादित (31.03.2019 तक) की जा रही हैं।
- **बीएचयू में 8 मेगावाट**– सेकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू), वाराणसी में 8 मेगावाट रूफटॉप सौर परियोजनाओं का विकास कर रहा है। निर्माण कार्य चल रहा है।

बीएचयू में रूफटॉप सौर परियोजना (निर्माणाधीन) बीडीएल, इब्राहिमपटनम में 5 मेगावाट सौर परियोजना

कैपेक्स परियोजनाएं– सेकी के स्वामित्व में 11 मेगावाट क्षमता की प्रचालन परियोजनाएं हैं और कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा में अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करना चाहती है। मौजूदा और चल रही परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

- **बाडी सिद, राजस्थान में 10 मेगावाट की परियोजना**– सेकी की 10 मेगावाट क्षमता वाली पहली सौर पीवी परियोजना को 31.03.2016 को राजस्थान के जोधपुर जिले के बाडी सिद में स्थापित किया गया था। वित्त वर्ष 2018–19 (31.03.2019 तक) में इस संयंत्र ने लगभग 18.5 एमयू का उत्पादन किया है।

- **अंडमान और निकोबार (एएंडएन) में 1 मेगावाट की परियोजना**– सेकी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1 मेगावाट की रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की हैं। इस परियोजना को जून, 2017 में शुरू किया गया था और यह कार्य कर रही है।

- **रामागिरी, आंध्र प्रदेश में 160 मेगावाट की सौर–पवन–बीईएसएस हाइब्रिड परियोजना**– नवीकरणीय ऊर्जा में नवाचार को बढ़ावा देने की एक पहल के रूप में, सेकी विश्व बैंक के वित्तपोषण से आंध्र प्रदेश में बैटरी भंडारण के साथ 160 मेगावाट का सौर–पवन हाइब्रिड विद्युत संयंत्र विकसित कर रहा है। परियोजना स्थल की पहचान कर ली गई है और आवश्यक भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। परियोजना का तकनीकी–व्यावसायिक व्यवहार्यता आकलन किया गया है। राज्य डिस्कोम और सेकी के बीच फ्रेमवर्क पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ईपीसी ठेकेदार के चयन के लिए आरएफएस अगस्त, 2018 में जारी किया गया है और बोलियों का मूल्यांकन पूरा हो गया है। डिस्कॉम के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर करने के बाद एलओए जारी की जाएगी।

- **कर्नाटक में 10 मेगावाट सौर पीवी परियोजना (डीआरडीओ)**– डीआरडीओ के साथ हस्ताक्षरित समझौता–ज्ञापन के अंतर्गत कर्नाटक में डीआरडीओ कोलार परिसर में 10 मेगावाट की परियोजना की स्थापना करने के लिए पहचान की गई है। ईपीसी ठेकेदार के चयन के लिए आरएफएस मई, 2018 में जारी किया गया था जिसे फरवरी, 2019 में प्रदान किया गया है। परियोजना का निष्पादन कार्य चल रहा है।

- **लक्षद्वीप में सौरीकरण परियोजना**– सेकी निदेशक मंडल ने डीजल के स्थान पर लक्षद्वीप में सौर परियोजनाओं की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है जिसमें एक पहल के रूप में 4 मेगावाट ग्राउंड–माउंटेड, 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर और 75 मेगावाट बैटरी भंडारण की स्थापना की जाएगी।

- **झारखंड में 150 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना**– सेकी निदेशक मंडल ने झारखंड के गेटालसुड और धुर्वा जलाशयों में 150 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

- **उत्तराखंड में 200 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना**– सेकी उत्तराखंड में 200 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना की स्थापना के लिए राज्य सरकार के साथ चर्चा कर रही है। इसका व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है।

X. बिजली कारोबार

सेकी को भारत सरकार द्वारा सौर और पवन निविदाओं के अंतर्गत परियोजनाओं से बिजली खरीदने और उसे दीर्घावधि पीपीए/पीएसए के माध्यम से विभिन्न डिस्कोम आदि को बेचने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सेकी के पास अखिल भारत आधार पर विद्युत कारोबार करने के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) से श्रेणी I व्यापार लाइसेंस है। यह एक सक्रिय विद्युत ट्रेडर है, जो अंतरा–राज्य और अंतर–राज्य दोनों स्तरों पर व्यापार करता है। कंपनी सेकी द्वारा कार्यान्वित निविदाओं के माध्यम से स्थापित सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पन्न नवीकरणीय ऊर्जा में व्यापार करती है। वित्त वर्ष 2018–19 में, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 6840.83 मिलियन यूनिट बिजली का कारोबार किया गया।

मानव संसाधन प्रबंधन

सेकी में मानव संसाधन प्रबंधन कंपनी के व्यावसायिक उद्देश्यों के साथ तालमेल सुनिश्चित करने के लिए स्वयं को इनके साथ अनुकूल बनाने का प्रयास करता है और वार्षिक लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों को समर्थन देना जारी रखता है। सेकी में मानव संसाधन विचारों का सतत प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल पर नई प्रतिभाओं को सामने लाने का प्रयास करता है, तथा साथ ही समय के साथ सीखते हुए मौजूदा कौशल को समृद्ध करने में मदद करता है।

वर्ष के दौरान, नवीकरणीय ऊर्जा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए छात्रों के कौशल का लाभ उठाने के उद्देश्य से आईआईटी परिसरों से भर्ती शुरू की गई थी। सेकी कर्मचारियों की सुविधा के लिए विभिन्न कर्मचारी अनुकूल नीतियां जैसे सेकी वाहन अग्रिम नियम, संशोधित पट्टा आवास नियम भी शुरू किए गए और कंपनी से उनकी उचित अपेक्षाओं को पूरा किया गया।

सेकी में दिनांक 31.03.2019 तक कुल स्थायी मानव शक्ति (निदेशकों सहित) 73 हैं, जिसमें 5 कर्मचारी अनुसूचित जाति से, 2 कर्मचारी अ.ज.जा. से, 10 कर्मचारी अ.पि.व. से तथा 14 महिला कर्मचारी हैं।

वर्ष के दौरान 24 कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजा गया ताकि वे नया ज्ञान अर्जित कर तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवीनतम विकासों से अवगत होकर अपनी कार्यदक्षताओं को बढ़ा सकें।

सेकी में एक सीएसआर एवं संधारणीय नीति है जिसका तात्पर्य कॉरपोरेट अभिशासन, सामाजिक एवं आर्थिक विकास के समावेशन के द्वारा व्यवसाय की सफलता सुनिश्चित करना है। वर्ष के दौरान इस नीति के अंतर्गत 138 लाख रुपये के कुल सीएसआर निधि से केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के लिए 25 लाख रुपये, स्वच्छ भारत कोष के प्रति 44 लाख रुपये, स्वच्छ गंगा निधि के प्रति 44 लाख रुपये का योगदान दिया गया और शेष 25 लाख रुपये की राशि अगले वित्त वर्ष के लिए रखी गई है।

कर्मचारियों का विवरण

सेकी में 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार कुल स्थायी मानव शक्ति (निदेशकों सहित) 73 है, जिसमें 5 कर्मचारी अनुसूचित जाति से, 2 कर्मचारी अ.ज.जा. से, 10 कर्मचारी अ.पि.व. से तथा 14 महिला कर्मचारी हैं।

राजभाषा

हमारे दैनिक सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में और राजभाषा विभाग द्वारा अपने वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बहु–आयामी प्रयास किये गए ताकि हमारे सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सके। इस प्रयोजनार्थ, वर्ष के दौरान चार कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें अधिकारियों और कर्मचारियों को राजभाषा अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं के बारे में बताया गया। इसके अलावा, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने का प्रशिक्षण भी दिया गया। कंपनी ने राजभाषा कार्यान्वयन में हुई प्रगति की तिमाही समीक्षा भी की। वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं। कंपनी में सभी फार्म और मानक प्रारूप हिंदी एवं अंग्रेजी में द्विभाषी बनाए गए। सभी अधिनियमित नीतियां द्विभाषी रूप में तैयार की गईं।

सेकी में दिनांक 01 सितंबर, 2018 से 14 सितंबर, 2018 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवसर पर, राजभाषा से संबंधित अनेक प्रतियोगिताएं, जैसे कि निबंध लेखन, चित्र अभिव्यक्ति, कविता पाठ, हिंदी भाषण सफलतापूर्वक आयोजित की गईं। सेकी के प्रबंध निदेशक द्वारा 22 विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए।

यौन उत्पीड़न निवारण

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी ने यौन शोषण के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निपटान हेतु आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) गठित की है। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान यौन शोषण के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

सूचना प्रौद्योगिकी

सेकी उपयोगकर्ताओं के लिए केंद्रीयकृत सर्वर सुविधा और नवीनतम डेस्कटॉप/लैपटॉप के साथ आधुनिक एवं सुव्यवस्थित डाटा नेटवर्क का रखरखाव कर रहा है। सर्वर कक्ष उच्च गति वाले एलएएन और डब्ल्यूएएन कनेक्टिविटी के साथ नेटवर्क और इंटरनेट सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित है। ग्राहक स्थलों पर बैठकों/चर्चाओं के लिए विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का उपयोग किया जा रहा है।

कंपनी के पास एक कॉरपोरेट वेबसाइट (www.seci.co.in) और सुरक्षित ई–मेल कनेक्टिविटी है। रेस्पोन्सिव कॉरपोरेट वेबसाइट सभी प्रकार के मोबाइल एवं डेस्कटॉप डिवाइस से कार्य करने के लिए अनुकूल है और इसमें उपयोगकर्ता की पसंद के अनुसार प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के लिए गत्यात्मक लिप्यांतरण की सुविधा है। नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) विद्युत व्यापार के लिए विद्युत उत्पादन डाटा के साथ निर्धारित नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत को रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट करने हेतु कंपनी ने एक वेब आधारित ऐप्लीकेशन उपलब्ध कराया है। रूफटॉप सौर योजना के अंतर्गत कंपनी और परियोजना डेवलपर्स के बीच प्रक्रियाओं में सुविधा प्रदान करने हेतु वेब–आधारित पोर्टल भी कार्यान्वित किया गया है।

कंपनी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों, जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, लिंकडिन और यू–ट्यूब के माध्यम से अपनी गतिविधियों और प्रमुख उपलब्धियों को निरंतर दर्शा रही है। कर्मचारियों में कंपनी से संबंधित जानकारी के प्रसार में सहायता देने के लिए एक इंट्रानेट वेबसाइट उपलब्ध कराई गई है।

अन्य अनुप्रयोग, जैसे कि वेतन एवं विविध दावों के लिए पे–रोल सिस्टम और वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ समन्वित मानव संसाधन प्रणाली विकसित की गई है और इंट्रानेट में उपलब्ध कराई गई है। सेकी ने विभागों के बीच फाइलों के आवागमन की जानकारी

रखने के लिए एक फाइल ट्रेकिंग सिस्टम, जो एक इंट्रानेट आधारित अनुप्रयोग है, भी विकसित एवं उपलब्ध कराया है ताकि फाइलों पर समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। कंपनी ने बैंक गारंटी निगरानी प्रणाली, जो कंपनी को प्राप्त बैंक गारंटी की निगरानी करने के लिए एक इंट्रानेट आधारित अनुप्रयोग है, विकसित किया है।

संयुक्त उद्यम (जेवी)

आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड : यह सेकी, एपीजीईएनसीओ एवं एनआरईडीसीएपी के बीच एक संयुक्त उद्यम है जिसकी शेयरधारिता का अनुपात क्रमशः 50:41:9 है। इस संयुक्त उद्यम का गठन आंध्र प्रदेश में 1500 मेगावाट अनंतपुर सोलर पार्क, 1000 मेगावाट करनूल सोलर पार्क, 1000 मेगावाट कडप्पा सोलर पार्क और 500 मेगावाट अनंतपुरामु-II सोलर पार्क का विकास करने के लिए किया गया है।

कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड : यह संयुक्त उद्यम सेकी और केआरईडीएल के बीच है और इसकी शेयरधारिता का अनुपात 50:50 है। इस संयुक्त उद्यम का गठन कर्नाटक में टुमकुर में 2000 मेगावाट सोलर पार्क का विकास करने के लिए किया गया है।

लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड : यह संयुक्त उद्यम सेकी और यूपीएनईडीए के बीच है और इसकी शेयरधारिता का अनुपात 50:50 है। इस संयुक्त उद्यम का गठन उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद और जालौन जिलों में 600 मेगावाट सोलर पार्क का विकास करने के लिए किया गया है।

रिन्यूएबल पावर कॉरपोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड : यह सेकी और केएसईबी के बीच एक संयुक्त उद्यम है और इसमें शेयरधारिता का अनुपात 50:50 है। इस संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन कासरगौड, केरल में 200 मेगावाट सोलर पार्क का विकास करने के लिए किया गया है।

रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड : यह सेकी और एमपीयूवीएनएल के बीच एक संयुक्त उद्यम है और इसकी शेयरधारिता का अनुपात 50:50 है। इस संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट रीवा सोलर पार्क, 500 मेगावाट नीमच–मंदसौर सोलर पार्क, 500 मेगावाटर अगर–शाजापुर सोलर पार्क, 500 मेगावाट छतरपुर सोलर पार्क और 500 मेगावाट राजगढ़–मोरेना सोलर पार्क का विकास करने के लिए किया गया है।

हिमाचल रिन्यूऐबल्स लिमिटेड : यह सेकी और एचपीएसईबीएल के बीच एक संयुक्त उद्यम है और इसकी शेयरधारिता का अनुपात 50:50 है। इस संयुक्त उद्यम का गठन हिमाचल प्रदेश में पूह, किब्बर, हिक्किम, हुल, लोसर में 1000 मेगावाट सोलर पार्क का विकास करने के लिए किया गया है।

सतर्कता

सतर्कता विभाग केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संगठन और मुख्य सतर्कता आयुक्त के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। निवारक जाँच और सुझाई गई प्रणाली में सुधार के माध्यम से, सेकी की प्रक्रियाओं और प्रणालियों में अधिक इक्विटी और निष्पक्षता का पता लगाया जाता है। कंपनी सूचना प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग के माध्यम से प्रणाली और प्रक्रियाओं में निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने में विश्वास करती है।

यह विभाग शिकायतों (यदि कोई हों) की जांच के लिए और मामलों को सीवीसी को सलाह के लिए, जैसा लागू हो, भेजने के लिए जिम्मेदार है। लगातार टिप्पणियां करने की प्रणाली और सुझाए गए सुधारों से कंपनी की कई प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया गया है।

''भ्रष्टाचार उन्मूलनः नये भारत का निर्माण'' विषय पर 29 अक्टूबर से 3 नवंबर, 2018 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2018 मनाया गया। इस सप्ताह के दौरान जागरुकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों जैसे निबंध, चित्र, वाद–विवाद और स्लोगन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के संदेश का प्रसार करने के लिए अन्य कार्यक्रम जैसे दिल्ली के सरकारी/निजी विद्यालयों में चित्रकारिता जैसी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया।

सूचना का अधिकार

कंपनी ने भारत के नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने और कंपनी की कार्यप्रणाली में जवाबदेही तथा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 को कार्यान्वित किया है। कंपनी ने अपने पंजीकृत कार्यालय में एक जनसूचना अधिकारी (पीआईओ) और अपीलीय अधिकारी नामित किया है। वर्ष 2018–19 के दौरान 89 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए थे और इन सभी पर कार्रवाई की गई तथा उनके जवाब दिये गये।

धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी और निवेश के विवरण

कंपनी ने किसी व्यक्ति या अन्य निकाय निगमों को कोई ऋण नहीं दिया है। तथापि, कंपनी ने ट्रांसमिशन कंपनियों, कर प्राधिकारियों और अन्य के पक्ष में गारंटी/साख पत्र जारी करने के लिए बैंकों को इन्डेमिनिटी/काउंटर गारंटी दी है। 31.03.2019 तक बकाया गारंटियां 1,446.79 लाख रुपयों की हैं। कंपनी ने स्वीकृत निवेश नीति के अनुसार सेकी की अधिशेष निधियों, भुगतान प्रतिभूति तंत्र निधियों, वीजीएफ/अनुदान आदि के प्रति एमएनआरई से प्राप्त निधियों और निष्पादन गारंटी जमा निधियों को बैंकों में अल्पावधि जमा में निवेश किया है/बैंकों के पास फलेक्सी डिपाजिट खाते में ब्याज के लिए रखा है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अंगीकरण एवं विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय के बारे में विवरण

कंपनी ने कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की है। इस अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय 30.33 लाख रुपये है, जिसे मुख्यतः सरकारी दौरों, यात्राओं और पत्रिकाओं में अंशदान के लिए खर्च किया गया।

लेखाओं की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए मैसर्स आरएसपीएच एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया। वर्ष 2018–19 के लिए स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट **अनुबंध–क** के रूप में संलग्न है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां **अनुबंध–ख** पर दी गई हैं।

निगमित शासन

सेकी सरकार द्वारा निर्धारित मिशन को प्राप्त करने के लिए स्थायी दीर्घकालिक विकास प्राप्त करने के लिए विवेक, खुलेपन, निष्पक्षता, व्यावसायिकता और जवाबदेही पर आधारित ठोस कॉर्पोरेट प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी डीपीई द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है।

निगमित शासन की एक रिपोर्ट, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है, **अनुबंध–ग** पर दी गई है। प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, मैसर्स विकास गेरा एंड एसोसिएट्स से प्राप्त निगमित शासन पर अनुपालन का प्रमाण–पत्र **अनुबंध–घ** में दिया गया है।

वार्षिक विवरण का सार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक विवरणी का सार इस रिपोर्ट में **अनुबंध–ङ** के रूप में संलग्न है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

निदेशक मंडल ने कंपनी की व्यवसाय नीतियों के अनुपालन, उसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करने, धोखाधड़ी और चूक को रोकने एवं उनका पता लगाने, लेखांकन रिकार्ड की यथार्थता और पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय प्रकटन समय पर तैयार करने सहित अपने व्यवसाय के कुशल एवं व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों एवं कार्यविधियों का अनुसरण किया है।

आचार संहिता

डीपीई के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए कंपनी ने आचरण एवं नैतिक संहिता (''संहिता'') तैयार की है जो सभी बोर्ड सदस्यों और बोर्ड में एक पद नीचे के वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों पर लागू है। सभी बोर्ड सदस्यों और बोर्ड में एक पद नीचे के वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों से संहिता के अनुपालन का वचन लिया गया है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

1. लागू लेखांकन मानकों का महत्वपूर्ण विचलन, यदि कोई हो, से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण के साथ अनुपालन किया गया;
2. उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन किया गया और उनका निरंतर अनुपालन किया गया तथा ऐसे अधिनिर्णय लिये गये और अनुमान लगाए गए, जो औचित्यपूर्ण और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी के सही एवं उचित कार्यकलापों तथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि विवरण को सही एवं उचित रूप से दर्शाया जा सके;
3. कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड रखने के लिए उचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा गया; और
4. वार्षिक लेखाओं को व्यवसायरत कंपनी (गोइंग कन्सर्न) के आधार पर तैयार किया गया है।
5. कंपनी द्वारा उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का पालन किया गया है और ऐसे आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावकारी ढंग से कार्य कर रहे हैं।
6. सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की गईं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और ये प्रभावकारी रूप से कार्य कर रही हैं।

सचिवीय लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अनुसरण में निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा करने हेतु मैसर्स विकास गेरा एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली को नियुक्त किया है।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति **अनुबंध–च** के रूप में संलग्न है।

आभार

निदेशक सभी हितधारकों का सेकी को दिए गए उनके समर्थन के लिए और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारत की राष्ट्रीय परिवर्तन संस्था (नीति आयोग), लोक उद्यम विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, राज्य सरकारों, राज्य विद्युत बोर्डों, केंद्रीय और राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों, वितरण कंपनियों, केंद्रीय और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, राज्य नोडल एजेंसियों आदि से प्राप्त मार्गदर्शन के लिए उनका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं।

हम द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों जैसे विश्व बैंक, जीआईजेड इत्यादि द्वारा दिए गए समर्थन के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं।

हम सेकी की व्यावसायिक गतिविधियों में सभी ग्राहकों, निवेशकों, वित्त–पोषण एजेंसियों, उधारदाताओं और हितधारकों द्वारा हम में जताए गए विश्वास और भरोसे के लिए उनकी सराहना करते हैं।

अंत में हम कंपनी की प्रगति और उत्थान की सुनिश्चितता के लिए कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर किए गए अथक प्रयासों और योगदान के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता0/–

प्रवीण कुमार

अध्यक्ष

डीआईएन नं.01523131

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 30.09.2019

आरएसपीएच एण्ड एसोसिएट्स
पूर्व में आर. के. बत्रा एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

906, विक्रम टॉवर
16, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
फोन : 41538933, 25715850
ई–मेल : catarunbatra@gmail.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्य
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने **सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड**, जिसमें 31 मार्च, 2019 तक के तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि के विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और संबंधित वर्ष को समाप्त नकदी प्रवाह के विवरण, और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पाणियां, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक सूचना (इसके बाद 'स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित) का सार शामिल है, के साथ संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा की है।

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित अनुसार सूचना देते हैं और 31 मार्च, 2019 को कंपनी की स्थिति (वित्तीय स्थिति), तथा उनके लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), इक्विटी में परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह पर भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

राय के लिए आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा–परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखा–परीक्षा की है। इन लेखापरीक्षा मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों का उल्लेख आगे हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण खंड की लेखा–परीक्षा के लिए लेखा–परीक्षक की जिम्मेदारियों में किया गया है। हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई') द्वारा नैतिक अपेक्षाओं सहित जारी 'नैतिक आचार संहिता' के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, जो अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा–परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा–परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

मामले पर बल

हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

1. एमएनआरई से कोई निर्देश / सलाह प्राप्त न होने की स्थिति में विभिन्न रूफटॉप योजनाओं से 31.03.2019 तक 1,545.16 लाख रुपये के एलडी / दंड प्रभार के संबंध में कंपनी द्वारा दिखाई गई आकस्मिक देयता के बारे में टिप्पणी **सं. 43.2.4**

आरएसपीएच एण्ड एसोसिएट्स
पूर्व में आर. के. बत्रा एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

906, विक्रम टॉवर
16, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
फोन : 41538933, 25715850
ई–मेल : catarunbatra@gmail.com

2. सेकी द्वारा सीओडी की घोषणा न करने के संबंध में **टिप्पणी संख्या 56**, जिसके कारण प्रत्येक 40 मेगावाट परियोजना क्षमता वाले 3 एसपीडी ने कोई चालान प्रस्तुत नहीं किया है और सेकी ने भी पीएसए की शर्तों के अनुसार डिस्कोम के लिए कोई चालान प्रस्तुत नहीं किया है। तथापि, 19 दिसंबर 2018 को 40 मेगावाट की एक परियोजना चालू की गई, 20 दिसंबर 2018 को एक अन्य 40 मेगावाट की परियोजना चालू की गई तथा 22 दिसंबर 2018 को एक और 40 मेगावाट की परियोजना चालू की गई।

3. 20 मेगावाट के सौर ऊर्जा विकासकर्ता (एसपीडी) से सौर ऊर्जा की खरीद के लिए सेकी द्वारा हस्ताक्षरित पीपीए के संबंध में **टिप्पणी सं.57**. एसपीडी ने परियोजना को 10 मेगावाट के दो अलग–अलग चरणों में स्थापित किया है। वर्ष के दौरान टैरिफ के निर्धारण और कमीशन के लिए एमएनआरई की स्वीकृति के अभाव में, 1,524.79 लाख रुपये की राशि (पिछले वर्ष तक 3,054.07 लाख रुपये) को बिजली की खरीद के हिसाब में दर्ज नहीं किया गया है और साथ ही 1,538.78 लाख रुपये (पिछले वर्ष तक 3,082.09 लाख रुपये) की राजस्व की संबंधित बिक्री को सौर ऊर्जा की बिक्री के हिसाब में दर्ज नहीं किया गया है।

4. एसपीडी विकासकर्ता से प्राप्त विस्तार प्रभार के पिछले बकाया के संबंध में **टिप्पणी सं. 59** जिसे ब्याज सहित पीएसएम निधियों में हस्तांतरित किया जा रहा है।

5. वर्ष के दौरान रूफटॉप परियोजनाओं पर वसूले गए एलडी/दंड प्रभार के संबंध में **टिप्पणी सं. 64**, जिसे एमएनआरई से कोई निर्देश/सलाह प्राप्त न होने की स्थिति में लेखांकन नीति सं. **1.ग.9.3** के अनुसार आय माना जा रहा है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य कोई सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में निगमित अभिशासन रिपोर्ट (लेकिन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उन पर हमारी लेखा परीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं है) शामिल है, जिसे हमने इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (इसके बाद सीजी रिपोर्ट के रूप में उल्लेख किया गया है) की तारीख से पूर्व प्राप्त की है और इस सूचना में अनुबंधों सहित निदेशक की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण और अन्य कंपनी से सम्बंधित सूचना (जिसे इसके बाद अन्य रिपोर्ट के रूप में उल्लेख किया गया है) शामिल है। इस लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें अन्य सूचना उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम इस पर किसी प्रकार का कोई आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं और व्यक्त नहीं करेंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा–परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी पहचान की गई अन्य सूचना, जब यह उपलब्ध होती है, को पढ़ने की है और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार किया जाता है कि क्या अन्य सूचना स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखा–परीक्षा के दौरान या अन्यथा प्राप्त हमारी जानकारी भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

आरएसपीएच एण्ड एसोसिएट्स
पूर्व में आर. के. बत्रा एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

906, विक्रम टॉवर
16, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
फोन : 41538933, 25715850
ई–मेल : catarunbatra@gmail.com

यदि सीजी रिपोर्ट सहित अन्य सूचना पर हमारे निष्पादित कार्य के आधार पर जो हमने इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद प्राप्त की है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस अन्य सूचना में कोई सामग्री गलत है, हमें उस तथ्य को सूचित करना अपेक्षित है। इस सम्बंध में हमें कुछ नहीं कहना है।

जब हम 'अन्य सूचना' पढ़ते हैं, और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कोई सामग्री गलत है, तो हमें मामले को शासन के प्रभारी के संज्ञान में लाना होता है और यदि आवश्यक हो, उचित कार्रवाई करनी होती है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का दायित्व सौंपे गए प्रभारी

कंपनी का निदेशक मंडल, अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, कुल सम्पूर्ण आय, इक्विटी में परिवर्तन और यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के नकद प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड रखने तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और कपट का पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और प्रयोग करने, निर्णय लेने और अनुमान लगाने जो उचित और विवेकपूर्ण हों, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव करने के लिए जिम्मेदार हैं, जो लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक हैं, जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं तथा सामग्री का गलत विवरण, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, से मुक्त हैं, भी शामिल हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार होता है ताकि लाभप्रद बने रहने, लागू अनुसार खुलासा करने, लाभप्रद बने रहने से संबंधित मामलों और लाभप्रद लेखांकन के आधार का प्रयोग कर सकें, जब तक कि प्रबंधन या कंपनी को बंद करने या संचालन को रोकने का इरादा रखता हो, या प्रचलन बंद करना चाहता हो, या ऐसा करने के लिए उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा के लिए लेखा–परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में यह उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पूरी तरह से सामग्री का गलत विवरण, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, से मुक्त है तथा लेखा–परीक्षक की एक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय भी शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा–परीक्षा हमेशा किसी सामग्री के गलत

आरएसपीएच एण्ड एसोसिएट्स
पूर्व में आर. के. बत्रा एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

906, विक्रम टॉवर
16, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
फोन : 41538933, 25715850
ई–मेल : catarunbatra@gmail.com

विवरण, जहां–कहीं यह मौजूद हो, का पता लगा पाएगी। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकता है और इसे सामग्री माना जा सकता है, यदि यह व्यक्तिगत या समग्र रूप में हो, तो इनसे इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती हैं।

एसए के अनुसार लेखा–परीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा–परीक्षा में व्यावसायिक संदेह को बनाए रखते हैं। हमः

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन भी करते हैं, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाते और निष्पादित करते हैं, और लेखा–परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। किसी धोखाधड़ी के कारण सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक करने, गलत विवरण देना, या आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी करना शामिल हो सकता है।

- हम लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावकारिता है।

- हम प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन भी करते हैं।

- हम प्रबंधन द्वारा लेखा के लाभप्रद होने के आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित किसी सामग्री में अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों की क्षमता और उसके लाभप्रद बने रहने पर पर्याप्त संदेह डाल सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी सामग्री में अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों के लिए अपनी लेखा–परीक्षक रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना होता है, या यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हों, तो हमारी राय को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा–परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी लाभप्रद नहीं भी बनी रह सकती है।

- हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं, जिसमें खुलासे भी शामिल होते हैं, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

आरएसपीएच एण्ड एसोसिएट्स
पूर्व में आर. के. बत्रा एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

906, विक्रम टॉवर
16, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
फोन : 41538933, 25715850
ई–मेल : catarunbatra@gmail.com

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में व्यक्तिगत या समग्र रूप से सामग्री के गलत विवरण की व्यापकता से यह संभव उत्पन्न होता है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के किसी यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के कार्यक्षेत्र की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने; और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान किए गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक सामग्री और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम कंपनी के प्रशासन के साथ अन्य मामलों सहित नियोजित कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा के समय और महत्वपूर्ण लेखा–परीक्षा निष्कर्षों पर बातचीत करते हैं जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी भी शामिल है जिसकी हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान की है।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों पर बातचीत करते हैं जिनका हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा पर तर्कसंगत प्रभाव पड़ सकता हो।

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) द्वारा यथा अपेक्षित और कंपनी के बही खातों और रिकार्डों की ऐसी जांच के आधार पर, जैसा कि हमने उचित समझा है और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमने उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर जहां लागू हो एक विवरण अनुबंध 'क' में दिया है।

2. अधिनियम की धारा 143(5) द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी के बही खातों और रिकार्डों की ऐसी जांच के आधार पर जैसा हमने उचित समझा और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निदेशों और उपनिदेशों पर एक विवरण अनुबंध 'ख' में दिया गया है:

3. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथा अपेक्षित हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   (क) हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी उत्कृष्ट जानकारी और विश्वास में हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

   ख) हमारी राय में, कानून द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी द्वारा उचित बही खाते रखे गए हैं जहां तक यह उन बही खातों की हमारी जांच से प्रकट होता है।

   ग) तुलन–पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए नकदी प्रवाह के विवरण बही खातों के अनुरूप हैं।

   घ) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण यथासंशोधित अनुसार कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

आरएसपीएच एण्ड एसोसिएट्स
पूर्व में आर. के. बत्रा एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

906, विक्रम टॉवर
16, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
फोन : 41538933, 25715850
ई–मेल : catarunbatra@gmail.com

ड) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई) के अनुसार, अधिनियम की धारा 164 के उप–खंड (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

च) कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन की प्रभावकारिता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में **अनुबंध 'ग'** में दी गई हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

छ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई) के अनुसार अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की आवश्यकता के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल होने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

i. कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की **टिप्पणी सं. 43.2** देखें।

ii. कंपनी के पास 31 मार्च 2019 को व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घकालिक संविदा नहीं थी, जिसके लिए कोई प्रत्याशित सामग्री हानि हुई हो–**टिप्पणी सं. 43.3.2** देखें।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष को हस्तांतरित किए जाने के लिए कोई राशि नहीं थी।

के लिए और उनकी ओर से
आरएसपीएच एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन. 003013एन

हस्ता0/–
(सीए तरुण कुमार बत्रा)
साझेदार
सदस्यता संख्याः– 094318
यूडीआईएनः 19094318एएएएएई4112

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.07.2019

आरएसपीएच एण्ड एसोसिएट्स
पूर्व में आर. के. बत्रा एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

906, विक्रम टॉवर
16, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
फोन : 41538933, 25715850
ई–मेल : catarunbatra@gmail.com

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध–क

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर **सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** के सदस्यों को हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट 'अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के भाग के तहत पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अनुबंध

1. (क) सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (''कंपनी'') ने परिणात्मक ब्यौरे और कंपनी की स्थायी परिसंपत्तियों (संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण) की दशा सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उपयुक्त रिकार्ड सामान्य रूप से कायम किये हैं।

   (ख) सभी स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए वार्षिक कार्यक्रम बनाया गया है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और उसकी परिसंपत्तियों के स्वरूप को देखते हुए उपयुक्त है। ऐसे सत्यापनों में कोई सारवान त्रुटि नहीं पायी गयी है।

   (ग) अचल संपत्ति के हक विलेख खसरा सं. 113, ग्राम बाड़ी सिद, तहसील–बाप, जिला जोधपुर, राजस्थान स्थित पट्टे वाली भूमि है, जो कंपनी अर्थात सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पुराने नाम पर है।

2. कंपनी ने कोई भौतिक मालसूची नहीं बनायी है, तद्नुसार आदेश के खंड 3 (ii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

3. कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत कायम किये गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित दायित्व साझेदारियों अथवा अन्य पक्षकारों को कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं दिया है। तद्नुसार, आदेश का खंड 3 (iii) (क) से (ग) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

4. हमारी राय में और हमे दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के संदर्भ में कोई ऋण अथवा गारंटी अथवा सिक्योरिटी नहीं दी है। संयुक्त उद्यम कंपनियों में किये गये निवेश के संबंध में, कंपनी ने अधिनियम, 2013 की धारा 185 और धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

5. कंपनी ने जनता से कोई भी जमा स्वीकार नहीं किया और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधान या अधिनियम के कोई भी अन्य संबद्ध प्रावधान तथा कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2015, जनता से स्वीकार किये गये जमा के संबंध में कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

6. जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी द्वारा किए गए कार्यकलापों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन लागत रिकार्ड कायम किया जाना विहित नहीं किया गया है।

7. (क) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के बही खातों, रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी उपयुक्त प्राधिकरणों के पास भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय कर, उपकर, वस्तु एवं सेवाकर और अन्य

आरएसपीएच एण्ड एसोसिएट्स
पूर्व में आर. के. बत्रा एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

906, विक्रम टॉवर
16, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
फोन : 41538933, 25715850
ई–मेल : catarunbatra@gmail.com

सांविधिक देयों सहित निर्विवादित सांविधिक देयों को जमा कराने में सामान्य रूप से नियमित रही है। हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त के संबंध में **31 मार्च, 2019** की समाप्ति पर कोई निर्विवादित सांविधिक राशि, उसके देय होने की तारीख से 6 माह से ज्यादा अवधि तक बकाया के रूप में देय नहीं थी।

(ख) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, आयकर, विक्रयकर, सेवाकर, उपकर, वस्तु एवं सेवाकर सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, किसी विवाद के कारण बकाया मूल्यवर्धित कर के संबंध में कोई सारवान् राशि देय नहीं थी।

8. कंपनी ने किसी बैंक, वित्तीय संस्थान, सरकार से कोई ऋण अथवा उधार नहीं लिया है अथवा डिबेंचर धारकों को उसकी ओर से कोई राशि देय नहीं है।

9. लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक ऑफर अथवा ऋण परक्राम्य सहित अन्य सार्वजनिक ऑफर एवं आवधिक ऋण के द्वारा कोई धनराशि नहीं जुटायी है। तद्नुसार, आदेश के खंड 3(ix) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

10. प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी की बही और रिकार्ड की हमारी जांच के आधार पर और भारत में सामान्यतया अपनाई गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के अनुसार समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कपट करने अथवा कंपनी के अपने अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई कपट करने का मामला नहीं पाया गया है या सूचित किया गया है।

11. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, सरकारी कंपनियों पर अधिनियम की धारा 197 लागू नहीं होती है। तद्नुसार, आदेश का खंड 3(xi) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

12. हमारी राय में, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। अतः आदेश का खंड 3 (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

13. हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्डों की जांच के अनुसार, कंपनी लेखापरीक्षा समिति के गठन के सम्बंध में धारा 177 की अपेक्षा का अनुपालन करने में विफल रही है, क्योंकि निदेशक मंडल में केवल एक स्वतंत्र निदेशक हैं और भारत सरकार द्वारा अन्य नियुक्त किये जाने हैं।

सबंद्ध पक्षकारों के साथ कपंनी के सभी लेनदेन कपंनी अधिनियम 2013 की धारा 188 के अनुपालन में है, जहां लागू नियमों और उनका ब्यौरा **नोट संख्या 40** में वित्तीय विवरण में घोषित किया गया है, जैसा कि लागू लेखाकरण मानकों में अपेक्षित है।

14. लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों का कोई भी प्रेफेन्शियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किया है या पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर जारी नहीं किये हैं। तद्नुसार आदेश के खंड 3(xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की जाती है।

आरएसपीएच एण्ड एसोसिएट्स
पूर्व में आर. के. बत्रा एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

906, विक्रम टॉवर
16, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
फोन : 41538933, 25715850
ई–मेल : catarunbatra@gmail.com

15. अपनाई गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने अधिनियम की धारा 192 के अधीन कवर निदेशकों या उनसे जुड़े लोगों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है।

16. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के अधीन कंपनी को पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं है और तद्नुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते है।

के लिए और उनकी ओर से
आरएसपीएच एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन. 003013एन

हस्ता0/–
(सीए तरुण कुमार बत्रा)
साझेदार
सदस्यता संख्याः– 094318
यूडीआईएनः 19094318एएएएएई4112

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.07.2019

आरएसपीएच एण्ड एसोसिएट्स
पूर्व में आर. के. बत्रा एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

906, विक्रम टॉवर
16, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
फोन : 41538933, 25715850
ई–मेल : catarunbatra@gmail.com

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध ''ग''

(31 मार्च, 2019को समाप्त वर्ष के लिए **सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** के सदस्यों को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर उसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के भाग ''अन्य कानूनी और विनायक अपेक्षाओं'' के तहत पैराग्राफ 3 (च) में उल्लिखित)

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप – धारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रणों के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंडों के सम्बंध में आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, कपट और त्रुटियों का निवारण एवं उनकी पहचान करना, लेखाकरण रिकार्डों की परिशुद्धता एवं पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय पर तैयारी सहित उसके कार्यकलापों के व्यवस्थित और दक्षतापूर्वक संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली रूप से कार्यशील पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा बनाना, उनका कार्यान्वयन करना, और उन्हें बनाए रखना शामिल है जैसाकि अधिनियम के अधीन अपेक्षित है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। आईसीएआई द्वारा लेखांकन पर जारी मानकों और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों (''मार्गदर्शक नोट'') की लेखापरीक्षा पर कंपनी अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित उचित समझे गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के यथा सीमा तक लागू और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी मार्गदर्शन के अनुसार, हमने अपनी लेखापरीक्षा का संचालन किया है। इन मानकों और मार्गदर्शक नोट में यह अपेक्षा की गई है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन कर इस प्रकार लेखापरीक्षा करें ताकि हम इस बात का तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त कर सकें कि क्या कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और कायम किए थे और क्या उक्त वित्तीय नियंत्रण समस्त सारवान् पहलुओं के बारे में प्रभावकारी साबित हुए थे।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और

आरएसपीएच एण्ड एसोसिएट्स
पूर्व में आर. के. बत्रा एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

906, विक्रम टॉवर
16, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
फोन : 41538933, 25715850
ई–मेल : catarunbatra@gmail.com

उनकी प्रचालन संबंधी प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादक प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, ऐसे जोखिम का आकलन जिससे कोई सारवान् दुष्प्रभाव उत्पन्न होता हो, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा तैयार कर प्रचालन संबंधी प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, लेखापरीक्षक के विवेक पर आधारित हैं, जिसमें कपट अथवा गलती के कारण वित्तीय विवरणों में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की सारवान् गलत बयानी के जोखिमों का आकलन शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर मौजूद स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसे सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाह्य प्रयोजनों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार किया जाता है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जो (1) रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हों और तर्कसंगत ब्यौरे के साथ कंपनी के लेनदेनों और परिसंपत्तियों के विन्यास को शुद्धता और न्यायपूर्णता के साथ प्रतिबिम्बित करती हों, (2) युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हों कि सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति संबंधी प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया गया है, और यह कि कंपनी की प्राप्ति और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार ही किए जा रहे हैं, और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण का पता लगाने, उसके निवारण, इस्तेमाल, अथवा निपटान के बारे में, जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर सारवान् प्रभाव डाल सकते हैं, के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन देना शामिल है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

प्रबंधकीय सांठ–गांठ या वित्तीय नियंत्रणों का अनुचित रूप से पालन नहीं किए जाने की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, त्रुटि या कपट के कारण ऐसी सारवान गलत बयानी हो सकती है, जो पकड़ी ना जा सके। इसके अलावा, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के अध्यधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर मौजूद स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त भी हो सकते हैं अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं का अनुपालन प्रभावित हो सकता है।

आरएसपीएच एण्ड एसोसिएट्स
पूर्व में आर. के. बत्रा एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

906, विक्रम टॉवर
16, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
फोन : 41538933, 25715850
ई–मेल : catarunbatra@gmail.com

राय

हमारी राय में, हमारी सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर जारी मार्गदर्शक नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर कंपनी में, सभी सारवान् पहलुओं के बारे में वित्तीय रिपोर्टिंग पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2018 की समाप्ति पर प्रभावशाली तरीके से कार्यरत थे।

के लिए और उनकी ओर से
आरएसपीएच एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन. 003013एन

हस्ता0/–
(सीए तरुण कुमार बत्रा)
साझेदार
सदस्यता संख्याः– 094318
यूडीआईएन 19094318एएएएएई4112

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.07.2019

आरएसपीएच एण्ड एसोसिएट्स
पूर्व में आर. के. बत्रा एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

906, विक्रम टॉवर
16, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
फोन : 41538933, 25715850
ई–मेल : catarunbatra@gmail.com

स्वतंत्र लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध 'ख'

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर **सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** के सदस्यों को हमारे स्वतंत्र लेखा–परीक्षक की समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट में उल्लिखित अनुबंध।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2018–19 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर रिपोर्ट।

क्र.सं.	निर्देश	इन पर की गई कार्रवाई	कंपनी के लेखाओं और वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन की प्रोसेसिंग करने के लिए कोई प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, सहित लेखाओं की प्रामाणिकता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन की प्रोसेसिंग से पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख किया जाए।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास टैली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन की प्रोसेसिंग करने की प्रणाली है। ईआरपी सॉफ्टवेयर अर्थात् केवल वित्तीय लेखांकन। लेकिन बिक्री और वितरण, वेतन–पत्रक/मानव पूंजी प्रबंधन, वाणिज्यिक बिलिंग, आदि जैसी अन्य सभी प्रोसेसिंग या तो मैन्युअल रूप से या अलग आईटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाती है। लेखा–परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आईटी प्रणाली के बाहर वित्तीय लेखांकन के अलावा लेनदेन की प्रोसेसिंग के कारण लेखाओं की प्रामाणिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।	शून्य
2.	क्या कंपनी द्वारा ऋण की अदायगी न कर पाने के कारण किसी कंपनी के ऋणदाता के मौजूदा ऋण में छूट देने या ऋणों/उधार/ब्याज आदि को माफ करने के लिए कोई पुनर्गठन किया गया है? यदि हाँ, तो उसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए।	वर्ष के दौरान, बंगलौर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (बीईएससीओएम) से 49.57 लाख रुपये के व्यापार प्राप्य और व्यापार देय राशि प्राप्त हुई है और कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को देय क्रमशः के. वरह प्रभार (किलो वोल्ट एम्प्स रिएक्टिव चार्ज), मीटर रीडिंग प्रभार और बेची गई ऊर्जा पर 2% की दर से दी गई छूट को बीईएससीओएम द्वारा कटौती करके समायोजित कर दिया गया है और इसे एसपीडी से प्राप्त पुष्टि के आधार पर समायोजित किया गया है।	i) अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि विवरण में इसका प्रभाव शून्य है। ii) वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां – व्यापार प्राप्य– और वर्तमान वित्तीय देनदारियां – व्यापार देयता को 49.57 लाख रुपये कम कर दिया गया है।

आरएसपीएच एण्ड एसोसिएट्स
पूर्व में आर. के. बत्रा एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

906, विक्रम टॉवर
16, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
फोन : 41538933, 25715850
ई–मेल : catarunbatra@gmail.com

3.	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त निधियों/प्राप्य का इसकी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों की सूचना दें।	लेखा–परीक्षा की प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त निधियां/प्राप्य का संबंधित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उचित लेखा–जोखा रखा गया है/उपयोग किया गया है।	शून्य

के लिए और उनकी ओर से
आरएसपीएच एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन. 003013एन

हस्ता0/–
(सीए तरुण कुमार बत्रा)
साझेदार
सदस्यता संख्याः– 094318
यूडीआईएन 19094318एएएएएई4112

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.07.2019

आरएसपीएच एण्ड एसोसिएट्स
पूर्व में आर. के. बत्रा एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

906, विक्रम टॉवर
16, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
फोन : 41538933, 25715850
ई–मेल : catarunbatra@gmail.com

अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत जारी निर्देशों/उप–निर्देशों के अनुसार **सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीआईएनः यू40106डीएल2011जीओआई225263)** के 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा की है और प्रमाणित करते हैं कि हमने सभी निर्देशों/उप–निर्देशों का अनुपालन किया है।

के लिए और उनकी ओर से
आरएसपीएच एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन. 003013एन

हस्ता0/–
(सीए तरुण कुमार बत्रा)
साझेदार
सदस्यता संख्याः– 094318
यूडीआईएन 19094318एएएएएई4112

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.07.2019

आरएसपीएच एण्ड एसोसिएट्स
पूर्व में आर. के. बत्रा एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

906, विक्रम टॉवर
16, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
फोन : 41538933, 25715850
ई–मेल : catarunbatra@gmail.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्य
समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने **सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** (इसके बाद 'कंपनी' के रूप में संदर्भित) और इसके संयुक्त उद्यमों, जिसमें 31 मार्च, 2019 तक के समेकित तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि के समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और संबंधित वर्ष को समाप्त नकदी प्रवाह के समेकित विवरण, और समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक सूचना (इसके बाद 'समेकित वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित) का सार शामिल है, के साथ संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा की है।

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, और अलग–अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा–परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करने तथा नीचे दिए गए 'अन्य मामले' के पैरा 1 में उल्लिखित संयुक्त उद्यमों की अन्य वित्तीय सूचना के आधार पर, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित अनुसार सूचना देते हैं और 31 मार्च, 2019 को कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों की समेकित स्थिति (वित्तीय स्थिति), तथा उनके समेकित निवल लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), इक्विटी में उनके समेकित परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह पर भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

राय के लिए आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा–परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखा–परीक्षा की है। इन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों का उल्लेख आगे हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण खंड की लेखा–परीक्षा के लिए लेखा–परीक्षक की जिम्मेदारियों में किया गया है। हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई') द्वारा नैतिक अपेक्षाओं सहित जारी 'नैतिक आचार संहिता' के अनुसार कंपनी और उसके संयुक्त उपक्रमों से स्वतंत्र हैं, जो अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा–परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा–परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और अन्य लेखा–परीक्षकों द्वारा नीचे दिए गए 'अन्य मामले' के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अनुसार उनकी रिपोर्टों में प्राप्त लेखा–परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा–परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

आरएसपीएच एण्ड एसोसिएट्स
पूर्व में आर. के. बत्रा एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

906, विक्रम टॉवर
16, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
फोन : 41538933, 25715850
ई–मेल : catarunbatra@gmail.com

मामले पर बल

भौतिकता सहित 'अन्य लेखा–परीक्षक के कार्य के उपयोग' पर लेखा–परीक्षा मानक (एसए 600) की आवश्यकता पर विचार करते हुए, हम समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

1. एमएनआरई से कोई निर्देश/सलाह प्राप्त न होने की स्थिति में विभिन्न रूफटॉप योजनाओं से 31.03.2019 तक 1,545.16 लाख रुपये के एलडी/दंड प्रभार के संबंध में कंपनी द्वारा दिखाई गई आकस्मिक देयता के बारे में **टिप्पणी सं. 42.2.4**

2. सेकी द्वारा सीओडी की घोषणा न करने के संबंध में **टिप्पणी संख्या 56**, जिसके कारण प्रत्येक 40 मेगावाट परियोजना क्षमता वाले 3 एसपीडी ने कोई चालान प्रस्तुत नहीं किया है और सेकी ने भी पीएसए की शर्तों के अनुसार डिस्कोम के लिए कोई चालान प्रस्तुत नहीं किया है। तथापि, 19 दिसंबर 2018 को 40 मेगावाट की एक परियोजना चालू की गई, 20 दिसंबर 2018 को एक अन्य 40 मेगावाट की परियोजना चालू की गई तथा 22 दिसंबर 2018 को एक और 40 मेगावाट की परियोजना चालू की गई।

3. 20 मेगावाट के सौर ऊर्जा विकासकर्ता (एसपीडी) से सौर ऊर्जा की खरीद के लिए सेकी द्वारा हस्ताक्षरित पीपीए के संबंध में **टिप्पणी सं. 57** एसपीडी ने परियोजना को 10 मेगावाट के दो अलग–अलग चरणों में स्थापित किया है। वर्ष के दौरान टैरिफ के निर्धारण और कमीशन के लिए एमएनआरई की स्वीकृति के अभाव में, 1,524.79 लाख रुपये की राशि (पिछले वर्ष तक 3,054.07 लाख रुपये) को बिजली की खरीद के हिसाब में दर्ज नहीं किया गया है और साथ ही 1,538.78 लाख रुपये (पिछले वर्ष तक 3,082.09 लाख रुपये) की राजस्व की संबंधित बिक्री को सौर ऊर्जा की बिक्री के हिसाब में दर्ज नहीं किया गया है।

4. एसपीडी विकासकर्ता से प्राप्त विस्तार प्रभार के पिछले बकाया के संबंध में **टिप्पणी सं. 59** जिसे ब्याज सहित पीएसएम निधियों में हस्तांतरित किया जा रहा है।

5. वर्ष के दौरान रूफटॉप परियोजनाओं पर वसूले गए एलडी/दंड प्रभार के संबंध में **टिप्पणी सं. 64**, जिसे एमएनआरई से कोई निर्देश/सलाह प्राप्त न होने की स्थिति में लेखांकन नीति सं. **1 सी 10.3** के अनुसार आय माना जा रहा है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य कोई सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट में शामिल सूचना शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें अन्य सूचना उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

आरएसपीएच एण्ड एसोसिएट्स
पूर्व में आर. के. बत्रा एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

906, विक्रम टॉवर
16, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
फोन : 41538933, 25715850
ई–मेल : catarunbatra@gmail.com

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम इस पर किसी प्रकार का कोई आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ने की है और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार किया जाता है कि क्या अन्य सूचना समेकित वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखा–परीक्षा के दौरान या अन्यथा हमें प्राप्त जानकारी भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम 'अन्य सूचना' पढ़ते हैं, और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कोई सामग्री गलत है, तो हमें मामले को शासन के प्रभारी के संज्ञान में लाना होता है और यदि आवश्यक हो, उचित कार्रवाई करनी होती है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी और समेकित वित्तीय विवरण का दायित्व सौंपे गए प्रभारी

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है, जो समेकित वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित समेकित वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में समेकित परिवर्तन विवरण और यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) सहित भारत में आम तौर पर सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों के समेकित नकद प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों के संबंधित निदेशक मंडल कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड रखने तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और प्रयोग करने, निर्णय लेने और अनुमान लगाने जो उचित और विवेकपूर्ण हों, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव करने के लिए जिम्मेदार हैं, जो लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक हैं, जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं तथा सामग्री का गलत विवरण, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, से मुक्त हैं, और जिनका उपयोग कंपनी के निदेशकों और इसके संयुक्त उद्यमों द्वारा ऊपर उल्लिखित अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, कंपनी का संबंधित निदेशक मंडल और उसके संयुक्त उद्यम कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं ताकि कंपनी और उसके संयुक्त उद्यम कंपनी के लाभप्रद बने रहने, लागू अनुसार खुलासा करने, कंपनी के लाभप्रद बने रहने से संबंधित मामलों और लाभप्रद लेखांकन के आधार का प्रयोग कर सकें, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी और उसके संयुक्त उपक्रमों को बंद करने या संचालन को रोकने का इरादा रखता हो, या प्रचलन बंद करना चाहता हो, या ऐसा करने के लिए उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो।

आरएसपीएच एण्ड एसोसिएट्स
पूर्व में आर. के. बत्रा एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

906, विक्रम टॉवर
16, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
फोन : 41538933, 25715850
ई–मेल : catarunbatra@gmail.com

कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों के संबंधित निदेशक मंडल कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा के लिए लेखा–परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में यह उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण पूरी तरह से सामग्री का गलत विवरण, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, से मुक्त है तथा लेखा–परीक्षक की एक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय भी शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा–परीक्षा हमेशा किसी सामग्री के गलत विवरण, जहां–कहीं यह मौजूद हो, का पता लगा पाएगी। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकता है और इसे सामग्री माना जा सकता है, यदि यह व्यक्तिगत या समग्र रूप में हो, तो इनसे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती हैं।

एसए के अनुसार लेखा–परीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा–परीक्षा में व्यावसायिक संदेह को बनाए रखते हैं। हमः

- समेकित वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन भी करते हैं, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाते और निष्पादित करते हैं, और लेखा–परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। किसी धोखाधड़ी के कारण सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक करने, गलत विवरण देना, या आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी करना शामिल हो सकता है।
- हम लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या भारत में निगमित कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावकारिता है।
- हम प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन भी करते हैं।

आरएसपीएच एण्ड एसोसिएट्स
पूर्व में आर. के. बत्रा एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

906, विक्रम टॉवर
16, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
फोन : 41538933, 25715850
ई–मेल : catarunbatra@gmail.com

- हम प्रबंधन द्वारा लेखा के लाभप्रद होने के आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित किसी सामग्री में अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों की क्षमता और उसके लाभप्रद बने रहने पर पर्याप्त संदेह डाल सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी सामग्री में अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों के लिए अपनी लेखा–परीक्षक रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना होता है, या यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हों, तो हमारी राय को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा–परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी और उसके संयुक्त उद्यम लाभप्रद नहीं भी बने रह सकते हैं।

- हम समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं, जिसमें खुलासे भी शामिल होते हैं, और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

- हम समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए कंपनी और उसके संयुक्त उपक्रमों के भीतर संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय सूचना के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखा–परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी अन्य संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा–परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखा–परीक्षकों द्वारा की गई है, उसके लिए ऐसे अन्य लेखा–परीक्षक उनके द्वारा की गई लेखा–परीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों में व्यक्तिगत या समग्र रूप से सामग्री के गलत विवरण की व्यापकता से यह संभव उत्पन्न होता है कि समेकित वित्तीय विवरणों के किसी यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के कार्यक्षेत्र की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने; और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान किए गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक सामग्री और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम कंपनी के प्रशासन और ऐसी अन्य संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल उन लोगों, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, के साथ अन्य मामलों सहित नियोजित कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा के समय और महत्वपूर्ण लेखा–परीक्षा निष्कर्षों पर बातचीत करते हैं जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी भी शामिल है जिसकी हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान की है।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों पर बातचीत करते हैं जिनका हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा पर तर्कसंगत प्रभाव पड़ सकता हो।

आरएसपीएच एण्ड एसोसिएट्स
पूर्व में आर. के. बत्रा एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

906, विक्रम टॉवर
16, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
फोन : 41538933, 25715850
ई–मेल : catarunbatra@gmail.com

अन्य मामले

1. समेकित वित्तीय विवरण में 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी पद्धति का उपयोग करके अन्य व्यापक आय सहित कंपनी के निवल लाभ/(हानि) की हिस्सेदारी शामिल है, जैसा कि निम्नलिखित संयुक्त उद्यमों के समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है, जिनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की हमारे द्वारा लेखा–परीक्षा नहीं की गई है।

क्र.सं.	संयुक्त उद्यम संस्थाओं के नाम	इक्विटी पद्धति का उपयोग करके कंपनी के निवल लाभ/(हानि) की हिस्सेदारी (आंकड़े लाख ₹ में)
1.	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	719.43
2.	हिमाचल रिन्यूवेबल्स लिमिटेड	(3.89)
3.	कर्नाटक सोलर पावर डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,426.62
4.	रिन्यूवेबल्स पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड	38.66
5.	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन प्रा. लिमिटेड	2,836.74
6.	लखनऊ सोलर पावर डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	83.74
	कुल	**5,101.30**

इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं की लेखा–परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें **19.07.2019** तक प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह संयुक्त उद्यमों के संबंध में इसमें शामिल राशियों और खुलासों से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, जहाँ तक यह उपर्युक्त संयुक्त उद्यमों से संबंधित है, सामग्री सहित 'दूसरे लेखा–परीक्षक के कार्य के उपयोग' पर लेखांकन मानक (एसए 600) की आवश्यकता पर विचार करने के बाद पूरी तरह से संयुक्त उद्यमों के अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, और नीचे दी गई अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, **पैरा 1** में उल्लिखित अनुसार उपर्युक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं की गई है, जो किए गए कार्यों पर हमारी निर्भरता और अन्य लेखा–परीक्षकों की रिपोर्टों, कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी के संबंध में है।

आरएसपीएच एण्ड एसोसिएट्स
पूर्व में आर. के. बत्रा एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

906, विक्रम टॉवर
16, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
फोन : 41538933, 25715850
ई–मेल : catarunbatra@gmail.com

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, कंपनी के बही खातों और रिकार्डों की ऐसी जांच के आधार पर, जैसा कि हमने उचित समझा है और संयुक्त उद्यमों के अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और उप निर्देशों पर एक समेकित विवरण **अनुबंध 'क'** दिया है।

2. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और अलग–अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट और संयुक्त उद्यमों की अन्य वित्तीय सूचना के आधार पर जैसा कि 'अन्य मामले' पैरा में उल्लेख किया गया है, पर विचार करने के बाद जहां लागू हो, हम रिपोर्ट करते हैं, कि:

   क) हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी उत्कृष्ट जानकारी और विश्वास में उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

   ख) हमारी राय में, ऊपर उल्लिखित समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में कानून द्वारा अपेक्षित अनुसार उचित बही खाते रखे गए हैं जहां तक यह उन बही खातों की हमारी जांच और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से प्रकट होता है।

   ग) समेकित तुलन–पत्र, लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में समेकित विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए नकदी प्रवाह के समेकित विवरण, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से रखे गए संगत बही खातों के अनुरूप हैं।

   घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण यथासंशोधित अनुसार कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

   ड) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई) के अनुसार, अधिनियम की धारा 164 के उप–खंड (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा, भारत में निगमित, छह संयुक्त उद्यमों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, संयुक्त उद्यमों के किसी भी निदेशक को अधिनियम की धारा 164(2), जहां भी लागू हो, के संदर्भ में 31 मार्च 2019 को निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

   च) भारत में निगमित कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों और ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन की प्रभावकारिता के संदर्भ में तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में अनुबंध 'ख' में दी गई हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

आरएसपीएच एण्ड एसोसिएट्स
पूर्व में आर. के. बत्रा एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

906, विक्रम टॉवर
16, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
फोन : 41538933, 25715850
ई–मेल : catarunbatra@gmail.com

छ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई) के अनुसार अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की आवश्यकता के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है। इसके अलावा, भारत में निगमित छह संयुक्त उद्यमों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, इस वर्ष के दौरान ऐसे संयुक्त उपक्रमों द्वारा अपने निदेशकों को भुगतान/प्रदान किया गया प्रबंधकीय पारिश्रमिक अधिनियम की अनुसूची V, जहाँ भी लागू हो, के साथ पठित धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार अनुसार था।

ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल होने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के विचार पर आधारित और संयुक्त उद्यमों की अन्य वित्तीय सूचना, जैसा कि 'अन्य मामले' पैरा में उल्लिखित है:

i. समेकित वित्तीय विवरण, 31 मार्च 2019 को भारत में निगमित कंपनी और उसके संयुक्त उपक्रमों की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा करते हैं। समेकित वित्तीय विवरणों की **टिप्पणी सं. 42.2** देखें।

ii. भारत में निगमित कंपनी और उसके संयुक्त उपक्रमों के पास व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घकालिक संविदा नहीं थी, जिसके लिए 31 मार्च, 2019 को कोई प्रत्याशित सामग्री हानि हो–**टिप्पणी सं. 42.3.2** देखें।

iii. भारत में निगमित कंपनी और उसके संयुक्त उपक्रमों द्वारा निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष को हस्तांतरित किए जाने के लिए कोई राशि नहीं थी।

के लिए और उनकी ओर से
आरएसपीएच एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन. 003013एन

हस्ता0/–
(सीए तरुण कुमार बत्रा)
साझेदार
सदस्यता संख्याः– 094318
यूडीआईएन 19094318एएएएएएफ6617

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.07.2019

आरएसपीएच एण्ड एसोसिएट्स
पूर्व में आर. के. बत्रा एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

906, विक्रम टॉवर
16, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
फोन : 41538933, 25715850
ई–मेल : catarunbatra@gmail.com

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध ''ख''

(31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर **सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** के सदस्यों को उसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के भाग 'अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अधीन पैरा 2(च) में उल्लिखित।)

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप–धारा–3 के खण्ड (i) के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन से हमने कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों, से समेकित आंतरिक विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है जो उस तारीख को भारत में निगमित कंपनी हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी और इसकी संयुक्त उद्यम, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, के संबंधित निदेशक मंडल, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर जारी मार्गदर्शी टिप्पणी (''मार्गदर्शी टिप्पणी'') में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रणों के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए संबंधित कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में संबंधित कंपनी की नीतियों का अनुपालन, इसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, कपट एवं त्रुटियों का निवारण एवं उनकी पहचान, लेखाकरण रिकार्डों की परिशुद्धता एवं पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय पर तैयारी सहित इसके कारोबार का व्यवस्थित और दक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्यरत पर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों की रूपरेखा बनाना, कार्यान्वित करना और उन्हें बनाए रखना शामिल है जैसाकि कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अपेक्षित है।

हमारा उत्तरदायित्व समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग (''मार्गदर्शी टिप्पणी'') के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शी टिप्पणी तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखाकरण मानकों और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित समझे गए मानकों, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा यथा लागू सीमा तक, दोनो आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणी के अनुसार निष्पादित की है। इन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणी की यह अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए अपनी लेखापरीक्षा निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और ऐसे नियंत्रण समस्त भौतिक प्रभावों के संबंध में कारगर रूप से प्रचालित रहें।

आरएसपीएच एण्ड एसोसिएट्स
पूर्व में आर. के. बत्रा एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

906, विक्रम टॉवर
16, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
फोन : 41538933, 25715850
ई–मेल : catarunbatra@gmail.com

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन संबंधी प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादक प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना, मौजूद कमजोरी के किसी जोखिम का आकलन करना और आकलन किये गए जोखिम के आधार पर समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा और प्रचालन प्रभावशीलता की जांच एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, लेखापरीक्षक के विवेक पर आधारित हैं जिसमें मिथ्या विवरण या गलती के कारण वित्तीय विवरणों में मिथ्या एवं गलत बयानबाजी के जोखिमों का आकलन शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमारी द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और भारत में निगमित संयुक्त उद्यम कंपनियों के अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य नीचे पैराग्राफ में दिए गए अन्य मामलों में उल्लिखित उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

कंपनी की समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसे सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिंद्धातों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाह्य प्रयोजनों के लिए समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार किया जाता है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो (1) रिकार्डों के रखरखाव से संबंधित हो जो तर्कसंगत ब्यौरे में, कंपनी के लेनदेनों और परिसम्पत्तियों के निपटानों को सही तरीके से और उचित प्रकटित करते है; (2) यह युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती है कि सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिंद्धातों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रुप से दर्ज किया गया है और कंपनी की प्राप्तियों एवं व्ययों को केवल कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के प्राधिकार में ही किया जा रहा है; और (3) वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाली कंपनी की परिसम्पत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा व्ययन की रोकथाम या समय पर पहचान के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

मिलीभगत या नियंत्रणों की अनुपयुक्त प्रबंधकीय संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर मौजूद समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से त्रुटि या मिथ्या विवरण के कारण ऐसी गलत बयानबाजी हो सकती है, जिसे पकड़ा न जा सके। इसके अलावा, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी

आरएसपीएच एण्ड एसोसिएट्स
पूर्व में आर. के. बत्रा एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

906, विक्रम टॉवर
16, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
फोन : 41538933, 25715850
ई–मेल : catarunbatra@gmail.com

मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के अध्यधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर मौजूद समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, स्थितियों में परिवर्तन होने के कारण अपर्याप्त भी हो सकते हैं अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में कमी आ सकती है।

राय

हमारी सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय में, कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, का सभी भौतिक पहलुओं में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर जारी मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आवश्यक घटक पर विचार करते हुए कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2019 को प्रभावी रूप से परिचालन में थे।

अन्य मामले

कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं प्रचालनरत प्रभावकारिता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट, जहां तक यह भारत में निगमित 6(छः) संयुक्त उद्यम कंपनियों से संबंधित हैं, भारत में निगमित इन कंपनियों के लेखापरीक्षकों की संगत रिपोर्टों पर आधारित है।

उपर्युक्त मामलों में हमारी रिपोर्ट संशोधित नहीं की गई है।

के लिए और उनकी ओर से
आरएसपीएच एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन. 003013एन

हस्ता0/–
(सीए तरुण कुमार बत्रा)
साझेदार
सदस्यता संख्याः– 094318
यूडीआईएन 19094318एएएएएएफ6617

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.07.2019

आरएसपीएच एण्ड एसोसिएट्स
पूर्व में आर. के. बत्रा एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

906, विक्रम टॉवर
16, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
फोन : 41538933, 25715850
ई–मेल : catarunbatra@gmail.com

स्वतंत्र लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध 'क'

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर **सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** के सदस्यों को हमारे स्वतंत्र लेखा–परीक्षक की समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट में उल्लिखित अनुबंध।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2018–19 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर रिपोर्ट।

क्र.सं.	निर्देश	इन पर की गई कार्रवाई	कंपनी के लेखाओं और वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन की प्रोसेसिंग करने के लिए कोई प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, सहित लेखाओं की प्रामाणिकता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन की प्रोसेसिंग से पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख किया जाए।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास टैली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन की प्रोसेसिंग करने की प्रणाली है। ईआरपी सॉफ्टवेयर अर्थात् केवल वित्तीय लेखांकन। लेकिन बिक्री और वितरण, वेतन–पत्रक/मानव पूंजी प्रबंधन, वाणिज्यिक बिलिंग, आदि जैसी अन्य सभी प्रोसेसिंग या तो मैन्युअल रूप से या अलग आईटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाती है। लेखा–परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आईटी प्रणाली के बाहर वित्तीय लेखांकन के अलावा लेनदेन की प्रोसेसिंग के कारण लेखाओं की प्रामाणिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत में निगमित संयुक्त उद्यमों के संबंध में, कंपनियों के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को प्रोसेस करने के लिए प्रणाली है और **संयुक्त उद्यम कंपनी, आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के मामले में आईटी प्रणाली के अलावा** कोई लेनदेन नहीं किया गया है। जहां आईटी प्रणाली के माध्यम से	शून्य

आरएसपीएच एण्ड एसोसिएट्स
पूर्व में आर. के. बत्रा एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

906, विक्रम टॉवर
16, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
फोन : 41538933, 25715850
ई–मेल : catarunbatra@gmail.com

		सभी लेखांकन लेनदेन करने की प्रणाली उपलब्ध नहीं है। निदेशक मंडल द्वारा प्रदत्त निर्देशों और शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार लेखांकन लेनदेन की प्रोसेसिंग मैन्युअल रूप से की गई थी। वर्तमान में कंपनी बुक कीपिंग के लिए एमएस–एक्सेस आधारित सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है। लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन की प्रोसेसिंग के कारण लेखाओं की अखंडता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।	
2.	क्या कंपनी द्वारा ऋण की अदायगी न कर पाने के कारण किसी कंपनी के ऋणदाता के मौजूदा ऋण में छूट देने या ऋणों/उधार/ब्याज आदि को माफ करने के लिए कोई पुनर्गठन किया गया है? यदि हाँ, तो उसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए।	वर्ष के दौरान, बंगलौर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (बीईएससीओएम) से 49.57 लाख रुपये के व्यापार प्राप्य और व्यापार देय राशि प्राप्त हुई है और कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को देय क्रमशः के. वरह प्रभार (किलो वोल्ट एम्प्स रिएक्टिव चार्ज), मीटर रीडिंग प्रभार और बेची गई ऊर्जा पर 2% की दर से दी गई छूट को बीईएससीओएम द्वारा कटौती करके समायोजित कर दिया गया है और इसे एसपीडी से प्राप्त पुष्टि के आधार पर समायोजित किया गया है। भारत में निगमित संयुक्त उद्यमों के संबंध में, इस वर्ष के दौरान कंपनियों द्वारा मौजूदा ऋण के किसी भी पुनर्गठन या माफी के मामलों/ ऋणों/उधार/ब्याज आदि को छोड़ने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।	i) अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि विवरण में इसका प्रभाव शून्य है। ii) वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां – व्यापार प्राप्य– और वर्तमान वित्तीय देनदारियां – व्यापार देयता को 49.57 लाख रुपये कम कर दिया गया है। iii) भारत में निगमित संयुक्त उद्यमों के संबंध में इसका प्रभाव शून्य है।

आरएसपीएच एण्ड एसोसिएट्स
पूर्व में आर. के. बत्रा एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

906, विक्रम टॉवर
16, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
फोन : 41538933, 25715850
ई–मेल : catarunbatra@gmail.com

3.	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त निधियों/प्राप्य का इसकी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों की सूचना दें।	लेखा–परीक्षा की प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारत में निगमित कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों द्वारा केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त निधियां/प्राप्य का संबंधित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उचित लेखा–जोखा रखा गया है/उपयोग किया गया है।	शून्य

के लिए और उनकी ओर से
आरएसपीएच एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन. 003013एन

हस्ता0/–
(सीए तरुण कुमार बत्रा)
साझेदार
सदस्यता संख्याः– 094318
यूडीआईएन 19094318एएएएएएफ6617

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.07.2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन विहित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार, 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए **सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षक, कंपनी अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विहित लेखाकरण पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है/हैं। अपनी दिनांक **22 जुलाई, 2019** की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से उन्होंनें बताया है कि उनके द्वारा ऐसा ही किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की ओर से, 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए **सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों की संपूरक लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम की धारा 143 (6)(क) के अधीन की है। इस अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षक के कामकाजी कागज देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षक एवं कंपनी कार्मिकों तथा कुछ लेखाकरण अभिलेखों की चयनित जांच तक सीमित है।

मेरे द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरे संज्ञान में कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जो कंपनी अधिनियम की धारा 143 (6)(ख) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या संपूरक टिप्पणी की जा सके।

भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

हस्ता0/–
राजदीप सिंह
प्रधान वाणिज्यिक लेखापरीक्षक निदेशक और
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-IV

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18.09.2019

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए **सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** के समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक/लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा 22 जुलाई, 2019 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए **सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** के समेकित वित्तीय विवरण की अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत एक पूरक लेखापरीक्षा की है। हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए **सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्टैंडअलोन), रिन्यूएबल पावर कॉरपोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड, कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड और आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के वित्तीय विवरणोंकी पूरक लेखापरीक्षा की है लेकिन हमने लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिमाचल रिन्यूएबल लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। वैधानिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना इस पूरक लेखापरीक्षा को स्वतंत्र रूप से किया गया है और मुख्य रूप से वैधानिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कर्मियों की जांच के लिए और कुछ लेखांकन रिकॉर्डों के एक चयनात्मक परीक्षण के लिए सीमित है।

मेरे पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है जो मेरी जानकारी में आया है जो अधिनियम की धारा 143(6) (ख) के अधीन वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या पूरक टिप्पणी देनी हो।

भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक

के लिए और उनकी ओर से

हस्ता0/–
राजदीप सिंह
प्रधान वाणिज्यिक लेखापरीक्षक निदेशक और
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-IV

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.09.2019

अनुबंध – ग

निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट

कंपनी, जेएनएनएसएम के अधीन निर्धारित सतत् एवं दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विवेक, खुलेपन, न्यायपूर्ण, व्यावसायिक और उत्तरदायित्व पर आधारित श्रेष्ठ निगमित अभिशासन पद्धतियां लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

1. निगमित अभिशासन की संहिता पर कम्पनी का दृष्टिकोण

कम्पनी श्रेष्ठ निगमित अभिशासन में दृढ़ विश्वास रखती है तथा उसके अनुसार आचरण करती है। कंपनी की नीतियों की झलक पारदर्शिता, व्यावसायिकता तथा उत्तरदायित्व के मूल्यों से परिलक्षित होती है। कंपनी इन पहलुओं की बेहतरी के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिससे वह अपने कर्मचारियों, ग्राहकों, हितधारकों तथा समस्त समाज के लिए दीर्घकालिक आर्थिक मूल्यों का सृजन करती है।

नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सेकी प्रतिस्पर्धी, ग्राहक–हितों के लिए अनुकूल और विकास प्रेरक संगठन बनने के लिए वचनबद्ध है।

2. निदेशक–मंडल

सेकी का निदेशक मंडल नेतृत्व प्रदान करने, नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करने, प्रबंधन के स्वतंत्र विषयगत निर्णय लेने और कम्पनी पर नियंत्रण रखने के साथ–साथ शेयरधारकों के प्रति उत्तरदायी रहता है।

2.1 निदेशक मंडल का गठन

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान (इस रिपोर्ट की तारीख तक) सेकी के निदेशक मंडल में कार्यकारी निदेशकों, जिनमें प्रबंध निदेशक सहित कार्यात्मक निदेशक शामिल हैं और गैर–कार्यकारी निदेशकों, जिनमें सरकार के नामित और स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। निदेशक मंडल का गठन निम्नानुसार है:

पूर्ण–कालिक कार्यकारी (कार्यात्मक) निदेशक

1. श्री जतींद्र नाथ स्वेन, प्रबंध निदेशक
2. श्री सी. कन्नन, निदेशक (वित्त)
3. श्री राजीव भारद्वाज, निदेशक (मानव संसाधन) (18.08.2018 तक)
4. श्री शैलेश कुमार मिश्रा, निदेशक (विद्युत प्रणाली)

अंश–कालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामिति)

1. श्री आनंद कुमार – सरकारी नामिति एवं अध्यक्ष (31.12.2018 तक)
2. श्री प्रवीण कुमार, सरकारी नामिति एवं अध्यक्ष (01.01.2019 से)

3. श्रीमती गार्गी कौल, सरकारी नामिति (24.12.2018 तक)

4. श्री अरुण कुमार, सरकारी नामिति (28.01.2019 से 09.07.2019 तक)

अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक

1. डॉ. मुकेश कुमार मिश्रा

डॉ. मुकेश कुमार मिश्रा अधिसूचना की तारीख से (अर्थात् 29.09.2018 से) तीन वर्ष की अवधि के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक हैं।

इसके अलावा, कंपनी प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से सेकी के बोर्ड में एक महिला निदेशक सहित अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक अपेक्षित संख्या में नियुक्त करने का अनुरोध कर रहा है। यह प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात (एमएनआरई) के विचाराधीन है।

2.2 वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान आयोजित की गई बोर्ड की बैठकों का ब्यौरा

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान बोर्ड की नौ बैठकें आयोजित की गईं जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	बोर्ड बैठकों की संख्या	बोर्ड बैठकों की तारीख
1	34वीं बोर्ड बैठक	20.04.2018
2	35वीं बोर्ड बैठक	29.06.2018
3	36वीं बोर्ड बैठक	20.07.2018
4	37वीं बोर्ड बैठक	30.07.2018
5	38वीं बोर्ड बैठक	29.09.2018
6	39वीं बोर्ड बैठक	19.11.2018
7	40वीं बोर्ड बैठक	28.12.2018
8	41वीं बोर्ड बैठक	21.01.2019
9	42वीं बोर्ड बैठक	28.02.2019

निदेशक मंडल के पास निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित सूचना सहित सभी संगत सूचनाए कम्पनी में उपलब्ध हैं।

2.3 बोर्ड बैठकों और वार्षिक आम सभा में निदेशकों और अन्य कंपनियों में अन्य निदेशकों/समिति सदस्यों/अध्यक्षों की उपस्थिति का रिकार्ड

वर्ष 2018–19 (31 मार्च, 2019 तक) के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों और 29 सितम्बर, 2018 को आयोजित पिछली वार्षिक आम सभा

में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति और अन्य कंपनियों में अन्य निदेशकों / समिति सदस्यों / अध्यक्षों की उपस्थित निम्नानुसार है : –

निदेशक का नाम एवं पदनाम	बोर्ड बैठकों की संख्या		अन्य कंपनियों में निदेशक का ब्यौरा	अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता		अंतिम एजीएम में उपस्थिति (29.09.2018)
	वर्ष के दौरान आयोजित (कार्यकाल के अनुसार)	उपस्थिति (कार्यकाल के अनुसार)		सदस्य	अध्यक्ष	
श्री आनंद कुमार अध्यक्ष (31.12.2018 तक)	7	7	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित
श्री प्रवीण कुमार अध्यक्ष (01.01.2019 से)	2	2	1	-	-	लागू नहीं
श्री जतींद्र नाथ स्वेन प्रबंध निदेशक	9	9	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित
श्रीमती गार्गी कौल सरकारी नामिति निदेशक	7	6	7	5	3	उपस्थित
श्री अरुण कुमार सरकारी नामिति निदेशक	1	1	7	-	-	लागू नहीं
श्री सी. कन्नन निदेशक (वित्त)	9	9	3	शून्य	शून्य	उपस्थित
श्री राजीव भारद्वाज निदेशक (मा.सं.)	4	4	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
श्री शैलेश कुमार मिश्रा निदेशक (वि.प्र.)	9	9	2	शून्य	शून्य	उपस्थित

3. लेखापरीक्षा समिति

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोर्ड की विधिवत् गठित एक लेखापरीक्षा समिति है। लेखापरीक्षा की वर्तमान संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम
1.	डॉ. मुकेश कुमार मिश्रा	अध्यक्ष
2.	श्री जतींद्र नाथ स्वेन	सदस्य
3.	श्री अरुण कुमार	सदस्य

3.1 लेखापरीक्षा समिति बैठकों की संख्या

वर्ष 2018–19 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की पांच बैठकें आयोजित की गईं थीं जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की तारीख
1	13वीं लेखापरीक्षा समिति बैठक	29.06.2018
2	14वीं लेखापरीक्षा समिति बैठक	20.07.2018
3	15वीं लेखापरीक्षा समिति बैठक	29.09.2018
4	16वीं लेखापरीक्षा समिति बैठक	19.11.2018
5	17वीं लेखापरीक्षा समिति बैठक	18.03.2019

3.2 लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों द्वारा बैठकों में भाग लेने सम्बंधी ब्यौरा निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान धारित पदनाम	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया	बैठकों की संख्या
1.	श्री आनंद कुमार	अध्यक्ष (29.09.2018 तक)	3	3
2.	डॉ. मुकेश कुमार मिश्रा	अध्यक्ष (29.09.2018 से)	2	2
3.	श्री जतींद्र नाथ स्वेन	सदस्य	5	5
4.	श्रीमती गार्गी कौल	सदस्य (24.12.2018 तक)	4	4
5.	श्री अरुण कुमार	सदस्य (28.02.2019 से)	1	1

लेखापरीक्षा समिति की बैठक में निदेशक (वित्त) स्थायी रूप से आमंत्रित किये जाते हैं। आन्तरिक लेखापरीक्षकों और सांविधिक लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रितों के रूप में बुलाया जाता है। लेखापरीक्षा समिति के कार्यवृत्तों को सूचना के लिए निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

4. आम सभा की बैठकें

सेकी की पिछली तीन वार्षिक आम सभा की बैठकों का विवरण अर्थात् तारीख, समय और स्थान निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	एजीएम	तारीख	समय	स्थान
2015–16	पांचवीं	26.09.2016	1445 बजे	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली के सम्मेलन कक्ष में
2016–17	छठी	21.09.2017	1100 बजे	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली के सम्मेलन कक्ष में
2017–18	सातवीं	29.09.2018	1215 बजे	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली के सम्मेलन कक्ष में

5. प्रकटीकरण :

(i) संबंधित पक्ष के साथ संव्यवहार

इंड (एएस) द्वारा यथापेक्षित संबंधित पक्षों के साथ किये गए संव्यवहार का प्रकटीकरण का वर्णन कम्पनी के वित्तीय विवरण के लेखाओं की टिप्पणियों में दिया गया है।

(ii) निदेशकों का पारिश्रमिक

वर्ष के दौरान गैर–कार्यकारी निदेशकों (उनकी सेवा अवधि में) का कम्पनी के साथ कोई वित्तीय संबंध या व्यवहार नहीं हुआ। किसी भी गैर–कार्यकारी निदेशक के पास कम्पनी के कोई शेयर/परिवर्तनीय लेखपत्र नही हैं।

(iii) कम्पनी पर अनुपालन न करने के लिए लगाए गए दंड और निन्दा

कम्पनी द्वारा अनुपालन न किये जाने, किसी वैधानिक/नियामक प्राधिकरण द्वारा कम्पनी पर दंड और निन्दा किये जाने या किन्हीं अन्य प्रकार के मामले घटित नही हुए।

(iv) लेखांकन पद्धति

कम्पनी ने वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में वर्णित लेखा मानकों का अनुपालन किया है। कम्पनी ने जिन महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों को निरंतर अपनाया है, उनका विवरण, लेखाओं की टिप्पणियों के अनुबंध में दिया गया है।

(v) निगमित अभिशासन के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुपालन का विवरण

सीपीएसई के लिए निगमित अभिशासन के अनुपालन पर डीपीई के दिशा–निर्देशों की सभी आवश्यक अपेक्षाओं का कम्पनी ने विधिवत् पालन किया है सिवाय बोर्ड और समितियों में स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक की अपेक्षित संख्या से संबंधित अपेक्षाओं को छोड़कर :

(vi) आचार संहिता का अनुपालन

विधिवत् स्वीकृत आचार संहिता बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों को जारी की गई है और इसके अनुपालन की अभिपुष्टि उनसे प्राप्त हुई है।

6. मंडल सदस्यों के लिए प्रशिक्षण: यह आवश्यकता के आधार पर है।

अनुबंध – घ

निगमित अभिशासन पर प्रमाण पत्र

सेवा में,

सदस्यगण,

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

डी–3, प्रथम तल, ए विंग, प्रायस बिल्डिंग, डिस्ट्रिक्ट सेंटर,

साकेत, नई दिल्ली – 110017

मैंने केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (डीपीई दिशानिर्देशों) के लिए कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए **सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** (जिसे इसके बाद कंपनी कहा गया है) द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन शर्तों के अनुपालन के बारे में जांच की है।

कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है। मेरी जांच कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनायी गयी प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह जांच न तो लेखापरीक्षा है और न ही निगम के वित्तीय विवरणों पर विचारों की अभिव्यक्ति है।

मेरे विचारों और मेरी सर्वोत्तम सूचना और संबद्ध रिकार्डों की जांच तथा मुझे दिये गये स्पष्टीकरणों के आधार पर, मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि कंपनी ने कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का डीपीई के दिशानिर्देशों में यथा निर्धारित अनुपालन किया है, सिवाय उन क्षेत्रों के जिनका वर्णन नीचे किया गया है:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के अनुसार यथा आवश्यक कंपनी ने निदेशक मंडल का अपेक्षित गठन नहीं किया है, क्योंकि कंपनी बोर्ड में केवल एक स्वतंत्र निदेशक है, तदनुसार :–

   - लेखा परीक्षा समिति का गठन निगमित अभिशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के पैरा 4.1 में यथा उल्लिखित और कंपनी अधिनियम की धारा 177 के अनुसार नहीं है।
   - पारिश्रमिक समिति का गठन निगमित अभिशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के पैरा 5.1 में यथा उल्लिखित और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार नहीं है।

   प्रबंधन के उत्तर के अनुसार कंपनी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। सभी निदेशक भारत सरकार द्वारा नामित / नियुक्त किए जाते हैं। लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी ने गठन सम्बंधी अनुपालन करने के लिए बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक (ों) की नियुक्ति करने के लिए एमएनआरई को विभिन्न अनुरोध / पत्र भेजे हैं और ये अभी एमएनआरई के विचाराधीन है।

2. कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियमावली, 2014 के नियम 3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अनुसार यह देखा गया है कि एक महिला निदेशक केवल 24.12.2018 तक बोर्ड में थी, इसके बाद बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं थी।

प्रबंधन के उत्तर के अनुसार कंपनी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। सभी निदेशक भारत सरकार द्वारा नामित / नियुक्त किए जाते हैं। लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी ने गठन सम्बंधी अनुपालन करने के लिए बोर्ड में महिला निदेशक की नियुक्ति करने के लिए एमएनआरई को विभिन्न अनुरोध/पत्र भेजे हैं और ये अभी एमएनआरई के विचाराधीन है।

मैं यह भी उल्लेख करता हूं कि ऐसा अनुपालन कंपनी की भावी व्यवहार्यता के लिए न तो आश्वासन है, न ही कंपनी के प्रबंधन के कार्यों को करने की दक्षता या प्रभावकारिता का आश्वासन है।

कृते विकास गेरा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ता0/–
(विकास गेरा)
पेशेवर कंपनी सचिव
एफसीएस नं. 5248
सीपी नं. 4500

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.07.2019

अनुबंध–ड.

फार्म संख्या एमजीटी 9

वार्षिक विवरण का उद्धरण
31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष को स्थिति के अनुसार
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014
के नियम 12(1) के अनुसरण में

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण :

1	सी आई एन	यू40106डीएल2011जीओआई225263
2	पंजीकरण की तारीख	20.09.2011
3	कंपनी का नाम	सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4	कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	शेयरों द्वारा लिमिटेड कंपनी सरकारी कंपनी
5	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं सम्पर्क विवरण	डी–3, प्रथम तल, विंग ए, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017 टेलीफोन संख्या.–(011) 71989200. फैक्सः (011) 71989244 ईमेल : corporate@seci.co.in
6	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	नहीं
7	रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता एवं सम्पर्क ब्यौरा, यदि कोई हो	मै0 अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड

II. कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां

(कंपनी के कुल कारोबार का 10 प्रतिशत या इससे अधिक की सभी व्यावसायिक गतिविधियां बताई जाएंगी)

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पादों/सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का प्रतिशत
1	सौर विद्युत की बिक्री	35105	95.24

III. होल्डिंग, सहायक एवं एसोसिएट कंपनियों का विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग/सहायक/एसोसिएट	शेयरधारिता का प्रतिशत	लागू धारा
1	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड पता – तीसरा तल, विद्युत सुधा, गुनाडाला, विजयवाड़ा, कृष्णा, आंध्र प्रदेश 520004	यू40300एपी2014पीटीसी109375	एसोसिएट कंपनी (संयुक्त उद्यम)	50	धारा 2(6)

2	रिन्यूएबल पावर कॉरपोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड (संयुक्त उद्यम) पता – मार्फत केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड विद्युत भवन, पाटम, तिरूवनंतपुरम् केरल – 695004	यू40106केएल2016पीएलसी039891	एसोसिएट कंपनी (संयुक्त उद्यम)	50	धारा 2(6)
3	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड पता– ऊर्जा भवन लिंक रोड संख्या. 2, शिवाजी नगर, भोपाल, भोपाल, म.प्र.–462003	यू40102एमपी2015पीएलसी034450	एसोसिएट कंपनी (संयुक्त उद्यम)	50	धारा 2(6)
4	लखनऊ सोलर पॉवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पता – यूपीएनईडीए बिल्डिंग, विभूतिखण्ड गोमती नगर, लखनऊ–226010	यू40300यूपी2015पीएलसी072134	एसोसिएट कंपनी (संयुक्त उद्यम)	50	धारा 2(6)
5	कर्नाटक सोलर पॉवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पता : बीज राजा सीड कॉम्प्लेक्स, द्वितीय मंजिल, साउथ साइड, हर्बल बैंगलुरू, बैंगलौर, कर्नाटक–560024	यू40107केए2015पीएलसी079223	एसोसिएट कंपनी (संयुक्त उद्यम)	50	धारा 2(6)
6	हिमाचल रिन्युएबल्स लिमिटेड पता–हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लि., विद्युत भवन, शिमला, हि.प्र.–171004	यू40106एचपी2016पीएलसी006347	एसोसिएट कंपनी (संयुक्त उद्यम)	50	धारा 2(6)

IV. शेयरधारिता पैटर्न

(कुल इक्विटी की प्रतिशतता के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा)

(i) श्रेणीवार शेयर धारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (31 मार्च 2018 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31 मार्च, 2019 को)				वर्ष के दौरान परिवर्तन का प्रतिशत
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/ हिंदू संयुक्त परिवार		6	6	0.00		6	6	0.00	–
ख) केन्द्र सरकार	-	35,39,994	35,39,994	100.00	-	35,39,994	35,39,994	100.00	–
ग) राज्य सरकार (सरकारें)									
घ) निगम निकाय									
ड़) बैंक/वित्तीय									
च) कोई अन्य	-				-				
उप–योग (क)(1)	**-**	**35,40,000**	**35,40,000**	**100.00**	**-**	**35,40,000**	**35,40,000**	**100.00**	**–**
(2) विदेशी									
क) अनिवासी भारतीय									
ख) अन्य वैयक्तिक									
ग) निगम निकाय									
घ) कोई अन्य									
उप–योग (क)(2)	-								
योग (क)	**-**	**35,40,000**	**35,40,000**	**100.00**	**-**	**35,40,000**	**35,40,000**	**100.00**	**–**
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्यूचुअल फंड									
ख) बैंक/वित्तीय संस्थाएं									
ग) केन्द्र सरकार									
घ) राज्य सरकार (सरकारें)									
ड़) उद्यम पूंजी निधि									
च) बीमा कंपनियां									
छ) वित्तीय संस्थाएं									
ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि									
झ) अन्य (निर्दिष्ट करें)									
उप–योग (ख)(1)		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (31 मार्च 2018 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31 मार्च, 2019 को)				वर्ष के दौरान परिवर्तन का प्रतिशत
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
2. गैर–संस्थान क) निगम निकाय i) भारतीय ii) विदेशी ख) वैयक्तिक i) वैयक्तिक शेयरधारक एक लाख रुपये तक मामूली शेयरपूंजी धारक ii) वैयक्तिक शेयरधारक एक लाख रुपये से अधिक मामूली शेयरपूंजी धारक									
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)									
अनिवासी भारतीय विदेशी निगम निकाय विदेशी नागरिक समाशोधन सदस्य न्यास विदेशी निकाय–डीआर									
उप–योग (ख) (2):–	-								
कुल सार्वजनिक(ख) (ग) जीडीआर एवं एडीआर हेतु अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	-								
कुल योग (क+ख+ग)	**-**	**35,40,000**	**35,40,000**	**100.00**	**-**	**35,40,000**	**35,40,000**	**100.00**	**-**

(ii) प्रवर्तक की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन का प्रतिशत
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में से रेहन/ ऋणग्रस्त शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में से रेहन/ ऋणग्रस्त शेयरों का प्रतिशत	
1	भारत के राष्ट्रपति	35,39,994	100.00	0	35,39,994	100.00	0	100.00
2	श्री जतींद्र नाथ स्वेन	1	0.00	0	1	0.00	0	0.00
3	श्री अरुण कुमार	1	0.00	0	1	0.00	0	0.00
4	श्री दिलीप निगम	1	0.00	0	1	0.00	0	0.00
5	श्री सी. कन्नन	1	0.00	0	1	0.00	0	0.00
6	श्री रुचिन गुप्ता	1	0.00	0	1	0.00	0	0.00
7	श्री शैलेश कुमार मिश्रा	1	0.00	0	1	0.00	0	0.00
	योग	**35,40,000**	**100.00**		**35,40,000**	**100.00**		

(iii) प्रवर्तक शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो कृपया निर्दिष्ट करें)

क्र. सं.	विवरण	तारीख	कारण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
				शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
1	वर्ष के आरंभ में			35,39,994	100.00	35,39,994	100.00
2	वर्ष के दौरान परिवर्तन			शून्य		शून्य	
3	वर्ष के अंत में			35,39,994		35,39,994	100.00

(iv) सर्वाधिक शेयर रखने वाले दस शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्न

(निदेशकों, प्रवर्तकों और जीडीआर एवं एडीआर धारकों को छोड़कर):

क्र. सं.	शीर्ष दस शेयरधारकों में प्रत्येक के लिए	तारीख	कारण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
				शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
1	नाम						
	वर्ष के आरंभ में			-	-	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्तन			-	-	-	-
	वर्ष के अंत में			-	-	-	-
2	नाम						
	वर्ष के आरंभ में			-	-	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्तन			-	-	-	-
	वर्ष के अंत में			-	-	-	-

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता :

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक और प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता	तारीख	कारण	वर्ष के आरंभ में संचयी शेयरधारिता		वर्ष के दौरान	
				शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
1	**श्री जतींद्र नाथ स्वेन**						
	वर्ष के आरंभ में			1	0.00	1	0.00
	वर्ष के दौरान परिवर्तन			—	0.00	—	0.00
	वर्ष के अंत में			1	0.00	1	0.00
2	**श्री सी. कन्नन**						
	वर्ष के आरंभ में			1	0.00	1	0.00
	वर्ष के दौरान परिवर्तन			—	0.00	—	0.00
	वर्ष के अंत में			1	0.00	1	0.00
3	**श्री शैलेश कुमार मिश्रा**						
	वर्ष के आरंभ में			1	0.00	1	0.00
	वर्ष के दौरान परिवर्तन			—	0.00	—	0.00
	वर्ष के अंत में			1	0.00	1	0.00
4	**श्री अरुण कुमार**						
	वर्ष के आरंभ में			1	0.00	1	0.00
	वर्ष के दौरान परिवर्तन			—	0.00	—	0.00
	वर्ष के अंत में			1	0.00	1	0.00

V. ऋणग्रस्तता

कंपनी की ऋणग्रस्तता जिसमें बकाया ब्याज / प्रोद्भूत ब्याज परंतु भुगतान के लिए देय नहीं, शामिल है

(राशि रु. / लाख में)

विवरण	जमा को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन		-		-
ii) देय ब्याज परतुं भुगतान नहीं किया गया		-		-
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं	-	-		-
कुल (i+ii+iii)	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* परिवर्धन	-			-
* कमी				-
निवल परिवर्तन	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन	-			-
ii) देय ब्याज परतुं भुगतान नहीं किया गया	-	-		-
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं	-	-		-
कुल (i+ii+iii)	-	-	-	-

VI. निदेशक एवं मुख्य प्रबंध कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक:

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम			
	नाम	जतींद्र नाथ स्वेन	सी. कन्नन	शैलेश कुमार मिश्रा	राजीव भारद्वाज (18.08.2018 तक)
	पदनाम	प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त)	निदेशक (विद्युत प्रणाली)	निदेशक (मानव संसाधन)
1	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के उपबंधों के अनसुार वेतन	30,02,734	69,97,134	44,86,723	39,81,835
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के उपबंधों के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य	57,720	40,517	19,517	60,289
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ				
2	स्टॉक विकल्प				
3	स्वेट इक्विटी				
4	कमीशन - लाभ के प्रतिशत के रूप में - अन्य, निर्दिष्ट करें				
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें **कुल (क)** **अधिनियम के अनुसार सीमा**	**30,60,454**	**70,37,651**	**45,06,240**	40,42,124

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम			कुल राशि (₹ में)
1	स्वतंत्र निदेशक		डॉ. मुकेश कुमार मिश्रा	9 बोर्ड और समिति बैठकों में भाग लिया	
	बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए फीस			20,000/– रु. प्रति बैठक	1,80,000.00
	कमीशन				–
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें				–
	कुल (1)	–	–	–	1,80,000.00
2	अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक				–
	बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए फीस			–	
	कमीशन				–
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें				–
	कुल (2)	–	–	–	–
	कुल (ख)=(1+2)	–	–	–	1,80,000.00
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक				
	अधिनियम के अनुसार कुल सीमा				

ग. प्रबंध निदेशक / प्रबंधक / पूर्णकालिक निदेशकों को छोड़कर अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्र. स	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का नाम	कुल राशि (₹ में)
	नाम	सुनील कुमार महलावत	
	पदनाम	कंपनी सचिव	
1	सकल वेतन		
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के उपबंधों के अनसुार वेतन		22,31,052
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के उपबंधों के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य		33,445
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ		–
2	स्टॉक विकल्प		–
3	स्वेट इक्विटी		–
4	कमीशन		
	- लाभ के प्रतिशत के रूप में		–
	- अन्य, निर्दिष्ट करें		–
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें		–
	कुल	–	**22,64,497.00**

VII. दंड / सजा / अपराधों की कंपाउंडिंग

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	दंड / सजा / अधिरोपित कंपाउंडिंग फीस का ब्यौरा	प्राधिकारी (आरडी / एनसीएलटी / न्यायालय)	अपील, यदि कोई की गई हो (ब्यौरा दें)
क. कंपनी					
दंड					
सजा					
कंपाउंडिंग					
ख. निदेशक					
दंड					
सजा					
कंपाउंडिंग					
ग. चूक में अन्य अधिकारी					
दंड					
सजा					
कंपाउंडिंग					

अनुबंध–च

फार्म सं. एमआर.3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुसार)

सेवा में,

सदस्य,
सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
डी–3, प्रथम तल, ए विंग, प्रायस बिल्डिंग, डिस्ट्रिक्ट सेंटर,
साकेत, नई दिल्ली–110017

हमने **सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** (जिसे इसके बाद ''कंपनी'' कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन एवं उचित कॉरपोरेट अभिशासन प्रथाओं के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई है जिसने हमें कॉरपोरेट संचालनों/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने तथा इस पर हमारी अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान किया।

हमारे द्वारा कंपनी की बहियों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फार्मों तथा फाइल की गई रिटर्नों और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों के सत्यापन तथा सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी उसके कार्यालयों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में **31 मार्च, 2019** को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने नीचे दिए गए सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा यह कि कंपनी के पास ऐसी उचित कार्यविधियां एवं अनुपालन कार्यपद्धति है, जिनके तरीके तथा विषय को नीचे रिपोर्टिंग में दर्शाया गया है।

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा कायम की गई बहियों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फार्मों तथा फाइल की गई रिटर्नों तथा अन्य रिकार्डों की जांच की है:

(i) कंपनी अधिनिमय, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अधीन बनाए गए नियम,

(ii) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेश प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा इसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम;

अन्य कानून इस प्रकार हैं और कंपनी पर लागू हैं, अर्थात्

(i) बोनस संदाय अधिनियम, 1965

(ii) उपदान संदाय अधिनियम, 1972

(iii) शिक्षु अधिनियम, 1961

(iv) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961

(v) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899

(vi) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

मैं इसके अतिरिक्त सूचित करता हूं कि

(i) कंपनी ने द् इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवालय मानकों का अनुपालन किया है।

(ii) कंपनी ने किसी स्टाक एक्सचेंज के साथ अनलिस्टिड इन्टिटी होने से लिस्टिंग करार नहीं किया है,

(iii) भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देश।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान और सूचना, स्पष्टीकरण एवं प्रबधंन निरूपण के आधार पर कपंनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अध्यधीन ऊपर वर्णित अधिनियम, नियमों,विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का पर्याप्त रूप से अनपुालन किया है;

(क) भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस पर जारी किये गये डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) के अधीन यथा अपेक्षानुसार कंपनी के पास निदेशक मंडल का अपेक्षित गठन नहीं था क्योंकि कंपनी के बोर्ड में केवल एक स्वतंत्र निदेशक है, तदनुसार

- लेखापरीक्षा समिति का गठन कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के पैरा 4.1 में यथा उल्लिखित तथा कंपनी अधिनियम की धारा 177 के अनुसार नहीं था।
- पारिश्रमिक समिति का गठन कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के पैरा 5.1 में यथा उल्लिखित तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार नहीं था।

(ख) इसके अलावा, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियमावली, 2014 के नियम 3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अनुसार यह देखा गया है कि एक महिला निदेशक केवल 24.12.2018 तक बोर्ड में थी, इसके बाद बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं थी।

तथापि, यह नोट किया गया है कि कंपनी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। सभी निदेशक भारत सरकार द्वारा नामित/नियुक्त किये जाते हैं। लेखापरीक्षा के दौरान गठन का अनुपालन करने हेतु बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक (ों) और महिला निदेशक की नियुक्ति के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को अनेक अनुरोध/पत्र भेजे हैं और ये अभी भी एमएनआरई के विचाराधीन हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है। सभी निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठकों के आयोजन की पर्याप्त सूचना दी जाती है और बैठक की कार्यसूची और उस पर विस्तृत नोट कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भेजे गये थे तथा कंपनी में एक ऐसी प्रणाली विद्यमान है, जिसके अनुसार बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर स्पष्टीकरण तथा अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की व्यवस्था है ताकि बैठक में सार्थक रूप से सहभागिता की जा सके।

प्रबंधन द्वारा यथा प्रस्तुत निदेशक मंडल की बैठकों में निर्णय सर्वसम्मति से लिये जाते हैं।

मैं यह भी सूचित करता हूं कि

प्रचलित कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन को मॉनीटर और सुनिश्चित करने हेतु कंपनी के आकार एवं संचालनों के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और कार्यविधियां हैं।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी में कोई ऐसी घटना/कार्य घटित नहीं हुए है, जिन्होंने उपर्युक्त वर्णित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के कार्यों पर कोई व्यापक प्रभाव डाला हो।

कृते विकास गेरा एंड एसोसिएट्स

हस्ता0/–
विकास गेरा
पेशेवर कंपनी सचिव
एफसीएस नं. 5248
सीपी नं. 4500

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.07.2019

टिप्पणी: यह रिपोर्ट हमारे समसंख्यक तारीख के पत्र के साथ पढ़ी जाए जोकि अनुबंध 'क' रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

अनुबंध–क

सेवा में,

सदस्य,

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

डी–3, प्रथम तल, ए विंग, प्रायस बिल्डिंग, डिस्ट्रिक्ट सेंटर,

साकेत, नई दिल्ली–110017

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट, इस पत्र के साथ पढ़ी जाए।

1. सचिवालयी रिकार्ड कायम करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवालयी रिकार्डों पर अपनी राय प्रकट करने की है।
2. हमने उन लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है, जो सचिवालयी रिकार्डों के तथ्यों की सत्यता के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि सचिवालयी रिकार्डों में सही तथ्य दिए गए हैं। हमें विश्वास है कि हमने जिन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अपनाया है वे हमारी राय का उपयुक्त आधार हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है क्योंकि ये सांविधिक वित्तीय लेखापरीक्षकों और किसी अन्य मनोनीत व्यावसायिक द्वारा समीक्षा करने के अध्यधीन है।
4. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे प्रचलित वित्तीय कानूनों की कंपनी द्वारा की गई अनुपालना की हमने समीक्षा नहीं की है क्योंकि ये सांविधिक वित्तीय लेखापरीक्षकों और किसी अन्य मनोनीत व्यावसायिक द्वारा समीक्षा करने के अध्यधीन है।
5. जहां आवश्यक था, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाक्रमों के घटित होने आदि के सम्बंध में प्रबंधन से सत्यापन लिया है।
6. कॉरपोरेट अभिशासन और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधान का अनुपालन करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर कार्यविधि का सत्यापन करने तक सीमित थी।
7. सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही कंपनी की उस दक्षता और प्रभावकारिता का आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते विकास गेरा एंड एसोसिएट्स

हस्ता0/–
विकास गेरा
पेशेवर कंपनी सचिव
एफसीएस नं. 5248
सीपी नं. 4500

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.07.2019

सचिवीय लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर

क्र.सं.	सचिवीय लेखापरीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
1	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन पर जारी किये गये डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के अधीन यथा अपेक्षानुसार, कंपनी के पास निदेशक मंडल का अपेक्षित गठन नहीं था क्योंकि कंपनी के निदेशक मंडल में केवल एक स्वतंत्र निदेशक है, तदनुसार: ➢ लेखापरीक्षा समिति का गठन निगमित अभिशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के पैरा 4.1 में यथा उल्लिखित और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार नहीं किया गया था। ➢ पारिश्रमिक समिति का गठन निगमित अभिशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के पैरा 5.1 में यथा उल्लिखित और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार नहीं किया गया था।	सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सरकारी कंपनी है। सभी निदेशकों को भारत सरकार द्वारा नियुक्त/नामित किया जाता है। सेकी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक की नियुक्ति करने के लिए हमारे दिनांक 22 दिसंबर, 2015, 13 जून, 2016, 12 सितम्बर, 2016, 8 दिसंबर, 2016, 16 जनवरी, 2017, 27 जून, 2017, 8 अगस्त, 2017, 23 अक्तूबर, 2017, 15 दिसंबर, 2017, 8 फरवरी, 2018, 10 मई, 2018, 11 जुलाई, 2018, 13 अगस्त, 2018, 7 जनवरी, 2019, 19 फरवरी, 2019, 18 अप्रैल, 2019, 6 जून, 2019 और 8 अगस्त, 2019 के पत्रों के माध्यम से एमएनआरई से अनुरोध किया गया है। यह मामला एमएनआरई के विचाराधीन है।
2	इसके अलावा, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियमावली, 2014 के नियम 3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अनुसार यह देखा गया है कि निदेशक मंडल में 24.12.2018 तक केवल एक महिला निदेशक थी, इसके बाद निदेशक मंडल में कोई महिला निदेशक नहीं थी।	यथा उपर्युक्त

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट 2018–19

I. उद्योग संरचना और विकास

संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा में वैश्विक निवेश इसके गैर–प्रदूषणकारी और बारहमासी प्रकृति होने के कारण वर्ष 2018 में 288.9 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया जो वैश्विक स्तर पर एक पसंदीदा बिजली उत्पादन स्रोत के रूप में उभरा है।

बढ़ती जलवायु चिंताओं की पृष्ठभूमि को देखते हुए दुनिया भर में, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करने पर विशेष प्राथमिकता दर्शाते हुए बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों, संप्रभु धन कोष आदि की बढ़ती संख्या से निवेश संस्कृति में एक बुनियादी बदलाव आया है।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से भारत में बिजली उत्पादन की पर्याप्त संभावना है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का 1096 गीगावाट अनुमान लगाया गया है, जिसमें 749 गीगावाट सौर ऊर्जा, 302 गीगावाट पवन ऊर्जा, 20 गीगावाट लघु हाइड्रो और लगभग 25 गीगावाट जैव–ऊर्जा शामिल है, जिनमें से अधिकांश का अभी भी इस्तेमाल नहीं हो पाया है।

भारत सरकार ने मुख्य रूप से सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट की स्थापना करने का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है, और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इसमें निवेश आकर्षित करने हेतु कई योजनाएं शुरू की हैं और निविदाएं आमंत्रित की हैं। इसके अलावा, सरकार ने पेरिस में पक्षकार सम्मेलन 21 के दौरान वर्ष 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता को एक–तिहाई तक कम करने तथा स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से कम से कम 40% विद्युत ऊर्जा क्षमता का उत्पादन करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की है।

परिणामस्वरूप, हाल ही के वर्षों में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत को शीर्ष पांच देशों में लाने के लिए भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का काफी विस्तार हुआ है। दिनांक 31.03.2019 तक, 77.6 गीगावाट क्षमता स्थापित की गई है, जिसमें से पवन और सौर ऊर्जा का योगदान क्रमशः 46% और 36% हैं।

भविष्य में, राष्ट्र द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था का विस्तार करने और अपने नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कदम उठाने से, प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत में काफी वृद्धि होगी, जिससे स्वच्छ बिजली की मांग बढ़ेगी। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बनाए रखने के लिए अनुकूल जलवायु नीति, व्यापार करने में सुलभता, वित्तपोषण और घटकों की उपलब्धता तथा जोखिम में कमी जैसे कारक प्रमुख होंगे।

II. अवसर और खतरे

सेकी की व्यावसायिक गतिविधियाँ सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर ध्यान देने के साथ निकटता से जुड़ी हुई हैं। इसलिए, कंपनी को प्राप्त होने के अवसर और इससे जुड़े खतरों को क्षेत्र के साथ गहराई से जोड़ा जा सकता है।

अवसर

वित्त वर्ष 2018–19 में नवीकरणीय ऊर्जा में क्षमता वृद्धि 8620 मेगावाट रही है, जिसकी 31.03.2019 तक संचयी स्थापित क्षमता 77642 मेगावाट है। इसमें से पवन क्षमता वृद्धि 1580 मेगावाट और सौर में यह 6430 मेगावाट रही है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि व्यापक बन गई है।

भविष्य में, राष्ट्र द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था का विस्तार करने और अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए कदम उठाने से, प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत में काफी वृद्धि होगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 ने संकेत दिया है कि देश के विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में 250%–400% की वृद्धि होगी। इससे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली की मांग में पर्याप्त वृद्धि होगी जिसमें सेकी का मुख्य व्यवसाय शामिल है।

भारत के सौर और पवन ऊर्जा क्षेत्रों ने फीड–इन टैरिफ व्यवस्था से बाजार आधारित प्रतिस्पर्धी–बोली व्यतवस्था में परिवर्तन किया है। यद्यपि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि या तो केंद्रीय खरीद एजेंसी या सीधे राज्यों के माध्यम से हो सकती है। हाल के महीनों में, पिछली व्यवस्था के लिए एक प्राथमिकता सामने आई है, क्योंकि यह अधिकतर अखिल–भारत आधार पर हैं, जिससे निवेशकों और खरीददारों दोनों को देश के सर्वश्रेष्ठ स्थलों से बिजली का उत्पादन करने/खरीदने की छूट मिलती है। अखिल भारतीय मध्यवर्ती बिजली खरीदकर्ता के रूप में सेकी की स्थिति नवीकरणीय ऊर्जा बाजार में दूसरों के मुकाबले विशिष्टता के लिए है।

नवीकरणीय ऊर्जा बाजार धीरे–धीरे परिपक्वता की ओर विकसित हो रहा है, संसाधन उपयोग और संयंत्र उत्पादकता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस दिशा में, सौर–पवन मिश्रण प्रयोग, बैटरी एकीकरण, फ्लोटिंग सोलर और अपतटीय (ऑफ–शोर) पवन प्रौद्योगिकियां प्रमुख क्षेत्रों के रूप में उभर रही हैं। इसके अलावा, देश में नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती पैठ के साथ, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की उत्पादन और ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों के साथ संबद्धता को भी नवीकरणीय ऊर्जा की आंतरिक प्रकृति से उत्पन्न ग्रिड स्थिरता समस्याओं को कम करने के लिए संभावित समाधान के रूप में चर्चा की जा रही है। एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र इलेक्ट्रिक वाहन और उनके चार्जिंग बुनियादी ढांचा हैं, जिनकी नवीकरणीय ऊर्जा की मांग को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाए जाने की उम्मीद है। सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) आपूर्ति श्रृंखला का स्वदेशीकरण भी आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए ध्यान केंद्रित करने हेतु एक महत्वपूर्ण खंड है।

इन सभी खंडों में नीति–आधारित प्रणालियों की आवश्यकता है ताकि उन्हें व्यापक रूप से अपनाया जा सके और वाणिज्यिक विस्तार सुनिश्चित किया जा सके, और इसलिए, सेकी इन क्षेत्रों – योजना कार्यान्वयन और परियोजना विकास दोनों में केंद्रीय भूमिका निभा सकता है।

खतरे

इन वर्षों में सेकी ने स्वयं को नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया है जो इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करता है। यहां तक कि सेकी की गतिविधियां नवीकरणीय ऊर्जा पर देश की प्राथमिकता से निकटता से जुड़ी हैं, क्षेत्र के विस्तार के लिए वर्तमान व्यापार में दीर्घकालिक व्यवहार्यता से संबंधित कुछ समस्याएं हैं।

भारतीय संविधान के तहत बिजली एक समवर्ती विषय है, नवीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए राज्यों से निरंतर प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना सेकी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा खपत के लिए दीर्घकालिक राज्य–वार व्यवस्था का अभाव है। अक्षय खरीद दायित्व (आरपीओ) प्रणाली जिसे दीर्घकालिक दृश्यता बनाने के लिए तैयार किया गया था, को सख्ती से लागू नहीं किया गया है, जिसके कारण कई उपभोक्ता दायित्वों का पालन नहीं करते हैं। तथापि, भविष्य में यह उम्मीद की जाती है कि ये नियम और अधिक कड़े होगे, जिससे सभी हितधारक परियोजनाओं के लिए अग्रिम योजना बना सकेंगे।

सेकी के व्यवसाय की दीर्घकालिक दृश्यता पर एक अन्य समस्या भारत में बिजली की समग्र मांग में स्थिरता आना है। हाल के वर्षों में, मांग–आपूर्ति अंतर में काफी कमी आई है। यह मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ने से हुआ है, जिससे कुछ राज्य में बिजली का उत्पादन काफी हद तक अधिशेष हो गया है। तथापि, नवीकरणीय ऊर्जा में निरंतर क्षमता वृद्धि के लिए यह जरूरी है कि बिजली की मांग में वृद्धि को

भी बनाए रखा जाए। इसलिए, विनिर्माण उद्योग जैसे अन्य क्षेत्रों में विकास–उपायों के माध्यम से घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक मांग का सृजन महत्वपूर्ण है।

सेकी की अन्य समस्याओं में व्यावसायिक पर्यावरणीय मुद्दे शामिल हैं – जैसे व्यवसाय करने में आसानी, भूमि और ट्रांसमिशन की उपलब्धता, अनुकूल नीतियां और समय पर भुगतान, जो कि क्षेत्र से निवेशकों को हतोत्साहित करके कंपनी को प्रभावित कर सकते हैं, और स्वयं परियोजना विकासकर्ता के रूप में सेकी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। इन चुनौतियों के बीच, वितरण कंपनियों की खराब वित्तीय स्थितियों के कारण सेकी के लिए प्रति–पक्ष जोखिम ध्यान देन योग्य है। स्थापित की जा रही नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के बढ़ते पोर्टफोलियो के साथ डिस्कॉम द्वारा भुगतान में देरी, और नियंत्रण से परे शुल्क को देखते हुए मौजूदा पीपीए पर फिर से बातचीत करने के प्रयास के लिए डिस्कॉम की प्रवृत्ति, सेकी की विकासकर्ताओं को समय पर भुगतान करने की क्षमता के लिए जोखिम पैदा करती है। भुगतान में देरी को दूर करने के लिए भुगतान सुरक्षा को सुदृढ़ करना, सेकी की एक बिजली खरीद मध्यस्थ के रूप में विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

शक्तियां और कमजोरियां

सेकी मुख्य रूप से 100% सरकारी स्वामित्व और नोडल मंत्रालय, एमएनआरई के साथ घनिष्ठ संबंध रखने के कारण नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रमुख घटक के रूप में उभरा है। इसके अलावा, विकासकर्ता द्वारा कंपनी की पारदर्शिता, संचालन की गति और भुगतान सुरक्षा व्यवस्था की सराहना की गई है। दुनिया भर के निवेशक सेकी के साथ व्यापार करने में सहज महसूस करते हैं। भविष्य में, इस भूमिका में सेकी का प्रभुत्व काफी हद तक इन प्रणालियों के निर्वाह और सुदृढ़ीकरण पर निर्भर करेगा।

सेकी द्वारा निविदाएं पूरी तरह से एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्लेटफॉर्म के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं। वास्तविक समय आधार पर बोली और रिवर्स–नीलामी व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी है जिसमें मिलीभगत/अनुचित प्रथाओं की कोई गुंजाइश नहीं है।

नवीकरणीय ऊर्जा बाजार की गतिशीलता तेजी से बढ़ रही है, तथा प्रौद्योगिकी और बाजार मॉडल में बदलाव के साथ चलना इस प्रतिस्पर्धी परिवेश में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वाणिज्यिक पैमानों पर इन्हें विकसित करने के लिए सेकी नए मॉडलों में अग्रणी रहा है। सेकी नवीकरणीय ऊर्जा में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग, सरकार और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है। तथापि, नई प्रौद्योगिकियों में संभावित जोखिम पारंपरिक परियोजनाओं की तुलना में अधिक है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय परिस्थितियों के लिए उनकी उपयुक्तता के लिए पूरी तरह से सोच–समझकर सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाए।

सेकी की ताकत पेशेवरों और डोमेन विशेषज्ञों की अल्प और लचीली टीम पर निर्भर है, जिसे एक सीमित पदानुक्रम के रूप में बनाया गया है, जो परियोजनाओं की तेजी से अवधारणा बनाने और उनका निष्पादन करने के लिए विभिन्न प्रभागों में पूर्ण समन्वय को सक्षम बनाता है। तथापि, गतिविधियों के बढ़ने से, इस घनिष्ठ समन्वय को प्राप्त करने के लिए प्रभावी आंतरिक प्रणालियों की आवश्यकता होगी।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

विनियामक और वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ–साथ उच्चतम स्तर का कॉर्पोरेट शासन प्रदान करने के लिए कंपनी सुदृढ़ आंतरिक प्रणाली और व्यापार के सुचारू और कुशल संचालन के लिए प्रक्रियाओं का निर्माण कर रही है। मानक बोली दस्तावेज तैयार करने, निर्णय लेने की प्रक्रिया में वित्तीय सहमति और मानक संचालन प्रक्रियाएं परियोजना–कार्यान्वयन प्रक्रिया को प्रभावी बनाती हैं। विस्तृत विनिर्देश और गुणवत्ता योजनाओं सहित तकनीकी विशिष्टताओं का मानकीकरण परियोजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।

वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं के मानकीकरण के लिए, सेकी में वित्त प्रबंधन नियमावली को अपनाया गया है। निदेशक मंडल द्वारा क्रय नीति और जोखिम प्रबंधन नीति को अनुमोदित किया गया है और अपनाया गया है।

अनुभवी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों के माध्यम से आंतरिक लेखा–परीक्षा छमाही आधार पर की जाती है। लेखा परीक्षा समिति की बैठकें भी नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कंपनी के आकार के अनुरूप हैं।

वास्तविक और वित्तीय निष्पादन

सेकी के वास्तविक निष्पापदन का निदेशकों की रिपोर्ट में विस्तार से उल्लेख किया गया है। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के पृथक वार्षिक लेखाओं की मुख्य विशेषताओं को संक्षेप में नीचे बताया गया है:

बिजली के व्यापार, परियोजना निगरानी शुल्क, अपनी परियोजना से बिजली की बिक्री और अन्य आय के द्वारा कंपनी की कुल आय 3,264.26 करोड़ है, जबकि पिछले वर्ष के संबंधित आंकड़े 1,175.91 करोड़ रुपये थे, इस प्रकार 177.59% की वृद्धि दर्ज की गई है।

वर्ष के लिए बिजली की खरीद सहित कुल व्यय 3,063.77 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले वर्ष यह 1,074.18 करोड़ रुपये था, इस प्रकार 185.22% की वृद्धि दर्ज की गई है।

कर पूर्व लाभ 200.49 करोड़ रुपये है, जबकि पिछले वर्ष यह 101.74 करोड़ रुपये था तथा कर पश्चात् लाभ (पीएटी) 129.740 करोड़ है जबकि पिछले वर्ष यह 64.72 करोड़ रुपये था। इस प्रकार पीबीटी और पीएटी में क्रमशः 97.06% और 99.94% की वृद्धि दर्ज की गई है।

मानव संसाधन और औद्योगिक संबंध

सेकी में मानव संसाधन प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए है कि किसी कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति–उसकी मानव पूंजी है जिसे कार्यक्रमों, नीतियों और प्रक्रियाओं के निर्माण और प्रबंधन के माध्यम से पोषित और समर्थन दिया जा रहा है, तथा प्रभावी कर्मचारी–नियोक्ता संबंधों के माध्यम से सकारात्मक कार्य माहौल को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मानव संसाधन सभी शीर्ष प्रबंधन की उच्च स्तरीय भागीदारी और नामांकन के साथ, एक सच्ची व्यापार भागीदार शैली में जन प्रथाओं और निष्पादन प्रबंधन पर कार्यनीतिक व्यावसायिक समाधान प्रदान कर रहा है। वर्ष के दौरान, सेकी की मानव संसाधन प्रथाओं का मूल्यांकन एक स्वतंत्र सलाहकार के माध्यम से किया गया था और मानव संसाधन प्रक्रियाओं में सुधार के लिए सिफारिशों को लागू किया जा रहा है। पारदर्शिता और प्रक्रिया प्रभावकारिता में सुधार के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) को भी ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित कर दिया गया है।

कर्मचारियों का विवरण

सेकी ने वित्त वर्ष 2018–19 में 02 अपर महाप्रबंधक और 01 प्रबंधक की सफलतापूर्वक भर्ती की है, जिससे 31.03.2019 को कुल स्थायी जनशक्ति 73 (निदेशक सहित) हो गई है, जिसमें अनुसूचित जाति के 5 कर्मचारी, अनुसूचित जनजाति के 2 कर्मचारी और अन्य पिछड़ा वर्ग के 10 कर्मचारी और 14 महिला कर्मचारी हैं। यह 2 कार्यकारी निदेशकों, 2 महाप्रबंधकों और 7 अपर महाप्रबंधकों के रूप में वरिष्ठ स्तर की टीम का पर्याप्त विस्तार भी कर रहा है।

पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा प्रबंधन

सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को आम तौर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा पर्यावरण मंजूरी लेने से छूट दी जाती है। तथापि, विश्व बैंक के समर्थन से विकसित की जा रही परियोजनाओं में, पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा प्रबंधन को पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन ढांचे (ईएसएमएफ) के अनुसार शुरू किया जा रहा है, जिसका खुलासा कॉर्पोरेट वेबसाइट पर किया गया है। इन परियोजनाओं के लिए, साइट–विशिष्ट पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन (ईएसआईए) किए जा रहे हैं और परिणाम वेबसाइट पर बताए जाते हैं। नई कैपेक्स परियोजनाओं को विकसित करने के लिए, व्यापक पर्यावरणीय और सामाजिक विचार–विमर्श किया जा रहा है।

विदेशी विनिमय आय और व्यय

कंपनी ने कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की है। इस अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा का व्यय मुख्य रूप से सरकारी दौरों, यात्रा और पत्रिकाओं की सदस्यता के लिए 30.33 लाख रुपये है।

निगमित सामाजिक सुरक्षा (सीएसआर)

सेकी सीएसआर और सतत् विकास नीति का उद्देश्य निगमित शासन, सामाजिक और आर्थिक विकास को शामिल करके व्यवसाय की सफलता सुनिश्चित करना है। सेकी सीएसआर और सतत् विकास नीति के तहत, वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की गई सीएसआर राशि 138 लाख रुपये है, जिसमें से स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत कोष में 44 लाख रुपये, गंगा नदी के कायाकल्प के लिए स्वच्छ गंगा कोष के लिए 44 लाख रुपये और कल्याणकारी योजनाओं के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड को 25 लाख रुपये की राशि का योगदान दिया गया था। शेष 25.00 लाख रुपये एजेंसी को केरल में सोलर होम लाइटनिंग सिस्टम/लालटेन के लिए गैर–पारंपरिक ऊर्जा और ग्रामीण प्रौद्योगिकी (एएनईआरटी) के लिए आवंटित किया गया था, जिसे खर्च नहीं किया जा सका क्योंकि एएनईआरटी ने इसका लाभ नहीं उठाया। तत्पश्चात्, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए अपने बुनियादी ढांचे को उन्नत करने हेतु यह राशि इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), उत्तराखंड स्टेट सेंटर, देहरादून को आवंटित की गई है।

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

₹ लाख

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
परिसंपत्तियां			
गैर–वर्तमान परिसंपत्ति			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	2	5,874.31	6,225.84
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3	226.70	65.08
अमूर्त परिसंपत्तियां	4	36.38	44.60
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	5	15.30	1.11
संयुक्त उद्यमों में निवेश	6	280.00	280.00
वित्तीय परिसंपत्तियां			
ऋण और अग्रिम	7	31.91	317.04
अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	8	21,941.46	16,688.36
कुल गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां		**28,406.06**	**23,622.03**
वर्तमान परिसंपत्तियां			
वित्तीय परिसंपत्तियां			
व्यापार प्राप्य	9	70,824.65	12,599.36
नकद और नकदी समतुल्य	10	32,015.96	18,601.34
नकद और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	11	1,35,394.75	1,42,450.81
ऋण एवं अग्रिम	12	507.44	208.29
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	13	42,283.39	15,932.34
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	14	285.16	535.67
वर्तमान कर परिसंपत्तियां(निवल)	15	488.76	-
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां		**2,81,800.11**	**1,90,327.81**
कुल परिसंपत्तियां		**3,10,206.17**	**2,13,949.84**
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
शेयर पूंजी इक्विटी	16	35,400.00	35,400.00
अन्य इक्विटी	17	20,995.45	8,284.48
कुल इक्विटी		**56,395.45**	**43,684.48**

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

₹ लाख

देयताएं			
गैर–वर्तमान देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
अन्य वित्तीय देयताएं	18	2,964.74	2,150.44
प्रावधान	19	385.04	308.63
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	20	582.70	559.41
अन्य गैर–वर्तमान देयताएं	21	602.06	349.17
कुल गैर–वर्तमान देयताएं		**4,534.54**	**3,367.65**
वर्तमान देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
व्यापार देयताएं	22		
माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों के कुल बकाया देय		-	-
माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा ऋणदाताओं के कुल बकाया देय		37,739.65	22,521.57
अन्य वित्तीय देयताएं	23	1,88,194.56	1,34,131.15
प्रावधान	24	668.05	811.65
अन्य वर्तमान देयताएं	25	4,027.03	4,043.55
वर्तमान कर देयताएं (निवल)	26	-	66.76
कुल वर्तमान देयताएं		**2,30,629.29**	**1,61,574.68**
आस्थगित राजस्व	27	18,646.89	5,323.03
कुल इक्विटी और देयताएं		**3,10,206.17**	**2,13,949.84**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		

टिप्पणी 1 से 69 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता0/–	हस्ता0/–	हस्ता0/–
(सुनील कुमार)	(सी कन्नन)	(जतींद्र नाथ स्वेन)
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्याः 17693	डीआईएन 06458185	डीआईएन 01969056

समसंख्यक तारीख को हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते आरएसपीएच एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआर संख्या 003013एन

हस्ता0/–
(सीए तरुण कुमार बत्रा)
साझेदार
सदस्यता संख्याः– 094318
यूडीआईएन 19094318एएएएएई4112

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.07.2019

दिनांक : 22.07.2019

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण

₹ लाख

विवरण	टिप्पणी संख्यो	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च,2018 को समाप्त वर्ष के लिए
आय			
प्रचालनों से राजस्व	28	3,23,512.61	1,15,817.74
अन्य आय	29	2,913.38	1,773.41
कुल आय		**3,26,425.99**	**1,17,591.15**
व्यय			
सौर विद्युत की खरीद	30	3,00,733.78	1,02,664.09
कर्मचारी हितलाभ व्यय	31	1,636.75	1,684.93
वित्तीय लागत	32	267.95	64.87
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	33	459.16	444.49
अन्य व्यय	34	3,279.58	2,559.16
कुल व्यय		**3,06,377.22**	**1,07,417.54**
असाधारण मदों एवं कर पूर्व लाभ		**20,048.77**	**10,173.61**
असाधारण मदें		-	-
कर पूर्व लाभ		**20,048.77**	**10,173.61**
कर व्यय			
वर्तमान कर			
वर्तमान वर्ष		7,095.31	3,630.53
पिछले वर्ष		(13.28)	(182.19)
आस्थगित कर		26.92	252.98
कुल कर व्यय		**7,108.95**	**3,701.32**
वर्ष हेतु लाभ/(हानि)		**12,939.82**	**6,472.29**
अन्य सम्पूर्ण आय			
वे मदें जिन्हें लाभ या हानि हेतु पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (निवल कर)			
ओसीआई को अंतरित परिभाषित हितलाभ योजनाओं पर लाभ (हानि) का पुनः हिसाब लगाना		(10.37)	1.73

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण

₹ लाख

आयकर सम्बंधित वे मदें जिन्हें लाभ या हानि हेतु पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		3.62	(0.60)
वर्ष हेतु कुल सम्पूर्ण आय			
(वर्ष हेतु लाभ(हानि) एवं अन्य सम्पूर्ण आय शामिल)		**12,933.07**	**6,473.42**
प्रति इक्विटी शेयर आय			
मूल (रु.)		365.53	199.34
तनुकृत (रु.)		365.53	199.34
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	**1**		

टिप्पणी 1 से 69 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता0/–	हस्ता0/–	हस्ता0/–
(सुनील कुमार)	(सी कन्नन)	(जतींद्र नाथ स्वेन)
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्याः 17693	डीआईएन 06458185	डीआईएन 01969056

समसंख्यक तारीख को हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते आरएसपीएच एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआर संख्या 003013एन

हस्ता0/–
(सीए तरुण कुमार बत्रा)
साझेदार
सदस्यता संख्याः– 094318
यूडीआईएन 19094318एएएएएई4112
दिनांक : 22.07.2019

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.07.2019

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

₹ लाख

	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ	**20,048.77**	**10,173.61**
जोड़े : अन्य सम्पूर्ण आय/(व्यय)	(10.37)	1.73
	20,038.40	**10,175.34**
समायोजन हेतु :		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि एवं अमूर्त परिसंपत्तियां	459.16	444.49
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों के निपटाने पर हानि	0.78	0.21
हानि हेतु प्रावधान	170.06	-
निष्पादन गारंटी जमा पर डिस्काउंट की अनवाइंडिंग	211.46	35.52
आस्थगित राजस्व व्यय प्रतिभूति जमा प्राप्यों की अभिस्वीकृति	56.49	29.35
आस्थगित राजस्व आय निष्पादन गारंटी जमा की अभिस्वीकृति	(664.74)	(99.67)
प्रतिभूति जमा प्राप्यों पर डिस्काउंट की अनवाइंडिंग	(59.61)	(26.89)
आस्थगित पेरोल व्यय	0.27	-
आस्थगित आय–सरकारी अनुदान की अभिस्वीकृति	(17.99)	(15.68)
लाभांश आय	(85.44)	-
ब्याज आय	(2,097.88)	(1,643.05)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	**18,010.96**	**8,899.62**
समायोजन हेतु :		
व्यापार प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी	(58,395.35)	(1,456.98)
नकद एवं नकदी समतुल्य, ऋण एवं अग्रिम एवं अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा बैंक शेष में (वृद्धि)/कमी	(19,306.17)	(89,983.63)
अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	57.22	35.77
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	250.51	(198.25)
व्यापार देयताओं, प्रावधानों एवं अन्य देयताओं में (वृद्धि)/कमी	84,060.10	53,397.72
प्रचालनों से प्राप्त नकदी (प्रयुक्त)	**24,677.27**	**(29,305.75)**
प्रत्यक्ष कर भुगतान	(7,637.55)	(3,667.00)
प्रचालन गतिविधियों से/में निवल नकदी प्रवाह (प्रयुक्त)– क	**17,039.72**	**(32,972.75)**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
पूंजी अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	(5,310.32)	(15.34)
संयुक्त उद्यम में निवेश	-	-
लाभांश आय	85.44	-
ब्याज आय	2,097.88	1,643.05

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

₹ लाख

प्रगतिशील पूंजी कार्य में निवेश	(161.62)	(64.08)
विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों में निवेश	(14.19)	-
अचल परिसंपत्ति का निपटान	2.94	0.43
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(103.13)	(854.14)
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह– ख	**(3,403.00)**	**709.92**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
इक्विटी शेयर पूंजी के निर्गम से प्राप्ति	-	5,000.00
दीर्घकालिक ऋण का भुगतान	-	-
ब्याज भुगतान	-	-
लाभांश भुगतान	(184.22)	(3,838.43)
लाभांश पर कर	(37.88)	(781.40)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह – ग	**(222.10)**	**380.17**
नकद एवं नकदी समतुल्य में निवल (कमी)/वृद्धि (क+ख+ग)	**13,414.62**	**(31,882.66)**
वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकदी समतुल्य (नीचे टिप्पणी 1 एवं 2 देखें)	**18,601.34**	**50,484.00**
वर्ष के अंत में नकद एवं नकदी समतुल्य (नीचे टिप्पणी 1 एवं 2 देखें)	**32,015.96**	**18,601.34**

टिप्पणी :

1. नकद और नकदी समतुल्य में बैंक में चालू खाता, आटो–स्वीप फिक्सड डिपाजिट, मियादी जमा, जिसकी मूल परिपक्कवता अवधि 3 महीने है और उस पर उपार्जित ब्याज की शेष राशि शामिल है।
2. नकद और नकदी समतुल्य का पुनर्मिलान–टिप्पणी 11 के अनुसार नकद और नकदी समतुल्य।
3. पिछले वर्ष के आंकड़े, जहां कहीं आवश्यक समझा गया, का पुनः समूहन/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता0/–	हस्ता0/–	हस्ता0/–
(सुनील कुमार)	(सी कन्नन)	(जतींद्र नाथ स्वेन)
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्याः 17693	डीआईएन 06458185	डीआईएन 01969056

समसंख्यक तारीख को हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते आरएसपीएच एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआर संख्या 003013एन
हस्ता0/–
(सीए तरुण कुमार बत्रा)
साझेदार
सदस्यता संख्याः– 094318
यूडीआईएन 19094318एएएएएई4112

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.07.2019

दिनांक : 22.07.2019

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

₹ लाख

01 अप्रैल, 2018 को शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तन	31 मार्च, 2019 को शेष
35,400	-	35,400

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

₹ लाख

01 अप्रैल, 2017 को शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तन	31 मार्च, 2018 को शेष
30,400	5,000	35,400

ख. अन्य इक्विटी

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

₹ लाख

विवरण	रिजर्व और अधिशेष	कुल
	प्रतिधारित आय	
01 अप्रैल, 2018 को शेष	**8,284.48**	**8,284.48**
वर्ष के लिए लाभ	12,939.82	12,939.82
अन्य सम्पूर्ण आय	(6.75)	(6.75)
कुल सम्पूर्ण आय	**21,217.55**	**21,217.55**
प्रतिधारित आय को / से अंतरण		
अंतिम लाभांश–वित्तीय वर्ष 2017–18 (संदर्भ टिप्पणी सं. 16)	(184.22)	(184.22)
अंतिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर (संदर्भ टिप्पणी सं. 16)	(37.88)	(37.88)
31 मार्च 2019 को शेष	**20,995.45**	**20,995.45**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष

₹ लाख

विवरण	रिजर्व और अधिशेष	कुल
	प्रतिधारित आय	
01 अप्रैल, 2017 को शेष	**6,430.89**	**6,430.89**
वर्ष के लिए लाभ	6,472.29	6,472.29
अन्य सम्पूर्ण आय	1.13	1.13

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

₹ लाख

कुल सम्पूर्ण आय	**12,904.31**	**12,904.31**
धारित आय को / से अंतरण		**-**
अंतिम लाभांश–वित्तीय वर्ष 2016–17 (संदर्भ टिप्पणी सं. 16)	(1,396.13)	(1,396.13)
अंतिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	(284.22)	(284.22)
अंतरिम लाभांश – वित्तीय वर्ष 2017–18 (संदर्भ टिप्पणी सं. 16)	(2,442.30)	(2,442.30)
अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	(497.18)	(497.18)
31 मार्च 2018 को शेष	**8,284.48**	**8,284.48**

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता0 / –	हस्ता0 / –	हस्ता0 / –
(सुनील कुमार)	(सी कन्नन)	(जतींद्र नाथ स्वेन)
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्याः 17693	डीआईएन 06458185	डीआईएन 01969056

समसंख्यक तारीख को हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते आरएसपीएच एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआर संख्या 003013एन

हस्ता0 / –
(सीए तरुण कुमार बत्रा)
साझेदार
सदस्यता संख्याः– 094318
यूडीआईएन 19094318एएएएएई4112
दिनांक : 22.07.2019

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.07.2019

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

कम्पनी सूचना और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का टिप्पणी भाग

टिप्पणी:1:

क. रिपोर्टिंग कंपनी

सोलर एनर्जी कॉरपोरशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में स्थापित एक घरेलू कंपनी है और उसके शेयर सीमित मात्रा में है (सिनःयू40106डीएल2011जीओआई225263)। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय डी–3, पहली मंजिल, विंग–ए, रेलिगेयर बिल्डिंग (अब प्रायस प्लेटिनियम), डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली है। कंपनी मुख्य रूप से एमएनआरई की अनेक योजनाओं का कार्यान्वयन करती है, जिसमें मुख्य रूप से जेएनएनएसएम के तहत बड़े पैमाने की ग्रिड–क्नेक्टिड सोलर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वीजीएफ स्कीमें, सोलर पार्क स्कीमें और ग्रिड–क्नेक्टेड सोलर रूप टॉप स्कीमें तथा अनेक प्रकार की विशिष्ट स्कीमें शामिल हैं। कंपनी सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं की नीलामी भी करती है। कंपनी के पास ऊर्जा कारोबार का लाइसेंस है और उसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के तहत स्थापित की गई परियोजनाओं से सौर ऊर्जा के कारोबार के जरिये इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। कंपनी सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएं भी प्रदान करती है। कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन और उसकी बिक्री भी करती है।

ख. तैयार करने का आधार

1. अनुपालन का विवरण

इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को लेखाकरण के प्रोद्भूत आधार का अनुसरण कर तथा कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 के अधीन अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानकों (इंड एएस) और उनमें अनुवर्ती संशोधनों का अनुपालन कर, कंपनी अधिनियम, 2013(जहां तक इसे अधिसूचित किया गया है और कंपनी पर लागू है), यथा लागू कंपनी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधानों, यथा लागू विद्युत अधिनियम 2013 का अनुसरण कर एक व्यवसायरत कंपनी के आधार पर तैयार किया गया है।

ये वित्तीय विवरण 19 जुलाई, 2019 को आयोजित बोर्ड बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए थे।

2. माप का आधार

कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है (लेखाकरण नीति की बिन्दु सं. 19 अर्थात ''वित्तीय प्रपत्र'' का संदर्भ लें) को छोड़कर, वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किया गया है। उचित मूल्यों के माप के लिए प्रयुक्त विधियों पर चर्चा आगे वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों में की गई है।

3. कार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण मुद्रा

इन वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किया गया है, जो कि कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। भारतीय रुपये में प्रस्तुत समस्त वित्तीय सूचना को अन्यथा उल्लेख किये जाने के सिवाय, निकटतम लाख रुपयों (दो दशमलव संख्याओं तक) राउंड ऑफ किया गया है।

4. वर्तमान एवं गैर–वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी ने तुलन पत्र में परिसंपत्तियों एवं देयताओं को वर्तमान / गैर–वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत किया है।

एक परिसंपत्ति तब वर्तमान परिसंपत्ति होती है, जब इसेः

- सामान्य प्रचालन चक्र में वसूला जाने या बेचे जाने या उपभोग किये जाने की संभावना होती है;
- इसे सामान्य व्यवसाय के प्रयोजन हेतु मुख्य रूप से धारित किया जाता है;
- इसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 माह के भीतर वसूले जाने की संभावना होती है; या
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम 12 माह तक की किसी देयता के निपटान हेतु नकद या समतुल्य नकद मूल्य के साथ आदान–प्रदान नहीं किया जाता।

सभी अन्य परिसंपत्तियों को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कोई भी देयता तब वर्तमान होती है जबः

- जब उसे सामान्य व्यवसाय चक्र में निपटाए जाने की संभावना होती है;
- जब वह सामान्य व्यवसाय के प्रयोजन हेतु मुख्य रूप से देय हो जाती है;
- वह रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर निपटाए जाने के लिए देय हो जाती है; या
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम 12 माह तक देयता के निपटान को आस्थगित करने का कोई सप्रतिबंध अधिकार नहीं होता है।

अन्य सभी देयताओं को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

आस्थगित कर संपत्तियों / देयताओं को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ग. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में जिन महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों को अपनाया गया है उनका सारांश नीचे दिया गया है। इन लेखाकरण नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के संबंध में निरंतर रूप से अपनाया गया है। कंपनी ने इंड एएस 16 एवं इंडएएस 38 के प्रावधानों को पूर्वव्यापी तारीख से न अपनाकर इंड एएस 101 के अंतर्गत विकल्प का उपयोग करने का निश्चय किया है और वह इंड एएस में परिवर्तन की तारीख अर्थात् 1 अप्रैल, 2016 के समय पर इंड एएस के तहत एक परिकल्पित लागत के रूप में पूर्ववर्ती जीएएपी अग्रनयन राशि का निरंतर उपयोग कर रही है। अतः 01 अप्रैल, 2016 को अर्थात कंपनी की इंड एएस में परिवर्तन करने की तारीख के समय पर पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों की अग्रनयन राशि को इंड एएस में परिवर्तन पर कायम किया गया है।

1. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

1.1 आरंभिक अभिस्वीकृति और माप

किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मद को तभी एक परिसंपत्ति के रूप में अभिस्वीकृत किया जाता है जब यह संभावना होती है कि उससे संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे, और उस मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण मदों को आरंभ में उनकी लागत पर अभिस्वीकृत किया जाता है।

अनुवर्ती माह लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन और संचित ह्रास हानि को घटाकर किया जाता है। लागत में ऐसा व्यय शामिल होता है जिसे परिसंपत्ति को किसी स्थान और ऐसी स्थिति में ले जाने के लिये व्यय कहा जा सकता है, जहां प्रबंधन की वांछित प्रक्रिया में वह प्रचालन योग्य हो।

जब किसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भागों की भिन्न–भिन्न उपयोगी लाइफ होती है, तब उन्हें अलग–अलग रूप से अभिस्वीकृत किया जाता है।

धारण की गई भूमि से संबंधित क्षतिपूर्ति, पुनर्वास तथा अन्य खर्चों के संबंध में अनंतिम रूप से किये गये जमा, भुगतानों, देयताओं को भूमि लागत के रूप में दर्शाया जाता है।

उपयोग की जा रही परिसंपत्तियों के संबंध में, जहां संविदाकारों के बिलों का अंतिम निपटान नहीं किया गया होता है, ऐसी स्थिति में अंतिम निपटान वाले वर्ष में अपेक्षित समायोजन के अध्यधीन पूँजीकरण अनंतिम आधार पर किया जाता है।

कल–पुर्जे संबंधित मदों, स्टैंड–बाइ उपकरणों और सेवारत उपकरणों, जो कि संपत्ति की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, संयंत्र एवं उपकरणों को अधिग्रहण के रूप में पूँजीगत में दर्शाया जाता है। अन्य कल–पुर्जों को माल–सूची के रूप में दर्शाया जाता है और उनके उपभोग पर उन्हें लाभ एवं हानि के विवरण में अभिस्वीकृत किया जाता है।

पट्टे वाली भूमि पर परिसंपत्तियों के निर्माण को खर्च की गई वास्तविक लागत पर तब तक भवन/नवीनीकरण कार्य के रूप में पूँजी के रूप में दर्शाया जाता है, जब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं होता तथा पट्टे की अवधि के दौरान उनका मूल्यह्रास नहीं हो जाता।

1.2 अनुवर्ती लागतें

अनुवर्ती व्यय को परिसंपत्ति की अग्रनयन राशि में तब तक एक वृद्धि के रूप में अभिस्वीकृत किया जाता है, जब तक यह संभावना होती है कि खर्च की गई लागत से भावी आर्थिक लाभ उद्यम को प्राप्त हो और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

किसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण मद के भाग को बदलने की लागत को अग्रनयन राशि में तब अभिस्वीकृत किया जाता है जब ऐसी संभावना हो कि उक्त मद के भाग में अंतर्निहित भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे, और उसकी लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। बदले हुए कल–पुर्जों व भागों की अग्रनयन राशि को अभिस्वीकृत नहीं किया जाता हैं। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की रोजमर्रा के रखरखाव की लागत को खर्च के रूप में लाभ या हानि में अभिस्वीकृत किया जाता है।

1.3 अभिस्वीकृत नहीं किया जाना

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को तब अभिस्वीकृत नहीं किया जाता है, जब उनके उपयोग या उनके निस्तारण से कोई भावी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है। किसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण मद के निस्तारण पर लाभ एवं हानियों को उनकी अग्रनयन राशि के साथ निस्तारण से प्राप्त राशियों के साथ तुलना कर निर्धारित किया जाता है, और उन्हें लाभ एवं हानि विवरण में अभिस्वीकृत किया जाता है।

1.4 मूल्यह्रास/परिशोधन

कंपनी की ऊर्जा उत्पादन इकाइयों की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि विवरण में सीईआरसी द्वारा प्रशुल्क के नियतन के लिए अधिसूचित दरों एवं कार्यप्रणाली तथा कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार स्ट्रेट–लाइन पद्धति का अनुसरण करते हुए प्रभारित किया जाता है।

बिजली उत्पादन व्यवसाय से संबंधित पट्टेगत भूमि एवं भवनों को सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों द्वारा अधिसूचित दरों एवं कार्यप्रणाली का अनुसरण करते हुए संबंधित प्लांट की पट्टा अवधि लाइफ, जो भी पहले हो, के आधार पर पूर्णरूप से परिशोधित किया जाता है।

उपर्युक्त विनिर्दिष्ट परिसम्पत्तियों के अलावा परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में विनिर्दिष्ट यूजफुल लाइफ का अनुसरण करते हुए स्ट्रेट लाइन पद्धति पर उपलब्ध कराया जाता है।

वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के ऐडीशन/डिलीशन पर मूल्यह्रास को उस तारीख को, जिस दिन परिसंपत्ति उपयोग/निस्तारण हेतु उपलब्ध होती है, यथानुपात आधार पर प्रभारित किया जाता है।

जहां विनिमय उतार–चढ़ाव, मूल्य समायोजन, करों या सदृश कारकों में बदलाव के कारण दीर्घकालिक देयताओं में वृद्धि/गिरावट होने के कारण वर्ष के दौरान मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों की लागत में परिवर्तन होता है, ऐसी स्थितियों में उक्त परिसंपत्ति के अपरिशोधित शेष को उसकी शेष उपयोगी लाइफ (जिसे मूल्यह्रास से संबंधित लागू लेखाकरण नीति से निर्धारित किया जाता है) के आधार पर उत्तरव्यापी प्रभाव से प्रभारित किया जाता है।

5,000 रुपये या उसे कम लागत की परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास सारवान् रूप से उनके अधिग्रहण के वर्ष में किया जाता है।

2. प्रगतिशील पूँजीगत कार्य

स्वयं–निर्मित परिसंपत्तियों की लागत में सामग्रियों एवं प्रत्यक्ष श्रम की लागत तथा अन्य कोई ऐसी लागत, जो परिसंपत्ति को ऐसे स्थान एवं स्थिति में ले जाने के लिए खर्च की जाती है जहां प्रबंधन की इच्छानुसार प्रक्रिया में उक्त परिसंपत्ति परिचालन योग्य हो, और उधार लागतें शामिल होती हैं।

3. अमूर्त परिसंपत्तियां और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

3.1 आरंभिक अभिस्वीकृति एवं माप

किसी अमूर्त परिसंपत्ति को तब अभिस्वीकृत किया जाता है, जब ऐसी संभावना हो कि उक्त परिसंपत्ति के प्रत्याशित भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त हों, और परिसंपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

कंपनी द्वारा अधिग्रहित ऐसी अमूल्य परिसंपत्तियों, जिनकी निश्चित उपयोगी लाइफ होती है, को लागत पर अभिस्वीकृत किया जाता है। अनुवर्ती माप, परिसंपत्ति की लागत में से संचित परिशोधन एवं संचित ह्रासन हानियों को घटाकर किया जाता है। परिसंपत्ति की लागत में ऐसे प्रासंगिक खर्चे शामिल होते हैं, जो कि परिसंपत्ति को उसके वांछित उपयोग हेतु तैयार करने के लिए जरूरी होते हैं। ऐसे खर्च किये गए व्यय, जो अमूर्त परिसंपित्तियों के तहत पूँजीकरण के योग्य हो, को अमूर्त परिसंपत्तियों के विकास के रूप में तब तक अग्रेशित किया जाता है, जब तक वे वांछित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जातीं।

3.2 अभिस्वीकृत नहीं किया जाना

किसी अमूर्त परिसंपत्ति को तब अभिस्वीकृत नहीं किया जाता है, जब उसके उपयोग या निस्तारण से कोई भावी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति मद के निस्तारण पर लाभ एवं हानियों को उनकी अग्रनयन राशि के साथ निस्तारण से प्राप्त राशियों के साथ तुलना करके, और लाभ एवं हानि विवरण में अभिस्वीकृत किया जाता है।

3.3 परिशोधन

अमूर्त परिसपंत्तियों को कानूनी अधिकार की अवधि या 5 वर्षों की अवधि, जो भी पहले हो, के आधार पर स्ट्रेट लाइन पद्धति विधि के अनुसार परिशोधित किया जाता है।

4. ऋण लागतें

ऋण लागतों में (क) ब्याज खर्च जिसे इंड एएस 109 – 'वित्तीय प्रपत्र' में वर्णित प्रभावकारी ब्याज विधि का प्रयोग कर परिकलन किया जाता है, (ख) इंड एएस 17– 'पट्टा' के अनुसार अभिस्वीकृत वित्त पट्टों के संबंध में वित्त प्रभार और (ग) विनिमय में अंतर, जो विदेशी मुद्रा उधार लेने के कारण उस सीमा तक घटित होते हैं, जहां तक उन्हें ब्याज लागतों में समायोजन के रूप में स्वीकृत किया जाता है, शामिल होते हैं।

अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण/अन्वेषण/विकास या उन्हें स्थापित करने के संबंध में जिन उधार लागतों को प्रत्यक्ष रूप से खर्च किया जाता है, उन्हें उक्त परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में तब तक पूँजीकृत किया जाता है, जब तक की परिसंपत्तियां अपने वांछित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हो जातीं। अर्हक परिसंपत्तियां उन्हें कहते हैं, जो अपने वांछित उपयोग हेतु तैयार होने या बिक्री के लिए पर्याप्त समय लेती हैं।

जब कंपनी कोई अर्हक परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए विशेष रूप से निधियां उधार देती है, तब खर्च की गई उधार लागतों का पूँजीकरण किया जाता है। जब कंपनी आमतौर पर निधियां उधार लेकर कोई अर्हक परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से उन्हें खर्च करती है, तब उधार लागतों का पूँजीकरण सामान्य उधार, जो समीक्षाधीन अवधि के दौरान बकाया हैं और जिनका उपयोग अर्हक परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण/अन्वेषण या उसे स्थापित करने के लिए किया जा रहा है, की भारित औसत लागत के आधार पर संगणित किया जाताहै।

उधार लागतों का पूँजीकरण तब समाप्त हो जाता है, जब अर्हक परिसंपत्तियों के वांछित उपयोग के लिए अपेक्षित सभी कार्य पूरे कर लिये जाते हैं। उधार लागतों में ब्याज तथा अन्य लागतें शामिल होती हैं, जो कि किसी कंपनी द्वारा निधियां उधार लेने के संबंध में खर्च की जाती हैं।

उधार लागतों में विदेशी मुद्रा उधारों से घटित विनिमय अंतर उस सीमा तक शामिल होते है, जहां तक उन्हें ब्याज लागतों में समायोजन के तौर पर दर्शाया जाता है।

अन्य उधार लागतों को उस वर्ष में खर्च के रूप में अभिस्वीकृत किया जाता है, जिसमें उन्हें खर्च किया जाता है।

5. मालसूचियां

मालसूचियों का मूल्य निर्धारण न्यून लागत तथा निवल वसूले जाने वाले मूल्य पर किया जाता है। लागत में मालसूचियों के क्रय की लागत, परिवर्तन की लागत तथा उन्हें वर्तमान स्थान एवं स्थिति तक पहुंचाने हेतु खर्च की गई अन्य लागतें शामिल होती हैं। क्रय की गई मालसूची की लागतों का निर्धारण कटौती एवं छूट को घटाकर किया जाता है। निवल वसूले जाने वाला मूल्य सामान्य व्यवसाय में आंकलित विक्रय मूल्य है, जिसमें से मालसूची तैयार करने की लागत तथा उनकी बिक्री के लिए अपेक्षित आकलित लागतों को घटाया जाता है।

6. नकद एवं नकदी समकक्ष राशियां

तुलन पत्र में नकद और नकदी समतुल्य राशियों में बैंको में जमा नकदी तथा ऑन हैंड और 3 माह या उससे कम की मूल परिपक्कवता अवधि के साथ अल्पावधिक जमा शामिल होते हैं, जिनके मूल्य में बदलाव का जोखिम नहीं होता है।

7. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को प्रारंभ में आस्थगित आय के रूप में तब अभिस्वीकृत किया जाता है, जब उन्हें प्राप्त किया जाता है तथा जब उन्हें प्राप्त किए जाने का एक उचित आश्वासन होता है और कंपनी अनुदानों से संबंधित शर्तों का पालन करेगी। ऐसे अनुदानों, जो कंपनी को किसी परिसंपत्ति के लागत के संबंध में क्षतिपूर्ति प्रदान करते हैं, को संबद्ध परिसंपत्ति की उपयोगी लाइफ के आधार पर एक व्यवस्थित रूप से लाभ या हानि विवरण में अभिस्वीकृत किया जाता है। ऐसे अनुदानों, जो कंपनी को खर्च किये गये व्ययों की क्षतिपूर्ति करते हैं, को उस अवधि तक अभिस्वीकृत किया जाता है जिसमें संबद्ध लागतों को खर्च किया गया है और उन्हें संबद्ध खर्चों से घटाया जाता है।

अप्रयुक्त अनुदान में से निधि निवेश पर अर्जित ब्याज को अनुदान के रूप में स्वीकार किया जाता है।

8. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

यदि किसी विगत घटनाक्रम के परिणामस्वरूप कंपनी पर वर्तमान में कोई कानूनी या सकारात्मक बाध्यता बन जाती है और एक ऐसी संभावना होती है कि आर्थिक लाभ का आउटफ्लो कथित बाध्यता के निपटान के लिए आवश्यक होगा, तब एक प्रावधान को अभिस्वीकृत किया जाता है, जिसका आकलन विश्वसनीय रूप से किया जाता है। यदि राशि के मूल्य का प्रभाव सारवान् है, तब प्रावधानों का निर्धारण ऐसे पूर्व–कर दर पर प्रत्याशित भावी नकदी प्रवाह को घटाकर किया जाता है, जिनमें राशि के समय मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन और देयता विशिष्ट जोखिम परिलक्षित होते हैं। जब बट्टे का प्रयोग किया जाता है, तब समय बिताने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में अभिस्वीकृत किया जाता है।

प्रावधान के तौर पर अभिस्वीकृत की गई राशि जोखिम तथा बाध्यता से संबंधित अनिश्चिताओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग तारीख पर वर्तमान बाध्यता को निपटाने हेतु अपेक्षित राशि का सर्वश्रेष्ठ आकलन होता है।

जब किसी प्रावधान को निपटाने हेतु अपेक्षित कुछ या सभी आर्थिक लाभों को किसी तृतीय पक्षकार से वसूल किये जाने की उम्मीद होती है,तब प्राप्य राशि को एक परिसंपत्ति के रूप में अभिस्वीकृत किया जाता है, अगर यह वास्तविक रूप से निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्य की जाएगी और प्राप्य राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जाएगा। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय को किसी प्रतिपूर्ति के निवल लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

आकस्मिक देयताएं संभावित देयताएं होती हैं, जो विगत घटनाक्रमों से उत्पन्न होती हैं और जिनकी विद्यमानता की पुष्टि केवल एक या उससे अधिक भावी घटनाक्रमों (जो पूर्णरूप से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होते हैं) की उत्पत्ति या गैर–उत्पत्ति से होती है। इस संभावना के लिए कि क्या कोई आर्थिक लाभ के आउटफ्लो की आवश्यकता होगी की नहीं, या जब राशि का आकलन विश्वसनीय रूप से नहीं किया जा सकता, तब बाध्यता को एक आकस्मिक देयता के रूप में तब तक घोषित किया जाता है, जब तक आर्थिक लाभों के आउटफ्लों की संभावना नहीं होती। आकस्मिक देयताओं को प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के अधिनिर्णय के आधार पर घोषित किया जाता है। इन आकस्मिक देयताओं की समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख पर की जाती है और वर्तमान प्रबंधन आकलन दर्शाने हेतु उनका समायोजन किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियां संभावित परिसंपत्तियां होती हैं, जो विगत घटनाक्रमों से उत्पन्न होती हैं और जिनकी विद्यमानता की पुष्टि केवल एक या उससे अनिश्चित भावी घटनाक्रमों (जो पूर्णरूप से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होते हैं) की उत्पत्ति या गैर–उत्पत्ति से होती है। आकस्मिक देयताओं को परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में तब घोषित किया जाता है, जब आर्थिक लाभों का अंतर प्रवाह प्रबंधन के अधिनिर्णय के आधार पर संभावित है। इन आकस्मिक परिसंपत्तियों का आकलन निरंतर रूप से किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घटनाक्रमों को वित्तीय विवरणों में उपयुक्त रूप से दर्शाया जा सके।

9. राजस्व

कंपनी का राजस्व विद्युत की बिक्री, परामर्शी, परियोजना प्रबंधन और पर्यवेक्षण सेवाओं और अन्य आय की बिक्री से उत्पन्न होता है।

1 अप्रैल 2018 से प्रभावी कंपनी ने संविदाओं, जो 1 अप्रैल, 2018 को पूरे नहीं हुए थे और इसलिए तुलनात्मकों को पुनः नही बताया गया है और जिन्हें इंड ए एस 18 ''राजस्व'' और इंड ए एस 11 ''निर्माण संविदा'' के अनुसार सूचित किया जाता रहेगा, के लिए प्रयुक्त ''संचयी प्रभावी विधि'' का उपयोग कर इंड ए एस 115 ''ग्राहकों के साथ सम्पर्क से राजस्व'' को अपनाया है। इंड एएस 18 और इंड एएस 11 के अनुसार लेखाकरण नीतियों का अलग से खुलासा किया जाता है यदि वे इंड एएस 115 के अंतर्गत से भिन्न होती है।

9.1 विद्युत की बिक्री से राजस्व

राजस्व इस विचार के आधार पर आंका जाता है जो ग्राहक के साथ संविदा में विनिर्दिष्ट है या जिसके उत्पादों या सेवाओं के लिए विनिमय में प्राप्त किए जाने की उम्मीद है और तीसरी पार्टियों की ओर से एकत्रित राशि शामिल नहीं है। कंपनी राजस्व को स्वीकार करती है जब (और या) उत्पादों या सेवाओं पर नियंत्रण ग्राहकों को अंतरित किया जाता है।

तुलनात्मक अवधि में, विद्युत की बिक्री से राजस्व प्राप्त या प्राप्य राशि के उचित मूल्य पर आंका जाता है। राजस्व स्वीकार किया गया था जब महत्वपूर्ण जोखिम और स्वामित्व का रिवार्ड क्रेता को अंतरित किया गया था, विचारार्थ वसूली संभावित थी, सह लागत का अनुमान वास्तव में लगाया जा सके, प्रबंधन की भागीदारी निरंतर नहीं थी और राजस्व की राशि वास्तव में आंकी जा सकी थी।

ऊर्जा के बिक्री से राजस्व को क्रेता कंपनियों के साथ सहमत दरों पर और क्रेता कंपनियों के साथ ऊर्जा बिक्री अनुबंधों (पीएसए) के निबंधन एवं शर्तों के आधार पर अभिस्वीकृत किया जाता है। यूनिटों (किलोवाट) को अंतर्राज्य ऊर्जा बिक्री के संबंध में संयुक्त मीटर रिडिंग/राज्य ऊर्जा लेखाकरण (जेएमआर)/(एसईए) तथा अंतर–राज्य ऊर्जा बिक्री के संबंध में क्षेत्रीय ऊर्जा लेखाकरण (आरईए) के आधार पर अभिस्वीकृत किया जाता है।

बिक्री लेनदेनों का मिलान नियमित अंतरालों पर किया जाता है ताकि बेची गई यूनिटों के साथ उनका मिलान किया जा सके।

लाभार्थियों को जल्दी भुगतान करने के लिए दिए जाने वाले छूटों एवं लाभों को राजस्व की राशि से घटाया जाता है।

9.2 सेवाओं से राजस्व

परामर्श, परियोजना प्रबंधन, पर्यवेक्षण और दी गई अन्य सेवाओं से राजस्व का आंकलन इस विचार के आधार पर किया जाता है जो ग्राहकों के साथ संविदा में विनिर्दिष्ट है या सेवाओं के लिए विनिमय में प्राप्त किए जाने की उम्मीद है और तीसरी पार्टियों की ओर से एकत्रित राशि शामिल नही है। कंपनी राजस्व को स्वीकार करती है जब (और या) उत्पादों या सेवाओं पर नियंत्रण ग्राहकों को अंतरित किया जाता है।

तुलनात्मक अवधि में दी गई परामर्शी, परियोजना प्रबंधन और पर्यवेक्षण सेवाओं से राजस्व को पूर्णता के चरण के अनुपात में लाभ या हानि में अभिस्वीकृत किया जाता है। पूर्णता के चरण का आकलन सम्बंधित परामर्शी संविदाओं की शर्तों के अनुसार निष्पादित कार्य की वास्तविक प्रगति/तकनीकी मूल्यांकन के संदर्भ में किया गया था। ऐसे मामलों के सम्बंध में जहां दावे के समय उपयुक्त निश्चितता के साथ राजस्व संग्रहण कम था वहां स्वीकार्यता को राजस्व संग्रहण किए जाने तक स्थगित किया जाता है।

संविदा संशोधनों का हिसाब लगाया जाता है जब परिवर्धन, विलोपन अथवा परिवर्तन संविदा के दायरे या संविदा के मूल्य के लिए अनुमोदित किया जाता है। संविदाओं के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा संविदा में जोड़ी गई सेवाएं अलग–अलग हैं और क्या मूल्य निर्धारण स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर है। जोड़ी गई सेवाएं जो अलग–अलग नहीं हैं, का हिसाब संचयी कैचअप आधार पर लगाया जाता है बल्कि वे, जो अलग होती है, का हिसाब संभावी अलग संविदा के रूप में लगाया जाता है, यदि अतिरिक्त सेवाएं स्टैंडअलोन विक्रय मूल्य अथवा मौजूदा संविदा के समाप्त करने के रूप में और यदि स्टैंडअलोन विक्रय मूल्य पर नहीं होती है वो नई संविदा सृजित करने के लिए होती हैं।

9.2.1. ग्रिड/ऑफ ग्रिड–रूफटॉप परियोजनाओं/सौर ऊर्जा परियोजनाओं/पवन ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में राजस्व अभिस्वीकारिता

एमएनआरई, रूफटॉप परियोजनाओं के प्रचार/अभिविन्यास, जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाओं, क्षेत्र दौरों, मॉनीटरिंग एवं तकनीकी मार्गदर्शन आदि के संबंध में केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) का 3 प्रतिशत देती है। रूफटॉप परियोजनाओं ग्रिड/ऑफ ग्रिड के संबंध में

परियोजना निगरानी और तकनीकी मार्गदर्शन से प्राप्त राजस्व को परियोजनाओं/योजनाओं की प्रगति के चरणों के आधार पर व्यवस्थित रूप से अभिस्वीकृत किया जाता है। किसी विशिष्ट योजना के संबंध में, जहां राजस्व को अभिस्वीकृत कर बाद में योजना को बंद कर क्षमता चालू कर दी जाती है, पूर्व में अभिस्वीकृत किये गए राजस्व के प्रभाव को तद्नुसार रिवर्स कर दिया जाता है।

प्रचार, अभिविन्यास, जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाओं और क्षेत्र दौरों के संबंध में खर्च किये गए वास्तविक व्यय को उपरोक्त में अभिस्वीकृत राजस्व से घटाया जाता है और निवल आय घोषित की जाती है। यदि नीति के अनुसार अभिस्वीकृत राजस्व की तुलना में वर्ष के दौरान खर्च किया गया व्यय अधिक होता है, तब उसे अनुवर्ती वर्ष में अभिस्वीकृत राजस्व से समायोजित किया जाता है।

रूफटॉप परियोजनाओं के अंतर्गत डेवलपर से प्राप्त/प्राप्य (देय निवल प्रोत्साहन, यदि कोई हो) सेवा प्रभारों को उस वर्ष की आय में अभिस्वीकृत किया जा रहा है, जिसमें परियोजना क्षमता को मंजूरी दी जाती है। तथापि, सेवा प्रभारों को चालू/वास्तव में चालू क्षमता के समय लागू बैंचमार्क लागत (यदि कोई हो) में परिवर्तन के आधार पर समायोजित किया जाता है।

एमएनआरई विभिन्न योजनाओं के तहत निधि संचलन प्रभारों की अभिस्वीकृति एमएनआरई द्वारा जारी स्वीकृत पत्र के आधार पर संवितरित विधियों के अनुपात में आय के रूप में अभिस्वीकृत किया जाता है।

सोलर/विंड पावर परियोजनाओं के संबंध में सफलता शुल्क को सोलर/विंड पावर डेवलपर से प्रभारित किया जा रहा है। कुल सफलता शुल्क के 90 प्रतिशत को तकनीकी आकलनों के अनुसार विभिन्न कार्यकलापों की पूर्णता/प्रदान की गई सेवाओं के आधार पर एलओए/एलओआई जारी करने के समय पर प्रोदभूत आधार पर आय के रूप में अभिस्वीकृत किया जाता है और शेष 10 प्रतिशत को सोलर/विंड पावर परियोजनाओं के चालू होने के समय पर अभिस्वीकृत किया जाता है।

9.3 राजस्व की अभिस्वीकृति – अन्य परिचालनीय आय एवं अन्य आय

अन्य परिचालनीय आय एवं अन्य आय से प्राप्त राजस्व के अंतर्गत बैंकों, कर्मियों, संविदाओं आदि से ब्याज, संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों में किये गये निवेशों से लाभांश, म्यूच्वल फंड निवेशों से लाभांश, विलंबित भुगतानों के लिए ग्राहकों से प्राप्य अधिभार, निविदा शुल्क, बेकार सामग्री की बिक्री से प्राप्त आय, अन्य विविध आय इत्यादि आते हैं।

ब्याज आय को तब अभिस्वीकृत किया जाता है, जब प्रभावी ब्याज दर विधि (ईआईआर) का प्रयोग करते हुए लागू ब्याज दर और बकाया राशि को ध्यान में रखकर एक समयांतराल आधार पर राजस्व की माप योग्य या संग्रहण के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान नहीं होती है।

खराब सामग्री से प्राप्त आय को तब अभिलेखित किया जाता है जब उसे बेच दिया जाता है। लाभ की हानि के लिए बीमा दावों को उनकी स्वीकारिता वर्ष में अभिलेखित किया जाता है। अन्य बीमा दावों का अभिलेखन वसूले जाने की निश्चितता के आधार पर किया जाता है।

ऋण प्रपत्रों, जिन्हें परिशोधित लागत और अन्य संपूर्ण आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, के लिए ब्याज आय का अभिलेखन ईआईआर का प्रयोग कर किया जाता है। ईआईआर एक ऐसी दर है जो आकलित भावी नकदी भुगतानों या प्राप्तियों को वित्तीय प्रपत्र की प्रत्याशित लाइफ या एक अल्पावधि, जो भी उपयुक्त हो, के आधार पर वित्तीय परिसंपत्ति की सकल अग्रनयन राशि या किसी वित्तीय देयता की परिशोधित लागत में यथार्थ रूप से छूट देती है। ईआईआर का परिकलन करते हुए, कंपनी वित्तीय प्रपत्र की सभी संविदात्मक शर्तों (उदाहरण के लिए, अग्रिम भुगतान, विस्तार, कॉल एवं सदृश्य विकल्प) को ध्यान में रखकर प्रत्याशित नकदी प्रवाह का आकलन करती है, लेकिन प्रत्याशित क्रेडिट हानियों पर विचार नहीं करती है।

ब्याज आय को लाभ एवं हानि विवरण में अन्य आय के रूप में शामिल किया जाता है। ऊर्जा की बिक्री में विलंबित भुगतान/ओवरड्यू सन्ड्रीडेब्टर्स पर ब्याज/अधिभार को तब अभिस्वीकृत किया जाता है, जब राजस्व की माप योग्य या संग्रहणीयता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता नहीं होती है।

आपूर्तिकर्ताओं को दिये गये अग्रिमों पर वसूल किये जाने वाले ब्याज/अधिभार तथा वारंटी दावों, सेवा प्रभारों के विलंबित भुगतान पर ब्याज प्रभार, परिनिर्धारित क्षतियों, निष्पादन बैंक गारंटी जब्त किया जाना, बैंक गारंटियां देरी से प्रस्तुत करने पर विलंबित प्रभार और निविदा शुल्कों को तब तक प्रोद्भूत राशि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, जब तक उनके वसूले जाने/स्वीकारिता की अनिश्चितता बनी रहती है, अतः उन्हें प्राप्य/स्वीकारिता पर अभिलेखित किया जाता है।

लाभांश आय को लाभ या हानि में अभिस्वीकृत किया जाता है जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है। यह संभव है कि लाभांश के साथ सम्बद्ध आर्थिक लाभ कंपनी को आएगा और लाभांश की राशि विश्वस्तता से आंकी जा सकती है।

10. विद्युत की खरीद

विद्युत की खरीद का अभिलेखन सोलर पावर डेवलपर्स (एसपीडी) के साथ निष्पादित ऊर्जा क्रय अनुबंधों (पीपीए) के आधार पर संयुक्त मीटर रीडिंग/राज्य ऊर्जा लेखाकरण/क्षेत्रीय ऊर्जा लेखाकरण (जेएमआर/एसईए/आरईए) के आधार पर किया जाता है। क्रय संबंधी लेनदेनों का मिलान विक्रय की गई यूनिटों के मिलान हेतु नियमित अंतरालों पर किया जाता है। विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को दिये गए बिलों में दर्शायी गई यूनिटों से अधिक क्रय की गई यूनिटों को एसपीडी से वसूला जाता है।

शीघ्र भुगतान के रूप में आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त छूट क्रय राशि से काटी जाती है।

11. कर्मचारियों के हितलाभ

कर्मचारियों के हितलाभों में, अन्य बातों के साथ–साथ, भविष्य निधि, पेंशन, उपदान, छुट्टी लाभ तथा सेवानिवृत्ति हितलाभ शामिल हैं।

11.1 अल्पावधिक हितलाभ

अल्पावधिक कर्मचारी हितलाभों को उस वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण में बट्टा रहित राशि के खर्चे के रूप में अभिस्वीकृत किया जाता है,जिस वर्ष में संबद्ध सेवाएं दी जाती हैं।

कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन के तहत जब कोई राशि अदा किये जाने की उम्मीद होती है, तब देयता को अभिस्वीकृत किया जाता है, अगर कंपनी पर कर्मचारी द्वारा पूर्व में दी गई सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने हेतु वर्तमान में कानूनी या सकारात्मक बाध्यता होती है, और बाध्यता का आकलन विश्वसनीय रूप से किया जाता है।

11.2 परिभाषित अंशदायी योजनाएं

परिभाषित अंशदायी योजनाएं वह हैं जिसमें कोई कंपनी अलग कंपनियों में स्थायी अंशदान का भुगतान करती है और जिस पर अतिरिक्त राशियों का भुगतान करने की कोई कानूनी या सकारात्मक बाध्यता नहीं होगी। भविष्य निधि और पेंशन निधि में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भुगतान किये गये/देय अंशदान को लाभ एवं हानि विवरण में प्रोद्भूत आधार पर अभिस्वीकृत किया जाता है। कंपनी के पास एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है, जिसे एक अलग ट्रस्ट के माध्यम से अभिशासित किया जाता है।

सेवानिवृत्ति पश्चात् अन्य अधिवर्षिता योजनाः

कंपनी पर मूल वेतन और महंगाई भत्ता के 30 प्रतिशत तक रोजगार पश्चात् हितलाभों के लिए भुगतान करने की बाध्यता है। तद्नुसार, कंपनी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान, सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) या अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों की दिशा में नियोक्ता के अंशदान को ध्यान में रखते हुए देयता का प्रावधान करती है। इसे लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

11.3 परिभाषित हितलाभ योजनाएं

परिभाषित हितलाभ योजना एक रोजगार पश्चात् हितलाभ योजना है, जो एक परिभाषित अंशदायी योजना से भिन्न है।

कंपनी की देयता उपदान, छुट्टी हितलाभ, सेवा सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा हितलाभ को अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करवित्त वर्ष के अंत में बीमांकिक (एक्च्युरियल) मूल्यांकन आधार पर निर्धारित किया जाता है।

कंपनी की परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कुल बाध्यता का परिकलन प्रत्येक योजना के लिए अलग–अलग किया जाता है, जिसमें कर्मचारियों द्वारा वर्तमान एवं पूर्व की अवधियों में दी गई सेवाओं के बदले अर्जित भावी लाभों का आकलन किया जाता है। इस लाभ का निर्धारण करने हेतु उसके वर्तमान मूल्य को बट्टागत किया जाता है। पूर्व में किसी गैर–अभिस्वीकृत सेवा लागतों और किसी योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को घटाया जाता है। बट्टा दर को रिपोर्टिंग तारीख पर भारत सरकार की प्रतिभूतियों (जिनकी परिपक्वता तारीख कंपनी की बाध्यता की अवधि के सन्निकट होती है और जिनका अंकित मूल्य उसी मुद्रा में होता है जिसमें हितलाभों का भुगतान किया जाना होता है) की वर्तमान बाजार ईल्ड के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

बाध्यता का परिकलन वार्षिक रूप से एक अर्हक एक्च्युवरी द्वारा किया जाता है जिसके लिए अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जब परिकलन, कंपनी पर एक देयता के रूप में प्रतिफलित होते हैं, तब देयता के वर्तमान मूल्य को कर्मचारी, हितलाभ के लिए प्रावधान के रूप में अभिस्वीकृत किया जाता है। ओसीआई में कोई भी बीमांकिक (एक्च्युरियल) लाभों या हानियों को उस अवधि में अभिस्वीकृत किया जाता है, जिसमें वे घटित होते हैं।

11.4 कर्मचारियों के दीर्घकालिक हितलाभ

कंपनी के छुट्टी नकदीकरण के तहत हितलाभों के अंतर्गत कर्मचारियों के अन्य दीर्घकालिक हितलाभ होते हैं। छुट्टी नकदीकरण का निर्धारण वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध छुट्टी हकदारी तथा बीमांकिक (एक्च्युरियल) मूल्यन पर किया जाता है जिसमें अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग किया जाता है।

छुट्टी नकदीकरण के संबंध में कंपनी की निवल बाध्यता की राशि भावी हितलाभ है जो कर्मचारियों ने वर्तमान एवं पूर्व की अवधियों में दी गई सेवा के बदले अर्जित किया होता है। इस हितलाभ को उसके वर्तमान मूल्य के निर्धारण हेतु बट्टागत किया जाता है, और कोई भी संबंधित परिसंपत्ति का उचित मूल्य घटाया जाता है। बट्टा दर को रिपोर्टिंग तारीख पर भारत सरकार की प्रतिभूतियों (जिनकी परिपक्वता तारीख कंपनी की बाध्यता की अवधि के सन्निकट होती है) की वर्तमान बाजार ईल्ड के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कोई भी बीमाकिंक (एक्च्युरियल) लाभ या हानि को उस अवधि के लाभ या हानि विवरण में अभिस्वीकृत किया जाता है, जिसमें वे घटित होते हैं।

बाध्यताओं को तुलन–पत्र में वर्तमान देयताओं के रूप में दर्शाया गया है, यदि कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह तक निपटान को स्थगित करने का सप्रतिबंध अधिकार नहीं होता है, चाहे वास्तविक निपटान कभी भी घटित हो।

11.5 प्रतिनियुक्ति

कंपनी में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के छुट्टी नकदीकरण और अधिवर्षिता हितलाभों के संबंध में देयता को मूल संगठनों के प्रतिनियुक्ति की निबंधन एवं शर्तों के आधार पर अभिलेखित किया जाता है।

12 विदेशी मुद्रा लेनदेन एवं अनुलेखन

विदेशी मुद्राओं में लेन–देनों को प्रारंभ में उस तारीख में कार्यात्मक मुद्रा स्पॉट दरों पर अभिलेखित किया जाता है, जिस दिन लेन–देन अभिस्वीकृति के लिए पहली बार अर्हक होता है।

विदेशी मुद्राओं में मूल्य वर्गित आर्थिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को रिपोर्टिंग तारीख पर विनिमय के कार्यात्मक मुद्रा स्पॉट दरों पर विनिमय किया जाता है। आर्थिक मदों के निपटान या विनिमय में घटित विनिमय अंतरों को उस वर्ष के लाभ या हानि में अभिस्वीकृत किया जाता है जिसमें वे घटित होते हैं।

गैर–आर्थिक मदों को विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के आधार पर आकलित कर लेन–देन की तारीख पर विनिमय किया जाता है जिसमें विनिमय दर का प्रयोग किया जाता है।

13. आयकर

आयकर खर्च में वर्तमान एवं आस्थगित कर शामिल होता है। वर्तमान कर खर्चे को लाभ या हानि में उस सीमा तक अभिस्वीकृत किया जाता है, जहां तक वह अन्य संपूर्ण आय (ओसीआई) या इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से अभिस्वीकृत मदों से संबंधित होता है, ऐसी स्थिति में उसे ओसीआई या इक्विटी में अभिस्वीकृत किया जाता है।

वर्तमान कर, वर्ष के लिये कर योग्य आय पर देय प्रत्याशित कर है, जिसे लागू कर दरों या रिपोर्टिंग तारीख पर पर्याप्त रूप से अधिनियमित और लागू कर दरों का प्रयोग किया जाता है और पूर्व के वर्षों के संबंध में देय किसी भी कर का समायोजन किया जाता है।

आस्थगित कर को तुलन पत्र विधि का प्रयोग कर अभिस्वीकृत किया जाता है और वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजनार्थ परिसंपत्तियों एवं देयताओं की अग्रनयन राशियों में अस्थायी अंतरों के लिए प्रावधान किया जाता है तथा कराधान प्रयोजनों के लिए राशियों का उपयोग किया जाता है। आस्थगित कर का आकलन उन कर दरों पर किया जाता है जिन्हें उनके रिवर्स होने पर ऐसे कानूनों के आधार पर अस्थायी अंतरों के साथ लागू किया जाता है, जिन्हें रिपोर्टिंग तारीख से पहले अधिनियमित या पुरजोर तरीके से अधिनियमित किया गया है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को तब ऑफसेट किया जाता है, यदि वर्तमान कर देयताओं एवं परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने का कानूनी प्रवर्तन संबंधी अधिकार होता है और वे समान कर प्राधिकारी द्वारा लगाए गए आय करों से संबंधित होते हैं।

आस्थगित कर को लाभ या हानि में अभिस्वीकृत किया जाता है, सिवाय इस सीमा तक की जहां तक वह ओसीआई या इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से अभिस्वीकृत मदों से संबंधित है और ऐसी स्थिति में उसे ओसीआई या इक्विटी में अभिस्वीकृत किया जाता है।

किसी आस्थगित कर परिसंपत्ति को उस सीमा तक अभिस्वीकृत किया जाता है जहां तक यह संभावना हो कि भावी कर लाभ कंपनी को उपलब्ध होंगे जिसके विपरीत अस्थायी अंतर का उपयोग किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर की जाती है और उसे उस सीमा तक घटाया जाता है जब यह संभावना हो कि संबद्ध कर लाभ की वसूली न हो पाए।

लाभांशों के वितरण से प्राप्त अतिरिक्त आयकरों को उस समय पर अभिस्वीकृत किया जाता है जब संबद्ध लाभांश को भुगतान करने की देयता को अभिस्वीकृत किया जाता है।

14. पट्टा

14.1. वित्त पट्टों के लिए लेखाकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के पट्टों को, जहां कंपनी के समक्ष एक पट्टेदार के रूप में स्वामित्व के सभी व्यापक जोखिम और रिवार्ड हैं, वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आरंभिक अभिस्वीकृति पर, वित्त पट्टों के तहत भारी परिसंपत्तियों को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में अभिलेखित किया जाता है और संबद्ध देयता को उधारों के तहत अभिस्वीकृत किया जाता है।

पट्टे के आरंभ में, वित्त पट्टों को पट्टेगत परिसंपत्ति के उचित मूल्य या, यदि उससे कम, की न्यूनतम पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य के बराबर की राशियों पर अभिलेखित किया जाता है। वित्त पट्टों के अंतर्गत किये गये न्यूनतम पट्टा भुगतानों को वित्त खर्चे तथा बकाया देयता में कटौती के बीच विनियोजित किया जाता है।

वित्त खर्चे को पट्टे की प्रत्येक अवधि के दौरान आवंटित किया जाता है ताकि शेष देयता के ब्याज की निरंतर आवधिक दर प्रोड्यूस की जा सके।

14.2. प्रचालनीय पट्टों का लेखाकरण

पट्टों पर अधिग्रहित की गई परिसंपत्तियों, जहां स्वामित्व का काफी जोखिम एवं रिवार्ड होता है, को पट्टेदार द्वारा धारित किया जाता है और उन्हें प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पट्टा किरायों को पट्टे के अनुबंधों के आधार पर पट्टे की अवधि के दौरान राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

पट्टे अवधि के आरंभ में अदा की गई एक मुश्त राशि को अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों के शीर्ष के तहत आस्थगित राजस्व व्यय के रूप में अभिस्वीकृत किया जाता है और पट्टे अवधि के दौरान लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

आरंभिक प्रत्यक्ष लागतों को उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है, जिसमें उन्हें खर्च किया गया हो।

15. गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों का ह्रास

कंपनी की गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की अग्रनयन राशियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर यह निर्धारित करने के लिए की जाती है कि क्या इंड एएस 36 'परिसंपत्तियों का ह्रास के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों का कोई ह्रास होने की कोई संभावना तो नहीं है। यदि इस प्रकार की कोई संभावना होती है, तब परिसंपत्ति की वसूले जाने वाली राशि का आकलन किया जाता है। वसूले जाने वाली परिसंपत्ति की राशि अपने उचित मूल्य से अधिक होती है, जिसमें से उसके निस्तारण तथा उपयोग में उसके मूल्य संबंधी लागतों को घटाया जाता है। उपयोग में परिसंपत्ति का मूल्य निर्धारण, आकलित भावी नकदी प्रवाहों को पूर्व कर बट्टा दर का प्रयोग करते हुए उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टागत किया जाता है, जो राशि की टाइम वैल्यू के वर्तमान बाजार आकलनों तथा परिसंपत्ति–विशिष्ट जोखिमों को परिलक्षित करता है।

किसी परिसंपत्ति की ह्रास संबंधी हानि को तब अभिस्वीकृत किया जाता है, जब परिसंपत्ति की अग्रनयन राशि उसकी वसूले जाने वाली राशि से अधिक होती है। ह्रास संबंधी हानियों को लाभ या हानि में अभिस्वीकृत किया जाता है। ह्रास संबंधी हानियों को पूर्ववर्ती अवधियों में प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर इसलिए आकलित किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि हानि कम हुई है या हुई ही नहीं है।

ह्रास संबंधी हानि को तब रिवर्स किया जाता है, यदि वसूले जाने वाली राशि निर्धारित करने हेतु प्रयुक्त आकलनों में कोई परिवर्तन होता है। ह्रास संबंधी हानि को उस स्तर तक तभी रिवर्स किया जाता है जब परिसंपत्ति की अग्रनयन राशि मूल्यह्रास या ऋणमुक्ति के आधार पर निर्धारित अग्रनयन राशि से अधिक न हो, यदि कोई ह्रास संबंधी हानि अभिस्वीकृत नहीं की गई है।

16. पूर्ववर्ती अवधि में सारवान् त्रुटियां

पूर्ववर्ती अवधि में सारवान् त्रुटियों को पूर्वव्यापी तारीख से संशोधित किया जाता है, जिसके लिए तुलनात्मक राशियों को उन प्रस्तुत अवधियों के लिए पुनः दर्शाया जाता है, जिसमें त्रुटि हुई है। यदि त्रुटि प्रस्तुत अवधि से पहले हुई है, तब प्रस्तुत पूर्ववर्ती अवधि के संबंध में परिसंपत्तियों के अथ शेषों, देयताओं और इक्विटी को पुनः दर्शाया जाता है।

17. प्रति शेयर उपार्जन

प्रति शेयर मूल उपार्जन की संगणना वित्त वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों से सबंधित निवल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है।

तनुकृत प्रति शेयर उपार्जन की संगणना प्रति इक्विटी शेयर मूल उपार्जन प्राप्त करने हेतु विचार किये गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या तथा उन इक्विटी शेयरों, जिन्हें सभी तनुकृत संभावित इक्विटी शेयरों के परिवर्तन के बाद निर्गमित किया गया हो, को कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों से संबंधित निवल लाभ या हानि को विभाजित कर की जाती है।

18. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण को इंड एएस 7 'नकदी प्रवाह विवरण' में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया जाता है।

19. वित्तीय प्रपत्र

वित्तीय प्रपत्र एक ऐसा करार होता है, जो एक कंपनी की वित्तीय परिसंपत्ति सृर्जित करता है, और दूसरी कंपनी के लिए वित्तीय देयता या इक्विटी प्रपत्र सृर्जित करता है।

19.1. वित्तीय परिसम्पत्तियां

आरंभिक अभिस्वीकृति और आकलन

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उनके उचित मूल्य प्लस, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर गैर–अभिलेखित वित्तीय परिसंपत्तियों की स्थित में, ट्रांजक्शन लागतों पर अभिस्वीकृत किया जाता है, जो कि वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण या निर्गम से संबंधित हो।

अनुवर्ती आकलन

परिशोधित लागत पर ऋण प्रपत्र

किसी 'ऋण प्रपत्र' का आकलन परिशोधित लागत पर किया जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं;

(क) परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के भीतर धारित किया जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाहों के संग्रहण के लिए परिसंपत्तियां धारित करना होता है, और

(ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्धारित तारीखों पर नकदी प्रवाहों को बढ़ाती हैं, जो बकाया मूल राशि पर मात्र मूल एवं ब्याज राशियां (एसपीपीआई) होती हैं।

प्रत्येक आकलन के पश्चात, कथित वित्तीय परिसंपत्तियों को तत्पश्चात ईआईआर पद्धति का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जा सकता है। परिशोधित लागत का परिकलन परिसंपत्ति के अधिग्रहण पर कोई बट्टा या प्रीमियम और शुल्क या लागतों, जो कि ईआईआर का अभिन्न भाग होती हैं, को ध्यान में रखकर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्त आय में शामिल किया जाता है। परिसंपत्ति के ह्रास से हुई हानि को लाभ या हानि विवरण में अभिस्वीकृत किया जाता है। यह श्रेणी सामान्य रूप से व्यापार एवं अन्य प्राप्यों पर लागू होती हैं।

एफवीटीओसीआई (ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य) पर ऋण प्रपत्र

किसी 'ऋण प्रपत्र' को एफवीटीओसीआई के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, जब निम्नलिखित दोनों मानदंडों की पूर्ति की जाती है।

(क) बिजनेस माडॅल के उदद्श्ेय को संविदात्मक नकदी प्रवाह का सग्रंहण कर और वित्तीय परिसपंत्तियों का विक्रय कर हासिल किया जाता है, और

(ख) परिसंपत्ति के संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के अंतर्गत शामिल ऋण प्रपत्रों का आकलन आरंभ में तथा उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग के समय पर किया जाता है। उचित मूल्य घटनाक्रमों को ओसीआई में अभिस्वीकृत किया जाता है। तथापि, कंपनी ब्याज आय, ह्रास संबंधी हानि एवं रिवर्सल तथा विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को लाभ एवं हानि विवरण में अभिस्वीकृत करती है। परिसंपत्ति को अभिस्वीकृत नहीं किये जाने पर पूर्व में ओसीआई में अभिस्वीकृत संचयी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि में इक्विटी से पुनः वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण प्रपत्र धारण करते हुए अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का प्रयोग कर ब्याज आय के रूप में दर्शाया जाता है।

एफवीटीपीएल (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य) पर ऋण प्रपत्र

एफवीटीपीएल ऋण प्रपत्रों के लिए एक अपशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण प्रपत्र, जो ऋणमुक्ति लागत या एफवीटीओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के लिए मानदंड की पूर्ति नहीं करता है, को एफवीटीपीएल पर वर्गीकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी किसी ऋण प्रपत्र को वर्गीकृत करने के विकल्प का प्रयोग कर सकती है, जो अन्यथा एफवीटीपीएल पर परिशोधित लागत एफवीटीओसीआई मानदंड की पूर्ति करता है। तथापि, इस प्रकार के विकल्प की अनुमति तभी होती है जब वैसा करने में आकलन या अभिस्वीकृति की अनियमितता (जिसे 'लेखाकरण विसंगति' कहा जाता है) कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। एफवीटीपीएल श्रेणी के अंतर्गत शामिल ऋण प्रपत्रों को लाभ एवं हानि में अभिस्वीकृत समस्त परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर आकलित किया जाता है।

इक्विटी निवेश

संयुक्त उद्यमों एवं सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेशों को लागत पर आकलित किया जाता है।

अभिस्वीकृत नहीं करना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का कोई भाग, या समान वित्तीय परिसंपत्तियों की कंपनी का कोई भाग) को मुख्य रूप से अभिस्वीकृत नहीं किया जाता है (यानी कंपनी के तुलन–पत्र से हटा दिया जाता है) जब;

- परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है, या
- कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकार को हस्तांतरित कर दिया है या 'पास–थ्रू' व्यवस्था के तहत किसी तृतीय पक्षकार को कोई सारवान् विलंब के संपूर्ण रूप से प्राप्त नकदी प्रवाहों का भुगतान करने की बाध्यता को स्वीकार किया है; और

(क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और रिवार्ड को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित कर दिया है, या

(ख) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों एवं रिवार्ड को पर्याप्त रूप से न तो हस्तांतरित किया है और न ही धारित किया है, लेकिन परिसंपत्ति के नियंत्रण का हस्तांतरण किया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का ह्रास

इंड एएस 109 के अनुसार, कंपनी ने निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और ऋण जोखिम एक्सपोजर पर परिसंपत्ति की हानि के आकलन एवं अभिस्वीकृति के लिए प्रत्याशित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल का अनुसरण किया है:

(क) ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां, जो ऋण प्रपत्र हैं और जिन्हें ऋणमुक्ति लागत अर्थात ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापार एवं बैंक बैलेंस पर मापा जाता है।

(ख) ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां, जो ऋण प्रपत्र हैं और जिन्हें एफवीटीओसीआई पर आकलित किया जाता है।

(ग) इंड एएस 17 के तहत प्राप्य पट्टा।

(घ) इंड एएस 115 के तहत प्राप्य व्यापार।

(ङ) ऋण प्रतिबाध्यताएं जिन्हें एफवीटीपीएल पर आकलित नहीं किया जाता है।

(च) वित्तीय गारंटी संविदाएं, जिन्हें एफवीटीपीएल पर आकलित नहीं किया जाता है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और जोखिम एक्सपोजर पर परिसंपत्ति की हानि की अभिस्वीकृत के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि क्या आरंभिक अभिस्वीकृति के पश्चात ऋण जोखिम में कोई भारी वृद्धि हुई है या नहीं। यदि ऋण जोखिम में काफी वृद्धि नहीं हुई है, तो ह्रास हानि के प्रावधान के लिए 12 माह के ईसीएल का उपयोग किया जाता है। तथापि, यदि ऋण जोखिम में भारी वृद्धि हुई है, तब लाइफ टाइम ईसीएल का प्रयोग किया जाता है। यदि, अनुवर्ती अवधि में, प्रपत्र की ऋण गुणवत्ता में ऐसा सुधार आता है कि आरंभिक अभिस्वीकृत के पश्चात ऋण जोखिम में कोई भारी वृद्धि नहीं हुई है, तब कम्पनी 12 माह के ईसीएल के आधार पर ह्रास हानि की अभिस्वीकृत के प्रावधान के लिए प्रविष्टि को रिवर्स करती है।

19.2 वित्तीय देयताएं

आरंभिक अभिस्वीकृति एवं आकलन

वित्तीय देयताओं को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर आरंभिक अभिस्वीकृति के समय पर वित्तीय देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। समस्त वित्तीय देयताओं को उधारों के मामले में प्रत्यक्ष रूप से कुल ट्रांजेक्शन लागतों की स्थिति में आरंभ में उचित मूल्य पर अभिस्वीकृत किया गया है। कंपनी की वित्तीय देयताओं में बैंक ओवर ड्राफ्ट सहित व्यापार एवं अन्य देय, उधार शामिल हैं।

अनुवर्ती आकलन

वित्तीय देयताओं का आकलन उनके वर्गीकरण पर आधारित होता है, जैसा कि नीचे वर्णन किया गया है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

आरंभिक आकलन के पश्चात, उक्त वित्तीय देयताओं को बाद में परिशोधित लागत पर आकलित किया जाता है जिसमें ईआईआर पद्धति का प्रयोग किया जाता है। लाभ एवं हानियों को लाभ या हानि विवरण में तब अभिस्वीकृत किया जाता है, जब देयताओं को अभिस्वीकृत किया

जाता है और ईआरआर परिशोधन प्रक्रिया के जरिये स्वीकृत किया जाता है। परिशोधित लागत का परिकलन अधिग्रहण पर कोई बट्टा या प्रीमियम तथा ऐसे शुल्कों या लागतों, जो कि ईआईआर का अभिन्न भाग हैं, को ध्यान में रखकर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्तीय लागतों में शामिल किया जाता है। यह श्रेणी सामान्यतः उधारों, व्यापार देयों तथा अन्य संविदात्मक देयताओं के लिए लागू होती है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं के अंतर्गत कारोबार के लिए धारित वित्तीय देयताएं तथा लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर आरंभिक अभिस्वीकृति के समय पर अभिलेखित वित्तीय देयताएं आती हैं। वित्तीय देयताओं को कारोबार के लिए 'धारित के रूप में' वर्गीकृत किया जाता है, यदि उन्हें निकट भविष्य में पुनः क्रय के प्रयोजनार्थ खर्च किया जाता है।

कारोबार के लिए धारित देयताओं पर लाभों एवं हानियों को लाभ या हानि विवरण में अभिस्वीकृत किया जाता है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर आरंभिक अभिस्वीकृति के समय पर अभिलेखित वित्तीय देयताओं को अभिस्वीकृति की आरंभिक तारीख पर तथा यदि इंड एएस 109 मानदंड की पूर्ति की जाती है, अभिलेखित किया जाता है। एफवीटीपीएल के रूप में अभिलेखित देयताओं, उचित मूल्य लाभ/हानियों, जो स्वयं के ऋण जोखिम में बदलाव के कारण घटित होती हैं, को ओसीआई में अभिस्वीकृत किया जाता है। इन लाभों/हानियों को बाद में लाभ एवं हानि विवरण में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। तथापि, कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को अंतरित कर सकती है। उच्च देयता के उचित मूल्य में सभी अन्य परिवर्तनों को लाभ या हानि विवरण में अभिस्वीकृत किया जाता है। कंपनी ने लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर कोई वित्तीय देयता अभिलेखित नहीं की है।

अभिस्वीकृत नहीं किया जाना

किसी वित्तीय देयता को तब अभिस्वीकृत नहीं किया जाता है, जब देयता की बाध्यता का निर्वहन या निरस्तीकरण किया जाता है या वह समाप्त हो जाती है। जब किसी वर्तमान वित्तीय देयता को पर्याप्त रूप से भिन्न शर्तों पर समान ऋणदाता द्वारा दूसरी देयता से प्रतिस्थापित किया जाता हैं, या किसी वर्तमान देयता की शर्तों को व्यापक रूप से संशोधित किया जाता है, तब इस प्रकार के विनिमय या संशोधन को आरंभिक देयता की अभिस्वीकृति के रूप में और एक नई देयता की अभिस्वीकृति के रूप में दर्शाया जाता है। संबद्ध अग्रनयन राशियों में अंतर को लाभ या हानि विवरण में अभिस्वीकृत किया जाता है।

20. प्रचालन क्षेत्र

इंड एएस 108 के अनुसार प्रचालन क्षेत्रों, जिन्हें वर्तमान क्षेत्र की सूचना प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किया जाता है, की पहचान कंपनी प्रबंधन द्वारा क्षेत्रों में संसाधनों के आवंटन तथा उनके निष्पादन का आकलन करने हेतु प्रयुक्त आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है। निदेशक मंडल सामूहिक रूप से कंपनी का 'मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता' या इंड एएस 108 के अर्थ के अंतर्गत 'सीओडीएम' होता है। आंतरिक रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त संकेतक स्थापित निष्पादन मूल्यांकन उपायों के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं।

सीओडीएम को रिपोर्ट किये गये क्षेत्र के परिणामों के अतर्गत ऐसी मदें आती हैं जो किसी क्षेत्र–विशेष से संबंधित होती हैं और जिन्हें उपयुक्त आधार पर आवंटित किया जा सकता है। गैर–आवंटित मदों में मुख्यतः कॉरपोरेट व्यय, वित्त व्यय और आयकर व्यय शामिल होते हैं।

क्षेत्र–विशिष्ट से प्रत्यक्ष राजस्व को क्षेत्र से प्राप्त राजस्व के रूप में माना जाता है। क्षेत्र से संबंधित प्रत्यक्ष व्ययों तथा उपयुक्त आधार पर आवंटित सामान्य व्ययों को क्षेत्र संबंधी व्ययों के रूप में माना जाता है।

क्षेत्र संबंधी पूँजी व्यय के अंतर्गत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा गुडविल के अलावा, अमूर्त परिसंपत्तियां अधिग्रहित करने हेतु अवधि के दौरान खर्च की गई कुल लागतें आती हैं।

क्षेत्र संबंधी परिसंपत्तियों में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियां, व्यापार एवं अन्य प्राप्य, मालसूचियां तथा ऐसी परिसंपत्तियां शामिल होती हैं जिन्हें प्रत्यक्ष या उचित रूप से क्षेत्रों को आवंटित किया जाता है। वर्ष के लिए क्षेत्र की रिपोर्टिंग के प्रयोजनार्थ, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को संबंधित क्षेत्रों के कार्यों के लिए परिसंपत्तियों के उपयोग की परिसीमा के आधार पर क्षेत्रों को आवंटित किया गया है। क्षेत्र संबंधी परिसंपत्तियों में निवेश, आयकर परिसंपत्तियां, प्रगतिशील पूँजीगत कार्य, पूँजीगत अग्रिम, कॉरपोरेट परिसंपत्तियां तथा अन्य ऐसी वर्तमान परिसंपत्तियां शामिल नहीं होती हैं जिन्हें उचित रूप से क्षेत्रों को आवंटित नहीं किया जा सकता है।

क्षेत्र संबंधी देयताओं में क्षेत्र से संबंधित सभी प्रचालनगत देयताएं शामिल होती हैं और उनमें व्यापार एवं अन्य देय, कर्मचारी हितलाभ एवं प्रावधान सम्मिलित होते हैं। क्षेत्र संबंधी देयताओं में इक्विटी, आयकर, देयताएं, ऋण एवं उधार और अन्य देयताएं तथा ऐसे प्रावधान शामिल नहीं होते हैं जिन्हें उचित रूप से क्षेत्रों को आवंटित नहीं किया जा सकता है।

21 लाभांश

समूह के शेयरधारकों को भुगतान किये गये/देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तनों के रूप में अभिस्वीकृत किया जाता है, जिसमें उन्हें शेयरधारकों की बैठक तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

22. वितरण के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)

सेकी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है और वह संबद्ध स्वीकृति आदेशों की शर्तों के अनुसार एमएनआरई की विभिन्न योजनाओं के तहत सीएफए के वितरण का कार्य करती है।

एमएनआरई से प्राप्त सीएफए को अन्य वित्तीय वर्तमान देयता के अंतर्गत दर्शाया जाता है और इन निधियों पर अर्जित ब्याज को भी संबंधित सीएफए को क्रेडिट किया जाता है।

सीएफए को हासिल उपलब्धि तथा संबंधित स्वीकृति आदेशों के अनुसार संबंधित पक्षकारों को संवितरित किया जाता है।

23. भुगतान सुरक्षा निधि (पीएसएफ)

पिछले वर्ष तक, 750 मेगावाट, 2000 मेगावाट और 5000 मेगावाट के बारे में सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार भुगतान सुरक्षा निधि (पीएसएफ) स्थापित की गई है ताकि डेवलपरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने दिनांक 4 फरवरी, 2019 के अपने आदेश द्वारा वीजीएफ स्कीमों के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र दिशानिर्देश जारी किए हैं।

बैंक गारंटी (बीजी) के नकदीकरण, इस निधि पर अर्जित ब्याज, शीघ्र भुगतान के लिए प्रोत्साहन (शीघ्र भुगतान के लिए इस्तेमाल राशि के मामले में पीएसएफ से भुगतान किया गया है) और सरकारी अनुदान से प्राप्त राशि इस निधि में जमा कराई जाएगी और डेवलपरों/विद्युत उत्पादकों द्वारा देय प्रति यूनिट लेवी शुल्क (यदि कोई हो) भी इस निधि में जमा कराया जाएगा।

आदेश के अनुसार निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा

(क) क्रेता कंपनियों से भुगतान प्राप्त करने में विलंब की स्थिति में सौर परियोजना डेवलपरों को समय पर भुगतान करने के लिए।

(ख) दीर्घकालिक ओपन ऐक्सस के प्रयोजनार्थ ऋण/बैंक गारंटी के पत्र के रूप में, पारेषण प्रभार आदि, जिन्हें पीएसए/पीपीए पर हस्ताक्षर करने के समय पर परिकल्पित नहीं किया गया था, और लागू विनियमों के अनुरूप सीटीयू/एसटीयू के साथ हस्ताक्षर किये गये बल्क पावर ट्रांस्मिशन एग्रीमेंट (बीपीटीए) के अनुसार लागू प्रभारों की सुरक्षा के प्रावधान के लिए।

(ग) नीति/विनियामक मुद्दों/निर्णयों एवं पारेषण निष्कर्मण/ओपन ऐक्सस समस्याओं आदि के कारण क्रेताओं से प्रशुल्क की कम वसूली की स्थिति में सहमत पीपीए दर पर डेवलपरों को विभेदक राशि का भुगतान करने हेतु।

(घ) अल्पावधिक ओपन ऐक्सस प्रभारों, यथा लागू विनियमों के अनुसार देय का भुगतान करने हेतु।

(ङ) पीपीए/पीएसए/वीजीएफ सुरक्षाकरण की प्रचालनगत कठिनाइयों से उत्पन्न मुद्दों सहित स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित कानूनी वादों एवं माध्यस्थम् अधिनिर्णयों के कारण कोई भी प्रभार के भुगतान हेतु।

सौर ऊर्जा विकासकर्ताओं (एसपीडी) के साथ हस्ताक्षरित पीपीए की शर्तो के अनुसार, कुछ ऐसे मामले पाए गए हैं जिनमें देय प्रशुल्क को विभिन्न स्कीमों के तहत हस्ताक्षरित पीपीए से कम किया गया है। प्रशुल्क कम किये जाने के कारण सौर ऊर्जा के क्रय में कोई भी कम राशि को प्रत्यक्ष रूप से पीएसएफ खाते में क्रेडिट किया जा रहा है।

राज्य ऊर्जा लेखाकरण (एसईए)/क्षेत्रीय ऊर्जा लेखाकरण (आरईए)/संयुक्त मीटर रीडिंग (जेएमआर) के कारण ऊर्जा की बिक्री एवं क्रय की गई यूनिटों में घटित कोई भी अंतर को लेखाओं के अंतर्गत उपयुक्त रूप से अभिलेखित किया जाता है। क्रय की गई यूनिटों की तुलना में, अधिक विक्रय की गई यूनिटों की स्थिति में, अंतर को भुगतान सुरक्षा निधि (पीएसएफ) में क्रेडिट किया जाता है।

पारेषण कंपनियों को अदा किए गए भुगतान तथा पारेषण प्रभारों के लिए वितरण कंपनियों/क्रेता आपूर्तिकर्ताओं से सेकी द्वारा प्राप्त भुगतान में अंतर को पीएसएफ में भी अंतरित किया जाता है।

प्राप्त विस्तार राशि 2000 मेगावाट/5000 मेगावाट वीजीएफ स्कीमों के सम्बंध में एमएनआरई के दिशानिर्देशों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार क्रेडिट की जाएगी।

पीएसएफ लेखा में उपलब्ध निधि को वित्तीय देयताओं के रूप में वर्तमान देयताओं के तहत दर्शाया जाता है।

घ. आकलनों का उपयोग और प्रबंधन के अधिनिर्णय

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को अधिनिर्णय लेने, वित्तीय आकलन करने और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है, जो लेखाकरण नीतियों के अनुप्रयोग तथा परिसंपत्तियों पर रिपोर्ट किए गए मूल्य, देयताओं, आय, व्यय और संबद्ध मदों से संबंधित प्रकटनों तथा तुलन–पत्र की तारीख में आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को प्रभावित करते हैं। आकलन और प्रबंधन के अधिनिर्णय पूर्व के अनुभव तथा अन्य ऐसे कारकों पर आधारित होते हैं, जिन्हें स्थितियों के अनुसार उपयुक्त एवं प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

आकलनों और अंतर्निहित अनुमानों की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखाकरण आकलनों में संशोधनों को उस अवधि में, जिसमें आकलनों को संशोधित किया जाता है, और कोई भी प्रभावित भावी अवधि में अभिस्वीकृत किया जाता है। समेकित वित्तीय विवरणों की बेहतर जानकारी के लिए, लेखाकरण नीतियों का अनुसरण करने में आकलन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में सूचना, अनिश्चितता तथा महत्वपूर्ण अधिनिर्णय, जिनका वित्तीय विवरणों में अभिस्वीकृत राशियों पर अति महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, निम्न प्रकार हैं।

1. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उपयोगी लाइफ

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की आकलित उपयोगी लाइफ अनेक कारणों पर निर्भर करती है, जिनमें उनके पुराने हो जाने का प्रभाव, मांग, प्रतिस्पर्धा एवं अन्य आर्थिक कारक, जैसे कि उद्योग की स्थिरता और विख्यात प्रौद्योगिकी विकास और परिसंपत्तियों से प्रत्याशित भावी नकदी प्रवाह प्राप्त करने हेतु अपेक्षित रखरखाव व्ययों की आवश्यकता होती है, होते हैं। समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उपयोगी लाइफ की समीक्षा करती है और उसे उत्तरव्यापी रूप से समायोजित करती है, यदि उपयुक्त हो।

2. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वसूले जाने योग्य राशि

संयंत्र और उपकरण की वसूले जाने वाली राशि ऐसे आकलनों एवं अनुमानों पर आधारित होती है जिन्हें विशेष रूप से प्रत्याशित बाजार परिदृश्य तथा विद्युत संयंत्रों से संबद्ध भावी नकदी प्रवाहों के बारे में किया गया हो। इन अनुमानों में कोई भी परिवर्तनों का वसूले जाने योग्य राशि के आकलन पर सारवान् प्रभाव पड़ सकता है जिसके कारण परिसंपत्तियों का ह्रास हो सकता है।

3. रोजगार पश्चात् हितलाभ योजनाएं

कर्मचारी हितलाभ बाध्यताओं का आकलन बीमांकिक (एक्च्युरियल) अनुमानों के आधार पर किया जाता है, जिनमें मृत्यु एवं निकासी दरें तथा बट्टा दरों में भावी घटनाक्रमों, वेतन में वृद्धि की दर और मंहगाई दर से संबंधित अनुमान शामिल होते हैं। समूह का यह मानना है कि उसकी बाध्यताओं के आकलन हेतु उपयोग किए गए अनुमान उपयुक्त एवं प्रलेखित हैं। तथापि, इन अनुमानों में कोई भी परिवर्तन का परिणामी परिकलनों पर सारवान् प्रभाव पड़ सकता है।

4. राजस्व

समूह राजस्व को प्रशुल्क दरों, जैसा कि संबंधित करारों में विनिर्दिष्ट किया गया है, से तथा इंड एएस 115 के तहत उल्लेखित सिद्धांतों के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से अभिलेखित करती है। ऐसे मामलों में, जहां यूनिटों को अभिप्राप्त किया जाना होता है, अनंतिम यूनिटों को राजस्व की अभिप्राप्ति के प्रयोजनार्थ माना जाता है।

5. बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियां

इंड एएस 105 'बिक्री एवं अनिरंतर प्रचालनों के लिए धारित गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां' के तहत बिक्री के लिए धारित गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों के लेखाकरण का अनुसरण करने हेतु महत्वपूर्ण अधिनिर्णय की आवश्यकता होती है। इसकी अनुप्रयोज्यता का निर्धारण करने हेतु प्रबंधन ने परिसंपत्ति की शीघ्र बिक्री के लिए उसकी उपलब्धता का आकलन करने का अधिनिर्णय लिया है और प्रबंधन ने एक वर्ष के भीतर उनकी बिक्री तथा संभावित बिक्री की संभावना, यदि उनकी अग्रनयन राशि को निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री लेनदेन के जरिये सैद्धांतिक रूप से वसूला जाता है, की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

6. प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं की अभिस्वीकृति हेतु किए गए निर्धारण इंड एएस 37, 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां' के अनुसार किए गए हैं। आकस्मिक संभावित घटनाक्रमों के आकलन के लिए प्रबंधन से संभावित हानि के एक्सपोजर की प्रायिकता के संबंध में उपयुक्त अधिनिर्णय लेने की अपेक्षा की गई है। यदि अपूर्वदर्शी घटनाक्रमों में कोई परिवर्तन होता है, तो संभावित हानि में भी बदलाव हो सकता है।

7. गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों के ह्रास की जांच

संयुक्त उद्यमों में निवेश की वसूले जाने वाली राशि ऐसे अनुमानों एवं आकलनों पर आधारित होती है जो विशेष रूप से निवेशित कंपनी के कार्यों से संबद्ध भावी नकदी प्रवाहों से संबंधित होती है। इन अनुमानों में कोई भी परिवर्तन से वसूले जाने वाली राशि के आकलन पर सारवान् प्रभाव पड़ सकता है और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि हो सकती है।

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

टिप्पणी 2 : गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां–संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

31 मार्च, 2019 को

₹ लाख

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास, परिशोधन और क्षति				निवल बही मूल्य	
	01 अप्रैल 2018 को	परिवर्धन	कटौती / समायोजन	31 मार्च 2019 को	01 अप्रैल 2018 तक	वर्ष के लिए	कटौती / समायोजन	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
इमारतें	81.31	-	-	81.31	9.48	4.74	-	14.22	67.09	71.83
संयंत्र एवं मशीनरी	6,786.27	52.29	-	6,838.56	735.02	398.65	-	1,133.67	5,704.89	6,051.25
कम्प्यूटर एंड यूज़र डिवाइस	41.46	23.51	(3.40)	61.57	22.92	13.41	(0.99)	35.34	26.23	18.54
कम्प्यूटर सर्वर एवं नेटवर्क	6.50	-	-	6.50	2.41	1.09	-	3.50	3.00	4.09
फर्निचर एवं फिक्सचर–ऑफिस	7.65	4.70	(0.63)	11.72	1.75	1.71	-	3.46	8.26	5.90
मोटर कार	52.80	-	-	52.80	19.16	9.58	-	28.74	24.06	33.64
कार्यालय उपकरण	61.63	14.83	(0.52)	75.94	21.04	14.13	(0.01)	35.16	40.78	40.59
कुल	**7,037.62**	**95.33**	**(4.55)**	**7,128.40**	**811.78**	**443.31**	**(1.00)**	**1,254.09**	**5,874.31**	**6,225.84**

31 मार्च, 2018 को

₹ लाख

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास, परिशोधन और क्षति				निवल बही मूल्य	
	01 अप्रैल 2017 को	परिवर्धन	कटौती / समायोजन	31 मार्च 2018 को	01 अप्रैल 2017 तक	वर्ष के लिए	कटौती / समायोजन	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
इमारतें	81.31	-	-	81.31	4.74	4.74	-	9.48	71.83	76.57
संयंत्र एवं मशीनरी	5,973.89	812.54	(0.16)	6,786.27	346.82	388.20	-	735.02	6,051.25	5,627.07
कम्प्यूटर एंड यूज़र डिवाइस	36.17	6.76	(1.47)	41.46	13.17	10.94	(1.19)	22.92	18.54	23.00
कम्प्यूटर सर्वर एवं नेटवर्क	6.31	0.19	-	6.50	1.35	1.06	-	2.41	4.09	4.96
फर्निचर एवं फिक्सचर–ऑफिस	7.58	0.07	-	7.65	0.84	0.91	-	1.75	5.90	6.74
मोटर कार	52.80	-	-	52.80	9.58	9.58	-	19.16	33.64	43.22
कार्यालय उपकरण	44.78	18.12	(1.27)	61.63	9.99	11.95	(0.90)	21.04	40.59	34.79
कुल	**6,202.84**	**837.68**	**(2.90)**	**7,037.62**	**386.49**	**427.38**	**(2.09)**	**811.78**	**6,225.84**	**5,816.35**

टिप्पणियां :

2.1 लीज़होल्ड भूमि पर 67.09 लाख रुपये (31 मार्च, 2018 को –71.83 लाख रु.) का भवन निर्माण किया गया।

2.2 रामगिरी, आंध्र प्रदेश में स्थापित विंड मास्ट की पूंजीकरण के लिए संयंत्र और मशीनरी में अभिवृद्धि 49.56 लाख रु. है।

टिप्पणी 3 : गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां– कार्यशील पूंजी

31 मार्च, 2019 को ₹ लाख

विवरण	01 अप्रैल 2018 को	परिवर्धन (एडिशन)	कटौती / समायोजन	पूंजीगत	31 मार्च 2019 तक
10 मेगावाट डीआरडीओ(केआरईडीएल)					
पंजीकरण प्रभार	3.07	-	-	-	3.07
व्यवहार्यता अध्ययन	0.59	-	-	-	0.59
अन्य पेशेवर प्रभार	0.06	0.59	-	-	0.65
160 मेगावाट हाइब्रिड परियोजना					
पंजीकरण प्रभार	61.36	70.80	-	-	132.16
विज्ञापन	-	10.32			10.32
अन्य पेशेवर प्रभार	-	79.91	-	-	79.91
कुल	**65.08**	**161.62**	**-**	**-**	**226.70**

31 मार्च, 2018 को ₹ लाख

विवरण	01 अप्रैल 2017 को	परिवर्धन (एडिशन)	कटौती / समायोजन	पूंजीगत	31 मार्च 2018 तक
1 मेगावाट अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह					
याचिका दायर फीस	1.00	-	-	(1.00)	-
10 मेगावाट डीआरडीओ (केआरईडीएल)					
पंजीकरण प्रभार	-	3.07	-	-	3.07
व्यवहार्यता अध्ययन	-	0.59	-	-	0.59
अन्य पेशेवर प्रभार	-	0.06	-	-	0.06
160 मेगावाट हाइब्रिड परियोजना					
पंजीकरण प्रभार	-	61.36	-	-	61.36
कुल	**1.00**	**65.08**	**-**	**(1.00)**	**65.08**

टिप्पणी :

3.1 160 मेगावाट हाइब्रिड प्रोजेक्ट की कार्यशील पूंजी के अधीन 'अन्य पेशेवर प्रभार' में 25.58 लाख रु. (पिछले वर्ष–शून्य) की अभिवृद्धि ओनर इंजीनियर के रूप में परामर्शी सेवाएं देने के प्रति मैसर्स ट्रकटेबल इंजीनियरिंग प्रा. लि. को किए गए भुगतान के कारण है। ट्रकटेबल इंजीनियरिंग प्रा. लि. की सेवाएं 160 मेगावाट हाइब्रिड प्रोजेक्ट की स्थापना के प्रति इस्तेमाल की गई थी जिसके लिए ऋण और तकनीकी सहायता अनुदान के लिए करार पर विश्व बैंक के साथ अभी हस्ताक्षर होने हैं, यह राशि टीए अनुदान से विश्व बैंक से प्रतिपूर्ति हेतु है।

टिप्पणी 4 : गैर वर्तमान परिसंपत्तियां– अमूर्त परिसंपत्तियां

31 मार्च, 2019 को

₹ लाख

विवरण	सकल ब्लॉक				परिशोधन				निवल बही मूल्य	
	1 अप्रैल 2018 को	परिवर्धन	कटौती / समायोजन	31 मार्च 2019 को	1 अप्रैल 2018 तक	वर्ष के लिए	कटौती / समायोजन	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	76.19	7.80	(10.59)	73.40	31.59	15.85	(10.42)	37.02	36.38	44.60
कुल	**76.19**	**7.80**	**(10.59)**	**73.40**	**31.59**	**15.85**	**(10.42)**	**37.02**	**36.38**	**44.60**

31 मार्च, 2018 को

₹ लाख

विवरण	सकल ब्लॉक				परिशोधन				निवल बही मूल्य	
	1 अप्रैल 2017 को	परिवर्धन	कटौती / समायोजन	31 मार्च 2018 को	1 अप्रैल 2017 तक	वर्ष के लिए	कटौती / समायोजन	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	59.57	16.62	-	76.19	14.48	17.11		31.59	44.60	45.09
कुल	**59.57**	**16.62**	**-**	**76.19**	**14.48**	**17.11**	**-**	**31.59**	**44.60**	**45.09**

टिप्पणी 5 : गैर वर्तमान परिसंपत्तियां–विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

31 मार्च, 2019 को

₹ लाख

विवरण	1 अप्रैल, 2018 को	परिवर्धन	कटौती / समायोजन	पूंजीगत	31 मार्च, 2019 तक
मोबाइल एप्लीकेशन	1.11	-	-	-	1.11
ई – ऑफिस	-	14.19			14.19
कुल	**1.11**	**14.19**	**-**	**-**	**15.30**

31 मार्च, 2018 को

₹ लाख

विवरण	1 अप्रैल, 2017 को	परिवर्धन	कटौती / समायोजन	पूंजीगत	31 मार्च, 2018 तक
मोबाइल एप्लीकेशन	1.11		-	-	1.11
कुल	**1.11**	**-**	**-**	**-**	**1.11**

टिप्पणी 6 : गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां–संयुक्त उद्यमों में निवेश

संयुक्त उद्यम(ों) में निवेश

₹ लाख

इक्विटी शेयर में निवेश	शेयरों की संख्या वर्तमान वर्ष / (पिछले वर्ष)	शेयरों का अंकित मूल्य वर्तमान वर्ष / (पिछले वर्ष)	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	50,000 (50,000)	10 (10)	5.00	5.00
हिमाचल रिन्युएबल्स लिमिटेड	2,500 (2,500)	1,000 (1,000)	25.00	25.00
कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	5,00,000 (5,00,000)	10 (10)	50.00	50.00
लखनऊ सोलर पावर डेवलमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	5,00,000 (5,00,000)	10 (10)	50.00	50.00
रिन्युएबल पावर कॉरपोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड	5,000 (5,000)	1,000 (1,000)	50.00	50.00
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	10,000 (10,000)	1,000 (1,000)	100.00	100.00
कुल			**280.00**	**280.00**

6.1 संयुक्त उद्यम(ों) में निवेश लेखाकरण नीति संख्या. 1. ग. 19.1 के अनुसार लगाया गया है।

6.2 संयुक्त उद्यम की कंपनियों जैसे लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड एवं हिमाचल रिन्युएबल्स लिमिटेड के शेयरों में किया गया निवेश संबंधित संयुक्त उद्यम कंपनी के शामिल करने की तारीख से 5 वर्षों की परिबंधन अवधि के अध्यधीन है, इस अवधि के दौरान कंपनी संयुक्त उद्यम कंपनी में अपनी शेयरधारिता की बिक्री अथवा अंतरण नहीं कर सकती है।

टिप्पणी 7 : गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां–ऋण एवं अग्रिम

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
प्रतिभूमि जमा प्राप्य	5.04	317.04
कर्मचारियों को अग्रिम		
अग्रिम – प्रतिभूत	26.87	-
कुल	**31.91**	**317.04**

टिप्पणी 8 : अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
अग्रिम		
पूंजीगत अग्रिम	21,748.51	16,438.19
अन्य		
आस्थगित लीज किराया व्यय	171.26	177.68
आस्थगित राजस्व व्यय – प्रतिभूति जमा	16.00	72.49
आस्थगित राजस्व व्यय – कर्मचारियों को वाहन अग्रिम	5.69	-
कुल	**21,941.46**	**16,688.36**

8.1 पूंजीगत अग्रिम में किदवई नगर, नई दिल्ली में निर्मित वाणिज्यिक एवं आवासीय भवन के संबंध में एनबीसीसी को अग्रिम भुगतान के प्रति 19,619.29 रु. लाख (31 मार्च, 2017 को –16,422.18 लाख रुपये) और आंध्र प्रदेश में 160 मेगावाट सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए रामगिरी गांव में सौंपी गई 505.46 एकड़ भूमि और मुथुवाकुन्टला गांव में सौंपी गई 138.39 एकड़ भूमि की अनुग्रही राशि के प्रति जिला क्लेक्टर, अनन्तपुर को अदा की गई 2,120.71 लाख रु. (31 मार्च, 2018 को – शून्य) शामिल हैं। (संदर्भ टिप्पणी सं. 60)।

8.2 पूंजीगत अग्रिम में संबंधित पार्टियों के 19,622.74 लाख रु. (31 मार्च, 2018 को – 16,438.19 लाख रु.) शामिल हैं।

टिप्पणी 9 : वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां–व्यापार प्राप्तियां

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
ठीक मानी गई व्यापार प्राप्तियां – प्रतिभूत	-	-
ठीक मानी गई व्यापार प्राप्तियां – अप्रतिभूत	70,807.40	12,599.36
	70,807.40	**12,599.36**
व्यापार प्राप्तियां जिनमें ऋण जोखिमों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई ; और	46.00	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान (हानि)	**(28.75)**	-
	17.25	-
व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट हानि	149.29	7.98
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान (हानि)	(149.29)	(7.98)
	-	-
कुल	**70,824.65**	**12,599.36**

9.1 व्यापार प्राप्तियों में संबंधित पार्टियों के 615.42 लाख रुपये (31 मार्च, 2018 को –914.69 लाख रु.) शामिल हैं।

टिप्पणी 10: वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां – नकद एवं नकदी समतुल्य

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
बैंक में शेष (अर्जित ब्याज सहित)		
चालू खाते	32,015.96	18,601.34
कुल	**32,015.96**	**18,601.34**

10.1 चालू खातों में ऑटो स्वीप सावधि जमा और उस पर अर्जित ब्याज शामिल है।

टिप्पणी 11: वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां – नकद एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च 2018 को
बैंक में शेष (अर्जित ब्याज सहित)		
सावधि जमा जिसकी मूल परिपक्वता अवधि तीन माह से अधिक है, 12 महीनों में परिपक्व हो रही है	1,35,359.32	1,42,415.33
गैर–वर्तमान जमा के अलावा बैंक के पास निर्धारित सावधि जमा	35.43	35.48
कुल	**1,35,394.75**	**1,42,450.81**

11.1 बैंक में शेष (अर्जित ब्याज सहित) में मियादी जमा सहित निम्न शामिल है :

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
सरकारी अनुदान/निधि	44,461.61	62,368.35
प्रतिभूति तंत्र भुगतान (विस्तार राशि सहित)	57,379.80	52,361.19
निष्पादन गारंटी जमा	21,550.00	6,200.00
अन्य	12,003.34	21,521.27
कुल	**1,35,394.75**	**1,42,450.81**

टिप्पणी 12 : वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण एवं अग्रिम

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
कर्मचारियों को अग्रिम		
अग्रिम–प्रतिभूत	7.68	-
अग्रिम–अप्रतिभूति	7.42	6.24
अन्य को अग्रिम		
अप्रतिभूत	15.00	45.20
प्राप्ति योग्य राशि		
संबंधित पार्टियां	-	-
अन्य	102.38	155.38
प्राप्ति योग्य प्रतिभूति जमा	374.96	1.47
कुल	**507.44**	**208.29**

टिप्पणी 13 : वर्तमान परिसंपत्तियां – अन्य वितीय वर्तमान परिसंपत्तियां

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
बिल रहित राजस्व	41,296.16	15,619.36
बिल रहित ट्रांसमिशन प्रभार	313.23	312.98
अन्य	674.00	-
कुल	**42,283.39**	**15,932.34**

13.1 41,296.16 लाख रु. (31 मार्च, 2018 को 15,619.36 लाख रु.) के बिल रहित राजस्व में विद्युत की ब्रिक्री के प्रति 41,279.42 लाख रु. (31 मार्च, 2018 को 15,619.36 लाख रु.) का राजस्व शामिल है लेकिन पीएसए की शर्तों के अनुसार 31 मार्च, 2019 तक इनवाइस नहीं दी गई थी और व्यापार मार्जिन के शेयर के प्रति 16.74 लाख रु. (31 मार्च, 2018 को शून्य) का राजस्व शामिल है लेकिन 31 मार्च, 2019 तक इनवाइस नही दी गई।

13.2 बिल रहित ट्रांसमिशन प्रभारों में ट्रांसमिशन प्रभारों से संबंधित 313.23 लाख रु. (31 मार्च, 2018 को 312.98 लाख रु.) शामिल है, जिसके लिए 31 मार्च, 2019 तक इन्वाइस नही दी गई थी।

13.3 अन्यों में एमएनआरई से सब्सिडी प्राप्ति राशि से संबंधित 674.00 लाख रु. (31 मार्च, 2018 को शून्य) शामिल हैं जिसके लिए एमएनआरई से मंजूरी पत्र प्राप्त हुआ है लेकिन 31 मार्च, 2019 तक निधियां प्राप्त नहीं हुई थीं।

टिप्पणी 14 : वर्तमान परिसंपत्तियां – अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
अग्रिम		
संबंधित पार्टियां		
अप्रतिभूत	23.51	55.71
कर्मचारी		
अप्रतिभूत	1.74	6.46
अन्य		
अप्रतिभूत	0.35	0.55
राजस्व/सरकारी प्राधिकारी के पास शेष	29.55	15.79
आयकर रिफंड	207.39	438.82
प्रीपेड व्यय	17.28	17.30
अन्य	5.34	1.04
कुल	**285.16**	**535.67**

टिप्पणी 15 : वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
अग्रिम कर	5,450.00	-
टीडीएस प्राप्तियां	2,134.07	-
वर्तमान कर देयताएं	(7,095.31)	-
कुल	**488.76**	**-**

टिप्पणी 16: इक्विटी शेयर पूंजी

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
इक्विटी शेयर पूंजी		
अधिकृत		
प्रत्येक रु. 1000 अंकित मूल्य के 2,00,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2018 को प्रत्येक 1,000/– रु. अंकित मूल्य के 2,00,00,000 इक्विटी शेयर)	2,00,000	2,00,000
निर्गम एवं अभिदत्त		
प्रत्येक 1,000 रु. अंकित मूल्य के 60,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2018 को प्रत्येक 1,000 रु. अंकित मूल्य वाले 60,00,000 इक्विटी शेयर)	60,000	60,000
पूर्ण प्रदत्त		
प्रत्येक 1,000 रु. अंकित मूल्य के 35,40,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2018 को प्रत्येक 1,000 रु. अंकित मूल्य वाले 35,40,000 इक्विटी शेयर)	35,400	35,400

(क) वर्ष के आरंभ एवं अंत में बकाया इक्विटी शेयर पूंजी का मिलान:

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	35,40,000	35,400	30,40,000	30,400
वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	5,00,000	5,000
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	**35,40,000**	**35,400**	**35,40,000**	**35,400**

(ख) इक्विटी शेयर के साथ संबद्ध शर्तें एवं अधिकार:

कंपनी ने अपने शेयरधारकों को शेयर धारण अनुमात में केवल एक प्रकार के इक्विटी शेयर मतदान अधिकार के साथ जारी किए हैं। यह मतदान अधिकार शेयरधारकों की बैठक में प्रयोग किए जाने के लिए होता है। इसके साथ–साथ इक्विटी शेयर के धारक को समय–समय पर शेयरों पर लाभांश प्राप्त करने का हक भी होता है।

(ग) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयरधारकों का विवरण :

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	35,40,000	100%	35,40,000	100%

(घ) लाभांशः

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
(i) इक्विटी शेयर–वर्ष के दौरान भुगतान किया गया लाभांश		
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु अंतिम लाभांश प्रति पूर्ण प्रदत्त शेयर–5.20 रु. (31 मार्च, 2017 : 45.93 रु.)	184.22	1,396.13
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु अंतरिम लाभांश प्रति पूर्ण प्रदत्त शेयर – शून्य (31 मार्च, 2018 : 68.99 रु.)	-	2,442.30
(ii) इक्विटी शेयर – रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लाभांश जिसकी पहचान नहीं की गई	1,293.98	184.22
उपरोक्त लाभांश के अलावा, निदेशकों ने वर्ष के अंत से 36.55 लाख रु. (31 मार्च, 2018 : 68.99 रु.) के अंतिम लाभांश का प्रति इक्विटी शेयर का पूर्ण प्रदत्त भुगतान की सिफारिश की है। यह प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा।		

टिप्पणियां :

16.1 कंपनी के निगमन के समय, प्रत्येक 1000 रू के 60,00,000 इक्विटी शेयरों सबस्क्राइब हेतु ग्राहको को ज्ञापन और संस्था की अंतर्नियम जारी किये, जिसमें से ग्राहकों ने प्रत्येक 1000 रुपये के 35,40,000 इक्विटी शेयरों को सब्सक्राइबड किया गया और ग्राहकों द्वारा भुगतान भी किया गया। बाकी बचे हुए शेयरों को 31 मार्च 2019 तक सब्सक्राइब किया जाना है।

16.2 निवेश और जन संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के दिनांक 27 मई, 2016 के दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी के वर्ष 2018–19 के लिए 31.03.2019 को कुल कीमत का 5% अथवा कर उपरांत लाभ (पीएटी) का 30 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होगा। तथापि, स्वयं के बड़े पैमाने के सौर और अन्य नवीकरणीय परियोजनाओं की स्थापना के लिए कैपेक्स आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सेकी के दिनांक 14 फरवरी, 2019 के पत्र द्वारा एमएनआरई से पीएटी के 10% की दर से लाभांश अदा करने के लिए डीआईपीएएम से छूट देने का अनुरोध किया था और बाद में एमएनआरई ने दिनांक 10 जून, 2019 के पत्र द्वारा उक्त छूट के लिए डीआईपीएएम से अनुरोध किया था। तदनुसार, कर के बाद लाभ (पीएटी) के 10% के लाभांश का हिसाब 1,293.98 लाख रु. लगाया गया है और उस पर लाभांश कर 265.98 लाख रु. है। कंपनी ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश की 184.22 लाख रु. और उस पर निगमित लाभांश कर की 37.88 लाख रु. की शेष राशि अदा की हैं। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 1,293.98 लाख रुपये का अंतिम लाभांश और उस पर देय 265.98 लाख रुपये का निगमित लाभांश कर स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि प्रस्तावित लाभांश शेयर धारकों की मंजूरी के लिए आगामी वार्षिक आम सभा में रखा जाएगा।

टिप्पणी 17: अन्य इक्विटी

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
प्रतिधारित आय	20,995.45	8,284.48
कुल	**20,995.45**	**8,284.48**

प्रतिधारित आय

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
अथ शेष	8,284.48	6,430.89
जोड़ें: लाभ एवं हानि के विवरण के अनुसार वर्ष के लिए लाभ	12,939.82	6,472.29
घटाएं: भुगतान किया गया अंतिम लाभांश	(184.22)	(1,396.13)
घटाएं: भुगतान किए गए अंतिम लाभांश पर कर	(37.88)	(284.22)
घटाएं: भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश	-	(2,442.30)
घटाएं: भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश पर कर	-	(497.18)
प्रतिधारिता आय में प्रत्यक्ष पहचान की गई अन्य संपूर्ण आय की मदें		
परिभाषित लाभ योजनाओं पर निवल वास्तविक लाभ/(हानि), निवल कर	(6.75)	1.13
इति शेष	**20,995.45**	**8,284.48**

टिप्पणी 18 : गैर–वर्तमान देयताएं – अन्य वित्तीय देयताएं

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
निष्पादन गारंटी जमा	2,964.74	2,150.44
कुल	**2,964.74**	**2,150.44**

18.1 आरएफएस की शर्तों के अनुसार 2,964.74 लाख रु. (31 मार्च 2018 को 2,150.44 लाख रु.) की निष्पादन गारंटी जमा राशि में सौर ऊर्जा डेवलपर्स (एसपीडी) द्वारा जमा की गई राशि शामिल है।

टिप्पणी 19 : गैर–वर्तमान देयताएं – प्रावधान

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	385.04	308.63
कुल	**385.04**	**308.63**

19.1 इंड एएस 19 के अनुसार 'कर्मचारी हितलाभ' पर प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 37 में किया गया है।

टिप्पणी 20 : गैर–वर्तमान देयताएं – आस्थगित कर देयताएं

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
आस्थगित कर देयताएं	582.70	559.41
कुल	**582.70**	**559.41**

20.1 आस्थगित कर देयताओं में परिवर्तन

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
वर्ष के आरंभ में आस्थगित कर देयताएं	559.41	305.82
बही मूल्यह्रास एवं कर मूल्यह्रास में अंतर	62.86	437.78
कर्मचारी हितलाभ के संबंध में	19.85	(184.19)
अन्य के संबंध में	(59.42)	-
वर्ष के अंत में आस्थगित कर देयताएं	**582.70**	**559.41**

टिप्पणी 21: अन्य गैर–वर्तमान देयताएं

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
ग्राहकों से अग्रिम	602.06	349.17
कुल	**602.06**	**349.17**

21.1 लेखाकरण नीति के अनुसार अग्रिम में प्राप्त सफलता फीस के प्रति ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम में 602.06 लाख रु. (31 मार्च, 2018 को 349.17 लाख रु.) शामिल हैं। (टिप्पणी रु. 1.ग.9.2)

टिप्पणी 22 : वर्तमान वित्तीय देयताएं – व्यापार देयताएं

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
व्यापार देयताएं		
माइक्रों उद्यमों और लघु उद्यमों को देय कुल बकाया	-	-
माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा ऋणदाताओं को देय कुल बकाया	37,739.65	22,521.57
कुल	**37,739.65**	**22,521.57**

टिप्पणी 23 : वर्तमान देयताएं – अन्य वित्तीय देयताएं

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
विस्तारित राशि (संदर्भ टिप्पणी सं. 59)	-	11,614.76
एमएनआरई से प्राप्त अनुदान	81.14	6.20
पूंजीगत व्यय के प्रति देयताएं	0.91	168.70
व्यय के प्रति देयताएं	451.95	229.69
प्रतिभूति निधियों का भुगतान (संदर्भ टिप्पणी 58)	88,906.71	42,696.09
बिल रहित देयताएं – सौर ऊर्जा	39,669.98	15,370.30
प्रतिभूति जमा देयताएं	79.06	21.77
वितरण हेतु सब्सिडी	58,721.07	63,733.27
सब्सिडी देयताएं	1.22	-
अन्य देयताएं	282.52	290.37
कुल	**1,88,194.56**	**1,34,131.15**

23.1 कंपनी द्वारा जारी विभिन्न आरएफपी की शर्तों के अनुसार पार्टियों द्वारा जमा राशि के प्रति देय प्रतिभूति जमा देयताओं में 79.06 लाख रुपये (31 मार्च, 2018 को – 21.77 लाख रुपये) शामिल हैं।

23.2 आरएफएस की शर्तों के अनुसार विद्युत खरीद के प्रति बिल रहित देयताएं–सौर ऊर्जा में 39,669.98 लाख रुपये (31 मार्च, 2018 को 15,370.30 लाख रुपये) शामिल हैं लेकिन 31 मार्च, 2019 तक इनवॉयस जारी नहीं की गई।

23.3 आगे वितरण हेतु एमएनआरई से प्राप्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता के प्रति 58,721.07 लाख रु. (31 मार्च 2018 को 63,733.27 लाख रु.) के वितरण के लिए सब्सिडी है (लेखाकरण नीति 1 ग 22 का संदर्भ लें)। इसमें वर्ष के दौरान जमा ब्याज के 3,888.25 लाख रु. (31 मार्च, 2018 को 4,211.79 लाख रुपये) शामिल हैं।

टिप्पणी 24 : वर्तमान देयताएं – प्रावधान

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	668.05	811.65
कुल	**668.05**	**811.65**

24.1 कर्मचारी हितलाभ पर इंड एएस 19 के अनुसार प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 37 में बताया गया है।

टिप्पणी 25 : वर्तमान देयताएं– अन्य वर्तमान देयताएं

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
ग्राहकों अन्य से अग्रिम	1,702.11	651.90
अन्य से अग्रिम	897.76	2,161.70
प्रतिभूति जमा	76.24	75.27
सांविधिक देय राशियां	150.25	965.29
अनोपार्जित निधि रख रखाव फीस–एमएनआरई	329.28	79.76
अन्य देयताएं	871.39	109.63
कुल	**4,027.03**	**4,043.55**

25.1 लेखाकरण नीति के अनुसार सफलता शुल्क के प्रति ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम में 761.77 लाख रुपये (31 मार्च, 2018 को 369.41 लाख रुपये) शामिल हैं (देखें बिन्दु संख्या 1.ग.9.2)।

25.2 अन्यों से प्राप्त अग्रिम में अरूणाचल प्रदेश में गांवों के ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त हुई अग्रिम राशि के प्रति 897.76 लाख रुपये (31 मार्च, 2018 को 1,979.74 लाख रुपये) की राशि और दो सीपीएसयू के सीएसआर कार्यकलाप के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त अग्रिम राशि के प्रति शून्य (31 मार्च, 2018 को 181.96 लाख रुपये) राशि शामिल है।

25.3 अन्य देयताओं में मैसर्स वेलस्पुन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भुगतान की गई 648.00 लाख रु. की राशि शामिल है जिसे विवाद के अधीन प्राप्त राशि के रूप में हिसाब में लिया गया है, उक्त राशि ब्याज के खाते में रखी गई है और 31 मार्च, 2019 तक उस पर अर्जित ब्याज 5.59 लाख रु. है। दोनों राशि आस्थगित रखी गई है और न्यायालय के निदेशों के आधार पर तदनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी (संदर्भ टिप्पणी सं. 63)

टिप्पणी 26 : वर्तमान कर देयताएं

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
वर्तमान कर देयताएं	-	3,630.53
अग्रिम कर	-	(2,234.00)
टीडीएस प्राप्य	-	(1,329.77)
कुल	**-**	**66.76**

टिप्पणी 27 : आस्थगित राजस्व

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
आस्थगित आय–रूफटॉप के लिए अनुदान	416.33	434.32
आस्थगित राजस्व आय–निष्पादन गारंटी जमा	18,230.56	4,888.71
कुल	**18,646.89**	**5,323.03**

27.1 अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में 1 मेगावाट रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र के संबंध में एमएनआरई से प्राप्त सरकार के अनुदान के प्रति 416.33 लाख रुपये (31 मार्च, 2018 को 434.32 लाख रुपये) आस्थगित आय–रूफटॉप के लिए अनुदान है।

टिप्पणी 28 : प्रचालनों से राजस्व

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
विद्युत बिक्री	3,08,112.01	1,05,140.86
सेवा बिक्री	13,479.22	8,222.67
अन्य प्रचालन आय	1,921.38	2,454.21
कुल	**3,23,512.61**	**1,15,817.74**

टिप्पणियां :

28.1 विद्युत की बिक्री निवल रिबेट है जो 32.93 लाख रुपये बैठती है (31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 27.41 लाख रुपये)

28.1.1 विद्युत की बिक्री में 41,279.42 लाख रुपये की अनन्तिम बिल रहित बिक्री शामिल है (31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 15,619.36 लाख रुपये) जिसके लिए पीएसए की शर्तों के अनुसार बिल अगले माह में प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

28.2 सेवाओं की बिक्री में निम्नलिखित शामिल है :

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
परामर्शी आय	1,105.41	457.55
परियोजना निगरानी शुल्क	11,534.31	7,192.53
अन्य	839.50	572.59
कुल	**13,479.22**	**8,222.67**

28.2.1 अन्यों में पीटीसी के साथ विंड पावर प्रोजेक्ट कान्ट्रेक्ट के संबंध में 0.07 पैसे प्रति यूनिट के 25.50% (कर सहित) की दर से 16.74 लाख रु. (31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए शून्य) के व्यापार मार्जिन शेयर का अनन्तिम बिल रहित राजस्व शामिल है जिसके लिए बिल आगामी महीने में प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

28.3 अन्य प्रचालन आय में निम्नलिखित शामिल है :

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
निविदा शुल्क	1,212.93	1,835.37
रूफटॉप–अन्य प्राप्तियां (सदंर्भ टिप्पणी सं. 64)	221.62	567.15
आस्थगित आय से अभिज्ञात – सरकारी अनुदान	17.99	15.68
विविध	468.84	36.01
कुल	**1,921.38**	**2,454.21**

टिप्पणी 29: अन्य आय

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज से आय	2,097.88	1,643.05
आस्थगित राजस्व आय निष्पादन गारंटी जमा से अभिज्ञात	664.74	99.67
प्रतिभूति जमा प्राप्य पर छूट का मोचन	59.61	26.89
संयुक्त उद्यम के प्राप्त लाभांश	85.44	-
अन्य गैर–प्रचालन आय	5.71	3.80
कुल	**2,913.38**	**1,773.41**

29.1 ब्याज से आय में 2,053.03 लाख रुपये (31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 1,643.05 लाख रुपये) एफडीआर पर ब्याज सम्मिलित हैं।

टिप्पणी 30 : सौर विद्युत की खरीद

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
सौर विद्युत की खरीद	3,00,733.78	1,02,664.09
कुल	**3,00,733.78**	**1,02,664.09**

30.1 विद्युत खरीद में 1,509.74 लाख रुपये (31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए–शून्य) की निवल छूट है।

30.2 विद्युत खरीद में 39,667.75 लाख रुपये की आनन्तिम बिल रहित खरीद सम्मिलित है (31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 15,370.30 लाख रुपये) जिसके लिए बिल पीपीए की शर्तों के अनुसार अगले माह में प्राप्त किए जा रहे हैं।

टिप्पणी 31 : कर्मचारी हितलाभ व्यय

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ	1,433.32	1,470.45
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	191.84	189.35
कर्मचारी कल्याण	11.59	25.13
कुल	**1,636.75**	**1,684.93**

31.1 वेतन, मजदूरी, भत्तों तथा लाभों एवं निधियों में अंशदान में पीआरपी के लिए प्रावधान शामिल हैं। (संदर्भ टिप्पणी संख्या. 52)

31.2 'कर्मचारी हितलाभ' पर इंडएएस 19 के अनुसार प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 37 में किया गया है।

टिप्पणी 32 : वित्तीय लागत

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
निष्पादन गारंटी जमा पर छूट का मोचन	211.46	35.52
आस्थगित राजस्व व्यय प्रतिभूति जमा प्राप्य से अभिज्ञात	56.49	29.35
कुल	**267.95**	**64.87**

टिप्पणी 33 : मूल्यह्रास, परिशोधन एवं क्षति व्यय

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर–टिप्पणी 2	443.31	427.38
अमूर्त परिसंपत्तियों पर –टिप्पणी 4	15.85	17.11
कुल	**459.16**	**444.49**

टिप्पणी 34 : अन्य व्यय

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
विज्ञापन एवं प्रचार	334.42	128.01
लेखापरीक्षक पारिश्रमिक	3.89	4.34
बैंक प्रभार	0.22	0.35
बीमा व्यय	0.87	0.39
कानूनी एवं व्यावसायिक प्रभार	170.24	136.54
लाइसेंस शुल्क	40.00	43.00
परिसंपत्ति बिक्री/बट्टे खाते पर हानि	0.78	0.21
बैठक व्यय	28.90	23.74
सदस्यता शुल्क	7.04	6.54
विविध व्यय	59.90	12.59
कार्यालय मरम्मत एवं अनुरक्षण	21.23	17.77
मुद्रण, डाक एवं लेखन सामग्री	74.28	31.56
व्यवसायिक पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	7.91	0.84
किराया	1,241.05	1,214.16
भवन की मरम्मत एवं अनुरक्षण	181.00	179.37
सेकी स्थापना दिवस व्यय	42.91	31.46
सुरक्षा एवं जनशक्ति व्यय	278.74	226.12
प्रायोजकता व्यय	12.77	14.73
सहायक सेवा प्रभार	58.05	97.79
टेलीफोन, मोबाइल एवं इंटरनेट व्यय	36.36	34.71
प्रशिक्षण एवं भर्ती व्यय	6.76	10.35
यात्रा एवं वाहन व्यय	241.41	183.63
जल, ऊर्जा एवं विद्युत शुल्क	13.85	18.28
वाहन किराए पर लेने/संचालन एवं अनुरक्षण व्यय	61.38	49.81
प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय	72.56	9.75
अशोध्य और संदिग्ध ऋण (हानि) के लिए प्रावधान	170.06	-
चंदा	-	5.00
उप–जोड़	**3,166.58**	**2,481.04**
कॉपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (संदर्भ टिप्पणी संख्या 65)	113.00	78.12
कुल	**3,279.58**	**2,559.16**

34.1 लेखापरीक्षकों को भुगतान संबंधी विवरण

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखापरीक्षक के रूप में		
लेखापरीक्षा शुल्क	3.54	3.54
व्यय की प्रतिपूर्ति	0.35	0.80
कुल	**3.89**	**4.34**

35. इंड एएस–12 के अनुसार प्रकटीकरण 'आय कर'

क) आय कर व्यय

(i) लाभ एवं हानि विवरण में अभिज्ञात आय कर

₹ लाख

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
वर्तमान कर व्यय		
वर्तमान वर्ष	7,095.31	3,630.53
पिछले वर्षों हेतु समायोजन	(13.28)	(182.19)
कुल वर्तमान कर व्यय	**7,082.03**	**3,448.34**
आस्थगित कर व्यय		
अस्थायी अंतर की उत्पत्ति एवं निराकरण	26.92	252.98
कुल आस्थगित कर व्यय	**26.92**	**252.98**
कुल आय कर व्यय	**7,108.95**	**3,701.32**

(ii) अन्य सम्पूर्ण आय में अभिज्ञात आय कर

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए		
	कर पूर्व	कर व्यय/ (लाभ)	निवल कर	कर पूर्व (लाभ)	कर व्यय/ (लाभ)	निवल कर
परिभाषित लाभ योजनाओं पर निवल बीमांकिक लाभ/(हानि)	(10.37)	3.62	(6.75)	1.73	(0.60)	1.13

(iii) भारतीय घरेलू कर दर द्वारा गुणा करके कर व्यय और लेखाकरण लाभ का मिलान

₹ लाख

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
कर पूर्व लाभ	20,048.77	10,173.61
कंपनी की घरेलू कर दर 34.944 प्रतिशत (पी.वाई. 34.608 प्रतिशत) का उपयोग करके कर	**7,005.84**	**3,520.88**
कर प्रभाव :		
जोड़े / (घटाएं): पिछले वर्ष का कर	(13.28)	(182.19)
जोड़े / (घटाएं): आस्थगित कर व्यय	26.92	252.98
जोड़े: व्यय जो आयकर में मान्य नहीं है (निवल)	125.61	115.08
घटाएं: छूट प्राप्त आय	(36.14)	(5.43)
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार कर	**7,108.95**	**3,701.32**

ख) प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में स्वीकार नहीं किया गया है:

निदेशकों ने 1,293.98 लाख रुपये (31 मार्च 2018 को 184.22 लाख रुपये) के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है। इस प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर 265.98 लाख रु. (31 मार्च 2018 को 37.88 लाख रु.) को स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है।

36. इंड एएस.17 के अनुसार प्रकटीकरण 'पट्टा'

क. प्रचालन पट्टे

कंपनी ने 10 मेगावाट ग्रिड कनेक्टिड सोलर पावर संयंत्र स्थापित करने हेतु जिसे 31 मार्च 2016 को चालू कर दिया था, राजस्थान सरकार से 27 नवंबर, 2015 को 30 वर्षों की अवधि के लिए ग्राम बड़ी सिद, तहसील–बाप, जिला जोधपुर, राजस्थान में स्थित 200 बीघा भूमि का प्लॉट प्रचालन पट्टे पर लिया है।

न्यूनतम गारंटी राशि की सीमा तक कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित गैर अपवर्तक पट्टे के संबंध में देय न्यूनतम भविष्य पट्टा किराया निम्नानुसार है:

₹ लाख

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
न्यूनतम पट्टा भुगतान		
एक वर्ष से अधिक नहीं	16.56	16.05
एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष से अधिक नहीं	71.44	69.26
पांच वर्षों से अधिक	622.13	640.87
कुल	**710.13**	**726.18**

37. इंड एएस.19 के अनुसार प्रकटीकरण, कर्मचारी हितलाभ

परिभाषित अंशदायी योजनाएं :

भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान

कंपनी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को भविष्य निधि में पूर्व–निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान करती है। व्यय (प्रशासन प्रभार सहित) के रूप में अभिज्ञात राशि और लाभ व हानि के विवरण में प्रभारित राशि निम्नानुसार है:

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
ईपीएफओ को प्रदत्त/देय राशि	80.20	75.19
प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के मूल संगठन को भुगतान की गई राशि	1.56	6.13
घटाएं : अनुदान के अंतरण/पूँजीकृत में अंतरित	-	(2.22)
लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में स्वीकार राशि	81.76	79.10
**प्रशासनिक प्रभारों सहित*		

पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान :

अपने कर्मचारियों के लिए कंपनी की परिभाषित अंशदान पेंशन योजना, जो 1 जून 2012 से प्रभावी है, एमएनआरई द्वारा अनुमोदित की गई है। योजना के अनुसार सेकी परिभाषित अंशदान पेंशन ट्रस्ट एलआईसी को मासिक आधार पर पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है।

परिभाषित हितलाभ योजना

उपदान (ग्रेच्युटी):

कंपनी की परिभाषित हितलाभ उपदान योजना है। ऐसा प्रत्येक कर्मचारी, जिसने पांच वर्ष या इससे अधिक वर्षों की निरंतर सेवा की है, वह सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन (15/26 गुणा अंतिम प्राप्त मूल वेतन जमा मंहगाई भत्ता) पर उपदान का हकदार है परंतु अधिवर्षिता, त्यागपत्र, सेवा समाप्ति, विकलांगता या मृत्यु होने पर अधिकतम राशि 20 लाख रु. होगी। उपदान के प्रति देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध कराई गई है। इस देयता का निधियन नहीं किया जाता है।

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना (पीआरएमएस) :

कंपनी ने सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना तैयार की है जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसके जीवनसाथी को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन बाह्य–रोगी के रूप में अपना उपचार भी करा सकते हैं। सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा व्यय के प्रति देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मुहैया की गई है। इस देयता का निधियन नहीं किया जाता है।

निम्न तालिका तुलन–पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार इस संबंध में प्राप्त बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निवल परिभाषित परिसंपत्तियों / देयता की स्थिति प्रदर्शित करती है:

₹ लाख

विवरण	उपदान (ग्रेच्यूटी)		सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
परिभाषित लाभ दायित्वों में परितर्वन				
वर्ष के आरंभ में परिभाषित लाभ दायित्व	69.06	47.47	22.61	17.19
वर्तमान सेवा लागत	23.79	19.97	8.11	6.79
ब्याज लागत	5.39	3.49	1.76	1.26
पूर्व सेवा लागत	-	-		
भुगतान किया गया लाभ	(6.57)	(2.78)		
बीमांकिक (लाभ) / हानि	9.01	0.90	1.36	(2.63)
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	**100.68**	**69.06**	**33.84**	**22.61**

तुलन पत्र में स्वीकार की गई राशि में निम्न शामिल है:

₹ लाख

विवरण	उपदान (ग्रेच्यूटी)		सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	100.68	69.06	33.84	22.61
योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-
निवल देयताएं	**100.68**	**69.06**	**33.84**	**22.61**
तुलन पत्र में राशि :				
वर्तमान देयताएं	1.66	1.10	0.00	0.00
गैर – वर्तमान देयताएं	99.02	67.96	33.84	22.61
निवल देयताएं	**100.68**	**69.06**	**33.84**	**22.61**

लाभ अथवा हानि में स्वीकार की गई कुल राशि में निम्नलिखित शामिल है:

₹ लाख

विवरण	उपदान (ग्रेच्यूटी)		सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
वर्तमान सेवा लागत	23.79	19.97	8.10	6.79
निवल ब्याज	5.39	3.49	1.76	1.26
लाभ अथवा हानि के विवरण में अभिज्ञात कुल व्यय	**29.18**	**23.46**	**9.86**	**8.05**

निवल ब्याज में निम्नलिखित शामिल हैं :

₹ लाख

विवरण	उपदान (ग्रेच्यूटी)		सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
ब्याज व्यय / (आय)	5.39	3.49	1.76	1.26
निवल ब्याज	**5.39**	**3.49**	**1.76**	**1.26**

अन्य सम्पूर्ण आय में स्वीकार की गई राशि में निम्नलिखित शामिल है :

₹ लाख

विवरण	उपदान (ग्रेच्यूटी)		सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	(9.01)	(0.90)	(1.36)	2.63
निवल ब्याज को छोड़कर योजना संपत्तियों पर प्रतिलाभ	-	-	-	-
ओसीआई में स्वीकार किए गए कुल बीमांकिक लाभ / (हानि)	**(9.01)**	**(0.90)**	**(1.36)**	**2.63**

दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि में निम्नलिखित शामिल हैं :

₹ लाख

विवरण	उपदान (ग्रेच्यूटी)		सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
जनसांख्यिकी धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानियां	-	-	-	-
वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानियां	2.09	(4.78)	0.78	(2.50)
अनुभव समयोजन में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानियां	6.92	5.68	0.59	(0.13)
कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**9.01**	**0.90**	**1.37**	**(2.63)**

निवल ब्याज को छोड़कर योजना संपत्तियों पर प्रतिलाभ में निम्न शामिल है :

₹ लाख

विवरण	उपदान (ग्रेच्यूटी)		सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
योजना संपत्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	-	-	-	-
निवल ब्याज में शामिल ब्याज आय	-	-	-	-
निवल ब्याज को छोड़कर योजना संपत्तियों पर प्रतिलाभ	**-**	**-**	**-**	**-**

योजना संपत्तियों से कम परिभाषित लाभ दायित्वों के साथ वित्तपोषित योजनाओं के बारे में सूचनाः

₹ लाख

विवरण	उपदान (ग्रेच्यूटी)		सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
परिभाषित लाभ दायित्व	-	-	-	-
योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-
निवल देयता	**-**	**-**	**-**	**-**

बीमांकिक पूर्वधारणाः

उपदान (ग्रेच्यूटी) और छुट्टी नकदीकरण के लिए लेखाकरण में उपयोग की गई पूर्व धारणाएं नीचे निर्धारित की गई हैं

₹ लाख

विवरण	उपदान (ग्रेच्यूटी)		सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
छूट दर	7.65%	7.80%	7.65%	7.80%
मृत्यु दर	आईएएलएम का 100% (2006 - 08)		आईएएलएम का 100% (2006 - 08)	
बची हुई अनुमानित औसत सेवाएं (वर्ष में)	23.96	25.38	23.96	25.38
सेवानिवृत्ति की आयु	60.00	60.00	60.00	60.00
30 वर्ष तक कर्मचारी क्षयण दर (प्रतिशत में)	3.00	3.00	3.00	3.00
31 से 44 वर्ष तक	2.00	2.00	2.00	2.00
44 वर्ष से ऊपर	1.00	1.00	1.00	1.00
पीबीओ की भारित औसत अवधि	18.77	19.57	18.60	19.57

संवेदनशील विश्लेषणः

नीचे दी गई तालिका छूट दर की अनुमानत दर में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि/कमी की स्थिति में सेवा लागत, ब्याज लागत और परिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव को रेखांकित करती है।

₹ लाख

पूर्वधारणाएं	पूर्वधारणा में परिवर्तन	उपदान (ग्रेच्यूटी) दायित्व के पीवी में परिवर्तन	पूर्वधारणा में परिवर्तन	पीआरएमबी दायित्व के पीवी में परिवर्तन
छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव	0.50% की वृद्धि	(6.75)	0.50% की वृद्धि	(3.71)
	0.50% की कमी	7.50	0.50% की कमी	3.22
पीआरएमबी के मामले में वेतनवृद्धि दर/ चिकित्सा लागत दर में परिवर्तन का प्रभाव	0.50% की वृद्धि	7.59	0.50% की वृद्धि	3.27
	0.50% की कमी	(6.88)	0.50% की कमी	(3.79)

परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफाइल

₹ लाख

वर्ष	राशि	
	उपदान	पीआरएमबी
0 से 1 वर्ष	1.66	0.00
1 से 2 वर्ष	1.29	0.35
2 से 3 वर्ष	7.73	1.08
3 से 4 वर्ष	1.71	0.16
4 से 5 वर्ष	1.69	0.78
5 से 6 वर्ष	9.20	0.88
6 वर्ष से आगे	77.39	30.58

अर्जित अवकाश नकदीकरण

कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण लाभ योजना परिभाषित की है। इस योजना के तहत वे कुछ सीमाओं और इसके लिए निर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन अर्जित अवकाश नकदीकरण के हकदार हैं। अवकाश नकदीकरण के प्रति दायित्व का प्रावधान बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। इस दायित्व का निधियन नही किया गया है।

अर्ध वेतन अवकाश नकदीकरण

कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए अर्ध वेतन अवकाश नकदीकरण लाभ योजना परिभाषित की है।इस योजना के तहत वे कुछ सीमाओं और इसके लिए निर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन अर्ध वेतन अवकाश नकदीकरण के हकदार हैं। अवकाश नकदीकरण के प्रति दायित्व का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। इस दायित्व का निधियन नही किया गया है।

निम्नलिखत सारणी तुलन पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार इस संबंध में प्राप्त बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निवल परिभाषित परिसंपत्ति/देयताओं की स्थिति निर्धारित करती है:

₹ लाख

विवरण	अर्जित अवकाश देयताएं		अर्ध वेतन अवकाश देयताएं	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
परिभाषित लाभ दायित्वों में परिवर्तन :				
वर्ष के आरंभ में परिभाषित लाभ दायित्व	121.53	81.16	49.12	31.90
अधिग्रहण समायोजन	-	1.37	-	-
वर्तमान सेवा लागत	41.31	38.42	13.36	14.27
ब्याज लागत	9.48	5.97	3.83	2.34
पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-
प्रदत्त लाभ	(26.34)	(27.02)	(15.49)	(5.90)
बीमांकिक(लाभ)/हानि	7.65	21.63	1.37	6.51
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	**153.63**	**121.53**	**52.19**	**49.12**

तुलन पत्र में अभिज्ञात राशि में निम्नलिखित शामिल हैं:

₹ लाख

विवरण	अर्जित अवकाश देयताएं		अर्ध वेतन अवकाश देयताएं	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	153.63	121.53	52.19	49.12
योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	-	-	-	-
निवल देयताएं	**153.63**	**121.53**	**52.19**	**49.12**
तुलन पत्र में राशि				
वर्तमान देयता	6.40	5.26	2.45	1.10
गैर–वर्तमान देयताएं	147.23	116.27	49.74	48.02
निवल देयताएं	**153.63**	**121.53**	**52.19**	**49.12**

लाभ या हानि में अभिज्ञात कुल राशि में निम्नलिखित शामिल है:

₹ लाख

विवरण	अर्जित अवकाश देयताएं		अर्ध वेतन अवकाश देयताएं	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
वर्तमान सेवा लागत	41.31	38.42	13.36	14.27
निवल ब्याज	9.48	5.97	3.83	2.34
अवधि के दौरान अभिज्ञात निवल बीमांकिक (लाभ) अथवा हानि	7.65	21.63	1.37	6.51
लाभ या हानि विवरण में अभिज्ञात कुल व्यय	**58.44**	**66.02**	**18.56**	**23.12**

निवल ब्याज में निम्नलिखित शामिल हैं:

₹ लाख

विवरण	अर्जित अवकाश देयताएं		अर्ध वेतन अवकाश देयताएं	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
ब्याज व्यय / (ब्याज आय)	9.48	5.97	3.83	2.34
निवल ब्याज	**9.48**	**5.97**	**3.83**	**2.34**

दायित्वों के संबंध में बीमांकिक (लाभ)/हानि में निम्नलिखित शामिल हैं:

₹ लाख

विवरण	अर्जित अवकाश देयताएं		अर्ध वेतन अवकाश देयताएं	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
जनसांख्यिकी संबंधी पूर्वधारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-	-	-
वित्तीय पूर्वधारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	3.12	(7.69)	1.06	(2.87)
योजना देयताओं के संबंध में अनुभूत समायोजनों में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	4.53	29.32	0.31	9.38
कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**7.65**	**21.63**	**1.37**	**6.51**

अवकाश नकदीकरण हेतु लेखांकन के लिए प्रयोग की गई पूर्वधारणाओं को नीचे प्रदर्शित किया गया है:

₹ लाख

विवरण	अर्जित अवकाश देयताएं		अर्ध वेतन अवकाश देयताएं	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
छूट की दर	7.65%	7.80%	7.65%	7.80%
मृत्यु दर	आईएएलएम का 100% (2006 - 08)		आईएएलएम का 100% (2006 - 08)	
प्रत्याशित औसत शेष सेवाएं	23.96	25.38	23.96	25.38
सेवानिवृत्ति आयु	60.00	60.00	60.00	60.00
कर्मचारी क्षयण दर : (% में)				
30 वर्ष तक	3.00	3.00	3.00	3.00
31 से 44 वर्ष तक	2.00	2.00	2.00	2.00
44 वर्ष से अधिक	1.00	1.00	1.00	1.00
पीबीओ की भारित औसत अवधि	18.77	19.57	18.77	19.57

नीचे दी गई तालिका में छूट दर की अनुमानित दर में 0.5 प्रतिशत की कमी/वृद्धि की स्थिति में सेवा लागत, ब्याज लागत और परिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव को रेखांकित किया गया है।

₹ लाख

अवधारणाएं	अवधारणा में परिवर्तन	बाध्यता के पीवी में परिवर्तन अर्जित अवकाश देयता	अवधारणा में परिवर्तन	बाध्यता के पीवी में परिवर्तन अर्ध वेतन अवकाश देयता
बट्टा दर	0.50% की वृद्धि	(10.04)	0.50% की वृद्धि	(3.42)
	0.50% की कमी	11.14	0.50% की कमी	3.79
वेतन वृद्धि दर	0.50% की वृद्धि	11.27	0.50% की वृद्धि	3.84
	0.50% की कमी	(10.23)	0.50% की कमी	(3.49)

परिभाषित हितलाभ बाध्यता की परिपक्वता प्रोफाइल का विवरण

₹ लाख

विवरण	राशि	
	अर्जित अवकाश देयताएं	अर्ध वेतन अवकाश देयताएं
0 से 1 वर्ष	6.40	2.45
1 से 2 वर्ष	10.41	2.94
2 से 3 वर्ष	2.73	0.93
3 से 4 वर्ष	2.69	0.92
4 से 5 वर्ष	15.24	5.38
5 से 6 वर्ष	4.61	1.57
6 वर्ष से आगे	111.55	38.02

कर्मचारियों के लिए अन्य दीर्घकालिक हितलाभ

सेवानिवृत्ति पश्चात अधिवर्षिता हितलाभ

कर्मचारियों के वेतनमानों (औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न) के संशोधन पर डीपीई दिशानिर्देशों में मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30 प्रतिशत तक अधिवर्षिता हितलाभ उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, जिसमें सीपीएफ, उपदान, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधाएं और पेंशन शामिल हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, सीपीएसई को इस संबंध में अपनी ही योजनाएं बनानी होंगी। सेवानिवृत्ति पश्चात अधिवर्षिता हितलाभ के संबंध में मूल वेतन और महंगाई भत्ता की 30 प्रतिशत, अर्थात रु. 1.43 लाख (पिछले वर्ष रु. 14.66 लाख) के बाद की शेष राशि के लिए प्रावधान किया गया है। यह देयता वित्तपोषित नहीं है।

कंपनी ने प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के सिवाय कर्मचारियों के लिए उपर्युक्त डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत निम्नलिखित हितलाभों का प्रावधान किया है :

₹ लाख

क्र.सं.	विवरण	2019 को समाप्त वर्ष के लिए	2018 को समाप्त वर्ष के लिए
1	परिभाषित अंशदायी योजना – भविष्य निधि	76.28	66.65
2	परिभाषित अंशदायी योजना – पेंशन	63.56	55.54
3	परिभाषित हितलाभ योजना – उपदान	38.19	24.36
4	परिभाषित हितलाभ योजना – पीआरएमएस	11.23	5.42
5	सेवानिवृत्ति पश्चात अन्य हितलाभ	1.43	14.66
	मूल वेतन + महंगाई भत्ता = 635.64 लाख रु. *30%	**190.69**	**166.63**
	(पिछले वर्ष में : 555.44 लाख रु. *30%)		

जोखिम एक्सपोज़र

अपनी परिभाषित योजनाओं के माध्यम से, कंपनी अनेक जोखिमों से एक्सपोज़ है जिनमें से अति महत्वपूर्ण निम्न प्रकार हैं:

क) परिसंपत्ति में उतार–चढ़ाव : कंपनी के पास अपने दायित्वों के संबंध में कोई प्लान असेस्ट्स नहीं है। अतः इस संबंध में कंपनी किसी भी जोखिम से एक्सपोज़ नहीं है।

ख) बट्टा दर में परिवर्तन : बट्टा दर में कोई भी गिरावट से योजना देयताएं बढ़ जाएंगी, हालांकि इसकी भरपाई आंशिक रूप से योजना बंधपत्र धारिताओं के मूल्य से की जाएगी।

ग) मुद्रास्फीति का जोखिम : पेंशन योजनाओं में, पेंशनों के भुगतान को मुद्रास्फीति से लिंक नहीं किया गया है, इसलिए यह काफी कम सारवान् जोखिम है।

घ) जीवन प्रत्याशा : पेंशन योजना संबंधी बाध्यताओं के लिए सदस्य के जीवन के लिए हितलाभों का प्रावधान किया जाना अपेक्षित होता है , इसलिए सदस्य की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के फलस्वरूप पेंशन योजनों की देयताओं में भी वृद्धि होगी। यह ऐसी स्थितियों के लिए और भी महत्वपूर्ण है, जहाँ मुद्रास्फीति में वृद्धि के परिणामस्वरूप जीवन प्रत्याशा में परिवर्तन होने की उच्च संभावना होती है। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि किए गए निवेशों का प्रबंध एक ऐसे असेट–लाइबिलिटी मैचिंग (एएलएम) फ्रेमवर्क के अंतर्गत किया जाए, जिसे कर्मचारी हितलाभ योजनाओं के तहत बाध्यताओं के अनुरूप दीर्घकालिक निवेश हासिल करने हेतु विकसित किया गया है। इस फ्रेमवर्क के भीतर, कंपनी का एएलएम उद्देश्य ऐसे दीर्घकालिक नियत ब्याज प्रतिभूतियों में निवेश कर (जिनकी परिपक्वत्ता उस अवधि के समकालिक हो, जब हितलाभ उपयुक्त मुद्रा में देय हो) पेंशन बाध्यताएं परिसंपत्तियों के अनुरूप हैं। कंपनी सक्रिय रूप से यह निगरानी करती है कि निवेशों की अवधि तथा प्रत्याशित प्रतिलाभ, कर्मचारी हितलाभ बाध्यताओं से उत्पन्न प्रत्याशित नकदी प्रवाह से किस प्रकार एकरूप हो सकते हैं। कंपनी ने उन प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया है, जिनका उपयोग वह पिछली अवधियों के जोखिमों के प्रबंध के लिए करती थी। कंपनी के निवेश इतनी अच्छी तरह विविधीकृत हैं कि किसी भी एकल निवेश के विफल हो जाने पर कंपनी की परिसंपत्तियों के समग्र स्तर पर कोई सारवान् प्रभाव नहीं पड़ेगा।

38. सरकारी अनुदानों के लिए इंड एएस 20 लेखाकरण के अनुसार प्रकटीकरण और सरकारी सहायता का प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान उपलब्धि आधारित प्रोत्साहन/अवॉर्ड योजना के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में विभिन्न सरकारी भवनों में 1 मेगावाट की कुल क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर संयंत्र के कार्यान्वयन के लिए कंपनी ने एमएनआरई से 450 लाख रुपये प्राप्त हुए थे। 450 लाख रुपयों में से, दिनांक 31 मार्च, 2019 तक 33.67 लाख रुपये परिशोधित किए जा चुके हैं (लेखाकरण नीति सं. 1.ग.7 का संदर्भ लें)।

39. इंड एएस 21 के अनुसार प्रकटीकरण 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों का प्रभाव'

विनिमय में अंतरों से संबंधित राशि (0.46) लाख रुपये है (31 मार्च, 2018 को (0.04) लाख रुपये) जिसे लाभ/(हानि) में अभिस्वीकृत किया गया है।

40. इंड एएस 24 के अनुसार प्रकटीकरण 'संबद्ध पक्षकारों का प्रकटीकरण'

क) संबद्ध पक्षकारों की सूची

i) संयुक्त उद्यम :

1. आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
2. हिमाचल रिन्यूएबल्स लि.
3. कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.
4. लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
5. रिन्यूएबल पावर कॉरपोरेशन ऑफ केरल लि.
6. रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लि.

ii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक :

डा. अश्विनी कुमार*	प्रबंध निदेशक
श्री जतींद्र नाथ स्वेन**	प्रबंध निदेशक
श्री सी कन्नन	निदेशक (वित्त)
श्री राजीव भारद्वाज****	निदेशक (मानव संसाधन)
श्री शैलेश कुमार मिश्रा***	निदेशक (विद्युत प्रणाली)
श्री सुनील कुमार	कंपनी सचिव

*31 जुलाई, 2017 तक

**01 अगस्त, 2017 से

***5 फरवरी, 2018 से

****18 अगस्त, 2018 तक

iii) रोजगार पश्चात हितलाभ योजनाएं :

1. सेकी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना

iv) एक ही सरकार के नियंत्रण के तहत कंपनियां

कंपनी केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है जिसमें भारत सरकार बहुसंख्यक शेयरधारक है (टिप्पणी सं. 16 का संदर्भ लें)। इंड एसएस 24 के पैराग्राफ 25 एवं 26 के अनुसार, उन कंपनियों को, जिन पर एक ही सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है, अर्थात रिपोर्टिंग कंपनियों और अन्य कंपनियों को संबद्ध पक्षकारों के रूप में माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से संबद्ध कंपनियों के लिए उपलब्ध छूट के लिए आवेदन किया है और वित्तीय विवरणों में इस संबंध में सीमित प्रकटीकरण किए हैं। ऐसी कंपनियों, जिनके साथ कंपनी का व्यापक रूप से लेन–देन होता है, में बीएचईएल, गेल, एनटीपीसी लि., रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लि., नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लि. आदि हैं, और इन तक सीमित नहीं हैं।

ख. संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन निम्न प्रकार हैं:–

1. संयुक्त उद्यम

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
i) वर्ष के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री/क्रय		
कंपनी द्वारा प्राप्त की गई सेवाओं के लिए कार्यों/सेवाओं हेतु संविदाएं	-	-
कंपनी द्वारा मुहैया की गई सेवाओं के लिए कार्य/सेवाओं हेतु संविदा	-	-
वस्तुओं की बिक्री/क्रय	-	-
ii) कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	-	-
iii) प्राप्त लाभांश	85.44	-
iv) इक्विटी के रूप में दिया गया योगदान	-	-
v) स्वीकृत ऋण	-	-
vi) प्राप्त प्रत्याभूतियां	-	-

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
सेकी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के संबंध में लेन–देन		
वर्ष के दौरान दिया गया अंशदान	79.12	57.63
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए क्षतिपूर्ति		
अल्पावधिक कर्मचारी हितलाभ	227.10	160.84
रोजगार पश्चात् हितलाभ और अन्य दीर्घकालिक हितलाभ	29.88	22.84
अन्य हितलाभ	18.88	16.49
कुल	**354.98**	**257.80**

एक ही सरकार के नियंत्रण के तहत संबंधित पार्टियों के संबंध में लेन–देन

₹ लाख

क्र.सं.	कंपनी का नाम	लेन–देन का स्वरूप	2018–19	2017–18
1	बलमेर लॉरी एंड क0लि.	यात्रा व्यय	81.23	21.28
		अल्पावधि अग्रिम भुगतान	10.00	-
2	भारत डायनमिक्स लिमिटेड (बीडीएल)	परामर्शी आय	55.90	89.33
		300 मेगावाट रक्षा एवं ओएफबी योजना के लिए जारी किया गया अनुदान	839.83	348.56
3	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	परामर्शी आय	39.06	83.07
		300 मेगावट रक्षा एवं ओएफबी योजना के लिए जारी किया गया अनुदान	3,970.50	1,820.00
4	भेल	1000 मेगावाट सीपीएसयू योजना के लिए जारी किया गया अनुदान	1,500.00	325.00
5	केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड	सदस्यता शुल्क	0.59	-
6	केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग	फाइल करने की फीस	3.00	-
		लाइसेंस फीस	40.00	43.00
7	गेल (इंडिया) लिमिटेड	परामर्शी आय	45.24	-
		1000 मेगावाट सीपीएसयू योजना के लिए जारी किया गया अनुदान	144.00	144.00
8	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	परामर्शी आय	13.60	-
9	आईआईएफसीएल	लालटेंन पर सेवा प्रभाग	27.25	-
10	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लि.	विज्ञान और प्रचार	4.13	-
11	केन्द्रीय भंडार	मुद्रण एवं स्टेशनरी	52.85	21.99
12	मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज	परामर्शी व्यय	-	64.60
13	मिश्र धातु निगम लि.	300 मेगावट रक्षा एवं ओएफबी योजना के लिए जारी किया गया अनुदान	390.00	210.00
14	नेशनल आर्बिटरेशन काउंसिल	प्रशिक्षण व्यय	0.24	-
15	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि.	किदवाई नगर भवन अग्रिम	3,197.10	-
16	राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सेवाएं इंक	सहायता सेवा प्रभार	32.52	-
		पूंजी अग्रिम	16.97	-
17	एनएचपीसी लिमिटेड	1000 मेगावाट सीपीएसयू स्कीम को अधीन जारी अनुदान	1,250.00	1,250.00
		परामर्शी आय	-	6.00

एक ही सरकार के नियंत्रण के तहत संबंधित पार्टियों के संबंध में लेन–देन

₹ लाख

क्र.सं.	कंपनी का नाम	लेन–देन का स्वरूप	2018–19	2017–18
18	एनटीपीसी लि.	1000 मेगावाट सीपीएसयू योजना के लिए जारी किया गया अनुदान	-	11,475.00
		प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए अदा किया गया सेवानिवृत्ति लाभ	15.45	2.19
19	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि.	सौर ऊर्जा की बिक्री–स्वयं की परियोजना	1,279.41	1,327.98
20	छावनी बोर्ड कार्यालय	परामर्शी आय	-	8.00
21	ओरियंट इंसोरेंश कंपनी लि.	वाहन बीमा प्रीमियम	0.62	-
22	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	दायर करने की फीस	14.16	-
		सौर पार्क योजना के अधीन जारी किया गया अनुदान	9,387.00	16,413.00
		ईपीएफ प्रतिनियुक्ति कर्मचारी अंशदान	2.03	2.11
23	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन	सिस्टम और मार्केट ऑपरेशन प्रभार	4.39	-
24	लोक निर्माण विभाग	सौर ऊर्जा बिक्री–दिल्ली 3 मेगावाट	88.62	104.44
25	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	1000 मेगावाट सीपीएसयू योजना के लिए जारी किया गया अनुदान	-	250.00
26	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड	लानटेन पर सेवा प्रभार	37.25	-
		परामर्शी आय	46.11	-
		डीडीयूजीजेवाई के अधीन प्राप्त अग्रिम	979.31	2,682.05
27	स्कूटर इंडिया लिमिटेड	1000 मेगावाट सीपीएसयू स्कीम के लिए जारी किया गया अनुदान	-	25.00
28	राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान	विंड मास्ट की खरीद	49.56	-
29	सिंगरेनी कोलिरीज़ कंपनी लिमिटेड	परामर्शी आय	801.67	8.00
30	स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइसेस	सदस्यता फीस	2.36	-
31	टेलीकम्यूनिकेशंस कन्सलटेंट्स इंडिया लि.	ई–टेण्डरिंग व्यय	16.30	9.58
32	विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट	परामर्शी आय	-	43.12
33	प्रसार भारती	विज्ञापन और प्रचार	45.63	0.85
34	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	लियन/प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी के लिए अदा किया गया सेवानिवृत्ति लाभ	38.64	0.26

एक ही सरकार के नियंत्रण के तहत संबंधित पार्टियों के संबंध में लेन–देन

₹ लाख

क्र.सं.	कंपनी का नाम	लेन–देन का स्वरूप	2018–19	2017–18
35	एनएलसी इंडिया लि.	1000 मेगावाट सीपीएसयू स्कीम के लिए जारी किया गया अनुदान	4,875.00	4,875.00
36	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	300 मेगावाट रक्षा और ओएफबी स्कीम के अधीन जारी अनुदान	750.00	375.00
37	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	परामर्शी आय	6.00	-
38	आंध्र प्रदेश हेवी मशीनरी और इंजीनियरिंग लिमिटेड	परामर्शी आय	-	3.50
39	गैरीसन इंजीनियर (परियोजना) नंबर 2 एलईएच	परामर्शी आय	72.00	-
40	वी. ओ. चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट	परामर्शी आय	16.80	-
41	आरईसी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	डीडीयूजीजेवाई के अधीन जारी भुगतान	2,006.88	300.00
42	बीएसएनएल	रूफटॉप परियोजनाओं का निरीक्षण प्रभार	26.55	-
43	अन्य संस्थाएं	विविध	2.32	13.05
	सकल जोड़		**32,278.07**	**42,344.96**

ग. संबंधित पार्टियों का बकाया शेष

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
प्राप्त योग्य राशि		
संयुक्त उद्यमों से	1.74	0.86
मुख्य प्रबंध कार्मिकों से	1.20	-
एक ही सरकार के नियंत्रण के तहत संस्थाओं से	631.37	952.65
संबंधित पार्टियों के संदिग्ध ऋण के संबंध में प्रावधान		
एक ही सरकार के नियंत्रण के तहत संस्थाओं से	152.65	7.98
देय राशि		
संयुक्त उद्यमों को	-	2.29
मुख्य प्रबंध कार्मिकों को	-	-
एक ही सरकार के नियंत्रण के तहत संस्थाओं से	**114.93**	**10.59**

घ. व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण लेन–देन

₹ लाख

विवरण	संबंध का स्वरूप	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
सौर पार्कों हेतु जारी अनुदान			
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लि.	संयुक्त उद्यम	2,523.50	3,883.51
आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लि.	संयुक्त उद्यम	7,500.00	3,893.61

41. इंड एएएस–27 के अनुसार प्रकटीकरण, अलग वित्तीय विवरण

41.1 तैयार किए गए वित्तीय विवरण अलग–अलग वित्तीय विवरण हैं।

41.2 संयुक्त उद्यमों में किए गए महत्वपूर्ण निवेश निम्नानुसार हैं : .

₹ लाख

विवरण	व्यवसाय का स्थान / निगमन का देश	स्वामित्व हित		मुख्य कार्यकलाप
		31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	
आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	आंध्र प्रदेश, भारत	50%	50%	सौर पार्कों का विकास
हिमाचल रिन्युएबल्स लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश, भारत	50%	50%	सौर पार्कों का विकास और अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं की स्थापना
कर्नाटक सोलर पॉवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	कर्नाटक, भारत	50%	50%	सौर पार्कों का विकास
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	मध्यप्रदेश, भारत	50%	50%	सौर पार्कों का विकास
लखनऊ सोलर पॉवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	उत्तर प्रदेश, भारत	50%	50%	सौर पार्कों का विकास
रिन्युएबल पावर कॉरपोरशन ऑफ केरल लिमिटेड	केरल, भारत	50%	50%	सौर पार्कों का विकास

संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश को 'अलग–अलग वित्तीय विवरणों' संबंधी इंड एएस 27 के उपबंधों के अनुसार लागत पर आंकलन किया जाता है।

42. इंड एएस 33 के अनुसार प्रकटीकरण 'प्रतिशेयर अर्जन'

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) मूल एवं तनुकृत प्रति शेयर उपार्जन (रुपये में)	365.53	199.34
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य	1,000.00	1,000.00
(ii) इक्विटी शेयरधारकों को स्रोतजन्य लाभ (न्यूमिरेटर के रूप में प्रयुक्त) (रु. लाख में)		
प्रचालनों से	12,939.82	6,472.29
(iii) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (डिनोमिनेटर के रूप में प्रयुक्त (सं.)		
निर्गमित इक्विटी शेयरों का अथ शेष	35,40,000	30,40,000
वर्ष के दौरान निर्गमित शेयरों, यदि कोई हो, का प्रभाव	-	2,06,849
मूल एवं तनुकृत ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत सं.	35,40,000	32,46,849

43. इंड एएस 37 के अनुसार प्रकटीकरण 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां'

43.1 प्रावधानों में परिवर्तन

₹ लाख

विवरण	संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	
	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में रखाव लागत	7.98	7.98
वर्ष के दौरान परिवर्धन	170.06	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-
वर्ष के दौरान उत्क्रमण/समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में रखाव लागत	**178.04**	**7.98**

43.2 आकस्मिक देयताएं

43.2.1. वाणिज्यिक और आवासीय स्थान के लिए एनबीसीसी के पास कंपनी की बुकिंग के संबंध में, एनबीसीसी ने अपनी भुगतान अनुसूची में 31 मार्च, 2019 तक कंपनी द्वारा अदा की गई दस किस्तों पर सेवाकर का उल्लेख किया है, जो 518.64 लाख रु. है (पिछले वर्ष में 397.76 लाख रु)। तथापि, एनबीसीसी द्वारा उक्त राशि की मांग नहीं की गई है। इस राशि को एनबीसीसी को लागू सेवाकर/जीएसटी दरों पर अदा किया जाएगा, जब भी एनबीसीसी द्वारा इस संबंध में मांग की जाती है। इसके अलावा, 31.03.3019 तक एनबीसीसी को अदा की गई राशि खाता बही में पूंजीगत अग्रिम के रूप में दिखाई गई है। तदनुसार, खाता बही में इसके

43.2.2. वर्ष के दौरान एनबीसीसी द्वारा 182.58 लाख रु. (पिछले वर्ष शून्य) के ब्याज की मांग की गई थी लेकिन यह मूल आवंटन पत्र और मूल भुगतान अनुसूची में दी गई शर्तों और निबंधनों के अनुसार नहीं थी। इसके अलावा, एनबीसीसी द्वारा किए गए ब्याज दावे के अधित्याग के लिए इस मामले को दिनांक 6 जून, 2019 के पत्र द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय (एमएनआरई) के जरिए शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) के साथ उठाया गया है। कानूनी परामर्श के आधार पर इस संबंध में कंपनी द्वारा कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

43.2.3. कंपनी पारेषण कंपनियों, वीएटी प्राधिकारियों, परियोजना विकासकर्ता (ओं) और पीपीए धारकों के पक्ष में विभिन्न बैंक गारंटियों/साख पत्र जारी करने के प्रति बैंक (ों) के पक्ष में काउंटर इन्डेमिनिटी दी है, जिसकी संचय राशि 1,446.79 लाख रु. (पिछले वर्ष में 1,390.89 लाख रु.) है।

43.2.4 कंपनी ने संविदाओं के संबंध में शर्तों के गैर/आंशिक अनुपालन के लिए एमएनआरई की विभिन्न रूफटॉप स्कीमों के अधीन एलडी/जुर्माना के रूप में 31 मार्च, 2019 तक 1,545.16 लाख रु. (31 मार्च, 2018 तक 1,323.54 लाख रु.) की राशि वसूल की है। इन एलडी प्रभार को कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुसार सेकी की आय के रूप में निरंतर अभिज्ञात किया गया है। आय अभिज्ञात के संबंध में वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए सी एंड एजी की लेखापरीक्षा टिप्पणियों की दृष्टि में इन्हें आगे निदेश/परामर्श के लिए दिनांक 14 मई, 2019 और 18 जून, 2019 के पत्र द्वारा एमएनआरई को भेजा गया है। तदनुसार, कंपनी द्वारा कोई प्रावधान करना आवश्यक नही समझा गया। अंतिम नकद प्रवाह, यदि कोई हो, एमएनआरई के निदेश/परामर्श पर निर्भर करता है।

43.2.5 कुछेक सौर पावर डेवलेपरों ने जीएसटी/सुरक्षा ड्यूटी के कारण कानून में परिवर्तन की दृष्टि में वित्तीय दावे प्राप्त करने के लिए विद्युत अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) में याचिकाएं दायर की हैं। तथापि, सीईआरसी द्वारा सेकी को प्रभाव की प्रतिभूति के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा, इस मामले में यदि कोई वित्तीय प्रभाव होता है तो इसे संबंधित क्रय कंपनियों पर डाला जाएगा। दावे की राशि अभिनिश्चयन नहीं है।

43.2.6 मै0 एमबीपी सोलर ने विवाचन खंड का आह्वान किया है जैसाकि पीपीए में व्यवस्था है और 13,381.93 लाख रु. के दावे के लिए विवाचन पैनल में याचिका दायर की है। विवाचन पैनल ने अपना अंतिम निर्णय अभी घोषित करना है। इसके अलावा, यदि मामले में कोई वित्तीय प्रभाव होता है तो दिनांक 4 फरवरी, 2019 की पीएसएम के दिशानिर्देशाों के अनुसार पीएसएम निधियों से इसको पूरा किया जाएगा। अंतः इसके लिए बही खातों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

43.2.7 मै0 पसिथिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने सीपीडब्ल्यूडी बिल्डिंगों के लिए सेकी की रूफटॉप सौर निविदा के अधीन आवंटित 10 मेगावाट क्षमता के लिए बैंक गारंटी के स्थगन आह्वान के लिए 30.03.2017 को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। अनेक सुनवाई के बाद, न्यायालय ने याचिका का निपटान कर दिया और विवाद का निर्णय करने के लिए एक मात्र विवाचक के रूप में दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश को नियुक्त किया है। विवाचन अवार्ड के रूप में 79.39 लाख रु. की बैंक गारंटी के नकदीकरण को उचित पाया गया है। तथापि, सेकी को 12 प्रतिशत ब्याज सहित 19.65 लाख रु. और सब्सिडी वितरण में विलंब पर 12 प्रतिशत ब्याज वापस करने का निदेश दिया है। सेकी द्वारा निर्णय के इस भाग के विरूद्ध एक अपील साकेत जिला न्यायालय में दायर की गई है। मामले के गुण दोष के आधार पर, कंपनी द्वारा कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया। अंतिम निर्धारण और नकदी प्रवाह, यदि कोई हो, भविष्य में विवाचन पैनल के अंतिम निर्णय पर निर्भर करता है।

43.3 प्रतिबद्धताएं

43.3.1 पूंजीगत लेखा पर निष्पादन किए जाने वाले शेष संविदाओं की अनुमानित राशि (संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियां), जिसका प्रावधान नहीं किया गया, 7,330.96 लाख रु. (पिछले वर्ष 3024.04 लाख रु.) है। इसका विवरण इस प्रकार है:–

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	7,329.31	3,022.39
अमूर्त परिसंपत्ति	1.65	1.65

43.3.2 कंपनी के पास 31.03.2019 को व्यत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घकालिक संविदाएं नहीं है जिसके लिए कोई संभावित सामग्री हानियां हों।

44. इंड एएस–107 के अनुसार प्रकटीकरण 'वित्तीय प्रपत्र'

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यापार देय और अन्य देय शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का प्रमुख प्रयोजन कंपनी के प्रचालनों का वित्तपोषण करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियां में व्यापार और अन्य प्राप्य, नकद और नकदी समतुल्य, निवेश, जमा, जो इसके प्रचालन से सीधे प्राप्त होती है, शामिल हैं।

कंपनी ने अपने वित्तीय प्रपत्र के उपयोग से निम्नलिखित जोखिम को प्रकट किया है:

1 क्रेडिट जोखिम

2 चलनिधि जोखिम

3 बाजार जोखिम

1. क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम कंपनी की वित्तीय हानि का जोखिम होता है यदि वित्तीय प्रपत्र का एक ग्राहक या प्रतिपक्ष अपने संविदा दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है, परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय हानि होती है। क्रेडिट जोखिम मुख्यतया व्यापार प्राप्य, ऋण और नकद, नकद और नकदी समतुल्य और बैंक और वित्तीय संस्थाओं के पास जमा से उत्पन्न होता है।

व्यापार प्राप्य

कंपनी के पास एक मजबूत भुगतान सुरक्षा तंत्र है। इन भुगतान सुरक्षा तंत्रों ने वर्ष भर कंपनी की अच्छी सेवा की है। कंपनी ने पिछले वर्ष में व्यापार प्राप्य के संबंध में कोई महत्वपूर्ण हानि का अनुभव नहीं किया हैं चूंकि क्रेडिट जोखिम का कोई केंद्रीकरण नहीं है।

अन्य वित्तीय प्रपत्र और नकद और नकदी समतुल्य

कंपनी के पास 32,015.96 लाख रु. (31 मार्च, 2018 को 18,601.34 लाख रु.) का नकद और नकदी समतुल्य है। नकद और नकदी समतुल्य उच्च दरों वाले बैंकों के पास रखा जाता है।

कंपनी ने बैंक और वित्तीय संस्थाओं के पास 1,35,394.75 लाख रु. (31 मार्च, 2018 को 1,42,450.81 लाख रु.) जमा किया है। जोखिम का प्रबंधन करने के लिए कंपनी केवल उच्च दरों वाले बैंकों/संस्थाओं के पास ही जमा कराती है।

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
वित्तीय संपत्तियां जिनके लिए 12 महीने की प्रत्याशित हानि (ईसीएल) का उपयोग करते हुए हानि छूट का मूल्यमान किया जाता है		
गैर–चालू निवेश	-	-
गैर–चालू ऋण और अग्रिम	31.91	317.04
अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-
नकद और नकदी समतुल्य	32,015.96	18,601.34
नकद और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	1,35,394.75	1,42,450.81
चालू ऋण और अग्रिम	507.44	208.29
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	42,283.39	15,932.34
वित्तीय संपत्तियां जिनके लिए लाइफटाइम प्रत्याशित ऋण हानि (ईसीएल) का उपयोग करते हुए हानि छूट का मूल्यमान किया जाता है।		
व्यापार प्राप्य	70,824.65	12,599.36
कुल	**2,81,058.10**	**1,90,109.18**

* संयुक्त उद्यमों में गैर–चालू निवेशों को उपर्युक्त में प्रकट नहीं किया गया है।

प्रत्याशित क्रेडिट अथवा हानि के लिए प्रावधान

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि छूट का मूल्यमान 12 महीने की प्रत्याशित क्रेडिट हानियों का उपयोग कर किया जाता है।

कंपनी के पास ऐसी परिसंपत्तियां हैं जहां प्रतिपक्ष दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता रखते हैं और जहां चूक का जोखिम बहुत कम होता है। तदनुसार, ह्रासन के लिए कोई हानि छूट स्वीकार नहीं की गई है।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियों जिनके लिए हानि छूट का मूल्यमान लाइफटाइम प्रत्याशित क्रेडिट हानियों का उपयोग करके किया जाता है:

कंपनी लाइफटाइम प्रत्याशित क्रेडिट हानि का उपयोग करके और सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुसार व्यापार प्राप्यों पर हानि छूट का प्रावधान करती है।

व्यापार प्राप्यों की समयावधि

व्यापार प्राप्यों की समयावधि निम्न प्रकार है

₹ लाख

समयावधि	देय नहीं	03 माह से कम	3 से 6 माह	6 से 12 माह	1–5 वर्ष	कुल
31 मार्च 2019 की समाप्ति पर सकल अग्रनयन राशि	34,632.89	27,962.93	6,663.03	1,285.38	458.46	**71,002.69**
उपर्युक्त पर अभिस्वीकृत ह्रासन हानि	-	-	-	-	(178.04)	**(178.04)**
31 मार्च 2018 को सकल अग्रनयन राशि	9,695.99	1,412.54	360.17	236.60	902.04	**12,607.34**
उपर्युक्त पर अभिस्वीकृत ह्रासन हानि	-	-	-	-	(7.98)	**(7.98)**

2. चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम एक ऐसा जोखिम है जो कंपनी के समक्ष अपनी वित्तीय देयताओं से संबद्ध बाध्यताओं, जिन्हें नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति के द्वारा चुकता किया जाता है, की पूर्ति करने में कठिनाई पेश करती है। चलनिधि के प्रबंध हेतु कंपनी द्वारा अपनाई गई पद्धति का आशय, यथासंभव, यह सुनिश्चित करना है कि उसके पास सामान्य और विपत्तिकाल दोनों स्थितियों में जब देयताएं देय हो जाती हैं, उनकी पूर्ति के लिए पर्याप्त चलनिधि हो और उसे कोई अस्वीकार्य हानि न हो या कंपनी की प्रतिष्ठा कम होने का कोई जोखिम न हो।

वित्तीय व्यवस्थाएं

कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर निम्नलिखित गैर–आहरित उधार सुविधाओं की सुगमता थी :

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
निश्चित ऋण दर		
आवधि ऋण	-	-

विवरण	देय नहीं	मांग अनुसार	03 माह या उससे कम	3 से 12 माह	1 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष							
व्यापार देयताएं	36,608.93	-	667.05	418.04	45.63	-	37,739.65
वित्तीय देयताए	-	1,48,329.88	39,843.03	21.65	130.40	2,834.34	1,91,159.30
कुल	**36,608.93**	**1,48,329.88**	**40,510.08**	**439.69**	**176.03**	**2,834.34**	**2,28,898.95**
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष							
व्यापार देयताएं	21,117.63	-	988.23	329.24	86.47	-	22,521.57
वित्तीय देयताए	-	1,18,328.57	15,508.38	164.93	1.15	2,278.56	1,36,281.59
कुल	**21,117.63**	**1,18,328.57**	**16,496.62**	**494.17**	**87.62**	**2,278.56**	**1,58,803.16**

3. बाजार जोखिमः

बाजार जोखिम एक ऐसा जोखिम है जो बाजार मूल्यों, जैसे कि ब्याज दरों में बदलावों के कारण होता है और कंपनी की आय को प्रभावित कर सकता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य प्रतिलाभ को अधिकतम करते हुए, स्वीकार्य मानदंडों के भीतर बाजार जोखिम एक्सपोज़रों का प्रबंध और नियंत्रण करना है। चूंकि वर्तमान में कंपनी ने निधियां उधार नहीं ली हैं, इसलिए उसके समक्ष कोई बाजार जोखिम एक्सपोज़र नहीं है।

45. इंड एएस 108 के अनुसार प्रकटन 'ऑपरेटिंग सेग्मेंट्स'

क. सामान्य सूचना

कंपनी के पास दो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं, जैसा नीचे वर्णन किया जा रहा है, जो उसकी कार्यनीतिक व्यवसाय यूनिटें हैं। कार्यनीतिक व्यवसाय यूनिटें विभिन्न उत्पाद और सेवाएं प्रदान करती हैं और उनका प्रबंध अलग से किया जाता है क्योंकि उनके लिए भिन्न प्रौद्योगिकी और बाजार रणनीतियों की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित सारांश में कंपनी के प्रत्येक रिपोर्टेबल सेगमेंट्स में प्रचालनों का वर्णन किया गया है।

क.1. पावर ट्रेडिंग और उत्पादन : कंपनी के पास पावर ट्रेडिंग लाइसेंस है और वह अपने द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के तहत स्थापित परियोजनाओं से सोलर पावर की ट्रेडिंग के माध्यम से इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है।

क.2. परामर्शी और परियोजना प्रबंधन : इसके अंतर्गत परामर्शी और परियोजना प्रबंधन सेवाएं आदि शामिल हैं।

प्रत्येक रिपोर्टेबल सेगमेंट के परिणामों के बारे में सूचना को नीचे शामिल किया गया है। कार्यनिष्पादन का आकलन सेगमेंट के आयकर पूर्व लाभ के आधार पर किया जाता है, जो उन आंतरिक प्रबंधन रिपोर्टों में अंतर्विष्ट होता है, जिनकी समीक्षा निदेशक मंडल द्वारा की जाती है। सेगमेंट के लाभ का उपयोग कार्यनिष्पादन का आकलन करने के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रबंधन यह विश्वास करता है कि उक्त सूचना उन अन्य कंपनियों, जो इन उद्योगों के भीतर प्रचालन करती हैं, से संबंधित कुछ सेगमेंट्स के परिणामों का मूल्यांकन करने में अति संगत होती है। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के परस्पर अंतरण मूल्य तृतीय पक्षकारों के साथ ट्रांजेक्शनों के सदृश आर्म लेंग्थ बेसिस पर होते हैं।

ख. रिपोर्टेबल सेगमेंट्स के बारे में सूचना और वित्तीय विवरणों में परिलक्षित राशियों का मिलानः

₹ लाख

विवरण	व्यापार सेगमेंट				कुल	
	ऊर्जा व्यापार एवं सृजन		परामर्श और परियोजना प्रबंधन			
	को समाप्त वर्ष हेतु		को समाप्त वर्ष हेतु		को समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
सेगमेंट राजस्व						
प्रचालनों से राजस्व	3,08,130.00	1,05,140.86	13,700.84	8,222.67	3,21,830.84	1,13,363.53
गैर–आवंटित ब्याज एवं अन्य आय	-	-	-	-	4,595.14	4,227.62
कुल	**3,08,130.00**	**1,05,140.86**	**13,700.84**	**8,222.67**	**3,26,425.99**	**1,17,591.15**
सेगमेंट परिणाम	6,842.71	1,912.27	13,268.19	8,175.93	20,110.90	10,088.20
गैर–आवंटित व्यय, ब्याज और वित्त प्रभार	-	-	-	-	4,657.27	4,142.20
कर पूर्व लाभ	-	-	-	-	20,048.77	10,173.61
कर हेतु प्रावधान	-	-	-	-	7,108.95	3,701.32
कर उपरांत लाभ	-	-	-	-	12,939.82	6,472.29
मूल्यह्रास और परिशोधन	408.03	397.75	51.13	46.74	459.16	444.49
गैर–आवंटित मूल्यह्रास	-	-	-	-	-	-
मूल्यह्रास के अलावा गैर–नकदी व्यय	-	-	0.78	0.21	0.78	0.21
पूंजी व्यय	52.38	814.48	50.75	39.82	103.13	854.30

₹ लाख

विवरण	ऊर्जा व्यापार एवं सृजन		परामर्श एवं परियोजना प्रबंधन		कुल	
	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
अन्य सूचना :						
सेगमेंट परिसंपत्तियां	1,76,627.67	87,150.77	80,098.82	63,199.77	2,56,726.49	1,50,350.54
गैर–आवंटित परिसंपत्तियां	-	-	-	-	53,479.68	63,599.30
कुल परिसंपत्तियां	**1,76,627.67**	**87,150.77**	**80,098.82**	**63,199.77**	**3,10,206.17**	**2,13,949.84**
सेगमेंट देयताएं	1,66,862.13	92,682.99	83,530.85	64,711.62	2,50,392.98	1,57,394.61
गैर–आवंटित देयताएं	-	-	-	-	3,417.74	12,870.75
कुल देयताएं	**1,66,862.13**	**92,682.99**	**83,530.85**	**64,711.62**	**2,53,810.72**	**1,70,265.36**

ग. मुख्य ग्राहकों के बारे में सूचना

कंपनी के कुल राजस्व का 10 प्रतिशत से अधिक प्रमुख ग्राहकों से राजस्व

₹ लाख

देनदार का नाम	को समाप्त वर्ष हेतु		को समाप्त वर्ष हेतु	
	2018–19	प्रतिशत	2017–18	प्रतिशत
गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	23,199.43	7.17	14,854.03	12.83
बंगलौर इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड	41,861.58	12.94	865.52	0.75
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	71,494.37	22.10	18,629.23	16.08

46. इंड एएस 113 के अनुसार प्रकटीकरण – उचित मूल्य मापन श्रेणी द्वारा वित्तीय प्रपत्र

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2019 को			31 मार्च 2018 को		
	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधन लागत	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधन लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां :						
निवेश						
- इक्विटी साधन*	-	-	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-	-	-
ऋण	-	-	539.35	-	-	525.33
व्यापार प्राप्य	-	-	70,824.65	-	-	12,599.36
नकद एवं नकदी समतुल्य	-	-	32,015.96	-	-	18,601.34
अन्य बैंक शेष	-	-	1,35,394.75	-	-	1,42,450.81
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	42,283.39	-	-	15,932.34
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**-**	**-**	**2,81,058.10**	**-**	**-**	**1,90,109.18**
वित्तीय देयताएं :						
ऋण	-	-	-	-	-	-
व्यापार देयताएं	-	-	37,739.65	-	-	22,521.57
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	1,91,159.30	-	-	1,36,281.59
कुल वित्तीय देयताएं	**-**	**-**	**2,28,898.95**	**-**	**-**	**1,58,803.16**

*संयुक्त उद्यमों में निवेश का उपरोक्त में प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

47. इंड एएस 115– के अनुसार प्रकटीकरण–ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व

I. वस्तु और सेवाओं का स्वरूप

कंपनी के राजस्व में विद्युत की बिक्री, व्यापार के जरिए विद्युत की बिक्री, परामर्शी और अन्य सेवाओं से आय शामिल है। प्रमुख गतिविधियों का वर्णन निम्नलिखित है :

(क) विद्युत की बिक्री से राजस्व (स्वयं का सृजन)

कंपनी का प्रमुख राजस्व विद्युत की बिक्री और व्यापार के जरिए विद्युत की बिक्री से आता है। कंपनी थोक ग्राहकों, मुख्य रूप से राज्य सरकारों की स्वयं की बिजली कंपनियां और राज्य में प्रचालित निजी डिस्काम को विद्युत की बिक्री करती है। विद्युत की बिक्री सामान्यतया ग्राहकों के साथ किए गए दीर्घावधि विद्युत क्रय करार (पीएसए) के अनुसरण में की जाती है।

नीचे विद्युत बिक्री के लिए संविदाओं के अधीन स्वरूप के ब्यौरे, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें दी गई हैं:

उत्पाद / सेवा	स्वरूप, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
विद्युत बिक्री (स्वयं का सृजन)	कंपनी समय अवधि में विद्युत की बिक्री के लिए संविदाओं से राजस्व स्वीकार करती है क्योंकि ग्राहक कंपनी द्वारा मुहैया किए गए लाभ एक साथ प्राप्त और उपभोग करते हैं। विद्युत की बिक्री से राजस्व गणना करने के लिए टैरिफ का निर्धारण विद्युत क्रय करार (पीएसए) के अनुसार किया जाता है। राशि का बिल मासिक आधार पर भेजा जाता है और संविदात्मक सहमत क्रेडिट अवधि में देय होता है।

(ख) विद्युत व्यापार से राजस्व

(i) व्यापार के जरिए विद्युत की बिक्री

कंपनी डेवलपरों से विद्युत खरीद रही है और सिद्धांत के सिद्धांत आधार पर इसे डिस्काम को बेच रही है।

नीचे व्यापार के जरिए विद्युत की बिक्री के लिए संविदाओं के अधीन स्वरूप, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तों का ब्यौरा दिया गया है:

उत्पाद / सेवा	स्वरूप, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
व्यापार के जरिए विद्युत की बिक्री	कंपनी समय अवधि में व्यापार के जरिए विद्युत की बिक्री के लिए संविदाओं से राजस्व स्वीकार करती है क्योंकि ग्राहक कंपनी द्वारा मुहैया किए गए लाभ एक साथ प्राप्त और उपभोग करते हैं। व्यापार के जरिए विद्युत की बिक्री से राजस्व की गणना करने के लिए टैरिफ का निर्धारण करार की शर्तों के अनुसार किया जाता है। राशि का बिल मासिक आधार पर भेजा जाता है और संविदात्मक सहमत क्रेडिट अवधि में देय होता है।

(ग) सेवाओं की बिक्री से राजस्व

कंपनी सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी संविदाओं और अन्य परामर्शी संविदाओं का कार्य करती है।

परामर्शो और अन्य सेवाओं के लिए संविदाओं के अधीन स्वरूप, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

उत्पाद / सेवा	स्वरूप, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
परियोजना निगरानी फीस	कंपनी प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर किसी एक समय / समयावधि में परियोजना निगरानी फीस के लिए संविदाओं से राजस्व स्वीकार करती है। परियोजना निगरानी फीस से राजस्व संविदाओं की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाता हैं। स्वीकार किए गए राजस्व की राशि भिन्न भिन्न मदों, जहां लागू हो, के लिए समायोजित की जाती है, जिसका कंपनी के पास उपलब्ध ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर प्राक्कलन किया जाता है। संविदाओं की शर्तो के अनुसार राशि का बिल दिया जाता है और संविदात्मक सहमत क्रेडिट अवधि में देय होता है।
परामर्शी सेवाएं	कंपनी प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर समयावधि में परामर्शी सेवाओं के लिए संविदाओं से राजस्व स्वीकार करती है क्योंकि उपभोक्ता साथ–साथ प्राप्त और कंपनी द्वारा मुहैया किए गए लाभ का उपभोग करती है। परामर्शी सेवाओं से राजस्व संविदाओं की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। स्वीकार किए गए राजस्व की राशि भिन्न–भिन्न मदों, जहां लागू हैं, के लिए समायोजित की जाती है जिसका कंपनी के पास उपलब्ध ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर प्राक्कलन किया जाता है। संविदाओं की शर्तों के अनुसार राशि का बिल दिया जाता है और संविदात्मक सहमत क्रेडिट अवधि में देय होता है।

II. राजस्व का असमूहीकरण

उत्पाद और सेवाओं की प्रकार, भौगोलिक बाजार और राजस्व स्वीकरण के समय द्वारा राजस्व को निम्नलिखित सारणी में असमूहीकृत किया गया है:

₹ लाख

विवरण	विद्युत बिक्री (स्वयं का उत्पादन)	व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री	परियोजना निगरानी शुल्क	परामर्शी सेवाएं	अन्य	कुल
			31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए			
राजस्व स्वीकरण का समय						
समय के दौरान अंतरित उत्पाद और सेवाएं	1,354.00	3,06,758.01	8,097.10	1,105.41	153.01	3,17,467.53
निश्चित समय में अंतरित उत्पाद और सेवाएं	-	-	3,437.21	-	686.49	4,123.70
	1,354.00	**3,06,758.01**	**11,534.31**	**1,105.41**	**839.50**	**3,21,591.23**

₹ लाख

विवरण	विद्युत बिक्री (स्वयं का उत्पादन)	व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री	परियोजना निगरानी शुल्क	परामर्शी सेवाएं	अन्य	कुल
			31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए			
राजस्व स्वीकरण का समय						
समय के दौरान अंतरित उत्पाद और सेवाएं	1,329.40	1,03,811.46	4,832.16	457.55	22.10	1,10,452.67
निश्चित समय में अंतरित उत्पाद और सेवाएं	-	-	2,360.37	-	550.49	2,910.86
	1,329.40	1,03,811.46	7,192.53	457.55	572.59	1,13,363.53

कंपनी ने संचयी प्रभाव पद्धति का प्रयोग करके इंड एएस 115 को लागू किया है। इस पद्धति के अंतर्गत तुलनात्मक आंकड़ों पुनः अभिव्यक्त नहीं किए गए हैं।

III. संविदा मूल्य के साथ स्वीकार किए गए राजस्व का समाधान :

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
संविदा मूल्य	3,21,624.16	1,13,390.94
निम्न के लिए समायोजन :		
छूट	(32.93)	(27.41)
स्वीकार किया गया राजस्व	**3,21,591.23**	**1,13,363.53**

IV. संविदा संतुलन

संविदा परिसंपत्तियों को तब स्वीकार किया जाता है जब संविदाओं के संबंध में ओवर बिलिंग के द्वारा अधिक राजस्व अर्जित किया जाता है। संविदा परिसंपत्तियों को बिल में शामिल न किए गए राजस्व को तब अंतरित किया जाता है जब नकदी को प्राप्त करने के लिए बिना शर्त अधिकार हो और संविदात्मक शर्तों के अनुसार केवल एक निश्चित समय बीतने की आवश्यकता होती है। संविदा देनदारियां मुख्यतया ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि से संबंधित होती है जिसका ग्राहकों से अग्रिम के रूप में उल्लेख किया जाता है।

निम्नलिखित सारणी में व्यापार प्राप्त राशियों, बिल में शामिल न किए गए राजस्व और ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के बारे में सूचना मुहैया करायी गई है:

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
	वर्तमान	गैर–वर्तमान	वर्तमान	गैर–वर्तमान
व्यापार प्राप्य	70,824.65	-	12,599.36	-
बिल रहित राजस्व	41,296.16	-	15,619.36	-
ग्राहकों से अग्रिम	1,702.11	602.06	651.90	349.17

कंपनी ने संचयी प्रभाव पद्धति का प्रयोग करके इंड एएस 115 को लागू किया है। इस पद्धति के अंतर्गत तुलनात्मक आंकड़े पुनः अभिव्यक्त नहीं किए गए हैं।

(V) कंपनी ने संचयी प्रभाव पद्धति का प्रयोग करके इंड एएस 115 को लागू किया है और तदनुसार तुलनात्मतक आंकड़ों का पुनः उल्लेख नहीं किया गया है और इंड एएस 11 और इंड एएस 18 के अनुसार सूचित करना जारी रखा है। इंड एएस 115 को अपनाने के कारण 1 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार किसी संचयी समायोजन की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, इंड एएस 11 और इंड एएस 18 की तुलना में इंड एएस 115 को लागू करने के परिणामस्वरूप चालू वर्ष में वित्तीय विवरण जैसी कोई मदों का उल्लेख नहीं किया गया है।

48. हाल ही की लेखाकरण उद्घोषणाएं

मानक/संशोधन जारी किए गए है परंतु अभी प्रभावी नहीं हैं :

30 मार्च, 2019 को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने निम्नलिखित मानक/संशोधन अधिसूचित किए हैं जो 1 अप्रैल, 2019 से लागू होंगे।

1. इंड एएस 116 "पट्टे"

इंड एएस 116 मौजूदा एएस 17 ''पट्टे'' और संबंधित व्याख्याओं को प्रतिस्थापित करेगा। मानक संविदा के दोनों पक्षकारों अर्थात् पट्टेदार और पट्टादाता के लिए पट्टों को स्वीकार करने, मापन, प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण के लिए सिद्धांत निर्धारित करते हैं। इंड एएस 116 एकल पट्टादार लेखाकरण मॉडल प्रवर्तित करता है और पट्टादार को बारह माह से अधिक अवधि के भीतर सभी पट्टों के संबंध में परिसंपत्तियां और देनदारियों को स्वीकार करना अपेक्षित करता है यदि नीचे दी गई परिसंपत्तियां कम मूल्य की नहीं हैं। वर्तमान में चल रहे पट्टा खर्च को लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया गया है। मानकों में भी पट्टोदारों के संबंध में संवर्धित प्रकटन आवश्यकताएं शामिल हैं। पट्टादाता लेखाकरण मौजूदा मानक के लिए एक जैसा बना हुआ है अर्थात पट्टादाता ने पट्टों को वित या प्रचलित पट्टे के रूप में वर्गीकृत करना जारी रखा है। इंड एएस 116 इंड एएस 17 में पट्टादाता की लेखाकरण अपेक्षाओं को पर्याप्त रूप से आगे बढ़ाता है। मानक परिवर्तन (ट्रांजिशन) के दो संभव तरीकों की अनुमति देता है।

- पूर्व प्रभावी दृष्टिकोणः इस दृष्टिकोण के तहत मानक को इंड एएस 8 लेखाकरण नीतियों को लागू करते समय लेखाकरण अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों के संबंध में प्रत्येक पूर्व अवधि के लिए पूर्व प्रभाव से लागू किया जाएगा।
- संशोधित पूर्व प्रभावी दृष्टिकोणः प्रारंभ में लागू करने के पूर्व प्रभावी संचयी प्रभाव के साथ मानक को प्रारंभ में लागू करने की तारीख से स्वीकृत किया गया है। संशोधित पूर्व प्रभावी दृष्टिकोण के अंतर्गत पट्टेदार पट्टे की देनदारी को पट्टे की शेष अदायगी के वर्तमान मूल्य के रूप में अंकित करता है, जिसे वृद्धिशील उधार पर छूट दी गई होती है और परिसंपत्ति को प्रयोग करने का निम्न दोनों में से एक रूप में अधिकार दिया गया होता हैः
- इसकी आगे ले जानी वाली राशि को यदि मानक को इसके प्रारंभ की तारीख से लागू किया गया था परंतु जिसे प्रारंभ में लागू करने की तारीख को पट्टेदार की वृद्धिशील उधार दर पर छूट दी गई है अथवा
- पट्टे की देनदारी के बराबर राशि को जिसे उस पट्टे जिसे प्रारंभ में लागू करने की तारीख से तत्काल पूर्व इंड एएस17 के अंतर्गत स्वीकार किया गया है, के संबंध में किसी पूर्व दत्त या उपचित पट्टा अदायगियों की राशि द्वारा समायोजित किया गया है।

कंपनी संशोधित पूर्व प्रभावी दृष्टिकोण का प्रयोग करके मानक को 1 अप्रैल, 2019 से लागू करेगी और तदुनसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनात्मक आंकड़ों को पूर्व प्रभावी से समायोजित नहीं किया जाएगा।

2. इंड एएस 12 परिशिष्ट 'ग', आयकर संबंधी अभिक्रियाओं पर अनिश्चितता

दिनांक 30 मार्च, 2019 को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने इंड एएस 12 परिशिष्ट 'ग', आयकर संबंधी अभिक्रियाओं पर अनिश्चितता को अधिसूचित किया है जिससे कर योग्य लाभ (या हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानियों, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कर दरों का निर्धारण करने के लिए तब लागू किया जाना है जब इंड एएस 12 के तहत आयकर अभिक्रियाओं के संबंध में अनिश्चितता होती है। परिशिष्ट के अनुसार कंपनियों को प्रत्येक कर अभिक्रिया या कर अभिक्रियाओं के समूह को स्वीकार करते हुए संगत कर प्राधिकारी की इस संभाव्यता को निर्धारित करने की आवश्यकता होती हैं जिसे कंपनियों ने उनकी आयकर रिटर्नो को दायर करने में प्रयोग में लाया है या प्रयोग में लाने की योजना है जिसे कर अभिक्रिया की अत्यधिक संभावित राशि या प्रत्याशित मूल्य का परिकलन करने के लिए उस समय ध्यान में लिया जाना होगा जब कर योग्य लाभ (कर हानि), कर आधारों, अप्रयुक्त कर हानियों, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कर दरों को निर्धारित किया जाता है।

मानक परिवर्तन के दो संभव तरीकों की अनुमति देता है- i) पूर्ण पूर्व प्रभावी दृष्टिकोण – इस दृष्टिकोण के तहत परिशिष्ट 'ग' इंड एएस 8 – लेखाकरण नीतियों, लेखाकरण अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तनों के अनुसार परिदृष्टि का प्रयोग किए बिना प्रदान की गई प्रत्येक पूर्ववर्ती रिपोर्टिंग अवधि के लिए पूर्व प्रभाव से लागू किया जाएगा और ii) परिशिष्ट 'ग' के प्रारंभ में लागू करने के संचयी प्रभाव के साथ पूर्व प्रभाव जिसे प्रारंभ में लागू करने पर ईक्विटी को समायोजित करके स्वीकार किया गया है।

3. इंड एएस 12 आयकर में संशोधन

इंड एएस 12 में 'आयकर' मार्गदर्शी नोट में संशोधन यह स्पष्ट करता है कि एक कंपनी लाभ हानि में अन्य व्यापक आय या ईक्विटी में लाभांश के आयकर परिणामों को वहां मान्यता देगी, जहां पिछले लेन–देन या वितरण योग्य लाभ उत्पन्न करने वाले कार्यों को मूल रूप से मान्यता दी गई थी।

4. इंड एएस 19, 'कर्मचारी लाभ' में संशोधन – योजना संशोधन, संक्षेपण या परिशोधन

एक कंपनी के लिए योजना संशोधनों, संक्षेपणों और निपटान के लिए लेखाकरण के संबंध में इंड एएस 19, 'कर्मचारी लाभ' में मार्गदर्शन में संशोधन की आवश्यकता होती है:

- योजना संशोधन, संक्षेपण या निपटान के पश्चात, मौजूदा सेवा लागत और अवधि के शेष भाग के लिए निवल ब्याज के निर्धारण के लिए अद्यतन पूर्वानुमानों को प्रयोग करना; और
- पिछली सेवा लागत के एक भाग के रूप में लाभ या हानि या निपटान किए जाने पर लाभ या हानि, अधिशेष में किसी कटौती को, परिसपत्ति की सीमा निर्धारित करने के प्रभाव के कारण उस अधिशेष को पूर्व में स्वीकार नहीं किए जाने के बावजूद भी स्वीकार करना।

49. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 द्वारा यथाअपेक्षित 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में सूचना

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
क) किसी आपूर्तिकर्ता को अदा न की गई शेष		
मूल राशि	-	81.97
उस पर देय ब्याज की राशि	-	-
ख) नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ताओं को प्रदत्त राशि सहित एमएसएम ईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार प्रदत्त ब्याज की राशि	-	-
ग) अदायगियां करने में विलंब (जो अदा कर दी गईं हैं परंतु वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद अदा की गई) की अवधि के लिए परंतु एमएसएमईडी अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना देय और दातव्य ब्याज की राशि	-	-
घ) उपचित और अदत्त ब्याज की शेष राशि	-	-
ड.) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए उत्तरवर्ती वर्षों में भी उस तारीख तक जब ऊपर उल्लेख किए गए देय ब्याज की राशि लघु उद्यमों को वास्तव में अदा कर दी गई है, देय और दातव्य अतिरिक्त ब्याज की राशि	-	-

50. निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार कंपनी के पास उपलब्ध अधिशेष असंवितरित निधियों और अनुदानों को इस प्रयोजन के लिए जारी सरकार के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवधिक रूप से अल्पकालिक जमा में रखा जाता है।

51. कंपनी के निदेशक मंडल में केवल एक स्वतंत्र निदेशक है, तदनुसार लेखापरीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 के अनुसार और कॉरपोरेट अभिशासन (गवरनेन्स) संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं है। इसके अलावा 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल में कोई महिला निदेशक भी शामिल नहीं है। कंपनी ने एमएनआरई से कंपनी के निदेशक मंडल में डीपीई दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक और स्वतंत्र निदेशक तथा महिला निदेशक की नियुक्ति करने के लिए अनुरोध किया है और यह नियुक्ति अभी भी लंबित पड़ी है।

52. चालू वर्ष के दौरान कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) के प्रति 245.01 लाख रु. (पिछले वर्ष 316.81 लाख रु.) का निवल प्रावधान किया गया है। इस राशि को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर जारी किया जाएगा।

53. 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार बकाया प्राप्त और दातव्य राशि क्रमशः 70,824.65 लाख रु. और 37.739.65 लाख रु. है। तथापि कंपनी की नीति के अनुसार 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार जिनके पास अदायगी की जानी शेष थी उन पार्टियों को पुष्टि करने के लिए पत्र भेजे गए थे। क्रमशः 65,045.43 लाख रु. और 33,583.00 लाख रु. शेष की पुष्टि की गई थी जबकि शेष राशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

54. व्यापार प्राप्त राशियों और वसूल की जाने वाली शेष राशियों को वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत दर्शाया गया है और व्यापार और अन्य दातव्य राशियों को वर्तमान देनदारियों के तहत दर्शाया गया है जिनमें पुष्टि/समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अध्यधीन शेष राशियां शामिल हैं। समाधान सतत आधार पर किया जाता है। जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, प्रावधान किए गए हैं। समायोजन, यदि कोई हो, को संबंधित पार्टियों के साथ इसकी पुष्टि/समाधान किए जाने पर लेखों में लिया जाता है, जिसका प्रबंधन की राय में कोई आर्थिक प्रभाव नहीं होगा।

55. व्यापार प्राप्त राशियों और व्यापार दातव्य राशियों में 49.57 लाख रु. बंगलौर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लि. (बीईएससीओएम) से प्राप्य है और कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लि. को के. वरह प्रभारों (किलोवोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव प्रभार), मीटर रीडिंग प्रभारों के प्रति देय है और बीईएससीओएम द्वारा विक्रय की गई ऊर्जा के प्रति 2% की दर से छूट की गई कटौती, जो पीएसए की शर्तों के अनुसार नहीं है; का समाधान किया गया है और समायोजन प्रविष्टि को एसपीडी से प्राप्त पुष्टि के आधार पर पारित किया गया है।

56. सेकी द्वारा सीओडी की घोषणा न करने के कारण 40 मेगावाट परियोजना क्षमता वाले 3 एसपीडी ने प्रत्येक में बीजक तैयार नहीं किए गए हैं और सेकी ने भी पीएसए के अनुसार डिस्कॉम को इसके लिए कोई बीजक नहीं दिए हैं। तथापि, 40 मेगावाट की परियोजना 19 दिसम्बर, 2018 को चालू की गई थी, अन्य 40 मेगावाट की परियोजना 20 दिसम्बर, 2018 को चालू की गई थी और 40 मेगावाट की अन्य परियोजना को 22 दिसम्बर, 2018 को चालू किया गया था।

57. सेकी ने सोलर पावर डेवलपर (एसपीडी) से 20 मेगावाट सौर विद्युत की खरीदारी के लिए पीपीए पर हस्ताक्षर किए हैं। एसपीडी ने प्रत्येक 10 मेगावाट की दो विभिन्न चरणों में परियोजना चालू की है। टैरिफ निर्धारण और कमिशनिंग की स्वीकृति के लिए एमएनआरई का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण वर्ष के दौरान 1,524.79 लाख रु. (पिछले वर्ष तक 3,054.07 लाख रु.) की राशि विद्युत खरीद के रूप में स्वीकार नहीं की गई और 1,538.78 लाख रु. की राशि तदनुरूपी राजस्व की बिक्री (पिछले वर्ष 3,082.09 लाख रु.) भी सौर विद्युत की बिक्री के रूप में स्वीकार नहीं की गई।

58. एमएनआरई ने अपने दिनांक 4 फरवरी, 2019 के आदेश के द्वारा पीएसएम दिशानिर्देश जारी किए थे। तदनुसार, कंपनी द्वारा पीएसएम निधि अनुरक्षित की जा रही है। इसके अलावा कंपनी की पीएसएम निधियों के संबंध में लेखाकरण नीति सं. 1 ग. 23 के अनुसार विस्तार धनराशि की कारण पीएसएम निधि में 3183.21 लाख रु. की राशि (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार – 723.40 लाख रु. की राशि) टैरिफ में छूट देने के कारण, 291.66 लाख रु. की राशि (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, 274.18 लाख रु.) अधिक बिक्री के कारण, 79.37 लाख रु. की राशि (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार – 57.86 लाख रु.) ट्रांसमिशन बिलिंग में अंतर के कारण और 12,776.94 लाख रु. की राशि (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार–शून्य) शामिल है। अदायगी सुरक्षा निधि (पीएसएफ) में एमएनआरई से प्राप्त 50,000 लाख रु. की राशि (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, 30,000 लाख रु.) शामिल है।

59. जे एन एन एस एम योजना के अंतर्गत सौर विद्युत विकासकों के साथ हस्ताक्षरित पीपीए के उपबंधों के अनुसार बैच–III 2000 मेगावाट और जेएनएनएसएम योजना बैच–IV – 5000 मेगावट और 2000 मेगावट और 5000 मेगावट के लिए दिशानिर्देश, एसपीडी से प्राप्त विस्तार प्रभारों का शेष जो 13,515.28 लाख रुपये बैठता है (पूर्व वर्ष–11,147.85 लाख रुपये) को प्रबंधन के अनुमोदन से ब्याज की राशि जो 1341.44 लाख रुपये बैठती है (पूर्व वर्ष 466.91 लाख रुपये) के सहित पीएसएम निधि को अंतरित कर दिया गया है।

60. सेकी 160 मेगावट की क्षमता के साथ बैटरी ऊर्जा भंडारण साधनों (बीईएसएस) के साथ बड़े स्तर पर सौर–पवन हाईब्रिड परियोजना को विकसित करने की प्रक्रिया में लगी हुई है जिसमें आंध्र प्रदेश के रामागिरी जिले में 120 मेगावट की सौर और 40 मेगावट की पवन विद्युत शामिल है। परियोजना स्थापित करने के लिए कुल नियोजित भूमि लगभग 917 एकड़ है। 2120.17 लाख रुपये की कुल अनुग्रह पूर्वक राशि जिला कलेक्टर, अनंथापुर को वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान निर्दिष्ट भूमि के लिए अदा की गई है और 2,926.17 लाख रुपये की राशि आंध्र प्रदेश की सरकार के आदेश के आधार पर भूमि हस्तांतरण प्रभारों के प्रति अदा की जाएगी। इसके अलावा, निजी भूमि (लगभग 28 एकड़) के संबंध में दर को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

61. वर्ष के दौरान एनबीसीसी द्वारा उनके दिनांक 10 अगस्त, 2018 के पत्र के द्वारा किदवई नगर काम्पलेक्स में स्थित प्रस्तावित कार्यालय परिसर के स्थान का कब्जा केवल एक तकनीकी कब्जा था और कार्यालय का स्थान वास्तविक रूप से कब्जे के लिए तैयार नहीं था। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 20 अगस्त, 2018 के आदेश के द्वारा स्थगन आदेश के अनुसार कार्यालय स्थान का वास्तविक कब्जा न दिए जाने को देखते हुए परिसंपत्ति को बहियों में पूंजीकृत नहीं किया गया है और 19,619.29 लाख रुपये की राशि (पूर्व वर्ष में 16,422.18 लाख रुपये) पूंजीगत अग्रिम के तहत दर्शायी गई है।

62. कर्नाटक की 5 डिस्कॉम के साथ 930 मेगावाट के लिए हस्ताक्षरित पीएसए के संबंध में कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी विनियामक आयोग ने दिनांक 20 सितंबर, 2018 को टैरिफ दर को 4.50 रुपये प्रति यूनिट से कम करके 4.36 रुपये प्रति यूनिट करने के लिए एक आदेश पारित किया है। सेकी द्वारा प्रतिवादित आदेश को एपीटीईएल में चुनौति दी गई है। तथापि डिस्कॉम कम की गई टैरिफ 4.36 रुपये प्रति यूनिट की दर पर अदायगी कर रहे हैं, जिसके कारण कर्नाटक की संबंधित डिस्कॉम से प्रति यूनिट विभेदी राशि वसूली योग्य है। इस कारण कुल वसूली योग्य राशि व्यापार प्राप्य राशि में शामिल 2,188.38 लाख रुपये (पूर्व वर्ष में –शून्य) की राशि कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी विनियामक आयोग के दिनांक 20.09.2018 के आदेश के अनुसार टैरिफ में 0.14 पैसे की कमी के प्रति 2000 मेगावट की योजना में कर्नाटक की 5 डिस्कॉम से वसूल की जानी है। सेकी ने उपर्युक्त आदेश को रद्द करने के लिए एपीटीईएल के पास एक आवेदन दायर किया है। किसी प्रतिकूल न्यायनिर्णय आदेश की दशा में विभेदी राशि दिशानिर्देशों के अनुसार पीएसएम निधि से वसूल की जानी है।

63. मैसर्स वेलस्पन एनर्जी प्राइवेट लि0 द्वारा सेकी के विरूद्ध दायर एक याचिका के मामले में सीईआरसी ने 17 दिसंबर, 2018 को एक आदेश पारित किया जिसमें सेकी को अन्य के साथ–साथ बाद की शर्तों को पूरा करने और पीपीए को बहाल करने में हुई देरी को माफ करने के लिए पीपीए बहाल करने को कहा गया है और इसके वित्तीय निहितार्थ डिस्कॉम के साथ दो तरफा आधार पर हैं। तदनुसार बहियों में कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मैसर्स वेलस्पन एनर्जी प्राइवेट लि0 द्वारा 648.00 लाख रुपये की राशि अदा की गई है जिसे विवाद के तहत प्राप्त की गई धनराशि के रूप में लेखे में लिया गया है और वर्तमान देनदारियों के तहत अन्य दातव्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उक्त राशि को ब्याज वहनीय लेखे में रखा गया है और 31 मार्च, 2019 तक उस पर प्रोद्भूत ब्याज की राशि 5.59 लाख रुपये है। दोनों राशियों को आस्थगित रखा गया है और न्यायालय निर्देशों के आधार पर तदनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

64. दि रूफटॉप – अन्य परिचालन आय के अंतर्गत 221.62 लाख रुपये की राशि (पिछले वर्ष 567.15 लाख रुपये) जिसे एलडी/दंड के प्रति वसूल किया गया है, शामिल है। आयकर के स्वीकरण के संबंध में सी एंड एजी की वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए लेखापरीक्षा टिप्पणियों के मद्देनजर इन्हें 14 मई, 2019 और 18 जून, 2019 के पत्रों के द्वारा आगे निर्देर्शों/सलाह के लिए एमएनआरई को भेजा गया है। एमएनआरई से निर्देशों/सलाह प्राप्त होने तक इसे लेखा नीति सं. 1. ग 9.3 के अनुसार सेकी की आय के रूप में माना गया है।

65. कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (सीएसआर)

65.1 कंपनी को इसकी सीएसआर नीति के अनुसार पिछले तत्काल तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी को होने वाले औसतन निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में व्यय करना अपेक्षित है। उपरोक्त आधार पर कंपनी द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान व्यय की जाने वाली राशि 138.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष में 78.12 लाख रुपये) है।

तदनुसार कल्याण योजनाओं के संबंध में 113.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष में 78.12 लाख रुपये) की राशि स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 'स्वच्छ भारत कोष' में 44.00 लाख रु., गंगा नदी के नवीकरण के लिए 'स्वच्छ गंगा निधि' में (44.00 लाख रुपये) और केंद्रीय सैनिक बोर्ड को (25.00 लाख रुपये) का योगदान दिया गया था। वर्ष 2018–19 के लिए सीएसआर निधि की 25.00 लाख रुपये की अप्रयुक्त राशि पड़ी है जिसे केरल में सौर गृह प्रकाश प्रणाली/लालटेन के लिए अपरम्परागत ऊर्जा और ग्रामीण प्रौद्योगिकी एजेंसी (एएनईआरटी) को अंशदान किया जाना था। इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष 2017–18 से संबंधित 3.90 लाख रुपये की राशि संविदा की अदायगी शर्तों के अनुसार दातव्य है।

इसके अलावा निदेशक मंडल ने 30 अप्रैल, 2019 को हुई अपनी 43वीं बैठक में 25 लाख रुपये की अप्रयुक्त राशि को एमएनआरई के दिनांक 15 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 41/1/2019–एनएसएम के अनुसार भारतीय इंजीनियर्स संस्थान, उत्तराखंड राज्य केंद्र, देहरादून के सेमिनार हाल के नवीकरण कार्य में सहायता करने के प्रति अंशदान करने के लिए उपयोग में लाने को अनुमोदित किया है।

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
क. वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि	138.00	78.12
ख. पिछले वर्ष राशि में कमी	-	-
ग. जोड़ (क + ख)	**138.00**	**78.12**
घ. वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	113.00	78.12
कम राशि	25.00	-

66. इंड एएस–1 के अनुसार प्रकटीकरण– ''वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण

(क) महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों में परिवर्तन

सवंर्धित प्रकटीकरण के लिए वर्ष के दौरान लेखाकरण नीतियों में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं:

1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी नए इंड एएस 115 के अनुपालन हेतु राजस्व स्वीकरण नीति को संशोधित किया गया है।

(ख) तुलनात्मक आंकड़ों का पुनर्वर्गीकरण

वर्तमान वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ तुलनीयता को बढ़ाने हेतु तुलनात्मक अवधि के वित्तीय विवरणों का और कंपनी अधिनियम के डिविजन–II–इंड एएस अनुसूची III के संबंध में मार्गदर्शी टिप्पणी के साथ अनुपालन बढ़ाने के लिए कुछेक पुनर्वर्गीकरण किए गए हैं। परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र में कुछेक समनुरूप मदों का पुनर्वर्गीकरण किया गया है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:–

₹ लाख

विवरण	पुनर्वर्गीकरण से पहले	पुनर्वर्गीकरण	पुनर्वर्गीकरण के बाद
अन्य गैर–वर्तमान देनदारियां	-	349.17	349.17
वर्तमान देनदारियां – अन्य वर्तमान देनदारियां	4,392.72	(349.17)	4043.55

67. वर्ष के दौरान ऐसा घटनाक्रम नही है जो तुलन पत्र की तारीख के पश्चात् घटित हुआ हो और जिसका 31 मार्च, 2019 का समाप्त वर्ष के वित्तीय आंकड़ो पर कोई महत्वपूर्ण प्रभार होता।

प्रचालन चक्र

68. कंपनी की गतिविधियों के स्वरूप और संपत्ति के अधिग्रहण और नकद अथवा नकदी समकक्ष में उनकी प्राप्ति के बीच सामान्य समय के आधार पर वर्तमान और गैर वर्तमान रूप में अपनी परिसम्पत्तियों और देयताओं के वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए कंपनी ने 12 माह के रूप में अपना प्रचालन चक्र निर्धारित किया है।

69. वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलना करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो पिछले वर्ष के आंकड़ो को पुनः व्यवस्थित अथवा पुनः समूहित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता0/–	हस्ता0/–	हस्ता0/–
(सुनील कुमार)	(सी कन्नन)	(जतींद्र नाथ स्वेन)
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्याः 17693	डीआईएन 06458185	डीआईएन 01969056

समसंख्यक तारीख को हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते आरएसपीएच एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन. 003013एन

हस्ता0/–
(सीए तरुण कुमार बत्रा)
साझेदार
सदस्यता संख्याः– 094318
यूडीआईएन 19094318एएएएएई4112
दिनांक : 22.07.2019

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.07.2019

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र

₹ लाख

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
परिसंपत्तियां			
गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	2	5,874.31	6,225.84
पूंजीगत कार्य प्रगति में	3	226.70	65.08
अमूर्त परिसंपत्ति	4	36.38	44.60
विकासधीन अमूर्त परिसंपत्ति	5	15.30	1.11
संयुक्त उद्यमों में निवेश	6	7,967.80	2,951.94
वित्तीय परिसंपत्तियां			
ऋण एवं अग्रिम	7	31.91	317.04
अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	8	21,941.46	16,688.36
कुल गैर वर्तमान परिसंपत्तियां		**36,093.86**	**26,293.97**
वर्तमान परिसंपत्तियां			
वित्तीय परिसंपत्तियां			
व्यापार प्राप्य	9	70,824.65	12,599.36
नकद एवं नकदी समतुल्य	10	32,015.96	18,601.34
नकद एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक में शेष	11	1,35,394.75	1,42,450.81
ऋण एवं अग्रिम	12	507.44	208.29
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	13	42,283.39	15,932.34
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	14	285.16	535.67
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	15	488.76	-
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां		**2,81,800.11**	**1,90,327.81**
कुल परिसंपत्तियां		**3,17,893.97**	**2,16,621.78**
इक्विटी एवं देयताएं			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	16	35,400.00	35,400.00
अन्य इक्विटी	17	28,683.25	10,956.42
कुल इक्विटी		**64,083.25**	**46,356.42**

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र

₹ लाख

देयताएं			
गैर–वर्तमान देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
अन्य वित्तीय देयताएं	18	2,964.74	2,150.44
प्रावधान	19	385.04	308.63
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	20	582.70	559.41
अन्य गैर–वर्तमान देयताएं	21	602.06	349.17
कुल गैर वर्तमान देयताएं		**4,534.54**	**3,367.65**
वर्तमान देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
व्यापार देयताएं	22		
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को देय कुल बकाया		-	-
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा देनदारो को देय कुल बकाया		37,739.65	22,521.57
अन्य वित्तीय देयताएं	23	1,88,194.56	1,34,131.15
प्रावधान	24	668.05	811.65
अन्य वर्तमान देयताएं	25	4,027.03	4,043.55
वर्तमान कर देयताएं (निवल)	26	-	66.76
कुल वर्तमान देयताएं		**2,30,629.29**	**1,61,574.68**
आस्थगित राजस्व	27	18,646.89	5,323.03
कुल इक्विटी एवं देयताएं		**3,17,893.97**	**2,16,621.78**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		

सह टिप्पणियां 1 से 71 तक इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता0/–	हस्ता0/–	हस्ता0/–
(सुनील कुमार)	(सी कन्नन)	(जतींद्र नाथ स्वेन)
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्याः 17693	डीआईएन 06458185	डीआईएन 01969056

समसंख्यक तारीख को हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते आरएसपीएच एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन. 003013एन

हस्ता0/–
(सीए तरुण कुमार बत्रा)
साझेदार
सदस्यता संख्याः– 094318
यूडीआईएन 19094318एएएएएएफ6617
दिनांक : 22.07.2019

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.07.2019

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का समेकित विवरण

₹ लाख

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
आय			
प्रचालनों से राजस्व	28	3,23,512.61	1,15,817.74
अन्य आय	29	2,827.94	1,773.41
कुल आय		**3,26,340.55**	**1,17,591.15**
व्यय			
सौर विद्युत की खरीद	30	3,00,733.78	1,02,664.09
कर्मचारी हितलाभ व्यय	31	1,636.75	1,684.93
वित्तीय लागत	32	267.95	64.87
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	33	459.16	444.49
अन्य व्यय	34	3,279.58	2,559.16
कुल व्यय		**3,06,377.22**	**1,07,417.54**
असाधारण मदों से पूर्व लाभ, इक्विटी विधि व कर का उपयोग कर परिकलित निवेश का निवल लाभ का शेयर		**19,963.33**	**10,173.61**
असाधारण मदें		-	-
इक्विटी पद्धति और कर का उपयोग कर परिकलित निवेश का निवल लाभ के शेयर से पूर्व लाभ		**19,963.33**	**10,173.61**
जोड़ेः इक्विटी प्रक्रिया का प्रयोग कर परिकलित संयुक्त उद्यमों से निवल लाभ का शेयर		**5,101.30**	**2,019.55**
कर पूर्व लाभ		**25,064.63**	**12,193.16**
कर व्यय			
वर्तमान कर			
वर्तमान वर्ष		7,095.31	3,630.53
पिछला वर्ष		(13.28)	(182.19)
आस्थगित कर		26.92	252.98
कुल कर व्यय		**7,108.95**	**3,701.32**
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		**17,955.68**	**8,491.84**
अन्य सम्पूर्ण आय			
मदें जिनको लाभ या हानि (निवल कर) में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जायेगा			
ओसीआई को अंतरित परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ(हानि) का पुनः मापन		(10.37)	1.73

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का समेकित विवरण

₹ लाख

उन मदों के संबंध में आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		3.62	(0.60)
वर्ष के लिए कुल संपूर्ण आय (वर्ष के लिए लाभ/(हानि) और अन्य संपूर्ण आय को समाविष्ट करके)		**17,948.93**	**8,492.97**
प्रति इक्विटी शेयर पर अर्जन			
मूल (रु.)		**507.22**	**261.54**
तनुकृत (रु.)		**507.22**	**261.54**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		

यह टिप्पणियां 1 से 71 तक इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता0/–	हस्ता0/–	हस्ता0/–
(सुनील कुमार)	(सी कन्नन)	(जतींद्र नाथ स्वेन)
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्याः 17693	डीआईएन 06458185	डीआईएन 01969056

समसंख्यक तारीख को हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते आरएसपीएच एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन. 003013एन

हस्ता0/–
(सीए तरुण कुमार बत्रा)
साझेदार
सदस्यता संख्याः– 094318
यूडीआईएन 19094318एएएएएएफ6617
दिनांक : 22.07.2019

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.07.2019

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ	**25,064.63**	**12,193.16**
जोड़ें : अन्य संपूर्ण आय/(व्यय)	(10.37)	1.73
	25,054.26	**12,194.89**
निम्न के लिए समायोजन :		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों व अमूर्त संपत्तियों का मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि	459.16	444.49
संपत्ति, संयंत्र एव उपकरणों के निपटान पर हानि	0.78	0.21
हानि के लिए प्रावधान	170.06	-
निष्पादन गारंटी जमा पर छूट का मोचन	211.46	35.52
आस्थगित राजस्व व्यय से अभिज्ञात प्राप्य प्रतिभूति जमा	56.49	29.35
आस्थगित राजस्व आय से अभिज्ञात निष्पादन गारंटी जमा	(664.74)	(99.67)
प्राप्य प्रतिभूति जमा पर छूट का मोचन	(59.61)	(26.89)
आस्थगित पेरोल व्यय	0.27	-
आस्थगित आय से अभिज्ञात – सरकारी अनुदान	(17.99)	(15.68)
ब्याज आय	(2,097.88)	(1,643.05)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	**23,112.26**	**10,919.17**
निम्न के लिए समायोजन :		
व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी	(58,395.35)	(1,456.98)
नकद एवं नकदी सतुल्य, ऋण व अग्रिम व अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा बैंक शेष में (वृद्धि)/कमी	(19,306.17)	(89,983.59)
अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	57.22	35.77
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	250.51	(198.25)
व्यापार देयताओं, प्रावधानों एवं अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	84,060.10	53,397.68
प्रचालनों से नकदी सृजन/(प्रयुक्त)	**29,778.57**	**(27,286.20)**
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	(7,637.55)	(3,667.00)
प्रचालन गतिविधि से/में निवल नकदी प्रवाह/(प्रयुक्त) – क	**22,141.02**	**(30,953.20)**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
पूंजी अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	(5,310.32)	(15.34)
संयुक्त उद्यमों में निवेश	(5,015.86)	(2,019.55)
ब्याज आय	2,097.88	1,643.05

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

₹ लाख

पूंजीगत कार्य प्रगति में निवेश	(161.62)	(64.08)
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में निवेश	(14.19)	-
अचल परिसंपत्तियों का निपटान	2.94	0.43
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(103.13)	(854.14)
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह – ख	**(8,504.30)**	**(1,309.63)**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
इक्विटी शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्त आय	-	5,000.00
दीर्घकालिक देनदारियों का पुनः भुगतान	-	-
भुगतान किया गया ब्याज	-	-
भुगतान किया गया लाभांश	(184.22)	(3,838.43)
लाभांश पर कर	(37.88)	(781.40)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह – ग	**(222.10)**	**380.17**
नकद एवं नकदी समतुल्य में निवल (कमी)/वृद्धि (क+ख+ग)	**13,414.62**	**(31,882.66)**
साल के आरंभ में नकद एवं नकदी समतुल्य (नीचे टिप्पणी 1 एवं 2 देखें)	**18,601.34**	**50,484.00**
साल के अंत में नकद एवं नकदी समतुल्य (नीचे टिप्पणी 1 एवं 2 देखें)	**32,015.96**	**18,601.34**

टिप्पणी :

1. नकद एवं नकदी समतुल्य में चालू खातों में बैंकों ने जमा राशि, ऑटो स्वीप जमा, तीन माह तक की मूल परिपक्वता अवधि वाले सावधि जाम और उस पर अर्जित ब्याज शामिल है।
2. नकद एवं नकदी समतुल्यों का समाधानः टिप्पणी 11 के अनुसार नकद एवं नकदी समतुल्य
3. जहां कहीं आवश्यक समझा गया वहां पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकरण/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता0/–	हस्ता0/–	हस्ता0/–
(सुनील कुमार)	(सी कन्नन)	(जतींद्र नाथ स्वेन)
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्याः 17693	डीआईएन 06458185	डीआईएन 01969056

समसंख्यक तारीख को हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते आरएसपीएच एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन. 003013एन

हस्ता0/–
(सीए तरुण कुमार बत्रा)
साझेदार
सदस्यता संख्याः– 094318
यूडीआईएन 19094318एएएएएएफ6617

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.07.2019

दिनांक : 22.07.2019

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

₹ लाख

01 अप्रैल, 2018 को शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तन	31 मार्च, 2019 को शेष
35,400	-	35,400

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

₹ लाख

01 अप्रैल, 2017 को शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तन	31 मार्च, 2018 को शेष
30,400	5,000	35,400

ख. अन्य इक्विटी

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

₹ लाख

विवरण	रिजर्व और अधिशेष	कुल
	प्रतिधारित आय	
01 अप्रैल, 2018 को शेष	**10,956.42**	**10,956.42**
वर्ष के लिए लाभ	17,955.68	17,955.68
अन्य संपूर्ण आय	(6.75)	(6.75)
कुल संपूर्ण आय	**28,905.35**	**28,905.35**
प्रतिधारित आय को/से अंतरण		
अंतिम लाभांश–वित्तीय वर्ष 2017–18 (संदर्भ टिप्पणी 16)	(184.22)	(184.22)
अंतिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर (संदर्भ टिप्पणी 16)	(37.88)	(37.88)
31 मार्च, 2019 को शेष	**28,683.25**	**28,683.25**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

₹ लाख

विवरण	रिजर्व और अधिशेष	कुल
	प्रतिधारित आय	
01 अप्रैल, 2017 को शेष	**7,083.28**	**7,083.28**
वर्ष के लिए लाभ	8,491.84	8,491.84
अन्य संपूर्ण आय	1.13	1.13

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

इक्विटी के परिवर्तन का समेकित विवरण

₹ लाख

कुल सम्पूर्ण आय	**15,576.25**	**15,576.25**
धारित आय को/से अंतरण		-
अंतिम लाभांश–वित्तीय वर्ष 2016–17 (संदर्भ टिप्पणी सं. 16)	(1,396.13)	(1,396.13)
अंतिम लाभांश पर लाभांश विवरण कर	(284.22)	(284.22)
अंतरिम लाभांश–वित्तीय वर्ष 2017–18 (संदर्भ टिप्पणी सं. 16)	(2,442.30)	(2,442.30)
अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	(497.18)	(497.18)
31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार शेष	**10,956.42**	**10,956.42**

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता0/–	हस्ता0/–	हस्ता0/–
(सुनील कुमार)	(सी कन्नन)	(जतींद्र नाथ स्वेन)
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्याः 17693	डीआईएन 06458185	डीआईएन 01969056

समसंख्यक तारीख को हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते आरएसपीएच एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन. 003013एन

हस्ता0/–
(सीए तरुण कुमार बत्रा)
साझेदार
सदस्यता संख्याः– 094318
यूडीआईएन 19094318एएएएएएफ6617
दिनांक : 22.07.2019

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.07.2019

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

कम्पनी सूचना और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

समेकित वित्तीय विवरण का टिप्पणी भाग

टिप्पणी:1:

क. रिपोर्टिंग कंपनी

सोलर एनर्जी कॉरपोरशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में स्थापित एक घरेलू कंपनी है और उसके शेयर सीमित मात्रा में हैं (सिनः यू40106डीएल2011जीओआई225263) कंपनी का पंजीकृत कार्यालय डी–3, पहली मंजिल, विंग–ए, रेलिगेयर बिल्डिंग (अब प्रायस प्लेटिनियम), डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली है। इन समेकित वित्तीय विवरणो में कंपनी के वित्तीय विवरण शामिल हैं और इसके संयुक्त उद्यमों में इसका हित है (सामुहिक को समूह का रूप में संदर्भ ले)। समूह मुख्य रूप से एमएनआरई की अनेक योजनाओं का कार्यान्वयन करता है, जिसमें मुख्य रूप से जेएनएनएसएम के तहत बड़े पैमाने की ग्रिड–क्नेक्टिड सोलर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वीजीएफ स्कीमें, सोलर पार्क स्कीमें और ग्रिड–क्नेक्टेड सोलर रूप टॉप स्कीमें तथा अनेक प्रकार की विशिष्ट स्कीमें शामिल हैं। समूह सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं की नीलामी भी करती है। समूह के पास ऊर्जा कारोबार का लाइसेंस है और उसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के तहत स्थापित की गई परियोजनाओं से सौर ऊर्जा के कारोबार के जरिये इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। समूह सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएं भी प्रदान करती है। समूह नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन और उसकी बिक्री भी करती है।

ख. तैयार करने का आधार

1. अनुपालन का विवरण

इन समेकित वित्तीय विवरणों को लेखाकरण के प्रोद्भूत आधार का अनुसरण कर तथा कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 के अधीन अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानकों (इंड एएस) और उनमें अनुवर्ती संशोधनों का अनुपालन कर, कंपनी अधिनियम, 2013 (जहां तक इसे अधिसूचित किया गया है और कंपनी पर लागू है), यथा लागू कंपनी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधानों, यथा लागू विद्युत अधिनियम 2003 का अनुसरण कर तैयार किया गया है।

ये वित्तीय विवरण 19 जुलाई 2019 को आयोजित बोर्ड बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए थे।

2. माप का आधार

कुछ समेकित वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है (लेखाकरण नीति की बिन्दु सं. 20 अर्थात ''वित्तीय प्रपत्र'' का संदर्भ लें) को छोड़कर, समेकित वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किया गया है। उचित मूल्यों के माप के लिए प्रयुक्त विधियों पर वितरित चर्चा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों में की गई है।

3. कार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण मुद्रा

इन समेकित वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किया गया है, जो कि कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। भारतीय रुपये में प्रस्तुत समस्त वित्तीय सूचना को अन्यथा उल्लेख किये जाने के सिवाय, निकटतम लाख रुपयों (दो दशमलव संख्याओं तक) राउंड ऑफ किया गया है।

4. वर्तमान एवं गैर–वर्तमान वर्गीकरण

समूह ने तुलन पत्र में परिसंपत्तियों एवं देयताओं को वर्तमान/गैर–वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत किया है।

एक परिसंपत्ति तब वर्तमान परिसंपत्ति होती है, जब इसेः

- सामान्य प्रचालन चक्र में वसूला जाने या बेचे जाने या उपभोग किये जाने की संभावना होती है;
- इसे सामान्य व्यवसाय के प्रयोजन हेतु मुख्य रूप से धारित किया जाता है;
- इसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 माह के भीतर वसूले जाने की संभावना होती है; या
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम 12 माह तक की किसी देयता के निपटान हेतु नकद या समतुल्य नकद मूल्य के साथ आदान–प्रदान नहीं किया जाता।

सभी अन्य परिसंपत्तियों को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता हैः

कोई भी देयता तब वर्तमान होती है जबः

- जब उसे सामान्य व्यवसाय चक्र में निपटाए जाने की संभावना होती है;
- जब वह सामान्य व्यवसाय के प्रयोजन हेतु मुख्य रूप से देय हो जाती है;
- वह रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर निपटाए जाने के लिए देय हो जाती है; या
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम 12 माह तक देयता के निपटान को आस्थगित करने का कोई सप्रतिबंध अधिकार नहीं होता है।

अन्य सभी देयताओं को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

आस्थगित कर संपत्तियों/देयताओं को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ग. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में जिन महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों को अपनाया गया है उनका सारांश नीचे दिया गया है। इन लेखाकरण नीतियों को समेकित वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के संबंध में निरंतर रूप से अपनाया गया है। समूह ने इंड एएस 16 एवं इंड एएस 38 के प्रावधानों को पूर्वव्यापी तारीख से न अपनाकर इंड एएस 101 के अंतर्गत विकल्प का उपयोग करने का निश्चय किया है और वह इंड एएस में परिवर्तन की तारीख अर्थात् 1 अप्रैल, 2016 के समय पर इंड एएस के तहत एक परिकल्पित लागत के रूप में पूर्ववर्ती जीएएपी अग्रनयन राशि का निरंतर उपयोग कर रही है। अतः 01 अप्रैल, 2016 को अर्थात समूह की इंड एएस में परिवर्तन करने की तारीख के समय पर पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों की अग्रनयन राशि को इंड एएस में परिवर्तन पर कायम किया गया है।

1. समेकन का आधार

संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख को तैयार किए गए हैं जो समेकन के प्रयोजन के लिए समूह की है।

1.1 संयुक्त प्रबंध

भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एस 111) के अंतर्गत ''संयुक्त प्रबंध'', निवेश को या तो संयुक्त प्रचालनों के रूप में अथवा संयुक्त उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण संयुक्त प्रबंधों की विधिक संरचना के बजाय संविदात्मक अधिकारों पर और प्रत्येक निवेशक के दायित्व पर निर्भर करता है। समूह के 6 संयुक्त उद्यम हैं।

संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम में ब्याज को प्रारंभ में समेकित तुलन पत्र में लागत पर स्वीकार किए जाने के पश्चात इक्विटी पद्धति का प्रयोग करते हुए लेखे में लिया जाता है (देखें नीचे 1.2)

1.2 इक्विटी पद्धति

लेखाकरण की इक्विटी पद्धति के अंतर्गत संयुक्त उद्यम में निवेश को प्रारंभ में लागत पर स्वीकार किया जाता है। निवेश की कैरिंग राशि को अधिग्रहण की तारीख से संयुक्त उद्यम की निवल परिसंपित्तयों में समूह के भाग में परिवर्तनों को स्वीकार करने हेतु समायोजित किया जाता है।

लाभ और हानि का विवरण एसोसिएटस अथवा संयुक्त उद्यमों के प्रचालनों के परिणामों में समूह के भाग को प्रदर्शित करता है। उन निवेशकों के ओसीआई में किसी भी परिवर्तन को समूह की ओसीआई के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता हैं। इसके अलावा जब कोई परिवर्तन होता है और उसे संयुक्त उद्यम की इक्विटी में सीधे ही स्वीकार किया गया हो तो समूह इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण में, जब लागू हो, किसी भी परिवर्तनों के अपने भाग को स्वीकार करता है। समूह और संयुक्त उद्यम के बीच किसी भी लेन–देन के परिणाम स्वरूप प्राप्त न हुए लाभों तथा हानियों को संयुक्त उद्यम में ब्याज की मात्रा तक समाप्त कर दिया जाता है। अनुभूत न हुई हानियों को भी तब समाप्त कर दिया जाता है जब तक कि लेन–देन में अंतरित परिसंपत्तियों की क्षति के बारे में सबूत प्राप्त नहीं होता है। इक्विटी लेखे में ली गई सामग्री निवेशकों संबंधी लेखाकरण नीतियों को उन मामलों में परिवर्तित कर दिया गया है जहां पर ऐसा करना समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के साथ समनुरूपता निश्चित करने हेतु आवश्यक हो।

संयुक्त उद्यम पर आंतरिक नियंत्रण की हानियां होने पर समूह लाभ और हानि में स्वीकार की गई कैरिंग राशि में परिवर्तन के साथ इसके उचित मूल्य पर प्रतिधारित किसी निवेश का मूल्यांकन करता है और स्वीकार करता है। इसके अलावा, उस संस्था के संबंध में अन्य व्यापक आय में पूर्व में स्वीकार की गई किसी भी राशि को उस सीमा तक लेखें में लिया गया है जहां तक कि समूह ने संबंधित परिसंपत्तियों या देयताओं का सीधे ही निपटान कर दिया था। इसका अर्थ यह हो सकता है कि अन्य सम्पूर्ण आय से पहले स्वीकार की गई राशियां लाभ और हानि के लिए वर्गीकृत की गई हों।

संयुक्त उद्यम में यदि स्वामित्व हित को कम कर दिया जाता है परंतु संयुक्त नियंत्रण बनाया रखा जाता है तो केवल अन्य व्यापक आय में पूर्व में स्वीकृत राशि के समानुपात भाग को जहां उचित होता है लाभ और हानि के प्रति वर्गीकृत किया जाता है।

2. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

2.1 आरंभिक अभिस्वीकृति और माप

किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मद को तभी एक परिसंपत्ति के रूप में अभिस्वीकृत किया जाता है जब यह संभावना होती है कि उससे संबद्ध भावी आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होंगे, और उस मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण मदों को आरंभ में उनकी लागत पर अभिस्वीकृत किया जाता है।

अनुवर्ती माप लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन और संचित ह्रास हानि को घटाकर किया जाता है। लागत में ऐसा व्यय शामिल होता है जिसे परिसंपत्ति को किसी स्थान और ऐसी स्थिति में ले जाने के लिये व्यय कहा जा सकता है, जहां प्रबंधन की वांछित प्रक्रिया में वह प्रचालन योग्य हो।

जब किसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भागों की भिन्न–भिन्न उपयोगी लाइफ होती है, तब उन्हें अलग–अलग रूप से अभिस्वीकृत किया जाता है।

धारण की गई भूमि से संबंधित क्षतिपूर्ति, पुनर्वास तथा अन्य खर्चों के संबंध में अनंतिम रूप से किये गये जमा, भुगतानों, देयताओं को भूमि लागत के रूप में दर्शाया जाता है।

उपयोग की जा रही परिसंपत्तियों के संबंध में, जहां संविदाकारों के बिलों का अंतिम निपटान नहीं किया गया होता है, ऐसी स्थिति में अंतिम निपटान वाले वर्ष में अपेक्षित समायोजन के अध्यधीन पूँजीकरण अनंतिम आधार पर किया जाता है।

कल–पुर्जे संबंधित मदों, स्टैंड–बाइ उपकरणों और सेवारत उपकरणों, जो कि संपत्ति की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, संयंत्र एवं उपकरणों को अधिग्रहण के रूप में पूँजीगत में दर्शाया जाता है। अन्य कल–पुर्जों को माल–सूची के रूप में दर्शाया जाता है और उनके उपभोग पर उन्हें लाभ एवं हानि के विवरण में अभिस्वीकृत किया जाता है।

पट्टे वाली भूमि पर परिसंपत्तियों के निर्माण को खर्च की गई वास्तविक लागत पर तब तक भवन/नवीनीकरण कार्य के रूप में पूँजी के रूप में दर्शाया जाता है, जब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं होता तथा पट्टे की अवधि के दौरान उनका मूल्यह्रास नहीं हो जाता।

2.2 अनुवर्ती लागतें

अनुवर्ती व्यय को परिसंपत्ति की अग्रनयन राशि में तब तक एक वृद्धि के रूप में अभिस्वीकृत किया जाता है, जब तक यह संभावना होती है कि खर्च की गई लागत से भावी आर्थिक लाभ उद्यम को प्राप्त हो और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

किसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण मद के भाग को बदलने की लागत को अग्रनयन राशि में तब अभिस्वीकृत किया जाता है जब ऐसी संभावना हो कि उक्त मद के भाग में अंतर्निहित भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे, और उसकी लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। बदले हुए कल–पुर्जों व भागों की अग्रनयन राशि को अभिस्वीकृत नहीं किया जाता हैं। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की रोजमर्रा के रखरखाव की लागत को खर्च के रूप में लाभ या हानि में अभिस्वीकृत किया जाता है।

2.3 अभिस्वीकृत नही किया जाना

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को तब अभिस्वीकृत नहीं किया जाता है, जब उनके उपयोग या उनके निस्तारण से कोई भावी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है। किसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण मद के निस्तारण पर लाभ एवं हानियों को उनकी अग्रनयन राशि के साथ निस्तारण से प्राप्त राशियों के साथ तुलना कर निर्धारित किया जाता है, और उन्हें लाभ एवं हानि विवरण में अभिस्वीकृत किया जाता है।

2.4 मूल्यह्रास/परिशोधन

समूह की ऊर्जा उत्पादन इकाइयों की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि विवरण में सीईआरसी द्वारा प्रशुल्क के नियतन के लिए अधिसूचित दरों एवं कार्यप्रणाली तथा कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार स्ट्रेट–लाइन पद्धति का अनुसरण करते हुए प्रभारित किया जाता है।

बिजली उत्पादन व्यवसाय से संबंधित पट्टेगत भूमि एवं भवनों को सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों द्वारा अधिसूचित दरों एवं कार्यप्रणाली का अनुसरण करते हुए संबंधित प्लांट की पट्टा अवधि लाइफ, जो भी पहले हो, के आधार पर पूर्णरूप से परिशोधित किया जाता है।

ऊपर विर्निदिष्ट परिसंपत्तियों के अलावा परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को कंपनी अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट यूज़फुल लाइफ का अनुसरण करते हुए स्ट्रेटलाइन पद्धति पर उपलब्ध कराया जाता है।

वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के ऐडीशन/डिलीशन पर मूल्यह्रास को उस तारीख पर, जिस दिन परिसंपत्ति उपयोग/निस्तारण हेतु उपलब्ध होती है, यथानुपात आधार पर प्रभारित किया जाता है।

जहां विनिमय उतार–चढ़ाव, मूल्य समायोजन, करों या सदृश कारकों में बदलाव के कारण दीर्घकालिक देयताओं में वृद्धि/गिरावट होने के कारण वर्ष के दौरान मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों की लागत में परिवर्तन होता है, ऐसी स्थितियों में उक्त परिसंपत्ति के अपरिशोधित शेष को उसकी शेष उपयोगी लाइफ, जिसे मूल्यह्रास से संबंधित लागू लेखाकरण नीति से निर्धारित किया जाता है, के आधार पर उत्तरव्यापी प्रभाव से प्रभारित किया जाता है।

5,000 रुपये या उसे कम लागत की परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास सारवान् रूप से उनके अधिग्रहण के वर्ष में किया जाता है।

3. प्रगतिशील पूँजीगत कार्य

स्वयं–निर्मित परिसंपत्तियों की लागत में सामग्रियों एवं प्रत्यक्ष श्रम की लागत तथा अन्य कोई ऐसी लागत, जो परिसंपत्ति को ऐसे स्थान एवं स्थिति में ले जाने के लिए खर्च की जाती है जहां प्रबंधन की इच्छानुसार प्रक्रिया में उक्त परिसंपत्ति परिचालन योग्य हो, और उधार लागतें शामिल होती हैं।

4. अमूर्त परिसंपत्तियां और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

4.1 आरंभिक अभिस्वीकृति एवं माप

किसी अमूर्त परिसंपत्ति को तब अभिस्वीकृत किया जाता है, जब ऐसी संभावना हो कि उक्त परिसंपत्ति के प्रत्याशित भावी आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त हों, और परिसंपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

समूह द्वारा अधिग्रहित ऐसी अमूल्य परिसंपत्तियों, जिनकी निश्चित उपयोगी लाइफ होती है, को लागत पर अभिस्वीकृत किया जाता है। अनुवर्ती माप, परिसंपत्ति की लागत में से संचित परिशोधन एवं संचित ह्रासन हानियों को घटाकर किया जाता है। परिसंपत्ति की लागत में ऐसे प्रासंगिक खर्चे शामिल होते हैं, जो कि परिसंपत्ति को उसके वांछित उपयोग हेतु तैयार करने के लिए जरूरी होते हैं। ऐसे खर्च किये गए व्यय, जो अमूर्त परिसंपित्तियों के तहत पूँजीकरण के योग्य हो, को अमूर्त परिसंपत्तियों के विकास के रूप में तब तक अग्रेषित किया जाता है, जब तक वे वांछित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जातीं।

4.2 अभिस्वीकृत नही किया जाना

किसी अमूर्त परिसंपत्ति को तब अभिस्वीकृत नहीं किया जाता है, जब उसके उपयोग या निस्तारण से कोई भावी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति मद के निस्तारण पर लाभ एवं हानियों को उनकी अग्रनयन राशि के साथ निस्तारण से प्राप्त राशियों के साथ तुलना करके, और लाभ एवं हानि विवरण में अभिस्वीकृत किया जाता है।

4.3 परिशोधन

अमूर्त परिसपंत्तियों को कानूनी अधिकार की अवधि या 5 वर्षों की अवधि, जो भी पहले हो, के आधार पर स्ट्रेट लाइन पद्धति विधि के अनुसार परिशोधित किया जाता है।

5. ऋण लागतें

ऋण लागतों में (क) ब्याज खर्च जिसे इंड एएस 109 – 'वित्तीय प्रपत्र' में वर्णित प्रभावकारी ब्याज विधि का प्रयोग कर परिकलन किया जाता है, (ख) इंड एएस 17– 'पट्टा' के अनुसार अभिस्वीकृत वित्त पट्टों के संबंध में वित्त प्रभार और (ग) विनिमय में अंतर, जो विदेशी मुद्रा उधार लेने के कारण उस सीमा तक घटित होते हैं, जहां तक उन्हें ब्याज लागतों में समायोजन के रूप में स्वीकृत किया जाता है, शामिल होते हैं।

अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण/अन्वेषण/विकास या उन्हें स्थापित करने के संबंध में जिन उधार लागतों को प्रत्यक्ष रूप से खर्च किया जाता है, उन्हें उक्त परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में तब तक पूँजीकृत किया जाता है, जब तक की परिसंपत्तियां अपने वांछित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हो जातीं। अर्हक परिसंपत्तियां उन्हें कहते हैं, जो अपने वांछित उपयोग हेतु तैयार होने या बिक्री के लिए पर्याप्त समय लेती हैं।

जब समूह कोई अर्हक परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए विशेष रूप से निधियां उधार देता है, तब खर्च की गई उधार लागतों का पूँजीकरण किया जाता है। जब समूह आमतौर पर निधियां उधार लेकर कोई अर्हक परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से उन्हें खर्च करता है, तब उधार लागतों का पूँजीकरण सामान्य उधार, जो समीक्षाधीन अवधि के दौरान बकाया हैं और जिनका उपयोग अर्हक परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण/अन्वेषण या उसे स्थापित करने के लिए किया जा रहा है, की भारित औसत लागत के आधार पर संगणित किया जाता है।

उधार लागतों का पूँजीकरण तब समाप्त हो जाता है, जब अर्हक परिसंपत्तियों के वांछित उपयोग के लिए अपेक्षित सभी कार्य पूरे कर लिये जाते हैं। उधार लागतों में ब्याज तथा अन्य लागतें शामिल होती हैं, जो कि किसी कंपनी द्वारा निधियां उधार लेने के संबंध में खर्च की जाती हैं।

उधार लागतों में विदेशी मुद्रा उधारों से घटित विनिमय अंतर उस सीमा तक शामिल होते है, जहां तक उन्हें ब्याज लागतों में समायोजन के तौर पर दर्शाया जाता है।

अन्य उधार लागतों को उस वर्ष में खर्च के रूप में अभिस्वीकृत किया जाता है, जिसमें उन्हें खर्च किया जाता है।

6. मालसूचियां

मालसूचियों का मूल्य निर्धारण न्यून लागत तथा निवल वसूले जाने वाले मूल्य पर किया जाता है। लागत में मालसूचियों के क्रय की लागत, परिवर्तन की लागत तथा उन्हें वर्तमान स्थान एवं स्थिति तक पहुंचाने हेतु खर्च की गई अन्य लागतें शामिल होती हैं। क्रय की गई मालसूची की लागतों का निर्धारण कटौती एवं छूट को घटाकर किया जाता है। निवल वसूले जाने वाला मूल्य सामान्य व्यवसाय में आंकलित विक्रय मूल्य है, जिसमें से मालसूची तैयार करने की लागत तथा उनकी बिक्री के लिए अपेक्षित आकलित लागतों को घटाया जाता है।

7. नकद एवं नकदी समकक्ष राशियां

तुलन पत्र में नकद और नकदी समतुल्य राशियों में बैंको में जमा नकदी तथा ऑन हैंड और 3 माह या उससे कम की मूल परिपक्कवता अवधि के साथ अल्पावधिक जमा शामिल होते हैं, जिनके मूल्य में बदलाव का जोखिम नहीं होता है।

8. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को प्रारंभ में आस्थगित आय के रूप में तब अभिस्वीकृत किया जाता है, जब उन्हें प्राप्त किया जाता है तथा जब उन्हें प्राप्त किए जाने का और अथवा जहां एक उचित आश्वासन होता है और समूह अनुदानों से संबंधित शर्तों का पालन करेगा। ऐसे अनुदानों, जो समूह को किसी परिसंपत्ति के लागत के संबंध में क्षतिपूर्ति प्रदान करते हैं, को संबद्ध परिसंपत्ति की उपयोगी लाइफ के आधार पर एक व्यवस्थित रूप से लाभ या हानि विवरण में अभिस्वीकृत किया जाता है। ऐसे अनुदानों, जो समूह को खर्च किये गये व्ययों की क्षतिपूर्ति करते हैं, को उस अवधि तक अभिस्वीकृत किया जाता है जिसमें संबद्ध लागतों को खर्च किया गया है और उन्हें संबद्ध खर्चों से घटाया जाता है।

अप्रयुक्त अनुदान में से निधि निवेश पर अर्जित ब्याज को अनुदान के रूप में स्वीकार किया जाता है।

9. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

यदि किसी विगत घटनाक्रम के परिणामस्वरूप समूह पर वर्तमान में कोई कानूनी या सकारात्मक बाध्यता बन जाती है और एक ऐसी संभावना होती है कि आर्थिक लाभ का आउटफ्लो कथित बाध्यता के निपटान के लिए आवश्यक होगा, तब एक प्रावधान को अभिस्वीकृत किया जाता है, जिसका आकलन विश्वसनीय रूप से किया जाता है। यदि राशि के मूल्य का प्रभाव सारवान् है, तब प्रावधानों का निर्धारण ऐसे पूर्व–कर दर पर प्रत्याशित भावी नकदी प्रवाह को घटाकर किया जाता है, जिनमें राशि के समय मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन और देयता विशिष्ट जोखिम परिलक्षित होते हैं। जब बट्टे का प्रयोग किया जाता है, तब समय बिताने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में अभिस्वीकृत किया जाता है।

प्रावधान के तौर पर अभिस्वीकृत की गई राशि जोखिम तथा बाध्यता से संबंधित अनिश्चिताओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग तारीख पर वर्तमान बाध्यता को निपटाने हेतु अपेक्षित राशि का सर्वश्रेष्ठ आकलन होता है।

जब किसी प्रावधान को निपटाने हेतु अपेक्षित कुछ या सभी आर्थिक लाभों को किसी तृतीय पक्षकार से वसूल किये जाने की उम्मीद होती है, तब प्राप्य राशि को एक परिसंपत्ति के रूप में अभिस्वीकृत किया जाता है, अगर यह वास्तविक रूप से निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्य की जाएगी और प्राप्य राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जाएगा। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय को किसी प्रतिपूर्ति के निवल लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

आकस्मिक देयताएं संभावित देयताएं होती हैं, जो विगत घटनाक्रमों से उत्पन्न होती हैं और जिनकी विद्यमानता की पुष्टि केवल एक या उससे अधिक भावी घटनाक्रमों, जो पूर्णरूप से समूह के नियंत्रण में नहीं होते हैं, की उत्पत्ति या गैर–उत्पत्ति से होती है। इस संभावना के लिए कि क्या कोई आर्थिक लाभ के आउटफ्लो की आवश्यकता होगी की नहीं, या जब राशि का आकलन विश्वसनीय रूप से नहीं किया जा सकता, तब बाध्यता को एक आकस्मिक देयता के रूप में तब तक घोषित किया जाता है, जब तक आर्थिक लाभों के आउटफ्लों की संभावना नहीं होती। आकस्मिक देयताओं को प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के अधिनिर्णय के आधार पर घोषित किया जाता है। इन आकस्मिक देयताओं की समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख पर की जाती है और वर्तमान प्रबंधन आकलन दर्शाने हेतु उनका समायोजन किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियां संभावित परिसंपत्तियां होती हैं, जो विगत घटनाक्रमों से उत्पन्न होती हैं और जिनकी विद्यमानता की पुष्टि केवल एक या उससे अनिश्चित भावी घटनाक्रमों, जो पूर्णरूप से समूह के नियंत्रण में नहीं होते हैं, की उत्पत्ति या गैर–उत्पत्ति से होती है। आकस्मिक देयताओं को परिसंपत्तियों को समेकित वित्तीय विवरणों में तब घोषित किया जाता है, जब आर्थिक लाभों का अंतर प्रवाह प्रबंधन के अधिनिर्णय के आधार पर संभावित है। इन आकस्मिक परिसंपत्तियों का आकलन निरंतर रूप से किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घटनाक्रमों को समेकित वित्तीय विवरणों में उपयुक्त रूप से दर्शाया जा सके।

10. राजस्व

समूह का राजस्व विद्युत की बिक्री, परामर्शी, परियोजना प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण सेवाएं तथा अन्य आय से उत्पन्न होता है।

1 अप्रैल 2018 से प्रभावी कंपनी ने संविदाओं, जो 1 अप्रैल, 2018 को पूरे नहीं हुए थे और इसलिए तुलनात्मकों को पुनः नही बताया गया है और जिन्हें इंड ए एस 18 ''राजस्व'' और इंड ए एस 11 ''निर्माण संविदा'' के अनुसार सूचित किया जाता रहेगा, के लिए प्रयुक्त ''संचयी प्रभावी विधि'' का उपयोग कर इंड एएस 115 ''ग्राहकों के साथ सम्पर्क से राजस्व'' को अपनाया है। इंड एएस 18 और इंड एएस 11 के अनुसार लेखाकरण नीतियों का अलग से खुलासा किया जाता है यदि वे इंड एएस 115 के अंतर्गत से भिन्न होती हैं।

10.1 ऊर्जा की बिक्री से राजस्व

राजस्व इस विचार के आधार पर आंका जाता है जो ग्राहक के साथ संविदा में विनिर्दिष्ट है या उत्पादों या सेवाओं के लिए विनिमय में प्राप्त किए जाने की उम्मीद है और तीसरी पार्टियों की ओर से एकत्रित राशि शामिल नहीं है। समूह राजस्व को स्वीकार करती है जब (और या) उत्पादों या सेवाओं पर नियंत्रण ग्राहकों को अंतरित किया जाता है।

तुलनात्मक अवधि में, विद्युत की बिक्री से राजस्व प्राप्त या प्राप्य राशि के उचित मूल्य पर आंका जाता है। राजस्व स्वीकार किया गया था जब महत्वपूर्ण जोखिम और स्वामित्व का रिवार्ड क्रेता का अंतरित किया गया था, विचारार्थ वसूली संभावित थी, सह लागत का अनुमान वास्तव में लगाया जा सके, प्रबंधन की भागीदारी निरंतर नहीं थी और राजस्व की राशि वास्तव में आंकी जा सकी थी।

ऊर्जा के बिक्री से राजस्व को क्रेता कंपनियों के साथ सहमत दरों पर और क्रेता कंपनियों के साथ ऊर्जा बिक्री अनुबंधों (पीएसए) के निबंधन एवं शर्तों के आधार पर अभिस्वीकृत किया जाता है। यूनिटों (किलोवाट) को अंतर्राज्य ऊर्जा बिक्री के संबंध में संयुक्त मीटर रिडिंग/राज्य ऊर्जा लेखाकरण (जेएमआर)/(एसईए) तथा अंतर–राज्य ऊर्जा बिक्री के संबंध में क्षेत्रीय ऊर्जा लेखाकरण (आरईए) के आधार पर अभिस्वीकृत किया जाता है।

बिक्री लेनदेनों का मिलान नियमित अंतरालों पर किया जाता है ताकि बेची गई यूनिटों के साथ उनका मिलान किया जा सके।

लाभार्थियों को जल्दी भुगतान करने के लिए दिए जाने वाले छूटों एवं लाभों को राजस्व की राशि से घटाया जाता है।

10.2 सेवाओं से राजस्व

परामर्श, परियोजना प्रबंधन, पर्यवेक्षण और दी गई अन्य सेवाओं से राजस्व का आंकलन इस विचार के आधार पर किया जाता है जो ग्राहकों के साथ संविदा में विनिर्दिष्ट है या सेवाओं के लिए विनिमय में प्राप्त किए जाने की उम्मीद है और तीसरी पार्टियों की ओर से एकत्रित राशि शामिल नही है। समूह राजस्व को स्वीकार करता है जब (और या) उत्पादों या सेवाओं पर नियंत्रण ग्राहकों को अंतरित किया जाता है।

तुलनात्मक अवधि में दी गई परामर्शी, परियोजना प्रबंधन और पर्यवेक्षण सेवाओं से राजस्व को पूर्णता के चरण के अनुपात में लाभ या हानि में अभिस्वीकृत किया जाता है। पूर्णता के चरण का आकलन सम्बंधित परामर्शी संविदाओं की शर्तों के अनुसार निष्पादित कार्य की वास्तविक प्रगति/तकनीकी मूल्यांकन के संदर्भ में किया गया था। ऐसे मामलों के सम्बंध में जहां दावे के समय उपयुक्त निश्चितता के साथ अंतिम राजस्व संग्रहण कम था वहां स्वीकार्यता को राजस्व संग्रहण किए जाने तक स्थगित किया जाता है।

संविदा संशोधनों का हिसाब लगाया जाता है जब परिवर्धन, विलोपन अथवा परिवर्तन संविदा के दायरे या संविदा के मूल्य के लिए अनुमोदित किया जाता है। संविदाओं के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा संविदा में जोड़ी गई सेवाएं अलग–अलग हैं और क्या मूल्य निर्धारण स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर है। जोड़ी गई सेवाएं जो अलग–अलग नहीं हैं, का हिसाब संचयी कैचअप आधार पर लगाया जाता है बल्कि वे, जो अलग होती है, का हिसाब संभावी अलग संविदा के रूप में लगाया जाता है, यदि अतिरिक्त सेवाएं स्टैंडअलोन विक्रय मूल्य अथवा मौजूदा संविदा के समाप्त करने के रूप मे और यदि स्टैंडअलोन विक्रय मूल्य पर नहीं होती है वो नई संविदा सृजित करने के लिए होती हैं।

10.2.1 ग्रिड/ऑफ ग्रिड–रूफटॉप परियोजनाओं/सौर ऊर्जा परियोजनाओं/पवन ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में राजस्व अभिस्वीकारिता

एमएनआरई रूफटॉप परियोजनाओं के प्रचार/अभिविन्यास, जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाओं, क्षेत्र दौरों, मॉनीटरिंग एवं तकनीकी मार्गदर्शन आदि के संबंध में केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) का 3 प्रतिशत देती है। रूफटॉप परियोजनाओं ग्रिड/ऑफ ग्रिड के संबंध में परियोजना निगरानी और तकनीकी मार्गदर्शन से प्राप्त राजस्व को परियोजनाओं/योजनाओं की प्रगति के चरणों के आधार पर व्यवस्थित

रूप से अभिस्वीकृत किया जाता है। किसी विशिष्ट योजना के संबंध में, जहां राजस्व को अभिस्वीकृत कर बाद में योजना को बंद/क्षमता चालू कर दी जाती है, पूर्व में अभिस्वीकृत किये गए राजस्व के प्रभाव को तद्नुसार रिवर्स कर दिया जाता है।

प्रचार, अभिविन्यास, जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाओं और क्षेत्र दौरों के संबंध में खर्च किये गए वास्तविक व्यय को उपरोक्त में अभिस्वीकृत राजस्व से घटाया जाता है और निवल आय घोषित की जाती है। यदि नीति के अनुसार अभिस्वीकृत राजस्व की तुलना में वर्ष के दौरान खर्च किया गया व्यय अधिक होता है, तब उसे अनुवर्ती वर्ष में अभिस्वीकृत राजस्व से समायोजित किया जाता है।

रूफटॉप परियोजनाओं के अंतर्गत डेवलपर से प्राप्त/प्राप्य (देय निवल प्रोत्साहन, यदि कोई हो) सेवा प्रभारों को उस वर्ष की आय में अभिस्वीकृत किया जा रहा है, जिसमें परियोजना क्षमता को मंजूरी दी जाती है। तथापि, सेवा प्रभारों को चालू/वास्तव में चालू क्षमता के साथ लागू बैंचमार्क (यदि कोई हो) में परिवर्तन के आधार पर समायोजित किया जाता है।

एमएनआरई विभिन्न योजनाओं के तहत निधि संचलन प्रभारों की अभिस्वीकृति एमएनआरई द्वारा जारी स्वीकृत पत्र के आधार पर संवितरित विधियों के अनुपात में आय के रूप में अभिस्वीकृत किया जाता है।

सोलर/विंड पावर परियोजनाओं के संबंध में सफलता शुल्क को सोलर/विंड पावर डेवलपर से प्रभारित किया जा रहा है। कुल सफलता शुल्क के 90 प्रतिशत को तकनीकी आकलनों के अनुसार विभिन्न कार्यकलापों की पूर्णता/प्रदान की गई सेवाओं के आधार पर एलओए/एलओआई जारी करने के समय पर प्रोदभूत आधार पर आय के रूप में अभिस्वीकृत किया जाता है और शेष 10 प्रतिशत को सोलर/विंड पावर परियोजनाओं के चालू होने के समय पर अभिस्वीकृत किया जाता है।

10.3 राजस्व की अभिस्वीकृति – अन्य परिचालनीय आय एवं अन्य आय

अन्य परिचालनीय आय एवं अन्य आय से प्राप्त राजस्व के अंतर्गत बैंकों, कर्मियों, संविदाओं आदि से ब्याज, संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों में किये गये निवेशों से लाभांश, म्यूच्वल फंड निवेशों से लाभांश, विलंबित भुगतानों के लिए ग्राहकों से प्राप्य अधिभार, निविदा शुल्क, बेकार सामग्री की बिक्री से प्राप्त आय, अन्य विविध आय इत्यादि आते हैं।

ब्याज आय को तब अभिस्वीकृत किया जाता है, जब प्रभावी ब्याज दर विधि (ईआईआर) का प्रयोग करते हुए लागू ब्याज दर और बकाया राशि को ध्यान में रखकर एक समयांतराल आधार पर राजस्व की माप योग्य या संग्रहण के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान नहीं होती है।

खराब सामग्री से प्राप्त आय को तब अभिलेखित किया जाता है जब उसे बेच दिया जाता है। लाभ की हानि के लिए बीमा दावों को उनकी स्वीकारिता वर्ष में अभिलेखित किया जाता है। अन्य बीमा दावों का अभिलेखन वसूले जाने की निश्चितता के आधार पर किया जाता है।

ऋण प्रपत्रों, जिन्हें परिशोधित लागत और अन्य संपूर्ण आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, के लिए ब्याज आय का अभिलेखन ईआईआर का प्रयोग कर किया जाता है। ईआईआर एक ऐसी दर है जो आकलित भावी नकदी भुगतानों या प्राप्तियों को वित्तीय प्रपत्र की प्रत्याशित लाइफ या एक अल्पावधि, जो भी उपयुक्त हो, के आधार पर वित्तीय परिसंपत्ति की सकल अग्रनयन राशि या किसी वित्तीय देयता की परिशोधित लागत में यथार्थ रूप से छूट देती है। ईआईआर का परिकलन करते हुए, कंपनी वित्तीय प्रपत्र की सभी संविदात्मक शर्तों (उदाहरण के लिए, अग्रिम भुगतान, विस्तार, कॉल एवं सदृश्य विकल्प) को ध्यान में रखकर प्रत्याशित नकदी प्रवाह का आकलन करती है, लेकिन प्रत्याशित क्रेडिट हानियों पर विचार नहीं करती है।

ब्याज आय को लाभ एवं हानि विवरण में अन्य आय के रूप में शामिल किया जाता है। ऊर्जा की बिक्री में विलंबित भुगतान/ओवरड्यू सन्ड्री डेब्टर्स पर ब्याज/अधिभार को तब अभिस्वीकृत किया जाता है, जब राजस्व की माप योग्य या संग्रहणीयता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता नहीं होती है।

आपूर्तिकर्ताओं को दिये गये अग्रिमों पर वसूल किये जाने वाले ब्याज/अधिभार तथा वारंटी दावों, सेवा प्रभारों के विलंबित भुगतान पर ब्याज प्रभार, परिनिर्धारित क्षतियों, निष्पादन बैंक गारंटी जब्त किया जाना, बैंक गारंटियां देरी से प्रस्तुत करने पर विलंबित प्रभार और निविदा शुल्कों को तब तक प्रोद्भूत राशि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, जब तक उनके वसूले जाने/स्वीकारिता की अनिश्चितता बनी रहती है, अतः उन्हें प्राप्य/स्वीकारिता पर अभिलेखित किया जाता है।

लाभांश आय को लाभ या हानि में उस तारीख को अभिस्वीकृत किया जाता है जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है। यह संभव है कि लाभांश के साथ सम्बद्ध आर्थिक लाभ समूह को आएगा और लाभांश की राशि विश्वस्तता से आंकी जाएगी।

11. विद्युत की खरीद

विद्युत की खरीद का अभिलेखन सोलर पावर डेवलपर्स (एसपीडी) के साथ निष्पादित ऊर्जा क्रय अनुबंधों (पीपीए) के आधार पर संयुक्त मीटर रिडिंग/राज्य ऊर्जा लेखाकरण/क्षेत्रीय ऊर्जा लेखाकरण (जेएमआर/एसईए/आरईए) के आधार पर किया जाता है। क्रय संबंधी लेनदेनों का मिलान विक्रय की गई यूनिटों के मिलान हेतु नियमित अंतरालों पर किया जाता है। विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को दिये गए बिलों में दर्शायी गई यूनिटों से अधिक क्रय की गई यूनिटों को एसपीडी से वसूला जाता है।

शीघ्र भुगतान के रूप में आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त छूट क्रय राशि से काटी जाती है।

12. कर्मचारियों के हितलाभ

कर्मियों के हितलाभों में, अन्य बातों के साथ–साथ, भविष्य निधि, पेंशन, उपदान, छुट्टी लाभ तथा सेवानिवृत्ति हितलाभ शामिल हैं।

12.1 अल्पावधिक हितलाभ

अल्पावधिक कर्मचारी हितलाभों को उस वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण में बट्टा रहित राशि के खर्चे के रूप में अभिस्वीकृत किया जाता है, जिस वर्ष में संबद्ध सेवाएं दी जाती हैं।

कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन के तहत जब कोई राशि अदा किये जाने की उम्मीद होती है, तब देयता को अभिस्वीकृत किया जाता है, अगर समूह पर कर्मचारी द्वारा पूर्व में दी गई सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने हेतु वर्तमान में कानूनी या सकारात्मक बाध्यता होती है, और बाध्यता का आकलन विश्वसनीय रूप से किया जाता है।

12.2 परिभाषित अंशदायी योजनाएं

परिभाषित अंशदायी योजनाएं वह हैं जिसमें कोई समूह अलग कंपनियों में स्थायी अंशदान का भुगतान करता है और जिस पर अतिरिक्त राशियों का भुगतान करने की कोई कानूनी या सकारात्मक बाध्यता नहीं होगी। भविष्य निधि और पेंशन निधि में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भुगतान किये गये/देय अंशदान को लाभ एवं हानि विवरण में प्रोद्भूत आधार पर अभिस्वीकृत किया जाता है। समूह के पास एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है, जिसे एक अलग ट्रस्ट के माध्यम से अभिशासित किया जाता है।

सेवानिवृत्ति पश्चात् अन्य अधिवर्षिता योजनाः

समूह पर मूल वेतन और महंगाई भत्ता के 30 प्रतिशत तक रोजगार पश्चात् हितलाभों के लिए भुगतान करने की बाध्यता है। तद्नुसार, समूह भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान, सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) या अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों की दिशा में नियोक्ता के अंशदान को ध्यान में रखते हुए देयता का प्रावधान करता है। इसे लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

12.3 परिभाषित हितलाभ योजनाएं

परिभाषित हितलाभ योजना एक रोजगार पश्चात् हितलाभ योजना है, जो एक परिभाषित अंशदायी योजना से भिन्न है।

समूह की देयता उपदान, छुट्टी हितलाभ, सेवा सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा हितलाभ को अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग कर वित्त वर्ष के अंत में बीमांकिक (एक्च्युरियल) मूल्यांकन आधार पर निर्धारित किया जाता है।

समूह की परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कुल बाध्यता का परिकलन प्रत्येक योजना के लिए अलग–अलग किया जाता है, जिसमें कर्मियों द्वारा वर्तमान एवं पूर्व की अवधियों में दी गई सेवाओं के बदले अर्जित भावी लाभों का आकलन किया जाता है। इस लाभ का निर्धारण करने हेतु उसके वर्तमान मूल्य को बट्टागत किया जाता है। पूर्व में किसी गैर–अभिस्वीकृत सेवा लागतों और किसी योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को घटाया जाता है। बट्टा दर को रिपोर्टिंग तारीख पर भारत सरकार की प्रतिभूतियों, जिनकी परिपक्वता तारीख समूह की बाध्यता की अवधि के सन्निकट होती है और जिनका अंकित मूल्य उसी मुद्रा में होता है जिसमें हितलाभों का भुगतान किया जाना होता है, की वर्तमान बाजार ईल्ड के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

बाध्यता का परिकलन वार्षिक रूप से एक अर्हक एक्च्युवरी द्वारा किया जाता है जिसके लिए अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जब परिकलन, समूह पर एक देयता के रूप में प्रतिफलित होते हैं, तब देयता के वर्तमान मूल्य को कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान के रूप में अभिस्वीकृत किया जाता है। ओसीआई में कोई भी बीमांकिक (एक्च्युरियल) लाभों या हानियों को उस अवधि में अभिस्वीकृत किया जाता है, जिसमें वे घटित होते हैं।

12.4 कर्मचारियों के दीर्घकालिक हितलाभ

समूह के छुट्टी नकदीकरण के तहत हितलाभों के अंतर्गत कर्मियों के अन्य दीर्घकालिक हितलाभ होते हैं। छुट्टी नकदीकरण का निर्धारण वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध छुट्टी हकदारी तथा बीमांकिक (एक्च्युरियल) मूल्यन पर किया जाता है जिसमें अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग किया जाता है।

छुट्टी नकदीकरण के संबंध में समूह की निवल बाध्यता की राशि भावी हितलाभ है जो कर्मचारियों ने वर्तमान एवं पूर्व की अवधियों में दी गई सेवा के बदले अर्जित किया होता है। इस हितलाभ को उसके वर्तमान मूल्य के निर्धारण हेतु बट्टागत किया जाता है, और कोई भी संबंधित परिसंपत्ति का उचित मूल्य घटाया जाता है। बट्टा दर को रिपोर्टिंग तारीख पर भारत सरकार की प्रतिभूतियों, जिनकी परिपक्वता तारीख समूह की बाध्यता की अवधि के सन्निकट होती है, की वर्तमान बाजार ईल्ड के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कोई भी बीमांकिक (एक्च्युरियल) लाभ या हानि को उस अवधि के लाभ या हानि विवरण में अभिस्वीकृत किया जाता है, जिसमें वे घटित होते हैं।

बाध्यताओं को तुलन–पत्र में वर्तमान देयताओं के रूप में दर्शाया गया है, यदि समूह के पास रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह तक निपटान को स्थगित करने का सप्रतिबंध अधिकार नहीं होता है, चाहे वास्तविक निपटान कभी भी घटित हो।

12.5 प्रतिनियुक्ति

समूह में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के छुट्टी नकदीकरण और अधिवर्षिता हितलाभों के संबंध में देयता को मूल संगठनों के प्रतिनियुक्ति निबंधन एवं शर्तों के आधार पर अभिलेखित किया जाता है।

13 विदेशी मुद्रा लेनदेन एवं अनुलेखन

विदेशी मुद्राओं में लेन–देनों को प्रारंभ में उस तारीख में कार्यात्मक मुद्रा स्पॉट दरों पर अभिलेखित किया जाता है, जिस दिन लेन–देन अभिस्वीकृति के लिए पहली बार अर्हक होता है।

विदेशी मुद्राओं में मूल्य वर्गित आर्थिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को रिपोर्टिंग तारीख पर विनिमय के कार्यात्मक मुद्रा स्पॉट दरों पर विनिमेय किया जाता है। आर्थिक मदों के निपटान या विनिमेय में घटित विनिमय अंतरों को उस वर्ष के लाभ या हानि में अभिस्वीकृत किया जाता है जिसमें वे घटित होते हैं।

गैर–आर्थिक मदों को विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के आधार पर आकलित कर लेन–देन की तारीख पर विनिमय किया जाता है जिसमें विनिमय दर का प्रयोग किया जाता है।

14. आयकर

आयकर खर्च में वर्तमान एवं आस्थगित कर शामिल होता है। वर्तमान कर खर्चे को लाभ या हानि में उस सीमा तक अभिस्वीकृत किया जाता है, जहां तक वह अन्य संपूर्ण आय (ओसीआई) या इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से अभिस्वीकृत मदों से संबंधित होता है, ऐसी स्थिति में उसे ओसीआई या इक्विटी में अभिस्वीकृत किया जाता है।

वर्तमान कर, वर्ष के लिये कर योग्य आय पर देय प्रत्याशित कर है, जिसे लागू कर दरों या रिपोर्टिंग तारीख पर पर्याप्त रूप से अधिनियमित और लागू कर दरों का प्रयोग किया जाता है और पूर्व के वर्षों के संबंध में देय किसी भी कर का समायोजन किया जाता है।

आस्थगित कर को तुलन पत्र विधि का प्रयोग कर अभिस्वीकृत किया जाता है और वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजनार्थ परिसंपत्तियों एवं देयताओं की अग्रनयन राशियों में अस्थायी अंतरों के लिए प्रावधान किया जाता है तथा कराधान प्रयोजनों के लिए राशियों का उपयोग किया जाता है। आस्थगित कर का आकलन उन कर दरों पर किया जाता है जिन्हें उनके रिवर्स होने पर ऐसे कानूनों के आधार पर अस्थायी अंतरों के साथ लागू किया जाता है, जिन्हें रिपोर्टिंग तारीख से पहले अधिनियमित या पुरजोर तरीके से अधिनियमित किया गया है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को तब ऑफसेट किया जाता है, यदि वर्तमान कर देयताओं एवं परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने का कानूनी प्रवर्तन संबंधी अधिकार होता है और वे समान कर प्राधिकारी द्वारा लगाए गए आय करों से संबंधित होते हैं।

आस्थगित कर को लाभ या हानि में अभिस्वीकृत किया जाता है, सिवाय इस सीमा तक की जहां तक वह ओसीआई या इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से अभिस्वीकृत मदों से संबंधित है और ऐसी स्थिति में उसे ओसीआई या इक्विटी में अभिस्वीकृत किया जाता हैं।

किसी आस्थगित कर परिसंपत्ति को उस सीमा तक अभिस्वीकृत किया जाता है जहां तक यह संभावना हो कि भावी कर लाभ कंपनी को उपलब्ध होंगे जिसके विपरीत अस्थायी अंतर का उपयोग किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर की जाती है और उसे उस सीमा तक घटाया जाता है जब यह संभावना हो कि संबद्ध कर लाभ की वसूली न हो पाए।

लाभांशों के वितरण से प्राप्त अतिरिक्त आयकरों को उस समय पर अभिस्वीकृत किया जाता है जब संबद्ध लाभांश को भुगतान करने की देयता को अभिस्वीकृत किया जाता है।

आस्थगित कर देयताओं को उन मामलों में कैरिंग राशि और संयुक्त प्रबंधों ब्याज के कर आधारों के बीच के अस्थायी अंतरों के लिए स्वीकार नहीं किया जाता है जिनमें समूह स्थायी अंतरों के प्रतिवर्तन की समय अवधि को नियंत्रित करने में सक्षम है और यह संभाव्य है कि अंतर आने वाले भविष्य में प्रतिवर्ती नहीं होंगे।

आस्थगित कर संपत्तियों को उन मामलों में कैरिंग राशि और संयुक्त प्रबंधों में ब्याज के कर आधारों के बीच के अस्थायी अंतरों के लिए स्वीकार नहीं किया जाता है। जहां यह संभाव्य नहीं है कि अंतर आगामी भविष्य में प्रतिवर्ती होंगे और कराधेय लाभ वहां उपलब्ध नहीं होगा जिसके प्रति अस्थायी अंतर को उपयोग में लाया जा सकता है।

15. पट्टा

15.1 वित्त पट्टों के लिए लेखाकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के पट्टों को, जहां समूह के समक्ष एक पट्टेदार के रूप में स्वामित्व के सभी व्यापक जोखिम और रिवार्ड हैं, वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आरंभिक अभिस्वीकृति पर, वित्त पट्टों के तहत भारी परिसंपत्तियों को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में अभिलेखित किया जाता है और संबद्ध देयता को उधारों के तहत अभिस्वीकृत किया जाता है।

पट्टे के आरंभ में, वित्त पट्टों को पट्टेगत परिसंपत्ति के उचित मूल्य या, यदि उससे कम, की न्यूनतम पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य के बराबर की राशियों पर अभिलेखित किया जाता है। वित्त पट्टों के अंतर्गत किये गये न्यूनतम पट्टा भुगतानों को वित्त खर्चे तथा बकाया देयता में कटौती के बीच विनियोजित किया जाता है।

वित्त खर्चे को पट्टे की प्रत्येक अवधि के दौरान आवंटित किया जाता है ताकि शेष देयता के ब्याज की निरंतर आवधिक दर प्रोड्यूस की जा सके।

15.2 प्रचालनीय पट्टों का लेखाकरण

पट्टों पर अधिग्रहित की गई परिसंपत्तियों, जहां स्वामित्व का काफी जोखिम एवं रिवार्ड होता है, को पट्टेदार द्वारा धारित किया जाता है और उन्हें प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पट्टा किरायों को पट्टे के अनुबंधों के आधार पर पट्टे की अवधि के दौरान राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

पट्टे अवधि के आरंभ में अदा की गई एक मुश्त राशि को अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों के शीर्ष के तहत आस्थगित राजस्व व्यय के रूप में अभिस्वीकृत किया जाता है और पट्टे अवधि के दौरान लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

आरंभिक प्रत्यक्ष लागतों को उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है, जिसमें उन्हें खर्च किया गया हो।

16. गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों का ह्रास

समूह की गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की अग्रनयन राशियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर यह निर्धारित करने के लिए की जाती है कि क्या इंड एएस 36 'परिसंपत्तियों का ह्रास के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों का कोई ह्रास होने की कोई संभावना तो नहीं है। यदि इस प्रकार की कोई संभावना होती है, तब परिसंपत्ति की वसूले जाने वाली राशि का आकलन किया जाता है। वसूले जाने वाली परिसंपत्ति की राशि अपने उचित मूल्य से अधिक होती है, जिसमें से उसके निस्तारण तथा उपयोग में उसके मूल्य संबंधी लागतों को घटाया जाता है। उपयोग में परिसंपत्ति का मूल्य निर्धारण, आकलित भावी नकदी प्रवाहों को पूर्व कर बट्टा दर का प्रयोग करते हुए उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टागत किया जाता है, जो राशि की टाइम वैल्यू के वर्तमान बाजार आकलनों तथा परिसंपत्ति–विशिष्ट जोखिमों को परिलक्षित करता है।

किसी परिसंपत्ति की ह्रास संबंधी हानि को तब अभिस्वीकृत किया जाता है, जब परिसंपत्ति की अग्रनयन राशि उसकी वसूले जाने वाली राशि से अधिक होती है। ह्रास संबंधी हानियों को लाभ या हानि में अभिस्वीकृत किया जाता है। ह्रास संबंधी हानियों को पूर्ववर्ती अवधियों में प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर इसलिए आकलित किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि हानि कम हुई है या हुई ही नहीं है।

ह्रास संबंधी हानि को तब रिवर्स किया जाता है, यदि वसूले जाने वाली राशि निर्धारित करने हेतु प्रयुक्त आकलनों में कोई परिवर्तन होता है। ह्रास संबंधी हानि को उस स्तर तक तभी रिवर्स किया जाता है जब परिसंपत्ति की अग्रनयन राशि मूल्यह्रास या ऋणमुक्ति के आधार पर निर्धारित अग्रनयन राशि से अधिक न हो, यदि कोई ह्रास संबंधी हानि अभिस्वीकृत नहीं की गई है।

17. पूर्ववर्ती अवधि में सारवान् त्रुटियां

पूर्ववर्ती अवधि में सारवान् त्रुटियों को पूर्वव्यापी तारीख से संशोधित किया जाता है, जिसके लिए तुलनात्मक राशियों को उन प्रस्तुत अवधियों के लिए पुनः दर्शाया जाता है, जिसमें त्रुटि हुई है। यदि त्रुटि प्रस्तुत अवधि से पहले हुई है, तब प्रस्तुत पूर्ववर्ती अवधि के संबंध में परिसंपत्तियों के अथ शेषों, देयताओं और इक्विटी को पुनः दर्शाया जाता है।

18. प्रति शेयर उपार्जन

प्रति शेयर मूल उपार्जन की संगणना वित्त वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा समूह के इक्विटी शेयरधारकों से सबंधित निवल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है।

तनुकृत प्रति शेयर उपार्जन की संगणना प्रति इक्विटी शेयर मूल उपार्जन प्राप्त करने हेतु विचार किये गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या तथा उन इक्विटी शेयरों, जिन्हें सभी तनुकृत संभावित इक्विटी शेयरों के परिवर्तन के बाद निर्गमित किया गया हो, को समूह के इक्विटी शेयर धारकों से संबंधित निवल लाभ या हानि को विभाजित कर की जाती है।

19. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण को इंड एएस 7 'नकदी प्रवाह विवरण' में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया जाता है।

20. वित्तीय प्रपत्र

वित्तीय प्रपत्र एक ऐसा करार होता है, जो एक कंपनी की वित्तीय परिसंपत्ति सृर्जित करता है और पर दूसरी कंपनी के लिए वित्तीय देयता या इक्विटी प्रपत्र सृर्जित करता है।

20.1 वित्तीय परिसंपत्तियां

आरंभिक अभिस्वीकृति और आकलन

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उनके उचित मूल्य प्लस, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर गैर–अभिलेखित वित्तीय परिसंपत्तियों की स्थित में, ट्रांजक्शन लागतों पर अभिस्वीकृत किया जाता है, जो कि वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण या निर्गम से संबंधित हो।

अनुवर्ती आकलन

परिशोधित लागत पर ऋण प्रपत्र

किसी 'ऋण प्रपत्र' का आकलन परिशोधित लागत पर किया जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं;

(क) परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के भीतर धारित किया जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाहों के संग्रहण के लिए परिसंपत्तियां धारित करना होता है, और

(ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्धारित तारीखों पर नकदी प्रवाहों को बढ़ाती हैं, जो बकाया मूल राशि पर मात्र मूल एवं ब्याज राशियां (एसपीपीआई) होती हैं।

प्रत्येक आकलन के पश्चात, कथित वित्तीय परिसंपत्तियों को तत्पश्चात ईआईआर पद्धति का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जा सकता है। परिशोधित लागत का परिकलन परिसंपत्ति के अधिग्रहण पर कोई बट्टा या प्रीमियम और शुल्क या

लागतों, जो कि ईआईआर का अभिन्न भाग होती हैं, को ध्यान में रखकर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्त आय में शामिल किया जाता है। परिसंपत्ति के ह्रास से हुई हानि को लाभ या हानि विवरण में अभिस्वीकृत किया जाता है। यह श्रेणी सामान्य रूप से व्यापार एवं अन्य प्राप्यों पर लागू होती है।

एफवीटीओसीआई (ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य) पर ऋण प्रपत्र

किसी 'ऋण प्रपत्र' को एफवीटीओसीआई के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, जब निम्नलिखित दोनों मानदंडों की पूर्ति की जाती है।

(क) बिजनेस मॉडॅल के उदद्श्येय को संविदात्मक नकदी प्रवाह का संग्रहण कर और वित्तीय परिसपंत्तियों का विक्रय कर हासिल किया जाता है; और

(ख) परिसंपत्ति के संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के अंतर्गत शामिल ऋण प्रपत्रों का आकलन आरंभ में तथा उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग के समय पर किया जाता है। उचित मूल्य घटनाक्रमों को ओसीआई में अभिस्वीकृत किया जाता है। तथापि, कंपनी ब्याज आय, ह्रास संबंधी हानि एवं रिवर्सल तथा विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को लाभ एवं हानि विवरण में अभिस्वीकृत करती है। परिसंपत्ति को अभिस्वीकृत नहीं किये जाने पर पूर्व में ओसीआई में अभिस्वीकृत संचयी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि में इक्विटी से पुनः वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण प्रपत्र धारण करते हुए अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का प्रयोग कर ब्याज आय के रूप में दर्शाया जाता है।

एफवीटीपीएल (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य) पर ऋण प्रपत्र

एफवीटीपीएल ऋण प्रपत्रों के लिए एक अपशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण प्रपत्र, जो ऋणमुक्ति लागत या एफवीटीओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के लिए मानदंड की पूर्ति नहीं करता है, को एफवीटीपीएल पर वर्गीकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी किसी ऋण प्रपत्र को वर्गीकृत करने के विकल्प का प्रयोग कर सकती है, जो अन्यथा एफवीटीपीएल पर परिशोधित लागत एफवीटीओसीआई मानदंड की पूर्ति करता है। तथापि, इस प्रकार के विकल्प की अनुमति तभी होती है जब वैसा करने में आकलन या अभिस्वीकृति की अनियमितता (जिसे 'लेखाकरण विसंगति' कहा जाता है) कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। एफवीटीपीएल श्रेणी के अंतर्गत शामिल ऋण प्रपत्रों को लाभ एवं हानि में अभिस्वीकृत समस्त परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर आकलित किया जाता है।

इक्विटी निवेश

संयुक्त उद्यमों एवं सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेशों को लागत पर आकलित किया जाता है।

अभिस्वीकृत नहीं करना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का कोई भाग, या समान वित्तीय परिसंपत्तियों की समूह का कोई भाग) को मुख्य रूप से अभिस्वीकृत नहीं किया जाता है (यानी समूह के तुलन–पत्र से हटा दिया जाता है) जब;

- परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है, या
- समूह ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकार को हस्तांतरित कर दिया है या 'पास–थ्रू' व्यवस्था के तहत किसी तृतीय पक्षकार को कोई सारवान् विलंब के संपूर्ण रूप से प्राप्त नकदी प्रवाहों का भुगतान करने की बाध्यता को स्वीकार किया है; और

(क) समूह ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और रिवार्ड को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित कर दिया है, या

(ख) समूह ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों एवं रिवार्ड को पर्याप्त रूप से न तो हस्तांतरित किया है और न ही धारित किया है, लेकिन परिसंपत्ति के नियंत्रण का हस्तांतरण किया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का ह्रास

इंड एएस 109 के अनुसार, समूह ने निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और ऋण जोखिम एक्सपोजर पर परिसंपत्ति की हानि के आकलन एवं अभिस्वीकृति के लिए प्रत्याशित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल का अनुसरण किया है:

(क) ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां, जो ऋण प्रपत्र हैं और जिन्हें ऋणमुक्ति लागत अर्थात ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापार एवं बैंक बैलेंस पर मापा जाता है।

(ख) ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां, जो ऋण प्रपत्र हैं और जिन्हें एफवीटीओसीआई पर आकलित किया जाता है।

(ग) इंड एएस 17 के तहत प्राप्य पट्टा।

(घ) इंड एएस 115 के तहत प्राप्य व्यापार।

(ङ) ऋण प्रति बाध्यताएं जिन्हें एफवीटीपीएल पर आकलित नहीं किया जाता है।

(च) वित्तीय प्रतिभूति संविदाएं, जिन्हें एफवीटीपीएल पर आकलित नहीं किया जाता है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और जोखिम एक्सपोजर पर परिसंपत्ति की हानि की अभिस्वीकृत के लिए, समूह यह निर्धारित करता है कि क्या आरंभिक अभिस्वीकृति के पश्चात ऋण जोखिम में कोई भारी वृद्धि हुई है या नहीं। यदि ऋण जोखिम में काफी वृद्धि नहीं हुई है, तो ह्रास हानि के प्रावधान के लिए 12 माह के ईसीएल का उपयोग किया जाता है। तथापि, यदि ऋण जोखिम में भारी वृद्धि हुई है, तब लाइफ टाइम ईसीएल का प्रयोग किया जाता है। यदि, अनुवर्ती अवधि में, प्रपत्र की ऋण गुणवत्ता में ऐसा सुधार आता है कि आरंभिक अभिस्वीकृत के पश्चात ऋण जोखिम में कोई भारी वृद्धि नहीं हुई है, तब समूह 12 माह के ईसीएल के आधार पर ह्रास हानि की अभिस्वीकृत के प्रावधान के लिए प्रविष्टि को रिवर्स करता है।

20.2 वित्तीय देयताएं

आरंभिक अभिस्वीकृति एंव आकलन

वित्तीय देयताओं को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर आरंभिक अभिस्वीकृति के समय पर वित्तीय देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। समस्त वित्तीय देयताओं को उधारों के मामले में प्रत्यक्ष रूप से कुल ट्रांजेक्शन लागतों की स्थिति में आरंभ में उचित मूल्य पर अभिस्वीकृत किया गया है। समूह की वित्तीय देयताओं में बैंक ओवर ड्राफ्ट सहित व्यापार एवं अन्य देय, उधार शामिल हैं।

अनुवर्ती आकलन

वित्तीय देयताओं का आकलन उनके वर्गीकरण पर आधारित होता है, जैसा कि नीचे वर्णन किया गया है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

आरंभिक आकलन के पश्चात, उक्त वित्तीय देयताओं को बाद में परिशोधित लागत पर आकलित किया जाता है जिसमें ईआईआर पद्धति का प्रयोग किया जाता है। लाभ एवं हानियों को लाभ या हानि विवरण में तब अभिस्वीकृत किया जाता है, जब देयताओं को अभिस्वीकृत किया जाता है, और ईआरआर परिशोधन प्रक्रिया के जरिये स्वीकृत किया जाता है। परिशोधित लागत का परिकलन अधिग्रहण पर कोई बट्टा या

प्रीमियम तथा ऐसे शुल्कों या लागतों, जो कि ईआईआर का अभिन्न भाग हैं, को ध्यान में रखकर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्तीय लागतों में शामिल किया जाता है। यह श्रेणी सामान्यतः उधारों, व्यापार देयों तथा अन्य संविदात्मक देयताओं के लिए लागू होती है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं के अंतर्गत कारोबार के लिए धारित वित्तीय देयताएं तथा लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर आरंभिक अभिस्वीकृति के समय पर अभिलेखित वित्तीय देयताएं आती हैं। वित्तीय देयताओं को कारोबार के लिए 'धारित के रूप में' वर्गीकृत किया जाता है, यदि उन्हें निकट भविष्य में पुनः क्रय के प्रयोजनार्थ खर्च किया जाता है।

कारोबार के लिए धारित देयताओं पर लाभों एवं हानियों को लाभ या हानि विवरण में अभिस्वीकृत किया जाता है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर आरंभिक अभिस्वीकृति के समय पर अभिलेखित वित्तीय देयताओं को अभिस्वीकृति की आरंभिक तारीख पर तथा यदि इंड एएस 109 मानदंड की पूर्ति की जाती है, अभिलेखित किया जाता है। एफवीटीपीएल के रूप में अभिलेखित देयताओं, उचित मूल्य लाभ/हानियों, जो स्वयं के ऋण जोखिम में बदलाव के कारण घटित होती हैं, को ओसीआई में अभिस्वीकृत किया जाता है। इन लाभों/हानियों को बाद में लाभ एवं हानि विवरण में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। तथापि, समूह इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को अंतरित कर सकती है। उच्च देयता के उचित मूल्य में सभी अन्य परिवर्तनों को लाभ या हानि विवरण में अभिस्वीकृत किया जाता है। समूह ने लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर कोई वित्तीय देयता अभिलेखित नहीं की है।

अभिस्वीकृत नहीं किया जाना

किसी वित्तीय देयता को तब अभिस्वीकृत नहीं किया जाता है, जब देयता की बाध्यता का निर्वहन या निरस्तीकरण किया जाता है या वह समाप्त हो जाती है। जब किसी वर्तमान वित्तीय देयता को पर्याप्त रूप से भिन्न शर्तों पर समान ऋणदाता द्वारा दूसरी देयता से प्रतिस्थापित किया जाता हैं, या किसी वर्तमान देयता की शर्तों को व्यापक रूप से संशोधित किया जाता है, तब इस प्रकार के विनिमय या संशोधन को आरंभिक देयता की अभिस्वीकृति के रूप में और एक नई देयता की अभिस्वीकृति के रूप में दर्शाया जाता है। संबद्ध अग्रनयन राशियों में अंतर को लाभ या हानि विवरण में अभिस्वीकृत किया जाता है।

21. प्रचालन क्षेत्र

इंड एएस 108 के अनुसार प्रचालन क्षेत्रों, जिन्हें वर्तमान क्षेत्र की सूचना प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किया जाता है, की पहचान समूह प्रबंधन द्वारा क्षेत्रों में संसाधनों के आवंटन तथा उनके निष्पादन का आकलन करने हेतु प्रयुक्त आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है। निदेशक मंडल सामूहिक रूप से समूह का 'मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता' या इंड एएस 108 के अर्थ के अंतर्गत 'सीओडीएम' होता है। आंतरिक रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त संकेतक स्थापित निष्पादन मूल्यांकन उपायों के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं।

सीओडीएम को रिपोर्ट किये गये क्षेत्र के परिणामों के अतर्गत ऐसी मदें आती हैं जो किसी क्षेत्र–विशेष से संबंधित होती हैं और जिन्हें उपयुक्त आधार पर आवंटित किया जा सकता है। गैर–आवंटित मदों में मुख्यतः कॉरपोरेट व्यय, वित्त व्यय और आयकर व्यय शामिल होते हैं।

क्षेत्र–विशिष्ट से प्रत्यक्ष राजस्व को क्षेत्र से प्राप्त राजस्व के रूप में माना जाता है। क्षेत्र से संबंधित प्रत्यक्ष व्ययों तथा उपयुक्त आधार पर आवंटित सामान्य व्ययों को क्षेत्र संबंधी व्ययों के रूप में माना जाता है।

क्षेत्र संबंधी पूँजी व्यय के अंतर्गत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा गुडविल के अलावा, अमूर्त परिसंपत्तियां अधिग्रहित करने हेतु अवधि के दौरान खर्च की गई कुल लागतें आती हैं।

क्षेत्र संबंधी परिसंपत्तियों में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियां, व्यापार एवं अन्य प्राप्य, मालसूचियां तथा ऐसी परिसंपत्तियां शामिल होती हैं जिन्हें प्रत्यक्ष या उचित रूप से क्षेत्रों को आवंटित किया जाता है। वर्ष के लिए क्षेत्र की रिपोर्टिंग के प्रयोजनार्थ, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को संबंधित क्षेत्रों के कार्यों के लिए परिसंपत्तियों के उपयोग की परिसीमा के आधार पर क्षेत्रों को आवंटित किया गया है। क्षेत्र संबंधी परिसंपत्तियों में निवेश, आयकर परिसंपत्तियां, प्रगतिशील पूँजीगत कार्य, पूँजीगत अग्रिम, कॉरपोरेट परिसंपत्तियां तथा अन्य ऐसी वर्तमान परिसंपत्तियां शामिल नहीं होती हैं जिन्हें उचित रूप से क्षेत्रों को आवंटित नहीं किया जा सकता है।

क्षेत्र संबंधी देयताओं में क्षेत्र से संबंधित सभी प्रचालनगत देयताएं शामिल होती हैं और उनमें व्यापार एवं अन्य देय, कर्मचारी हितलाभ एवं प्रावधान सम्मिलित होते हैं। क्षेत्र संबंधी देयताओं में इक्विटी, आयकर, देयताएं, ऋण एवं उधार और अन्य देयताएं तथा ऐसे प्रावधान शामिल नहीं होते हैं जिन्हें उचित रूप से क्षेत्रों को आवंटित नहीं किया जा सकता है।

22 लाभांश

समूह के शेयरधारकों को भुगतान किये गये/देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तनों के रूप में अभिस्वीकृत किया जाता है, जिसमें उन्हें शेयरधारकों की बैठक तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

23. वितरण के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)

सेकी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है और वह संबद्ध स्वीकृति आदेशों की शर्तों के अनुसार एमएनआरई की विभिन्न योजनाओं के तहत सीएफए के वितरण का कार्य करती है।

एमएनआरई से प्राप्त सीएफए को अन्य वित्तीय वर्तमान देयता के अंतर्गत दर्शाया जाता है और इन निधियों पर अर्जित ब्याज को भी संबंधित सीएफए को क्रेडिट किया जाता है।

सीएफए को हासिल उपलब्धि तथा संबंधित स्वीकृति आदेशों के अनुसार संबंधित पक्षकारों को संवितरित किया जाता है।

24. भुगतान सुरक्षा निधि (पीएसएफ)

पिछले वर्ष तक, 750 मेगावाट, 2000 मेगावाट और 5000 मेगावाट के बारे में सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार भुगतान सुरक्षा निधि (पीएसएफ) स्थापित की गई है ताकि डेवलपरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने दिनांक 4 फरवरी, 2019 के अपने आदेश द्वारा वीजीएफ स्कीमों के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र दिशानिर्देश जारी किए हैं।

बैंक गारंटी (बीजी) के नकदीकरण, इस निधि पर अर्जित ब्याज, शीघ्र भुगतान के लिए प्रोत्साहन (शीघ्र भुगतान के लिए इस्तेमाल राशि के मामले में पीएसएफ से भुगतान किया गया है) और सरकारी अनुदान से प्राप्त राशि इस निधि में जमा कराई जाएगी और डेवलपरों/विद्युत उत्पादकों द्वारा देय प्रति यूनिट लेवी शुल्क (यदि कोई हो) भी इस निधि में जमा कराया जाएगा।

आदेश के अनुसार निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा

(क) क्रेता कंपनियों से भुगतान प्राप्त करने में विलंब की स्थिति में सौर परियोजना डेवलपरों को समय पर भुगतान करने के लिए।

(ख) दीर्घकालिक ओपन ऐक्सस के प्रयोजनार्थ ऋण/बैंक गारंटी के पत्र के रूप में, पारेषण प्रभार आदि, जिन्हें पीएसए/पीपीए पर हस्ताक्षर करने के समय पर परिकल्पित नहीं किया गया था, और लागू विनियमों के अनुरूप सीटीयू/एसटीयू के साथ हस्ताक्षर किये गये बल्क पावर ट्रांस्मिशन एग्रीमेंट (बीपीटीए) के अनुसार लागू प्रभारों की सुरक्षा के प्रावधान के लिए।

(ग) नीति/विनियामक मुद्दों एवं पारेषण निष्कर्मण/ओपन ऐक्सस समस्याओं आदि के कारण क्रेता कंपनियों से प्रशुल्क की कम वसूली की स्थिति में सहमत पीपीए दर पर डेवलपरों को विभेदक राशि का भुगतान करने हेतु।

(घ) अल्पावधिक ओपन ऐक्सस प्रभारों, यथा लागू विनियमों के अनुसार देय का भुगतान करने हेतु।

(ङ) पीपीए/पीएसए/वीजीएफ सुरक्षाकरण की प्रचालनगत कठिनाइयों से उत्पन्न मुद्दों सहित स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित कानूनी वादों एवं माध्यस्थम् अधिनिर्णयों के कारण कोई भी प्रभार के भुगतान हेतु।

सौर ऊर्जा विकासकर्ताओं (एसपीडी) के साथ हस्ताक्षरित पीपीए की शर्तो के अनुसार, कुछ ऐसे मामले पाए गए हैं जिनमे देय प्रशुल्क को विभिन्न स्कीमों के तहत हस्ताक्षरित पीपीए से कम किया गया है। प्रशुल्क कम किये जाने के कारण सौर ऊर्जा के क्रय में कोई भी कम राशि को प्रत्यक्ष रूप से पीएसएफ खाते में क्रेडिट किया जा रहा है।

राज्य ऊर्जा लेखाकरण (एसईए)/क्षेत्रीय ऊर्जा लेखाकरण/(आरईए)/संयुक्त मीटर रीडिंग (जेएमआर) के कारण ऊर्जा की बिक्री एवं क्रय की गई यूनिटों में घटित कोई भी अंतर को लेखाओं के अंतर्गत उपयुक्त रूप से अभिलेखित किया जाता है। क्रय की गई यूनिटों की तुलना में, अधिक विक्रय की गई यूनिटों की स्थिति में, अंतर को भुगतान सुरक्षा निधि (पीएसएफ) में क्रेडिट किया जाता है।

पारेषण कंपनियों को अदा किए गए भुगतान तथा पारेषण प्रभारों के लिए वितरण कंपनियों/क्रेता आपूर्तिकर्ताओं से सेकी द्वारा प्राप्त भुगतान में अंतर को पीएसएफ में अंतरित किया जाता है।

प्राप्त विस्तार राशि भी 2000 मेगावाट/5000 मेगावाट वीजीएफ स्कीमों के सम्बंध में एमएनआरई के दिशानिर्देशों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार क्रेडिट की जाएगी।

पीएसएफ लेखा में उपलब्ध निधि को वित्तीय देयताओं के रूप में वर्तमान देयताओं के तहत दर्शाया जाता है।

घ. आकलनों का उपयोग और प्रबंधन के अधिनिर्णय

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को अधिनिर्णय लेने, वित्तीय आकलन करने और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है, जो लेखाकरण नीतियों के अनुप्रयोग तथा परिसंपत्तियों पर रिपोर्ट किए गए मूल्य, देयताओं, आय, व्यय और संबद्ध मदों से संबंधित प्रकटनों तथा तुलन–पत्र की तारीख में आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को प्रभावित करते हैं। आकलन और प्रबंधन के अधिनिर्णय पूर्व के अनुभव तथा अन्य ऐसे कारकों पर आधारित होते हैं, जिन्हें स्थितियों के अनुसार उपयुक्त एवं प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

आकलनों और अंतर्निहित अनुमानों की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखाकरण आकलनों में संशोधनों को उस अवधि में, जिसमें आकलनों को संशोधित किया जाता है, और कोई भी प्रभावित भावी अवधि में अभिस्वीकृत किया जाता है। समेकित वित्तीय विवरणों की बेहतर जानकारी के लिए, लेखाकरण नीतियों का अनुसरण करने में आकलन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में सूचना, अनिश्चितता तथा महत्वपूर्ण अधिनिर्णय, जिनका वित्तीय विवरणों में अभिस्वीकृत राशियों पर अति महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, निम्न प्रकार हैं।

1. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उपयोगी लाइफ

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की आकलित उपयोगी लाइफ अनेक कारणों पर निर्भर करती है, जिनमें उनके पुराने हो जाने का प्रभाव, मांग, प्रतिस्पर्धा एवं अन्य आर्थिक कारक (जैसे कि उद्योग की स्थिरता और विख्यात प्रौद्योगिकी विकास और परिसंपत्तियों से प्रत्याशित भावी नकदी प्रवाह प्राप्त करने हेतु अपेक्षित रखरखाव व्ययों की आवश्यकता होती है) होते हैं। समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उपयोगी लाइफ की समीक्षा करता है और उसे उत्तरव्यापी रूप से समायोजित करता है, यदि उपयुक्त हो।

2. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वसूले जाने योग्य राशि

संयंत्र और उपकरण की वसूले जाने वाली राशि ऐसे आकलनों एवं अनुमानों पर आधारित होती है जिन्हें विशेष रूप से प्रत्याशित बाजार परिदृश्य तथा विद्युत संयंत्रों से संबद्ध भावी नकदी प्रवाहों के बारे में किया गया हो। इन अनुमानों में कोई भी परिवर्तनों का वसूले जाने योग्य राशि के आकलन पर सारवान् प्रभाव पड़ सकता है जिसके कारण परिसंपत्तियों का ह्रास हो सकता है।

3. रोजगार पश्चात् हितलाभ योजनाएं

कर्मचारी हितलाभ बाध्यताओं का आकलन बीमांकिक (एक्च्युरियल) अनुमानों के आधार पर किया जाता है, जिनमें मृत्यु एवं निकासी दरें तथा बट्टा दरों में भावी घटनाक्रमों, वेतन में वृद्धि की दर और मंहगाई दर से संबंधित अनुमान शामिल होते हैं। समूह का यह मानना है कि उसकी बाध्यताओं के आकलन हेतु उपयोग किए गए अनुमान उपयुक्त एवं प्रलेखित हैं। तथापि, इन अनुमानों में कोई भी परिवर्तन का परिणामी परिकलनों पर सारवान् प्रभाव पड़ सकता है।

4. राजस्व

समूह राजस्व को प्रशुल्क दरों, जैसा कि संबंधित करारों में विनिर्दिष्ट किया गया है, से तथा इंड एएस 115 के तहत उल्लेखित सिद्धांतों के आधार पर विद्युत की बिक्री से अभिलेखित करती है। ऐसे मामलों में, जहां यूनिटों को अभिप्राप्त किया जाना होता है, अनंतिम यूनिटों को राजस्व की अभिप्राप्ति के प्रयोजनार्थ माना जाता है।

5. बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियां

इंड एएस 105 'बिक्री एवं अनिरंतर प्रचालनों के लिए धारित गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां' के तहत बिक्री के लिए धारित गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों के लेखाकरण का अनुसरण करने हेतु महत्वपूर्ण अधिनिर्णय की आवश्यकता होती है। इसकी अनुप्रयोज्यता का निर्धारण करने हेतु प्रबंधन ने परिसंपत्ति की शीघ्र बिक्री के लिए उसकी उपलब्धता का आकलन करने का अधिनिर्णय लिया है और प्रबंधन ने एक वर्ष के भीतर उनकी बिक्री तथा संभावित बिक्री की संभावना (यदि उनकी अग्रनयन राशि को निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री लेनदेन के जरिये सैद्धांतिक रूप से वसूला जाता है) की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

6. प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं की अभिस्वीकृति हेतु किए गए निर्धारण इंड एएस 37, 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां' के अनुसार किए गए हैं। आकस्मिक संभावित घटनाक्रमों के आकलन के लिए प्रबंधन से संभावित हानि के एक्सपोजर की प्रायिकता के संबंध में उपयुक्त अधिनिर्णय लेने की अपेक्षा की गई है। यदि अपूर्वदर्शी घटनाक्रमों में कोई परिवर्तन होता है, तो संभावित हानि में भी बदलाव हो सकता है।

7. गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों के ह्रास की जांच

संयुक्त उद्यमों में निवेश की वसूले जाने वाली राशि ऐसे अनुमानों एवं आकलनों पर आधारित होती है जो विशेष रूप से निवेशित कंपनी के कार्यों से संबद्ध भावी नकदी प्रवाहों से संबंधित होती है। इन अनुमानों में कोई भी परिवर्तन से वसूले जाने वाली राशि के आकलन पर सारवान् प्रभाव पड़ सकता है और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि हो सकती है।

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

टिप्पणी 2 : गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां–संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

31 मार्च, 2019 को

₹ लाख

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास, परिशोधन और क्षति				निवल बही मूल्य	
	01 अप्रैल 2018 को	परिवर्धन	कटौती / समायोजन	31 मार्च 2019 को	01 अप्रैल 2018 तक	वर्ष के लिए	कटौती / समायोजन	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
इमारतें	81.31	-	-	81.31	9.48	4.74	-	14.22	67.09	71.83
संयंत्र एवं मशीनरी	6,786.27	52.29	-	6,838.56	735.02	398.65	-	1,133.67	5,704.89	6,051.25
कम्प्यूटर एंड यूज़र डिवाइस	41.46	23.51	(3.40)	61.57	22.92	13.41	(0.99)	35.34	26.23	18.54
कम्प्यूटर सर्वर एवं नेटवर्क	6.50	-	-	6.50	2.41	1.09	-	3.50	3.00	4.09
फर्निचर एवं फिक्सचर–ऑफिस	7.65	4.70	(0.63)	11.72	1.75	1.71	-	3.46	8.26	5.90
मोटर कार	52.80	-	-	52.80	19.16	9.58	-	28.74	24.06	33.64
कार्यालय उपकरण	61.63	14.83	(0.52)	75.94	21.04	14.13	(0.01)	35.16	40.78	40.59
कुल	**7,037.62**	**95.33**	**(4.55)**	**7,128.40**	**811.78**	**443.31**	**(1.00)**	**1,254.09**	**5,874.31**	**6,225.84**

31 मार्च, 2018 को

₹ लाख

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास, परिशोधन और क्षति				निवल बही मूल्य	
	01 अप्रैल 2017 को	परिवर्धन	कटौती / समायोजन	31 मार्च 2018 को	01 अप्रैल 2017 तक	वर्ष के लिए	कटौती / समायोजन	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
इमारतें	81.31	-	-	81.31	4.74	4.74	-	9.48	71.83	76.57
संयंत्र एवं मशीनरी	5,973.89	812.54	(0.16)	6,786.27	346.82	388.20	-	735.02	6,051.25	5,627.07
कम्प्यूटर एंड यूज़र डिवाइस	36.17	6.76	(1.47)	41.46	13.17	10.94	(1.19)	22.92	18.54	23.00
कम्प्यूटर सर्वर एवं नेटवर्क	6.31	0.19	-	6.50	1.35	1.06	-	2.41	4.09	4.96
फर्निचर एवं फिक्सचर–ऑफिस	7.58	0.07	-	7.65	0.84	0.91	-	1.75	5.90	6.74
मोटर कार	52.80	-	-	52.80	9.58	9.58	-	19.16	33.64	43.22
कार्यालय उपकरण	44.78	18.12	(1.27)	61.63	9.99	11.95	(0.90)	21.04	40.59	34.79
कुल	**6,202.84**	**837.68**	**(2.90)**	**7,037.62**	**386.49**	**427.38**	**(2.09)**	**811.78**	**6,225.84**	**5,816.35**

टिप्पणियां :

2.1 लीज़होल्ड भूमि पर 67.09 लाख रुपये (31 मार्च, 2018 को –71.83 लाख रु.) का भवन निर्माण किया गया।

2.2 रामगिरी, आंध्र प्रदेश में स्थापित विंड मास्ट की पूंजीकरण के लिए संयंत्र और मशीनरी में अभिवृद्धि 49.56 लाख रु. है।

टिप्पणी 3 : गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां– कार्यशील पूंजी

31 मार्च, 2019 को ₹ लाख

विवरण	01 अप्रैल 2018 को	परिवर्धन (एडिशन)	कटौती / समायोजन	पूंजीगत	31 मार्च 2019 तक
10 मेगावाट डीआरडीओ(केआरईडीएल)					
पंजीकरण प्रभार	3.07	-	-	-	3.07
व्यवहार्यता अध्ययन	0.59	-	-	-	0.59
अन्य पेशेवर प्रभार	0.06	0.59	-	-	0.65
160 मेगावाट हाइब्रिड परियोजना					
पंजीकरण प्रभार	61.36	70.80	-	-	132.16
विज्ञापन	-	10.32			10.32
अन्य पेशेवर प्रभार	-	79.91	-	-	79.91
कुल	**65.08**	**161.62**	**-**	**-**	**226.70**

31 मार्च, 2018 को ₹ लाख

विवरण	01 अप्रैल 2017 को	परिवर्धन (एडिशन)	कटौती / समायोजन	पूंजीगत	31 मार्च 2018 तक
1 मेगावाट अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह					
याचिका दायर फीस	1.00	-	-	(1.00)	-
10 मेगावाट डीआरडीओ (केआरईडीएल)					
पंजीकरण प्रभार	-	3.07	-	-	3.07
व्यवहार्यता अध्ययन	-	0.59	-	-	0.59
अन्य पेशेवर प्रभार	-	0.06	-	-	0.06
160 मेगावाट हाइब्रिड परियोजना					
पंजीकरण प्रभार	-	61.36	-	-	61.36
कुल	**1.00**	**65.08**	**-**	**(1.00)**	**65.08**

टिप्पणी :

3.1 160 मेगावाट हाइब्रिड प्रोजेक्ट की कार्यशील पूंजी के अधीन 'अन्य पेशेवर प्रभार' में 25.58 लाख रु. (पिछले वर्ष–शून्य) की अभिवृद्धि ओनर इंजीनियर के रूप में परामर्शी सेवाएं देने के प्रति मैसर्स ट्रकटेबल इंजीनियरिंग प्रा. लि. को किए गए भुगतान के कारण है। ट्रकटेबल इंजीनियरिंग प्रा. लि. की सेवाएं 160 मेगावाट हाइब्रिड प्रोजेक्ट की स्थापना के प्रति इस्तेमाल की गई थी जिसके लिए ऋण और तकनीकी सहायता अनुदान के लिए करार पर विश्व बैंक के साथ अभी हस्ताक्षर होने हैं, यह राशि टीए अनुदान से विश्व बैंक से प्रतिपूर्ति हेतु है।

टिप्पणी 4 : गैर वर्तमान परिसंपत्तियां– अमूर्त परिसंपत्तियां

31 मार्च, 2019 को

₹ लाख

विवरण	सकल ब्लॉक				परिशोधन				निवल बही मूल्य	
	1 अप्रैल 2018 को	परिवर्धन	कटौती / समायोजन	31 मार्च 2019 को	1 अप्रैल 2018 तक	वर्ष के लिए	कटौती / समायोजन	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	76.19	7.80	(10.59)	73.40	31.59	15.85	(10.42)	37.02	36.38	44.60
कुल	**76.19**	**7.80**	**(10.59)**	**73.40**	**31.59**	**15.85**	**(10.42)**	**37.02**	**36.38**	**44.60**

31 मार्च, 2018 को

₹ लाख

विवरण	सकल ब्लॉक				परिशोधन				निवल बही मूल्य	
	1 अप्रैल 2017 को	परिवर्धन	कटौती / समायोजन	31 मार्च 2018 को	1 अप्रैल 2017 तक	वर्ष के लिए	कटौती / समायोजन	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	59.57	16.62	-	76.19	14.48	17.11		31.59	44.60	45.09
कुल	**59.57**	**16.62**	**-**	**76.19**	**14.48**	**17.11**	**-**	**31.59**	**44.60**	**45.09**

टिप्पणी 5 : गैर वर्तमान परिसंपत्तियां–विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

31 मार्च, 2019 को

₹ लाख

विवरण	1 अप्रैल, 2018 को	परिवर्धन	कटौती / समायोजन	पूंजीगत	31 मार्च, 2019 तक
मोबाइल एप्लीकेशन	1.11	-	-	-	1.11
ई – ऑफिस	-	14.19			14.19
कुल	**1.11**	**14.19**	**-**	**-**	**15.30**

31 मार्च, 2018 को

₹ लाख

विवरण	1 अप्रैल, 2017 को	परिवर्धन	कटौती / समायोजन	पूंजीगत	31 मार्च, 2018 तक
मोबाइल एप्लीकेशन	1.11		-	-	1.11
कुल	**1.11**	**-**	**-**	**-**	**1.11**

टिप्पणी 6 : गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां–संयुक्त उद्यमों में निवेश

(इक्विटी विधि का प्रयोग करके गणना की गई)

₹ लाख

इक्विटी शेयर में निवेश	शेयरों की संख्या वर्तमान वर्ष / (पिछले वर्ष)	शेयरों का अंकित मूल्य वर्तमान वर्ष / (पिछले वर्ष)	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	50,000 (50,000)	10 (10)	5,117.58	2,366.29
हिमाचल रिन्युएबल्स लिमिटेड	2,500 (2,500)	1,000 (1,000)	21.11	25.00
कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	5,00,000 (5,00,000)	10 (10)	1,440.59	13.96
लखनऊ सोलर पावर डेवलमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	5,00,000 (5,00,000)	10 (10)	171.71	87.97
रिन्युएबल पावर कॉरपोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड	5,000 (5,000)	1,000 (1,000)	109.16	70.50
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	10,000 (10,000)	1,000 (1,000)	1,107.65	388.22
कुल			**7,967.80**	**2,951.94**

6.1 संयुक्त उद्यम(ों) में निवेश लेखाकरण नीति संख्या. 1.ग.20.1 के अनुसार लगाया गया है।

6.2 संयुक्त उद्यम की कंपनियों जैसे लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड एवं हिमाचल रिन्युएबल्स लिमिटेड के शेयरों में किया गया निवेश संबंधित संयुक्त उद्यम कंपनी के शामिल करने की तारीख से 5 वर्षों की परिबंधन अवधि के अध्यधीन है, इस अवधि के दौरान कंपनी संयुक्त उद्यम कंपनी में अपनी शेयरधारिता की बिक्री अथवा अंतरण नहीं कर सकती है।

टिप्पणी 7 : गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां–ऋण एवं अग्रिम

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
प्रतिभूमि जमा प्राप्य	5.04	317.04
कर्मचारियों को अग्रिम		
अग्रिम – प्रतिभूत	26.87	-
कुल	**31.91**	**317.04**

टिप्पणी 8 : अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
अग्रिम		
पूंजीगत अग्रिम	21,748.51	16,438.19
अन्य		
आस्थगित लीज किराया व्यय	171.26	177.68
आस्थगित राजस्व व्यय – प्रतिभूति जमा	16.00	72.49
आस्थगित राजस्व व्यय – कर्मचारियों को वाहन अग्रिम	5.69	-
कुल	**21,941.46**	**16,688.36**

8.1 पूंजीगत अग्रिम में किदवई नगर, नई दिल्ली में निर्मित वाणिज्यिक एवं आवासीय भवन के संबंध में एनबीसीसी को अग्रिम भुगतान के प्रति 19,619.29 रु. लाख (31 मार्च, 2017 को –16,422.18 लाख रुपये) और आंध्र प्रदेश में 160 मेगावाट सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए रामगिरी गांव में सौंपी गई 505.46 एकड़ भूमि और मुथुवाकुन्टला गांव में सौंपी गई 138.39 एकड़ भूमि की अनुग्रही राशि के प्रति जिला क्लेक्टर, अनन्तपुर को अदा की गई 2,120.71 लाख रु. (31 मार्च, 2018 को – शून्य) शामिल हैं। (संदर्भ टिप्पणी सं. 60)।

8.2 पूंजीगत अग्रिम में संबंधित पार्टियों के 19,622.74लाख रु. (31 मार्च, 2018 को – 16,438.19 लाख रू) शामिल हैं।

टिप्पणी 9 : वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां–व्यापार प्राप्तियां

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
ठीक मानी गई व्यापार प्राप्तियां – प्रतिभूत	-	-
ठीक मानी गई व्यापार प्राप्तियां – अप्रतिभूत	70,807.40	12,599.36
	70,807.40	**12,599.36**
व्यापार प्राप्तियां जिनमें ऋण जोखिमों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई ; और	46.00	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान (हानि)	**(28.75)**	-
	17.25	-
व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट हानि	149.29	7.98
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान (हानि)	(149.29)	(7.98)
	-	-
कुल	**70,824.65**	**12,599.36**

9.1 व्यापार प्राप्तियों में संबंधित पार्टियों के 615.42 लाख रुपये (31 मार्च, 2018 को –914.69 लाख रु.) शामिल हैं।

टिप्पणी 10: वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां – नकद एवं नकदी समतुल्य

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
बैंक में शेष (अर्जित ब्याज सहित)		
चालू खाते	32,015.96	18,601.34
कुल	**32,015.96**	**18,601.34**

10.1 चालू खातों में ऑटो स्वीप सावधि जमा और उस पर अर्जित ब्याज शामिल है।

टिप्पणी 11: वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां – नकद एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च 2018 को
बैंक में शेष (अर्जित ब्याज सहित)		
सावधि जमा जिसकी मूल परिपक्वता अवधि तीन माह से अधिक है, 12 महीनों में परिपक्व हो रही है	1,35,359.32	1,42,415.33
गैर–वर्तमान जमा के अलावा बैंक के पास निर्धारित सावधि जमा	35.43	35.48
कुल	**1,35,394.75**	**1,42,450.81**

11.1 बैंक में शेष (अर्जित ब्याज सहित) में मियादी जमा सहित निम्न शामिल है :

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
सरकारी अनुदान/निधि	44,461.61	62,368.35
प्रतिभूति तंत्र भुगतान (विस्तार राशि सहित)	57,379.80	52,361.19
निष्पादन गारंटी जमा	21,550.00	6,200.00
अन्य	12,003.34	21,521.27
कुल	**1,35,394.75**	**1,42,450.81**

टिप्पणी 12 : वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण एवं अग्रिम

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
कर्मचारियों को अग्रिम		
अग्रिम–प्रतिभूत	7.68	-
अग्रिम–अप्रतिभूति	7.42	6.24
अन्य को अग्रिम		
अप्रतिभूत	15.00	45.20
प्राप्ति योग्य राशि		
संबंधित पार्टियां	-	-
अन्य	102.38	155.38
प्राप्ति योग्य प्रतिभूति जमा	374.96	1.47
कुल	**507.44**	**208.29**

टिप्पणी 13 : वर्तमान परिसंपत्तियां – अन्य वितीय वर्तमान परिसंपत्तियां

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
बिल रहित राजस्व	41,296.16	15,619.36
बिल रहित ट्रांसमिशन प्रभार	313.23	312.98
अन्य	674.00	-
कुल	**42,283.39**	**15,932.34**

13.1 41,296.16 लाख रु. (31 मार्च, 2018 को 15,619.36 लाख रु.) के बिल रहित राजस्व में विद्युत की ब्रिक्री के प्रति 41,279.42 लाख रु. (31 मार्च, 2018 को 15,619.36 लाख रु.) का राजस्व शामिल है लेकिन पीएसए की शर्तों के अनुसार 31 मार्च, 2019 तक इनवाइस नहीं दी गई थी और व्यापार मार्जिन के शेयर के प्रति 16.74 लाख रु. (31 मार्च, 2018 को शून्य) का राजस्व शामिल है लेकिन 31 मार्च, 2019 तक इनवाइस नही दी गई।

13.2 बिल रहित ट्रांसमिशन प्रभारों में ट्रांसमिशन प्रभारों से संबंधित 313.23 लाख रु. (31 मार्च, 2018 को 312.98 लाख रु.) शामिल है, जिसके लिए 31 मार्च, 2019 तक इन्वाइस नही दी गई थी।

13.3 अन्यों में एमएनआरई से सब्सिडी प्राप्ति राशि से संबंधित 674.00 लाख रु. (31 मार्च, 2018 को शून्य) शामिल हैं जिसके लिए एमएनआरई से मंजूरी पत्र प्राप्त हुआ है लेकिन 31 मार्च, 2019 तक निधियां प्राप्त नहीं हुई थीं।

टिप्पणी 14 : वर्तमान परिसंपत्तियां – अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
अग्रिम		
संबंधित पार्टियां		
अप्रतिभूत	23.51	55.71
कर्मचारी		
अप्रतिभूत	1.74	6.46
अन्य		
अप्रतिभूत	0.35	0.55
राजस्व/सरकारी प्राधिकारी के पास शेष	29.55	15.79
आयकर रिफंड	207.39	438.82
प्रीपेड व्यय	17.28	17.30
अन्य	5.34	1.04
कुल	**285.16**	**535.67**

टिप्पणी 15: वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
अग्रिम कर	5,450.00	-
टीडीएस प्राप्तियां	2,134.07	-
वर्तमान कर देयताएं	(7,095.31)	-
कुल	**488.76**	**-**

टिप्पणी 16: इक्विटी शेयर पूंजी

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
इक्विटी शेयर पूंजी		
अधिकृत		
प्रत्येक रु. 1000 अंकित मूल्य के 2,00,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2018 को प्रत्येक 1,000/– रु. अंकित मूल्य के 2,00,00,000 इक्विटी शेयर)	2,00,000	2,00,000
निर्गम एवं अभिदत्त		
प्रत्येक 1,000 रु. अंकित मूल्य के 60,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2018 को प्रत्येक 1,000 रु. अंकित मूल्य वाले 60,00,000 इक्विटी शेयर)	60,000	60,000
पूर्ण प्रदत्त		
प्रत्येक 1,000 रु. अंकित मूल्य के 35,40,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2018 को प्रत्येक 1,000 रु. अंकित मूल्य वाले 35,40,000 इक्विटी शेयर)	35,400	35,400

(क) वर्ष के आरंभ एवं अंत में बकाया इक्विटी शेयर पूंजी का मिलान:

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	35,40,000	35,400	30,40,000	30,400
वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	5,00,000	5,000
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	**35,40,000**	**35,400**	**35,40,000**	**35,400**

(ख) इक्विटी शेयर के साथ संबद्ध शर्तें एवं अधिकार:

कंपनी ने अपने शेयरधारकों को शेयर धारण अनुमात में केवल एक प्रकार के इक्विटी शेयर मतदान अधिकार के साथ जारी किए हैं। यह मतदान अधिकार शेयरधारकों की बैठक में प्रयोग किए जाने के लिए होता है। इसके साथ–साथ इक्विटी शेयर के धारक को समय–समय पर शेयरों पर लाभांश प्राप्त करने का हक भी होता है।

(ग) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयरधारकों का विवरण :

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	35,40,000	100%	35,40,000	100%

(घ) लाभांशः

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
(i) इक्विटी शेयर–वर्ष के दौरान भुगतान किया गया लाभांश		
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु अंतिम लाभांश प्रति पूर्ण प्रदत्त शेयर–5.20 रु. (31 मार्च, 2017 : 45.93 रु.)	184.22	1,396.13
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु अंतरिम लाभांश प्रति पूर्ण प्रदत्त शेयर – शून्य (31 मार्च, 2018 : 68.99 रु.)	-	2,442.30
(ii) इक्विटी शेयर – रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लाभांश जिसकी पहचान नहीं की गई	1,293.98	184.22
उपरोक्त लाभांश के अलावा, निदेशकों ने वर्ष के अंत से 36.55 लाख रु. (31 मार्च, 2018 : 68.99 रु.) के अंतिम लाभांश का प्रति इक्विटी शेयर का पूर्ण प्रदत्त भुगतान की सिफारिश की है। यह प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा।		

टिप्पणियां :

16.1 कंपनी के निगमन के समय, प्रत्येक 1000 रू के 60,00,000 इक्विटी शेयरों सबस्क्राइब हेतु ग्राहको को ज्ञापन और संस्था की अंतर्नियम जारी किये, जिसमें से ग्राहकों ने प्रत्येक 1000 रुपये के 35,40,000 इक्विटी शेयरों को सब्सक्राइबड किया गया और ग्राहकों द्वारा भुगतान भी किया गया। बाकी बचे हुए शेयरों को 31 मार्च 2019 तक सब्सक्राइब किया जाना है।

16.2 निवेश और जन संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के दिनांक 27 मई, 2016 के दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी के वर्ष 2018–19 के लिए 31.03.2019 को कुल कीमत का 5% अथवा कर उपरांत लाभ (पीएटी) का 30 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होगा। तथापि, स्वयं के बड़े पैमाने के सौर और अन्य नवीकरणीय परियोजनाओं की स्थापना के लिए कैपेक्स आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सेकी के दिनांक 14 फरवरी, 2019 के पत्र द्वारा एमएनआरई से पीएटी के 10% की दर से लाभांश अदा करने के लिए डीआईपीएएम से छूट देने का अनुरोध किया था और बाद में एमएनआरई ने दिनांक 10 जून, 2019 के पत्र द्वारा उक्त छूट के लिए डीआईपीएएम से अनुरोध किया था। तदनुसार, कर के बाद लाभ (पीएटी) के 10% के लाभांश का हिसाब 1,293.98 लाख रु. लगाया गया है और उस पर लाभांश कर 265.98 लाख रु. है। कंपनी ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश की 184.22 लाख रु. और उस पर निगमित लाभांश कर की 37.88 लाख रु. की शेष राशि अदा की हैं। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 1,293.98 लाख रुपये का अंतिम लाभांश और उस पर देय 265.98 लाख रुपये का निगमित लाभांश कर स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि प्रस्तावित लाभांश शेयर धारकों की मंजूरी के लिए आगामी वार्षिक आम सभा में रखा जाएगा।

टिप्पणी 17: अन्य इक्विटी

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
प्रतिधारित आय	28,683.25	10,956.42
कुल	**28,683.25**	**10,956.42**

प्रतिधारित आय

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
अथ शेष	10,956.42	7,083.28
जोड़ें: लाभ एवं हानि के विवरण के अनुसार वर्ष के लिए लाभ	17,955.68	8,491.84
घटाएं: भुगतान किया गया अंतिम लाभांश	(184.22)	(1,396.13)
घटाएं: भुगतान किए गए अंतिम लाभांश पर कर	(37.88)	(284.22)
घटाएं: भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश	-	(2,442.30)
घटाएं: भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश पर कर	-	(497.18)
घटाएं: संयुक्त उद्यम का लाभांश वितरण करें	-	
प्रतिधारिता आय में प्रत्यक्ष पहचान की गई अन्य संपूर्ण आय की मदें		
परिभाषित लाभ योजनाओं पर निवल वास्तविक लाभ/(हानि), निवल कर	(6.75)	1.13
इति शेष	**28,683.25**	**10,956.42**

टिप्पणी 18 : गैर–वर्तमान देयताएं – अन्य वित्तीय देयताएं

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
निष्पादन गारंटी जमा	2,964.74	2,150.44
कुल	**2,964.74**	**2,150.44**

18.1 आरएफएस की शर्तों के अनुसार 2,964.74 लाख रु. (31 मार्च, 2018 को 2,150.44 लाख रु.) की निष्पादन गारंटी जमा राशि में सौर ऊर्जा डेवलपर्स (एसपीडी) द्वारा जमा की गई राशि शामिल है।

टिप्पणी 19 : गैर–वर्तमान देयताएं – प्रावधान

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	385.04	308.63
कुल	**385.04**	**308.63**

19.1 इंड एएस 19 के अनुसार 'कर्मचारी हितलाभ' पर प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 37 में किया गया है।

टिप्पणी 20 : गैर–वर्तमान देयताएं – आस्थगित कर देयताएं

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
आस्थगित कर देयताएं	582.70	559.41
कुल	**582.70**	**559.41**

20.1 आस्थगित कर देयताओं में परिवर्तन

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
वर्ष के आरंभ में आस्थगित कर देयताएं	559.41	305.82
बही मूल्यह्रास एवं कर मूल्यह्रास में अंतर	62.86	437.78
कर्मचारी हितलाभ के संबंध में	19.85	(184.19)
अन्य के संबंध में	(59.42)	-
वर्ष के अंत में आस्थगित कर देयताएं	**582.70**	**559.41**

टिप्पणी 21: अन्य गैर–वर्तमान देयताएं

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
ग्राहकों से अग्रिम	602.06	349.17
कुल	**602.06**	**349.17**

21.1 लेखाकरण नीति के अनुसार अग्रिम में प्राप्त सफलता फीस के प्रति ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम में 602.06 लाख रु. (31 मार्च, 2018 को 349.17 लाख रु.) शामिल हैं। (टिप्पणी : 1.ग.10.2)

टिप्पणी 22 : वर्तमान वित्तीय देयताएं – व्यापार देयताएं

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
व्यापार देयताएं		
माइक्रों उद्यमों और लघु उद्यमों को देय कुल बकाया	-	-
माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा ऋणदाताओं को देय कुल बकाया	37,739.65	22,521.57
कुल	**37,739.65**	**22,521.57**

टिप्पणी 23 : वर्तमान देयताएं – अन्य वित्तीय देयताएं

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
विस्तारित राशि (संदर्भ टिप्पणी सं.: 59)	-	11,614.76
एमएनआरई से प्राप्त अनुदान	81.14	6.20
पूंजीगत व्यय के प्रति देयताएं	0.91	168.70
व्यय के प्रति देयताएं	451.95	229.69
प्रतिभूति निधियों का भुगतान (संदर्भ टिप्पणी 58)	88,906.71	42,696.09
बिल रहित देयताएं – सौर ऊर्जा	39,669.98	15,370.30
प्रतिभूति जमा देयताएं	79.06	21.77
वितरण हेतु सब्सिडी	58,721.07	63,733.27
सब्सिडी देयताएं	1.22	-
अन्य देयताएं	282.52	290.37
कुल	**1,88,194.56**	**1,34,131.15**

23.1 कंपनी द्वारा जारी विभिन्न आरएफएस की शर्तों के अनुसार पार्टियों द्वारा जमा राशि के प्रति देय प्रतिभूति जमा देयताओं में 79.06 लाख रुपये (31 मार्च, 2018 को – 21.77 लाख रुपये) शामिल हैं।

23.2 आरएफएस की शर्तों के अनुसार विद्युत खरीद के प्रति बिल रहित देयताएं–सौर ऊर्जा में 39,669.98 लाख रुपये (31 मार्च, 2018 को 15,370.30 लाख रुपये) शामिल हैं लेकिन 31 मार्च, 2019 तक इनवॉयस जारी नहीं की गई।

23.3 आगे वितरण हेतु एमएनआरई से प्राप्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता के प्रति 58,721.07 लाख रु. (31 मार्च 2018 को 63,733.27 लाख रु.) के वितरण के लिए सब्सिडी है (लेखाकरण नीति 1.ग.23 का संदर्भ लें)। इसमें वर्ष के दौरान जमा ब्याज के 3,888.25 लाख रु. (31 मार्च, 2018 को 4,211.79 लाख रुपये) शामिल हैं।

टिप्पणी 24 : वर्तमान देयताएं – प्रावधान

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	668.05	811.65
कुल	**668.05**	**811.65**

24.1 कर्मचारी हितलाभ पर इंड एएस 19 के अनुसार प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 37 में बताया गया है।

टिप्पणी 25 : वर्तमान देयताएं– अन्य वर्तमान देयताएं

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
ग्राहकों से अग्रिम	1,702.11	651.90
अन्य से अग्रिम	897.76	2,161.70
प्रतिभूति जमा	76.24	75.27
सांविधिक देय राशियां	150.25	965.29
अनोपार्जित निधि रख रखाव फीस–एमएनआरई	329.28	79.76
अन्य देयताएं	871.39	109.63
कुल	**4,027.03**	**4,043.55**

25.1 लेखाकरण नीति के अनुसार सफलता शुल्क के प्रति ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम में 761.77 लाख रुपये (31 मार्च, 2018 को 369.41 लाख रुपये) शामिल हैं (देखें बिन्दु संख्या 1.ग.10.2)।

25.2 अन्यों से प्राप्त अग्रिम में अरूणाचल प्रदेश में गांवों के ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त हुई अग्रिम राशि के प्रति 897.76 लाख रुपये (31 मार्च, 2018 को 1,979.74 लाख रुपये) की राशि और दो सीपीएसयू के सीएसआर कार्यकलाप के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त अग्रिम राशि के प्रति शून्य (31 मार्च, 2018 को 181.96 लाख रुपये) राशि शामिल है।

25.3 अन्य देयताओं में मैसर्स वेलस्पुन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भुगतान की गई 648.00 लाख रु. की राशि शामिल है जिसे विवाद के अधीन प्राप्त राशि के रूप में हिसाब में लिया गया है, उक्त राशि ब्याज के खाते में रखी गई है और 31 मार्च, 2019 तक उस पर अर्जित ब्याज 5.59 लाख रु. है। दोनों राशि आस्थगित रखी गई है और न्यायालय के निदेशों के आधार पर तदनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी (संदर्भ टिप्पणी सं. 63)

टिप्पणी 26 : वर्तमान कर देयताएं

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
वर्तमान कर देयताएं	-	3,630.53
अग्रिम कर	-	(2,234.00)
टीडीएस प्राप्य	-	(1,329.77)
कुल	**-**	**66.76**

टिप्पणी 27 : आस्थगित राजस्व

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
आस्थगित आय–रूफटॉप के लिए अनुदान	416.33	434.32
आस्थगित राजस्व आय–निष्पादन गारंटी जमा	18,230.56	4,888.71
कुल	**18,646.89**	**5,323.03**

27.1 अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में 1 मेगावाट रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र के संबंध में एमएनआरई से प्राप्त सरकार के अनुदान के प्रति 416.33 लाख रुपये (31 मार्च, 2018 को 434.32 लाख रुपये) आस्थगित आय–रूफटॉप के लिए अनुदान है।

टिप्पणी 28 : प्रचालनों से राजस्व

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
विद्युत बिक्री	3,08,112.01	1,05,140.86
सेवा बिक्री	13,479.22	8,222.67
अन्य प्रचालन आय	1,921.38	2,454.21
कुल	**3,23,512.61**	**1,15,817.74**

टिप्पणियां :

28.1 विद्युत की बिक्री निवल रिबेट है जो 32.93 लाख रुपये बैठती है (31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 27.41 लाख रुपये)।

28.1.1 विद्युत की बिक्री में 41,279.42 लाख रुपये की अनन्तिम बिल रहित बिक्री शामिल है (31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 15,619.36 लाख रुपये) जिसके लिए पीएसए की शर्तों के अनुसार बिल अगले माह में प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

28.2 सेवाओं की बिक्री में निम्नलिखित शामिल है :

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
परामर्शी आय	1,105.41	457.55
परियोजना निगरानी शुल्क	11,534.31	7,192.53
अन्य	839.50	572.59
कुल	**13,479.22**	**8,222.67**

28.2.1 अन्यों में पीटीसी के साथ विंड पावर प्रोजेक्ट कान्ट्रेक्ट के संबंध में 0.07 पैसे प्रति यूनिट के 25.50% (कर सहित) की दर से 16.74 लाख रु. (31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए शून्य) के व्यापार मार्जिन शेयर का अनन्तिम बिल रहित राजस्व शामिल है जिसके लिए बिल आगामी महीने में प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

28.3 अन्य प्रचालन आय में निम्नलिखित शामिल है :

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
निविदा शुल्क	1,212.93	1,835.37
रूफटॉप–अन्य प्राप्तियां (सदंर्भ टिप्पणी सं. 64)	221.62	567.15
आस्थगित आय से अभिज्ञात – सरकारी अनुदान	17.99	15.68
विविध	468.84	36.01
कुल	**1,921.38**	**2,454.21**

टिप्पणी 29: अन्य आय

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज से आय	2,097.88	1,643.05
आस्थगित राजस्व आय निष्पादन गारंटी जमा से अभिज्ञात	664.74	99.67
प्रतिभूति जमा प्राप्य पर छूट का मोचन	59.61	26.89
अन्य गैर–प्रचालन आय	5.71	3.80
कुल	**2,827.94**	**1,773.41**

29.1 ब्याज से आय में 2,053.03 लाख रुपये (31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 1,643.05 लाख रुपये) एफडीआर पर ब्याज सम्मिलित हैं।

टिप्पणी 30 : सौर विद्युत की खरीद

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
सौर विद्युत की खरीद	3,00,733.78	1,02,664.09
कुल	**3,00,733.78**	**1,02,664.09**

30.1 विद्युत खरीद में 1,509.74 लाख रुपये (31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए–शून्य) की निवल छूट है।

30.2 विद्युत खरीद में 39,667.75 लाख रुपये की आनन्तिम बिल रहित खरीद सम्मिलित है (31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 15,370.30 लाख रुपये) जिसके लिए बिल पीपीए की शर्तों के अनुसार अगले माह में प्राप्त किए जा रहे हैं।

टिप्पणी 31 : कर्मचारी हितलाभ व्यय

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ	1,433.32	1,470.45
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	191.84	189.35
कर्मचारी कल्याण	11.59	25.13
कुल	**1,636.75**	**1,684.93**

31.1 वेतन, मजदूरी, भत्तों तथा लाभों एवं निधियों में अंशदान में पीआरपी के लिए प्रावधान शामिल हैं। (संदर्भ टिप्पणी संख्या. 52)

31.2 'कर्मचारी हितलाभ' पर इंडएएस 19 के अनुसार प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 37 में किया गया है।

टिप्पणी 32 : वित्तीय लागत

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
निष्पादन गारंटी जमा पर छूट का मोचन	211.46	35.52
आस्थगित राजस्व व्यय प्रतिभूति जमा प्राप्य से अभिज्ञात	56.49	29.35
कुल	**267.95**	**64.87**

टिप्पणी 33 : मूल्यह्रास, परिशोधन एवं क्षति व्यय

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर–टिप्पणी 2	443.31	427.38
अमूर्त परिसंपत्तियों पर–टिप्पणी 4	15.85	17.11
कुल	**459.16**	**444.49**

टिप्पणी 34 : अन्य व्यय

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
विज्ञापन एवं प्रचार	334.42	128.01
लेखापरीक्षक पारिश्रमिक	3.89	4.34
बैंक प्रभार	0.22	0.35
बीमा व्यय	0.87	0.39
कानूनी एवं व्यावसायिक प्रभार	170.24	136.54
लाइसेंस शुल्क	40.00	43.00
परिसंपत्ति बिक्री/बट्टे खाते पर हानि	0.78	0.21
बैठक व्यय	28.90	23.74
सदस्यता शुल्क	7.04	6.54
विविध व्यय	59.90	12.59
कार्यालय मरम्मत एवं अनुरक्षण	21.23	17.77
मुद्रण, डाक एवं लेखन सामग्री	74.28	31.56
व्यवसायिक पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	7.91	0.84
किराया	1,241.05	1,214.16
भवन की मरम्मत एवं अनुरक्षण	181.00	179.37
सेकी स्थापना दिवस व्यय	42.91	31.46
सुरक्षा एवं जनशक्ति व्यय	278.74	226.12
प्रायोजकता व्यय	12.77	14.73
सहायक सेवा प्रभार	58.05	97.79
टेलीफोन, मोबाइल एवं इंटरनेट व्यय	36.36	34.71
प्रशिक्षण एवं भर्ती व्यय	6.76	10.35
यात्रा एवं वाहन व्यय	241.41	183.63
जल, ऊर्जा एवं विद्युत शुल्क	13.85	18.28
वाहन किराए पर लेने/संचालन एवं अनुरक्षण व्यय	61.38	49.81
प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय	72.56	9.75
अशोध्य और संदिग्ध ऋण (हानि) के लिए प्रावधान	170.06	-
चंदा	-	5.00
उप–जोड़	**3,166.58**	**2,481.04**
कॉपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (संदर्भ टिप्पणी संख्या 65)	113.00	78.12
कुल	**3,279.58**	**2,559.16**

34.1 लेखापरीक्षकों को भुगतान संबंधी विवरण

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखापरीक्षक के रूप में		
लेखापरीक्षा शुल्क	3.54	3.54
व्यय की प्रतिपूर्ति	0.35	0.80
कुल	**3.89**	**4.34**

35. इंड एएस–12 के अनुसार प्रकटीकरण 'आय कर'

क) आय कर व्यय

(i) लाभ एवं हानि विवरण में अभिज्ञात आय कर

₹ लाख

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
वर्तमान कर व्यय		
वर्तमान वर्ष	7,095.31	3,630.53
पिछले वर्षों हेतु समायोजन	(13.28)	(182.19)
कुल वर्तमान कर व्यय	**7,082.03**	**3,448.34**
आस्थगित कर व्यय		
अस्थायी अंतर की उत्पत्ति एवं निराकरण	26.92	252.98
कुल आस्थगित कर व्यय	**26.92**	**252.98**
कुल आय कर व्यय	**7,108.95**	**3,701.32**

(ii) अन्य सम्पूर्ण आय में अभिज्ञात आय कर

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए		
	कर पूर्व	कर व्यय/ (लाभ)	निवल कर	कर पूर्व (लाभ)	कर व्यय/ (लाभ)	निवल कर
परिभाषित लाभ योजनाओं पर निवल बीमांकिक लाभ/(हानि)	(10.37)	3.62	(6.75)	1.73	(0.60)	1.13

(iii) भारतीय घरेलू कर दर द्वारा गुणा करके कर व्यय और लेखाकरण लाभ का मिलान

₹ लाख

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
कर पूर्व लाभ	25,064.63	12,193.16
कंपनी की घरेलू कर दर 34.944 प्रतिशत (पी.वाई. 34.608 प्रतिशत) का उपयोग करके कर	**8,758.58**	**4,219.81**
कर प्रभाव :		
जोड़े / (घटाएं): पिछले वर्ष का कर	(13.28)	(182.19)
जोड़े / (घटाएं): आस्थगित कर व्यय	26.92	252.98
घटाएं: संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ के शेयर पर कर प्रभाव	(1,782.60)	(698.93)
जोड़े: व्यय जो आयकर में मान्य नहीं है (निवल)	125.61	115.08
घटाएं: छूट प्राप्त आय	(6.28)	(5.43)
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार कर	**7,108.95**	**3,701.32**

ख) प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में स्वीकार नहीं किया गया है:

निदेशकों ने 1,293.98 लाख रुपयों (31 मार्च 2018 को 184.22 लाख रुपये) के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है। इस प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर 265.98 लाख रु. (31 मार्च 2018 को 37.88 लाख रु.) को स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है।

36. इंड एएस.17 के अनुसार प्रकटीकरण 'पट्टा'

क. प्रचालन पट्टे

कंपनी ने 10 मेगावाट ग्रिड कनेक्टिड सोलर पावर संयंत्र स्थापित करने हेतु जिसे 31 मार्च 2016 को चालू कर दिया था, राजस्थान सरकार से 27 नवंबर, 2015 को 30 वर्षों की अवधि के लिए ग्राम बड़ी सिद, तहसील–बाप, जिला जोधपुर, राजस्थान में स्थित 200 बीघा भूमि का प्लॉट प्रचालन पट्टे पर लिया है।

न्यूनतम गारंटी राशि की सीमा तक कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित गैर अपवर्तक पट्टे के संबंध में देय न्यूनतम भविष्य पट्टा किराया निम्नानुसार है:

₹ लाख

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
न्यूनतम पट्टा भुगतान		
एक वर्ष से अधिक नहीं	16.56	16.05
एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष से अधिक नहीं	71.44	69.26
पांच वर्षों से अधिक	622.13	640.87
कुल	**710.13**	**726.18**

37. इंड एएस 19 के अनुसार प्रकटीकरण, कर्मचारी हितलाभ

परिभाषित अंशदायी योजनाएं :

भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान

कंपनी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को भविष्य निधि में पूर्व–निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान करती है। व्यय (प्रशासन प्रभार सहित) के रूप में अभिज्ञात राशि लाभ व हानि के विवरण में प्रभारित राशि निम्नानुसार है:

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
ईपीएफओ को प्रदत्त/देय राशि	80.20	75.19
प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के मूल संगठन को भुगतान की गई राशि	1.56	6.13
घटाएं : अनुदान के अंतरण/पूँजीकृत में अंतरित	-	(2.22)
लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में स्वीकार राशि	81.76	79.10
**प्रशासनिक प्रभारों सहित*		

पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान :

अपने कर्मचारियों के लिए कंपनी की परिभाषित अंशदान पेंशन योजना, जो 1 जून 2012 से प्रभावी है, एमएनआरई द्वारा अनुमोदित की गई है। योजना के अनुसार सेकी परिभाषित अंशदान पेंशन ट्रस्ट एलआईसी को मासिक आधार पर पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है।

परिभाषित हितलाभ योजना

उपदान (ग्रेच्युटी):

कंपनी की परिभाषित हितलाभ उपदान योजना है। ऐसा प्रत्येक कर्मचारी, जिसने पांच वर्ष या इससे अधिक वर्षों की निरंतर सेवा की है, वह सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन (15/26 गुणा अंतिम प्राप्त मूल वेतन जमा मंहगाई भत्ता) पर उपदान का हकदार है परंतु अधिवर्षिता, त्यागपत्र, सेवा समाप्ति, विकलांगता या मृत्यु होने पर अधिकतम राशि 20 लाख रु. होगी। उपदान के प्रति देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध कराई गई है। इस देयता का निधियन नहीं किया जाता है।

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना (पीआरएमएस) :

कंपनी ने सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना तैयार की है जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसके जीवनसाथी को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन बाह्य–रोगी के रूप में अपना उपचार भी करा सकते हैं। सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा व्यय के प्रति देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मुहैया की गई है। इस देयता का निधियन नहीं किया जाता है।

निम्न तालिका तुलन–पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार इस संबंध में प्राप्त बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निवल परिभाषित परिसंपत्तियों / देयता की स्थिति प्रदर्शित करती है:

₹ लाख

विवरण	उपदान (ग्रेच्यूटी)		सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
परिभाषित लाभ दायित्वों में परितर्वन				
वर्ष के आरंभ में परिभाषित लाभ दायित्व	69.06	47.47	22.61	17.19
वर्तमान सेवा लागत	23.79	19.97	8.11	6.79
ब्याज लागत	5.39	3.49	1.76	1.26
पूर्व सेवा लागत	-	-		
भुगतान किया गया लाभ	(6.57)	(2.78)		
बीमांकिक (लाभ) / हानि	9.01	0.90	1.36	(2.63)
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	**100.68**	**69.06**	**33.84**	**22.61**

तुलन पत्र में स्वीकार की गई राशि में निम्न शामिल है:

₹ लाख

विवरण	उपदान (ग्रेच्यूटी)		सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	100.68	69.06	33.84	22.61
योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-
निवल देयताएं	**100.68**	**69.06**	**33.84**	**22.61**
तुलन पत्र में राशि :				
वर्तमान देयताएं	1.66	1.10	0.00	0.00
गैर – वर्तमान देयताएं	99.02	67.96	33.84	22.61
निवल देयताएं	**100.68**	**69.06**	**33.84**	**22.61**

लाभ अथवा हानि में स्वीकार की गई कुल राशि में निम्नलिखित शामिल है:

₹ लाख

विवरण	उपदान (ग्रेच्यूटी)		सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
वर्तमान सेवा लागत	23.79	19.97	8.10	6.79
निवल ब्याज	5.39	3.49	1.76	1.26
लाभ अथवा हानि के विवरण में अभिज्ञात कुल व्यय	**29.18**	**23.46**	**9.86**	**8.05**

निवल ब्याज में निम्नलिखित शामिल हैं :

₹ लाख

विवरण	उपदान (ग्रेच्यूटी)		सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
ब्याज व्यय / (आय)	5.39	3.49	1.76	1.26
निवल ब्याज	**5.39**	**3.49**	**1.76**	**1.26**

अन्य सम्पूर्ण आय में स्वीकार की गई राशि में निम्नलिखित शामिल है :

₹ लाख

विवरण	उपदान (ग्रेच्यूटी)		सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	(9.01)	(0.90)	(1.36)	2.63
निवल ब्याज को छोड़कर योजना संपत्तियों पर प्रतिलाभ	-	-	-	-
ओसीआई में स्वीकार किए गए कुल बीमांकिक लाभ / (हानि)	**(9.01)**	**(0.90)**	**(1.36)**	**2.63**

दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि में निम्नलिखित शामिल हैं :

₹ लाख

विवरण	उपदान (ग्रेच्यूटी)		सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
जनसांख्यिकी धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानियां	-	-	-	-
वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानियां	2.09	(4.78)	0.78	(2.50)
अनुभव समयोजन में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानियां	6.92	5.68	0.59	(0.13)
कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**9.01**	**0.90**	**1.37**	**(2.63)**

निवल ब्याज को छोड़कर योजना संपत्तियों पर प्रतिलाभ में निम्न शामिल है :

₹ लाख

विवरण	उपदान (ग्रेच्यूटी)		सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
योजना संपत्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	-	-	-	-
निवल ब्याज में शामिल ब्याज आय	-	-	-	-
निवल ब्याज को छोड़कर योजना संपत्तियों पर प्रतिलाभ	**-**	**-**	**-**	**-**

योजना संपत्तियों से कम परिभाषित लाभ दायित्वों के साथ वित्तपोषित योजनाओं के बारे में सूचनाः

₹ लाख

विवरण	उपदान (ग्रेच्यूटी)		सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
परिभाषित लाभ दायित्व	-	-	-	-
योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-
निवल देयता	**-**	**-**	**-**	**-**

बीमांकिक पूर्वधारणाः

उपदान (ग्रेच्यूटी) और छुट्टी नकदीकरण के लिए लेखाकरण में उपयोग की गई पूर्व धारणाएं नीचे निर्धारित की गई हैं

₹ लाख

विवरण	उपदान (ग्रेच्यूटी)		सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
छूट दर	7.65%	7.80%	7.65%	7.80%
मृत्यु दर	आईएएलएम का 100% (2006 - 08)		आईएएलएम का 100% (2006 - 08)	
बची हुई अनुमानित औसत सेवाएं (वर्ष में)	23.96	25.38	23.96	25.38
सेवानिवृत्ति की आयु	60.00	60.00	60.00	60.00
30 वर्ष तक कर्मचारी क्षयण दर (प्रतिशत में)	3.00	3.00	3.00	3.00
31 से 44 वर्ष तक	2.00	2.00	2.00	2.00
44 वर्ष से ऊपर	1.00	1.00	1.00	1.00
पीबीओ की भारित औसत अवधि	18.77	19.57	18.60	19.57

संवेदनशील विश्लेषणः

नीचे दी गई तालिका छूट दर की अनुमानत दर में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि/कमी की स्थिति में सेवा लागत, ब्याज लागत और परिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव को रेखांकित करती है।

₹ लाख

पूर्वधारणाएं	पूर्वधारणा में परिवर्तन	उपदान (ग्रेच्यूटी) दायित्व के पीवी में परिवर्तन	पूर्वधारणा में परिवर्तन	पीआरएमबी दायित्व के पीवी में परिवर्तन
छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव	0.50% की वृद्धि	(6.75)	0.50% की वृद्धि	(3.71)
	0.50% की कमी	7.50	0.50% की कमी	3.22
पीआरएमबी के मामले में वेतनवृद्धि दर/ चिकित्सा लागत दर में परिवर्तन का प्रभाव	0.50% की वृद्धि	7.59	0.50% की वृद्धि	3.27
	0.50% की कमी	(6.88)	0.50% की कमी	(3.79)

परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफाइल

₹ लाख

वर्ष	राशि	
	उपदान	पीआरएमबी
0 से 1 वर्ष	1.66	0.00
1 से 2 वर्ष	1.29	0.35
2 से 3 वर्ष	7.73	1.08
3 से 4 वर्ष	1.71	0.16
4 से 5 वर्ष	1.69	0.78
5 से 6 वर्ष	9.20	0.88
6 वर्ष से आगे	77.39	30.58

अर्जित अवकाश नकदीकरण

कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण लाभ योजना परिभाषित की है। इस योजना के तहत वे कुछ सीमाओं और इसके लिए निर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन अर्जित अवकाश नकदीकरण के हकदार हैं। अवकाश नकदीकरण के प्रति दायित्व का प्रावधान बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। इस दायित्व का निधियन नही किया गया है।

अर्ध वेतन अवकाश नकदीकरण

कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए अर्ध वेतन अवकाश नकदीकरण लाभ योजना परिभाषित की है।इस योजना के तहत वे कुछ सीमाओं और इसके लिए निर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन अर्ध वेतन अवकाश नकदीकरण के हकदार हैं। अवकाश नकदीकरण के प्रति दायित्व का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। इस दायित्व का निधियन नही किया गया है।

निम्नलिखत सारणी तुलन पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार इस संबंध में प्राप्त बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निवल परिभाषित परिसंपत्ति/देयताओं की स्थिति निर्धारित करती है:

₹ लाख

विवरण	अर्जित अवकाश देयताएं		अर्ध वेतन अवकाश देयताएं	
	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
परिभाषित लाभ दायित्वों में परिवर्तन :				
वर्ष के आरंभ में परिभाषित लाभ दायित्व	121.53	81.16	49.12	31.90
अधिग्रहण समायोजन	-	1.37	-	-
वर्तमान सेवा लागत	41.31	38.42	13.36	14.27
ब्याज लागत	9.48	5.97	3.83	2.34
पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-
प्रदत्त लाभ	(26.34)	(27.02)	(15.49)	(5.90)
बीमांकिक(लाभ)/हानि	7.65	21.63	1.37	6.51
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	**153.63**	**121.53**	**52.19**	**49.12**

तुलन पत्र में अभिज्ञात राशि में निम्नलिखित शामिल हैं:

₹ लाख

विवरण	अर्जित अवकाश देयताएं		अर्ध वेतन अवकाश देयताएं	
	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	153.63	121.53	52.19	49.12
योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	-	-	-	-
निवल देयताएं	**153.63**	**121.53**	**52.19**	**49.12**
तुलन पत्र में राशि				
वर्तमान देयता	6.40	5.26	2.45	1.10
गैर–वर्तमान देयताएं	147.23	116.27	49.74	48.02
निवल देयताएं	**153.63**	**121.53**	**52.19**	**49.12**

लाभ या हानि में अभिज्ञात कुल राशि में निम्नलिखित शामिल है:

₹ लाख

विवरण	अर्जित अवकाश देयताएं		अर्ध वेतन अवकाश देयताएं	
	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
वर्तमान सेवा लागत	41.31	38.42	13.36	14.27
निवल ब्याज	9.48	5.97	3.83	2.34
अवधि के दौरान अभिज्ञात निवल बीमांकिक (लाभ) अथवा हानि	7.65	21.63	1.37	6.51
लाभ या हानि विवरण में अभिज्ञात कुल व्यय	**58.44**	**66.02**	**18.56**	**23.12**

निवल ब्याज में निम्नलिखित शामिल हैं:

₹ लाख

विवरण	अर्जित अवकाश देयताएं		अर्ध वेतन अवकाश देयताएं	
	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
ब्याज व्यय / (ब्याज आय)	9.48	5.97	3.83	2.34
निवल ब्याज	**9.48**	**5.97**	**3.83**	**2.34**

दायित्वों के संबंध में बीमांकिक (लाभ)/हानि में निम्नलिखित शामिल हैं:

₹ लाख

विवरण	अर्जित अवकाश देयताएं		अर्ध वेतन अवकाश देयताएं	
	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
जनसांख्यिकी संबंधी पूर्वधारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-	-	-
वित्तीय पूर्वधारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	3.12	(7.69)	1.06	(2.87)
योजना देयताओं के संबंध में अनुभूत समायोजनों में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	4.53	29.32	0.31	9.38
कुल बीमांकिक(लाभ)/हानि	**7.65**	**21.63**	**1.37**	**6.51**

अवकाश नकदीकरण हेतु लेखांकन के लिए प्रयोग की गई पूर्वधारणाओं को नीचे प्रदर्शित किया गया है:

₹ लाख

विवरण	अर्जित अवकाश देयताएं		अर्ध वेतन अवकाश देयताएं	
	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
छूट की दर	7.65%	7.80%	7.65%	7.80%
मृत्यु दर	आईएएलएम का 100% (2006 - 08)		आईएएलएम का 100% (2006 - 08)	
प्रत्याशित औसत शेष सेवाएं	23.96	25.38	23.96	25.38
सेवानिवृत्ति आयु	60.00	60.00	60.00	60.00
कर्मचारी क्षयण दर : (% में)				
30 वर्ष तक	3.00	3.00	3.00	3.00
31 से 44 वर्ष तक	2.00	2.00	2.00	2.00
44 वर्ष से अधिक	1.00	1.00	1.00	1.00
पीबीओ की भारित औसत अवधि	18.77	19.57	18.77	19.57

नीचे दी गई तालिका में छूट दर की अनुमानित दर में .5 प्रतिशत की कमी / वृद्धि की स्थिति में सेवा लागत, ब्याज लागत और परिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव को रेखांकित किया गया है।

₹ लाख

अवधारणाएं	अवधारणा में परिवर्तन	बाध्यता के पीवी में परिवर्तन अर्जित अवकाश देयता	अवधारणा में परिवर्तन	बाध्यता के पीवी में परिवर्तन अर्ध वेतन अवकाश देयता
बट्टा दर	0.50% की वृद्धि	(10.04)	0.50% की वृद्धि	(3.42)
	0.50% की कमी	11.14	0.50% की कमी	3.79
वेतन वृद्धि दर	0.50% की वृद्धि	11.27	0.50% की वृद्धि	3.84
	0.50% की कमी	(10.23)	0.50% की कमी	(3.49)

परिभाषित हितलाभ बाध्यता की परिपक्वता प्रोफाइल का विवरण

₹ लाख

विवरण	राशि	
	अर्जित अवकाश देयताएं	अर्ध वेतन अवकाश देयताएं
0 से 1 वर्ष	6.40	2.45
1 से 2 वर्ष	10.41	2.94
2 से 3 वर्ष	2.73	0.93
3 से 4 वर्ष	2.69	0.92
4 से 5 वर्ष	15.24	5.38
5 से 6 वर्ष	4.61	1.57
6 वर्ष से आगे	111.55	38.02

कर्मचारियों के लिए अन्य दीर्घकालिक हितलाभ

सेवानिवृत्ति पश्चात अधिवर्षिता हितलाभ

कर्मचारियों के वेतनमानों (औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न) के संशोधन पर डीपीई दिशानिर्देशों में मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30 प्रतिशत तक अधिवर्षिता हितलाभ उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, जिसमें सीपीएफ, उपदान, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधाएं और पेंशन शामिल हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, सीपीएसई को इस संबंध में अपनी ही योजनाएं बनानी होंगी। सेवानिवृत्ति पश्चात अधिवर्षिता हितलाभ के संबंध में मूल वेतन और महंगाई भत्ता की 30 प्रतिशत, अर्थात रु. 1.43 लाख (पिछले वर्ष में रु. 14.66 लाख) के बाद की शेष राशि के लिए प्रावधान किया गया है। यह देयता वित्तपोषित नहीं है।

कंपनी ने प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के सिवाय कर्मचारियों के लिए उपर्युक्त डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत निम्नलिखित हितलाभों का प्रावधान किया है :

₹ लाख

क्र.सं.	विवरण	2019 को समाप्त वर्ष के लिए	2018 को समाप्त वर्ष के लिए
1	परिभाषित अंशदायी योजना – भविष्य निधि	76.28	66.65
2	परिभाषित अंशदायी योजना – पेंशन	63.56	55.54
3	परिभाषित हितलाभ योजना – उपदान	38.19	24.36
4	परिभाषित हितलाभ योजना – पीआरएमएस	11.23	5.42
5	सेवानिवृत्ति पश्चात अन्य हितलाभ	1.43	14.66
	मूल वेतन + महंगाई भत्ता = 635.64 लाख रु. *30%	**190.69**	**166.63**
	(पिछले वर्ष में : 555.44 लाख रु. *30%)		

जोखिम एक्सपोज़र

अपनी परिभाषित योजनाओं के माध्यम से, कंपनी अनेक जोखिमों से एक्सपोज़ है जिनमें से अति महत्वपूर्ण निम्न प्रकार हैं:

क) **परिसंपत्ति में उतार–चढ़ाव** : कंपनी के पास कोई प्लान असेस्ट्स नहीं है। अतः इस संबंध में कंपनी किसी भी जोखिम से एक्सपोज़ नहीं है।

ख) **बट्टा दर में परिवर्तन** : बट्टा दर में कोई भी गिरावट से योजना देयताएं बढ़ जाएंगी, हालांकि इसकी भरपाई आंशिक रूप से योजना बंधपत्र धारिताओं के मूल्य से की जाएगी।

ग) **मुद्रास्फीति का जोखिम** : पेंशन योजनाओं में, पेंशनों को मुद्रास्फीति से लिंक नहीं किया गया है, इसलिए यह काफी कम सारवान् जोखिम है।

घ) **जीवन प्रत्याशा** : पेंशन योजना संबंधी बाध्यताओं के लिए सदस्य के जीवन के लिए हितलाभों का प्रावधान किया जाना अपेक्षित होता है , इसलिए सदस्य की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के फलस्वरूप पेंशन योजनों की देयताओं में भी वृद्धि होगी। यह ऐसी स्थितियों के लिए और भी महत्वपूर्ण है, जहाँ मुद्रास्फीति में वृद्धि के परिणामस्वरूप जीवन प्रत्याशा में परिवर्तन होने की उच्च संभावना होती है। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि किए गए निवेशों का प्रबंध एक ऐसे असेट–लाइबिलिटी मैचिंग (एएलएम) फ्रेमवर्क के अंतर्गत किया जाए, जिसे कर्मचारी हितलाभ योजनाओं के तहत बाध्यताओं के अनुरूप दीर्घकालिक निवेश हासिल करने हेतु विकसित किया गया है। इस फ्रेमवर्क के भीतर, कंपनी का एएलएम उद्देश्य ऐसे दीर्घकालिक नियत ब्याज प्रतिभूतियों में निवेश कर (जिनकी परिपक्वत्ता उस अवधि के समकालिक हो, जब हितलाभ उपयुक्त मुद्रा में देय हो) पेंशन बाध्यताएं परिसंपत्तियों के अनुरूप हैं। कंपनी सक्रिय रूप से यह निगरानी करती है कि निवेशों की अवधि तथा प्रत्याशित प्रतिलाभ, कर्मचारी हितलाभ बाध्यताओं से उत्पन्न प्रत्याशित नकदी प्रवाह से किस प्रकार एकरूप हो सकते हैं। कंपनी ने उन प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया है, जिनका उपयोग वह पिछली अवधियों के जोखिमों के प्रबंध के लिए करती थी। कंपनी के निवेश इतनी अच्छी तरह विविधीकृत हैं कि किसी भी एकल निवेश के विफल हो जाने पर कंपनी की परिसंपत्तियों के समग्र स्तर पर कोई सारवान् प्रभाव नहीं पड़ेगा।

38. सरकारी अनुदानों के लिए इंड एएस 20 लेखाकरण के अनुसार प्रकटीकरण और सरकारी सहायता का प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान उपलब्धि आधारित प्रोत्साहन/अवॉर्ड योजना के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में विभिन्न सरकारी भवनों में 1 मेगावाट की कुल क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर संयंत्र के कार्यान्वयन के लिए कंपनी ने एमएनआरई से 450 लाख रुपये प्राप्त हुए थे। 450 लाख रुपयों में से, दिनांक 31 मार्च, 2019 तक 33.67 लाख रुपये परिशोधित किए जा चुके हैं (लेखाकरण नीति सं. 1.ग.8 का संदर्भ लें)।

39. इंड एएस 21 के अनुसार प्रकटीकरण 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों का प्रभाव'

विनिमय में अंतरों से संबंधित राशि (0.46) लाख रुपये है (31 मार्च, 2018 को (0.04) लाख रुपये) जिसे लाभ/(हानि) में अभिस्वीकृत किया गया है।

40. इंड एएस 24 के अनुसार प्रकटीकरण 'संबद्ध पक्षकारों का प्रकटीकरण'

क) संबद्ध पक्षकारों की सूची

i) संयुक्त उद्यम :

1. आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
2. हिमाचल रिन्यूएबल्स लि.
3. कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.
4. लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
5. रिन्यूएबल पावर कॉरपोरेशन ऑफ केरल लि.
6. रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लि.

ii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक :

डा. अश्विनी कुमार*	प्रबंध निदेशक
श्री जतींद्र नाथ स्वेन**	प्रबंध निदेशक
श्री सी कन्नन	निदेशक (वित्त)
श्री राजीव भारद्वाज****	निदेशक (मानव संसाधन)
श्री शैलेश कुमार मिश्रा***	निदेशक (विद्युत प्रणाली)
श्री सुनील कुमार	कंपनी सचिव

*31 जुलाई, 2017 तक

**01 अगस्त, 2017 से

***5 फरवरी, 2018 से

****18 अगस्त, 2018 तक

iii) रोजगार पश्चात हितलाभ योजनाएं :

1. सेकी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना

iv) एक ही सरकार के नियंत्रण के तहत कंपनियां

कंपनी केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है जिसमें भारत सरकार बहुसंख्यक शेयरधारक है (टिप्पणी सं. 16 का संदर्भ लें)। इंड एसएस 24 के पैराग्राफ 25 एवं 26 के अनुसार, उन कंपनियों को, जिन पर एक ही सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है, अर्थात रिपोर्टिंग कंपनियों और अन्य कंपनियों को संबद्ध पक्षकारों के रूप में माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से संबद्ध कंपनियों के लिए उपलब्ध छूट के लिए आवेदन किया है और वित्तीय विवरणों में इस संबंध में सीमित प्रकटीकरण किए हैं। ऐसी कंपनियों, जिनके साथ कंपनी का व्यापक रूप से लेन–देन होता है, में बीएचईएल, गेल, एनटीपीसी लि., रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लि., नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लि. आदि हैं, और इन तक सीमित नहीं हैं।

ख. संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन निम्न प्रकार हैं:–

1. संयुक्त उद्यम

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
i) वर्ष के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री/क्रय		
कंपनी द्वारा प्राप्त की गई सेवाओं के लिए कार्यों/सेवाओं हेतु संविदाएं	-	-
कंपनी द्वारा मुहैया की गई सेवाओं के लिए कार्य/सेवाओं हेतु संविदा	-	-
वस्तुओं की बिक्री/क्रय	-	-
ii) कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	-	-
iii) प्राप्त लाभांश	85.44	-
iv) इक्विटी के रूप में दिया गया योगदान	-	-
v) स्वीकृत ऋण	-	-
vi) प्राप्त प्रत्याभूतियां	-	-

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
सेकी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के संबंध में लेन–देन		
वर्ष के दौरान दिया गया अंशदान	79.12	57.63
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए क्षतिपूर्ति		
अल्पावधिक कर्मचारी हितलाभ	227.10	160.84
रोजगार पश्चात् हितलाभ और अन्य दीर्घकालिक हितलाभ	29.88	22.84
अन्य हितलाभ	18.88	16.49
कुल	**354.98**	**257.80**

एक ही सरकार के नियंत्रण के तहत संबंधित पार्टियों के संबंध में लेन–देन

₹ लाख

क्र.सं.	कंपनी का नाम	लेन–देन का स्वरूप	2018–19	2017–18
1	बलमेर लॉरी एंड क0लि.	यात्रा व्यय	81.23	21.28
		अल्पावधि अग्रिम भुगतान	10.00	-
2	भारत डायनमिक्स लिमिटेड (बीडीएल)	परामर्शी आय	55.90	89.33
		300 मेगावाट रक्षा एवं ओएफबी योजना के लिए जारी किया गया अनुदान	839.83	348.56
3	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	परामर्शी आय	39.06	83.07
		300 मेगावट रक्षा एवं ओएफबी योजना के लिए जारी किया गया अनुदान	3,970.50	1,820.00
4	भेल	1000 मेगावाट सीपीएसयू योजना के लिए जारी किया गया अनुदान	1,500.00	325.00
5	केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड	सदस्यता शुल्क	0.59	-
6	केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग	फाइल करने की फीस	3.00	-
		लाइसेंस फीस	40.00	43.00
7	गेल (इंडिया) लिमिटेड	परामर्शी आय	45.24	-
		1000 मेगावाट सीपीएसयू योजना के लिए जारी किया गया अनुदान	144.00	144.00
8	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	परामर्शी आय	13.60	-
9	आईआईएफसीएल	लालटेंन पर सेवा प्रभाग	27.25	-
10	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लि.	विज्ञान और प्रचार	4.13	-
11	केन्द्रीय भंडार	मुद्रण एवं स्टेशनरी	52.85	21.99
12	मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज	परामर्शी व्यय	-	64.60
13	मिश्र धातु निगम लि.	300 मेगावट रक्षा एवं ओएफबी योजना के लिए जारी किया गया अनुदान	390.00	210.00
14	नेशनल आर्बिटरेशन काउंसिल	प्रशिक्षण व्यय	0.24	-
15	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि.	किदवाई नगर भवन अग्रिम	3,197.10	-
16	राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सेवाएं इंक	सहायता सेवा प्रभार	32.52	-
		पूंजी अग्रिम	16.97	-
17	एनएचपीसी लिमिटेड	1000 मेगावाट सीपीएसयू स्कीम को अधीन जारी अनुदान	1,250.00	1,250.00
		परामर्शी आय	-	6.00

₹ लाख

क्र.सं.	कंपनी का नाम	लेन–देन का स्वरूप	2018–19	2017–18
18	एनटीपीसी लि.	1000 मेगावाट सीपीएसयू योजना के लिए जारी किया गया अनुदान	-	11,475.00
		प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए अदा किया गया सेवानिवृत्ति लाभ	15.45	2.19
19	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि.	सौर ऊर्जा की बिक्री-स्वयं की परियोजना	1,279.41	1,327.98
20	छावनी बोर्ड कार्यालय	परामर्शी आय	-	8.00
21	ओरियंट इंसोरेंश कंपनी लि.	वाहन बीमा प्रीमियम	0.62	-
22	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	दायर करने की फीस	14.16	-
		सौर पार्क योजना के अधीन जारी किया गया अनुदान	9,387.00	16,413.00
		ईपीएफ प्रतिनियुक्ति कर्मचारी अंशदान	2.03	2.11
23	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन	सिस्टम और मार्केट ऑपरेशन प्रभार	4.39	-
24	लोक निर्माण विभाग	सौर ऊर्जा बिक्री-दिल्ली 3 मेगावाट	88.62	104.44
25	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	1000 मेगावाट सीपीएसयू योजना के लिए जारी किया गया अनुदान	-	250.00
26	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड	लानटेन पर सेवा प्रभार	37.25	-
		परामर्शी आय	46.11	-
		डीडीयूजीजेवाई के अधीन प्राप्त अग्रिम	979.31	2,682.05
27	स्कूटर इंडिया लिमिटेड	1000 मेगावाट सीपीएसयू स्कीम के लिए जारी किया गया अनुदान	-	25.00
28	राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान	विंड मास्ट की खरीद	49.56	-
29	सिंगरेनी कोलिरीज़ कंपनी लिमिटेड	परामर्शी आय	801.67	8.00
30	स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइसेस	सदस्यता फीस	2.36	-
31	टेलीकम्यूनिकेशंस कन्सलटेंट्स इंडिया लि.	ई–टेण्डरिंग व्यय	16.30	9.58
32	विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट	परामर्शी आय	-	43.12
33	प्रसार भारती	विज्ञापन और प्रचार	45.63	0.85
34	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	लियन/प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी के लिए अदा किया गया सेवानिवृत्ति लाभ	38.64	0.26

₹ लाख

क्र.सं.	कंपनी का नाम	लेन–देन का स्वरूप	2018–19	2017–18
35	एनएलसी इंडिया लि.	1000 मेगावाट सीपीएसयू स्कीम के लिए जारी किया गया अनुदान	4,875.00	4,875.00
36	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	300 मेगावाट रक्षा और ओएफबी स्कीम के अधीन जारी अनुदान	750.00	375.00
37	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	परामर्शी आय	6.00	-
38	आंध्र प्रदेश हेवी मशीनरी और इंजीनियरिंग लिमिटेड	परामर्शी आय	-	3.50
39	गैरीसन इंजीनियर (परियोजना) नंबर 2 एलईएच	परामर्शी आय	72.00	-
40	वी. ओ. चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट	परामर्शी आय	16.80	-
41	आरईसी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	डीडीयूजीजेवाई के अधीन जारी भुगतान	2,006.88	300.00
42	बीएसएनएल	रूफटॉप परियोजनाओं का निरीक्षण प्रभार	26.55	-
43	अन्य संस्थाएं	विविध	2.32	13.05
	सकल जोड़		**32,278.07**	**42,344.96**

ग. संबंधित पार्टियों का बकाया शेष

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
प्राप्त योग्य राशि		
संयुक्त उद्यमों से	1.74	0.86
मुख्य प्रबंध कार्मिकों से	1.20	-
एक ही सरकार के नियंत्रण के तहत संस्थाओं से	631.37	952.65
संबंधित पार्टियों के संदिग्ध ऋण के संबंध में प्रावधान		
एक ही सरकार के नियंत्रण के तहत संस्थाओं से	152.65	7.98
देय राशि		
संयुक्त उद्यमों को	-	2.29
मुख्य प्रबंध कार्मिकों को	-	-
एक ही सरकार के नियंत्रण के तहत संस्थाओं से	114.93	10.59

घ. व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण लेन–देन

₹ लाख

विवरण	संबंध का स्वरूप	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
सौर पार्कों हेतु जारी अनुदान			
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लि.	संयुक्त उद्यम	2,523.50	3,883.51
आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लि.	संयुक्त उद्यम	7,500.00	3,893.61

41. इंड एएस 33 के अनुसार प्रकटीकरण, प्रति शेयर अर्जन

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) मूल एवं तनुकृत प्रति शेयर उपार्जन (रुपये में)	507.22	261.54
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य	1,000.00	1,000.00
(ii) इक्विटी शेयरधारकों को स्रोतजन्य लाभ (न्यूमिरेटर के रूप में प्रयुक्त) (रु. लाख में)		
प्रचालनों से	17,955.68	8,491.84
(iii) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (डिनोमिनेटर के रूप में प्रयुक्त (सं.)		
निर्गमित इक्विटी शेयरों का अथ शेष	35,40,000	30,40,000
वर्ष के दौरान निर्गमित शेयरों, यदि कोई हो, का प्रभाव	-	2,06,849
मूल एवं तनुकृत ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत सं.	35,40,000	32,46,849

42. इंड एएस 37 के अनुसार प्रकटीकरण 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां'

42.1 प्रावधानों में परिवर्तन

₹ लाख

विवरण	संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	
	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में रखाव लागत	7.98	7.98
वर्ष के दौरान परिवर्धन	170.06	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-
वर्ष के दौरान उत्क्रमण/समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में रखाव लागत	**178.04**	**7.98**

42.2 आकस्मिक देयताएं

42.2.1. वाणिज्यिक और आवासीय स्थान के लिए एनबीसीसी के पास कंपनी की बुकिंग के संबंध में, एनबीसीसी ने अपनी भुगतान अनुसूची में 31 मार्च, 2019 तक कंपनी द्वारा अदा की गई दस किस्तों पर सेवाकर का उल्लेख किया है, जो 518.64 लाख रु. है (पिछले वर्ष में 397.76 लाख रु)। तथापि, एनबीसीसी द्वारा उक्त राशि की मांग नहीं की गई है। इस राशि को एनबीसीसी को लागू सेवाकर/जीएसटी दरों पर अदा किया जाएगा, जब भी एनबीसीसी द्वारा इस संबंध में मांग की जाती है। इसके अलावा, 31.03.2019 तक एनबीसीसी को अदा की गई राशि खाता बही में पूंजीगत अग्रिम के रूप में दिखाई गई है। तदनुसार, खाता बही में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

42.2.2 वर्ष के दौरान एनबीसीसी द्वारा 182.58 लाख रु. (पिछले वर्ष शून्य) के ब्याज की मांग की गई थी लेकिन यह मूल आवंटन पत्र और मूल भुगतान अनुसूची में दी गई शर्तों और निबंधनों के अनुसार नहीं थी। इसके अलावा, एनबीसीसी द्वारा किए गए ब्याज दावे के अधित्याग के लिए इस मामले को दिनांक 6 जून, 2019 के पत्र द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय (एमएनआरई) के जरिए शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) के साथ उठाया गया है। कानूनी परामर्श के आधार पर इस संबंध में कंपनी द्वारा कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

42.2.3 कंपनी पारेषण कंपनियों, वीएटी प्राधिकारियों, परियोजना विकासकर्ता (ओं) और पीपीए धारकों के पक्ष में विभिन्न बैंक गारंटियों/साख पत्र जारी करने के प्रति बैंक (ों) के पक्ष में काउंटर इन्डेमिनिटी दी है, जिसकी संचय राशि 1,446.79 लाख रु. (पिछले वर्ष में 1,390.89 लाख रु.) है।

42.2.4 कंपनी ने संविदाओं के संबंध में शर्तों के गैर/आंशिक अनुपालन के लिए एमएनआरई की विभिन्न रूफटॉप स्कीमों के अधीन एलडी/जुर्माना के रूप में 31 मार्च, 2019 तक 1,545.16 लाख रु. (31 मार्च, 2018 तक 1,323.54 लाख रु.)की राशि वसूल की है। इन एलडी प्रभार को कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुसार सेकी की आय के रूप में निरंतर अभिज्ञात किया गया है। आय अभिज्ञात के संबंध में वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए सी एंड एजी की लेखापरीक्षा टिप्पणियों की दृष्टि में इन्हें आगे निदेश/परामर्श के लिए दिनांक 14 मई, 2019 और 18 जून, 2019 के पत्र द्वारा एमएनआरई को भेजा गया है। तदनुसार, कंपनी द्वारा कोई प्रावधान करना आवश्यक नही समझा गया। अंतिम नकद प्रवाह, यदि कोई हो, एमएनआरई के निदेश/परामर्श पर निर्भर करता है।

42.2.5 कुछेक सौर पावर डेवलेपरों ने जीएसटी/सुरक्षा ड्यूटी के कारण कानून में परिवर्तन की दृष्टि में वित्तीय दावे प्राप्त करने के लिए विद्युत अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) में याचिकाएं दायर की हैं। तथापि, सीईआरसी द्वारा सेकी को प्रभाव की प्रतिभूति के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा, इस मामले में यदि कोई वित्तीय प्रभाव होता है तो इसे संबंधित क्रय कंपनियों पर डाला जाएगा। दावे की राशि अभिनिश्चयन नहीं है।

42.2.6 मैसर्स एमबीपी सोलर ने विवाचन खंड का आह्वान किया है जैसाकि पीपीए में व्यवस्था है और 13,381.93 लाख रु. के दावे के लिए विवाचन पैनल में याचिका दायर की है। विवाचन पैनल ने अपना अंतिम निर्णय अभी घोषित करना है। इसके अलावा, यदि मामले में कोई वित्तीय प्रभाव होता है तो दिनांक 4 फरवरी, 2019 की पीएसएम के दिशानिर्देशों के अनुसार पीएसएम निधियों से इसको पूरा किया जाएगा। मामले के गुणदोष के आधार पर, कंपनी द्वारा कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है। अंतिम निर्धारण और नकद प्रवाह, यदि कोई हो, भविष्य में विवाचन पैनल के अंतिम निर्णय पर निर्भर करता है।

42.2.7 मैसर्स पसिथिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने सीपीडब्ल्यूडी बिल्डिंगों के लिए सेकी की रूफटॉप सौर निविदा के अधीन आवंटित 10 मेगावाट क्षमता के लिए बैंक गारंटी के स्थगन आह्वान के लिए 30.03.2017 को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की

है। अनेक सुनवाई के बाद, न्यायालय ने याचिका का निपटान कर दिया और विवाद का निर्णय करने के लिए एक मात्र विवाचक के रूप में दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश को नियुक्त किया है। विवाचन अवार्ड के रूप में 79.39 लाख रु. की बैंक गारंटी के नकदीकरण को उचित पाया गया है। तथापि, सेकी को 12 प्रतिशत ब्याज सहित 19.65 लाख रु. और सब्सिडी वितरण में विलंब पर 12 प्रतिशत ब्याज वापस करने का निदेश दिया है। सेकी द्वारा निर्णय के इस भाग के विरूद्ध एक अपील साकेत जिला न्यायालय में दायर की गई है। मामले से गुण दोष के आधार पर, कंपनी द्वारा कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया। अंतिम निर्धारण और नकदी प्रवाह, यदि कोई हो, भविष्य में विवाचन पैनल के अंतिम निर्णय पर निर्भर करता है।

42.3 प्रतिबद्धताएं

42.3.1 पूंजीगत लेखा पर निष्पादन किए जाने वाले शेष संविदाओं की अनुमानित राशि (संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियां), जिसका प्रावधान नहीं किया गया, 7,330.96 लाख रु. (पिछले वर्ष 3024.04 लाख रु.) है। इसका विवरण इस प्रकार है:–

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	7,329.31	3,022.39
अमूर्त परिसंपत्ति	1.65	1.65

42.3.2 कंपनी के पास 31.03.2019 को व्यत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घकालिक संविदाएं नहीं है जिसके लिए कोई संभावित सामग्री हानियां हों।

43. इंड एएस–107 के अनुसार प्रकटीकरण 'वित्तीय प्रपत्र'

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यापार देय और अन्य देय शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का प्रमुख प्रयोजन कंपनी के प्रचालनों का वित्तपोषण करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियां में व्यापार और अन्य प्राप्य, नकद और नकदी समतुल्य, निवेश, जमा, जो इसके प्रचालन से सीधे प्राप्त होती है, शामिल हैं।

कंपनी ने अपने वित्तीय प्रपत्र के उपयोग से निम्नलिखित जोखिम को प्रकट किया है:

1 क्रेडिट जोखिम

2 चलनिधि जोखिम

3 बाजार जोखिम

1. क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम कंपनी की वित्तीय हानि का जोखिम होता है यदि वित्तीय प्रपत्र का एक ग्राहक या प्रतिपक्ष अपने संविदा दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है, परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय हानि होती है। क्रेडिट जोखिम मुख्यतया व्यापार प्राप्य, ऋण और नकद, नकद और नकदी समतुल्य और बैंक और वित्तीय संस्थाओं के पास जमा से उत्पन्न होता है।

व्यापार प्राप्य

कंपनी के पास एक मजबूत भुगतान सुरक्षा तंत्र है। इन भुगतान सुरक्षा तंत्रों ने वर्ष भर कंपनी की अच्छी सेवा की है। कंपनी ने पिछले वर्ष में व्यापार प्राप्य के संबंध में कोई महत्वपूर्ण हानि का अनुभव नहीं किया हैं चूंकि क्रेडिट जोखिम का कोई केंद्रीकरण नहीं है।

अन्य वित्तीय प्रपत्र और नकद और नकदी समतुल्य

कंपनी के पास 32,015.96 लाख रु. (31 मार्च, 2018 को 18,601.34 लाख रु.) का नकद और नकदी समतुल्य है। नकद और नकदी समतुल्य उच्च दरों वाले बैंकों के पास रखा जाता है।

कंपनी ने बैंक और वित्तीय संस्थाओं के पास 1,35,394.75 लाख रु. (31 मार्च, 2018 को 1,42,450.81 लाख रु.) जमा किया है। जोखिम का प्रबंधन करने के लिए कंपनी केवल उच्च दरों वाले बैंकों/संस्थाओं के पास ही जमा कराती है।

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
वित्तीय संपत्तियां जिनके लिए 12 महीने की प्रत्याशित हानि (ईसीएल) का उपयोग करते हुए हानि छूट का मूल्यमान किया जाता है		
गैर–चालू निवेश	-	-
गैर–चालू ऋण और अग्रिम	31.91	317.04
अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-
नकद और नकदी समतुल्य	32,015.96	18,601.34
नकद और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	1,35,394.75	1,42,450.81
चालू ऋण और अग्रिम	507.44	208.29
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	42,283.39	15,932.34
वित्तीय संपत्तियां जिनके लिए लाइफटाइम प्रत्याशित ऋण हानि (ईसीएल) का उपयोग करते हुए हानि छूट का मूल्यमान किया जाता है।		
व्यापार प्राप्य	70,824.65	12,599.36
कुल	**2,81,058.10**	**1,90,109.18**

* संयुक्त उद्यमों में गैर–चालू निवेशों को उपर्युक्त में प्रकट नहीं किया गया है।

प्रत्याशित क्रेडिट अथवा हानि के लिए प्रावधान

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि छूट का मूल्यमान 12 महीने की प्रत्याशित क्रेडिट हानियों का उपयोग कर किया जाता हैं।

कंपनी के पास ऐसी परिसंपत्तियां हैं जहां प्रतिपक्ष दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता रखते हैं और जहां चूक का जोखिम बहुत कम होता है। तदनुसार, ह्रासन के लिए कोई हानि छूट स्वीकार नहीं की गई है।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियों जिनके लिए हानि छूट का मूल्यमान लाइफटाइम प्रत्याशित क्रेडिट हानियों का उपयोग करके किया जाता है:

कंपनी लाइफटाइम प्रत्याशित क्रेडिट हानि का उपयोग करके और सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुसार व्यापार प्राप्यों पर हानि छूट का प्रावधान करती है।

व्यापार प्राप्यों की समयावधि

व्यापार प्राप्यों की समयावधि निम्न प्रकार है

₹ लाख

समयावधि	देय नहीं	03 माह से कम	3 से 6 माह	6 से 12 माह	1–5 वर्ष	कुल
31 मार्च 2019 की समाप्ति पर सकल अग्रनयन राशि	34,632.89	27,962.93	6,663.03	1,285.38	458.46	**71,002.69**
उपर्युक्त पर अभिस्वीकृत ह्रासन हानि	-	-	-	-	(178.04)	**(178.04)**
31 मार्च 2018 को सकल अग्रनयन राशि	9,695.99	1,412.54	360.17	236.60	902.04	**12,607.34**
उपर्युक्त पर अभिस्वीकृत ह्रासन हानि	-	-	-	-	(7.98)	**(7.98)**

2. चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम एक ऐसा जोखिम है जो कंपनी के समक्ष अपनी वित्तीय देयताओं से संबद्ध बाध्यताओं, जिन्हें नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति के द्वारा चुकता किया जाता है, की पूर्ति करने में कठिनाई पेश करती है। चलनिधि के प्रबंध हेतु कंपनी द्वारा अपनाई गई पद्धति का आशय, यथासंभव, यह सुनिश्चित करना है कि उसके पास सामान्य और विपत्तिकाल दोनों स्थितियों में जब देयताएं देय हो जाती हैं, उनकी पूर्ति के लिए पर्याप्त चलनिधि हो और उसे कोई अस्वीकार्य हानि न हो या कंपनी की प्रतिष्ठा कम होने का कोई जोखिम न हो।

वित्तीय व्यवस्थाएं

कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर निम्नलिखित गैर–आहरित उधार सुविधाओं की सुगमता थी :

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
निश्चित ऋण दर		
आवधि ऋण	-	-

विवरण	देय नहीं	मांग अनुसार	03 माह या उससे कम	3 से 12 माह	1 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष							
व्यापार देयताएं	36,608.93	-	667.05	418.04	45.63	-	37,739.65
वित्तीय देयताए	-	1,48,329.88	39,843.03	21.65	130.40	2,834.34	1,91,159.30
कुल	**36,608.93**	**1,48,329.88**	**40,510.08**	**439.69**	**176.03**	**2,834.34**	**2,28,898.95**
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष							
व्यापार देयताएं	21,117.63	-	988.23	329.24	86.47	-	22,521.57
वित्तीय देयताए	-	1,18,328.57	15,508.38	164.93	1.15	2,278.56	1,36,281.59
कुल	**21,117.63**	**1,18,328.57**	**16,496.62**	**494.17**	**87.62**	**2,278.56**	**1,58,803.16**

3. बाजार जोखिमः

बाजार जोखिम एक ऐसा जोखिम है जो बाजार मूल्यों, जैसे कि ब्याज दरों में बदलावों के कारण होता है और कंपनी की आय को प्रभावित कर सकता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य प्रतिलाभ को अधिकतम करते हुए, स्वीकार्य मानदंडों के भीतर बाजार जोखिम एक्सपोज़रों का प्रबंध और नियंत्रण करना है। चूंकि वर्तमान में कंपनी ने निधियां उधार नहीं ली हैं, इसलिए उसके समक्ष कोई बाजार जोखिम एक्सपोज़र नहीं है।

44. इंड एएस 108 के अनुसार प्रकटन 'ऑपरेटिंग सेग्मेंट्स'

क. सामान्य सूचना

कंपनी के पास दो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं, जैसा नीचे वर्णन किया जा रहा है, जो उसकी कार्यनीतिक व्यवसाय यूनिटें हैं। कार्यनीतिक व्यवसाय यूनिटें विभिन्न उत्पाद और सेवाएं प्रदान करती हैं और उनका प्रबंध अलग से किया जाता है क्योंकि उनके लिए भिन्न प्रौद्योगिकी और बाजार रणनीतियों की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित सारांश में कंपनी के प्रत्येक रिपोर्टेबल सेगमेंट्स में प्रचालनों का वर्णन किया गया है।

क.1. पावर ट्रेडिंग और उत्पादन : कंपनी के पास पावर ट्रेडिंग लाइसेंस है और वह अपने द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के तहत स्थापित परियोजनाओं से सोलर पावर की ट्रेडिंग के माध्यम से इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है।

क.2. परामर्शी और परियोजना प्रबंधन : इसके अंतर्गत परामर्शी और परियोजना प्रबंधन सेवाएं आदि शामिल हैं।

प्रत्येक रिपोर्टेबल सेगमेंट के परिणामों के बारे में सूचना को नीचे शामिल किया गया है। कार्यनिष्पादन का आकलन सेगमेंट के आयकर पूर्व लाभ के आधार पर किया जाता है, जो उन आंतरिक प्रबंधन रिपोर्टों में अंतर्विष्ट होता है, जिनकी समीक्षा निदेशक मंडल द्वारा की जाती है। सेगमेंट के लाभ का उपयोग कार्यनिष्पादन का आकलन करने के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रबंधन यह विश्वास करता है कि उक्त सूचना उन अन्य कंपनियों, जो इन उद्योगों के भीतर प्रचालन करती हैं, से संबंधित कुछ सेगमेंट्स के परिणामों का मूल्यांकन करने में अति संगत होती है। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के परस्पर अंतरण मूल्य तृतीय पक्षकारों के साथ ट्रांजेक्शनों के सदृश आर्म लेंग्थ बेसिस पर होते हैं।

ख. रिपोर्टेबल सेगमेंट्स के बारे में सूचना और वित्तीय विवरणों में परिलक्षित राशियों का मिलानः

₹ लाख

विवरण	व्यापार सेगमेंट				कुल	
	ऊर्जा व्यापार एवं सृजन		परामर्श और परियोजना प्रबंधन			
	को समाप्त वर्ष हेतु		को समाप्त वर्ष हेतु		को समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
सेगमेंट राजस्व						
प्रचालनों से राजस्व	3,08,130.00	1,05,140.86	13,700.84	8,222.67	3,21,830.84	1,13,363.53
गैर–आवंटित ब्याज एवं अन्य आय	-	-	-	-	4,509.70	4,227.62
कुल	**3,08,130.00**	**1,05,140.86**	**13,700.84**	**8,222.67**	**3,26,340.55**	**1,17,591.15**
सेगमेंट परिणाम	6,842.71	1,912.27	13,268.19	8,175.93	20,110.90	10,088.20
गैर–आवंटित व्यय, ब्याज और वित्त प्रभार	-	-	-	-	4,657.27	4,142.20
इक्विटी विधि का प्रयोग कर गणना किए गए निवेश के निवल लाभ के शेयर से पूर्व लाभ और कर	-	-	-	-	19,963.33	10,173.61
जोड़ेः इक्विटी विधि का प्रयोग कर गणना किए गए संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ का शेयर	-	-	-	-	5,101.30	2,019.55
कर पूर्व लाभ	-	-	-	-	25,064.63	12,193.16
कर हेतु प्रावधान	-	-	-	-	7,108.95	3,701.32
कर उपरांत लाभ	-	-	-	-	17,955.68	8,491.84
मूल्यह्रास और परिशोधन	408.03	397.75	51.13	46.74	459.16	444.49
गैर–आवंटित मूल्यह्रास	-	-	-	-	-	-
मूल्यह्रास के अलावा गैर–नकदी व्यय	-	-	0.78	0.21	0.78	0.21
पूंजी व्यय	52.38	814.48	50.75	39.82	103.13	854.30

₹ लाख

विवरण	ऊर्जा व्यापार एवं सृजन		परामर्शी एवं परियोजना प्रबंधन		कुल	
	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
अन्य सूचना :						
सेगमेंट परिसंपत्तियां	1,76,627.67	87,150.77	80,098.82	63,199.77	2,56,726.49	1,50,350.54
गैर–आवंटित परिसंपत्तियां	-	-	-	-	61,167.48	66,271.24
कुल परिसंपत्तियां	**1,76,627.67**	**87,150.77**	**80,098.82**	**63,199.77**	**3,17,893.97**	**2,16,621.78**
सेगमेंट देयताएं	1,66,862.13	92,682.99	83,530.85	64,711.62	2,50,392.98	1,57,394.61
गैर–आवंटित देयताएं	-	-	-	-	3,417.74	12,870.75
कुल देयताएं	**1,66,862.13**	**92,682.99**	**83,530.85**	**64,711.62**	**2,53,810.72**	**1,70,265.36**

ग. मुख्य ग्राहकों के बारे में सूचना

कंपनी के कुल राजस्व का 10 प्रतिशत से अधिक प्रमुख ग्राहकों से राजस्व

₹ लाख

देनदार का नाम	को समाप्त वर्ष हेतु		को समाप्त वर्ष हेतु	
	2018–19	प्रतिशत	2017–18	प्रतिशत
गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	23,199.43	7.17	14,854.03	12.83
बंगलौर इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड	41,861.58	12.94	865.52	0.75
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	71,494.37	22.10	18,629.23	16.08

45. इंड एएस 112 के अनुसार प्रकटीकरण 'अन्य कंपनियों में हित का प्रकटीकरण'

45.1 संयुक्त उद्यमों में निवेश

45.1.1 संयुक्त उद्यमों के बारे में सूचना जो कंपनी की परिसम्पत्ति है।

क. 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी के संयुक्त उद्यम नीचे दिए गए है, जो प्रबंधन के विचार में कंपनी की परिसंपत्ति हैं। नीचे सूचीबद्ध कंपनियों में शेयर पूंजी है जिसमें पूर्णतया इक्विटी शेयर शामिल है।

कंपनी का नाम	व्यवसाय का स्थान	निम्न तारीख को शेयरधारिता का प्रतिशत		निम्न तारीख को अग्रनयन (केरिंग) राशि		गतिविधि का स्वरूप	लेखांकन विधि
		31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018		
आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	भारत	50%	50%	5.00	5.00	सौर पार्कों का विकास	इक्विटी विधि
कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	भारत	50%	50%	50.00	50.00	सौर पार्कों का विकास	इक्विटी विधि

ख. संयुक्त उद्यम के सम्बंध में प्रतिबद्धताएं और आकस्मिक देयताएं:

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
संयुक्त उद्यम की हिस्सेदारी		
प्रतिबद्धताएं	321.64	22,320.53
आकस्मिक देयताएं	20,172.17	19,623.40
कुल प्रतिबद्धताएं एवं आकस्मिक देयताएं	**20,493.81**	**41,943.93**

ग. संयुक्त उद्यम हेतु वित्तीय सूचना का सारांश:

नीचे दी गई सारणी इन संयुक्त उद्यमों के लिए सारांशित वित्तीय सूचना प्रदान करती है जो कंपनी की परिसंपत्ति है।

प्रकट की गई सूचना सम्बंधित संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत की गई राशि को दर्शाती है।

सारांशित तुलन पत्र

₹ लाख

विवरण	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड		कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	
	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
वर्तमान परिसंपत्तियां				
नकद एवं नकदी समतुल्य	12,534.58	22,879.65	9,352.89	797.41
अन्य परिसंपत्तियां	1,07,571.94	26,360.93	30,913.68	15,538.57
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां	**1,20,106.52**	**49,240.58**	**40,266.57**	**16,335.98**
कुल गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	**1,07,231.42**	**82,001.02**	**48,996.69**	**45,887.23**
वर्तमान देयताएं				
वित्तीय देयताएं	14,071.19	4,628.80	6,131.84	27,302.50
अन्य देयताएं	24,769.43	26,841.75	7,499.86	932.28
कुल वर्तमान देयताएं	**38,840.62**	**31,470.55**	**13,631.70**	**28,234.78**
गैर– वर्तमान देयताएं				
वित्तीय देयताएं	-	-	-	-
अन्य देयताएं	1,78,214.96	95,038.49	72,750.38	33,960.50
कुल गैर–वर्तमान देयताएं	**1,78,214.96**	**95,038.49**	**72,750.38**	**33,960.50**
निवल परिसंपत्तियां	**10,282.36**	**4,732.56**	**2,881.18**	**27.93**

अग्रनयन (कैरिंग) राशि का मिलान

₹ लाख

विवरण	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड		कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	
	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
प्रारंभिक निवल परिसंपत्तियां	4,732.56	1,314.76	27.93	100.00
संयुक्त उद्यम साझेदारों द्वारा निवेश	-	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ	5,756.52	3,417.80	2,853.25	(72.07)
अन्य सम्पूर्ण आय	-	-	-	-
लाभांश और अदा किया गया लाभांश वितरण कर	(206.72)	-	-	-
अन्य समायोजन	(47.22)	-	-	-
अंतिम निवल परिसंपत्तियां	**10,235.14**	**4,732.56**	**2,881.18**	**27.93**
प्रतिशत में समूह का शेयर	50%	50%	50%	50%
भारतीय रुपये में समूह का शेयर	5,117.58	2,366.29	1,440.59	13.96
अग्रनयन (कैरिंग) राशि	**5,117.58**	**2,366.29**	**1,440.59**	**13.96**

लाभ और हानि का सारांशित विवरण

₹ लाख

विवरण	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड		कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	
	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
प्रचालनों से राजस्व	7,379.89	4,950.88	7,710.31	2,126.70
अन्य आय	4,244.29	2,084.91	4,508.99	252.53
कुल आय	**11,624.18**	**7,035.79**	**12,219.30**	**2,379.23**
प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय	816.80	509.36	-	-
कर्मचारी हितलाभ व्यय	603.06	399.90	391.52	293.27
वित्तीय लागत	-	77.57	72.57	221.90
अन्य व्यय	558.24	370.91	6,741.79	1,798.96
मूल्ह्रास एवं परिशोधन व्यय	1,771.17	1,166.35	998.28	162.15
कुल व्यय	**3,749.27**	**2,524.09**	**8,204.16**	**2,476.28**
कर व्यय	2,118.39	1,093.90	1,161.89	(24.98)
वर्ष के लिए लाभ	**5,756.52**	**3,417.80**	**2,853.25**	**(72.07)**
अन्य सम्पूर्ण आय	-	-	-	-
कुल सम्पूर्ण आय	**5,756.52**	**3,417.80**	**2,853.25**	**(72.07)**
प्राप्त लाभांश	85.44	-	-	-

45.1.2 संयुक्त उद्यमों के बारे में जानकारी जो संस्था के लिए महत्वहीन है।

क. नीचे दी गई सारणी इन संयुक्त उद्यमों के बारे में सारांशित जानकारी प्रदान करती है जो कंपनी के लिए सारहीन है।

सारांशित वित्तीय सूचना

₹ लाख

कंपनी का नाम	व्यवसाय का स्थान	निम्न तारीख को शेयरधारिता का प्रतिशत		निम्न तारीख को अग्रनयन (केरिंग) राशि		गतिविधि का स्वरूप
		31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	
लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	भारत	50%	50%	171.71	87.97	सौर पार्कों का विकास
रिन्युएबल पावर कॉरपोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड	भारत	50%	50%	109.16	70.50	सौर पार्कों का विकास
हिमाचल रिन्युएबल लिमिटेड	भारत	50%	50%	21.11	25.00	सौर पार्कों का विकास और शोध एवं विकास परियोजनाओं की स्थापना
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	भारत	50%	50%	1,107.65	388.22	सौर पार्कों का विकास

₹ लाख

विवरण	को समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
सतत प्रचालनों से लाभ अथवा हानि	1,675.88	693.37
अन्य सम्पूर्ण आय	-	-
कुल सम्पूर्ण आय	1,675.88	693.37

(i) सभी संयुक्त उद्यम कंपनियां गैर–सूचीबद्ध संस्थाएं हैं।

(ii) सभी संयुक्त उद्यम कंपनियों के समेकन के लिए उपयोग किए गए वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की जाती है।

46. इंड एएस 113 के अनुसार प्रकटीकरण – उचित मूल्य मापन

श्रेणी द्वारा वित्तीय प्रपत्र

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को			31 मार्च, 2018 को		
	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधन लागत	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधन लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां :						
निवेश						
- इक्विटी साधन*	-	-	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-	-	-
ऋण	-	-	539.35	-	-	525.33
व्यापार प्राप्य	-	-	70,824.65	-	-	12,599.36
नकद एवं नकदी समतुल्य	-	-	32,015.96	-	-	18,601.34
अन्य बैंक शेष	-	-	1,35,394.75	-	-	1,42,450.81
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	42,283.39	-	-	15,932.34
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**-**	**-**	**2,81,058.10**	**-**	**-**	**1,90,109.18**
वित्तीय देयताएं :						
ऋण	-	-	-	-	-	-
व्यापार देयताएं	-	-	37,739.65	-	-	22,521.57
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	1,91,159.30	-	-	1,36,281.59
कुल वित्तीय देयताएं	**-**	**-**	**2,28,898.95**	**-**	**-**	**1,58,803.16**

*संयुक्त उद्यमों में निवेश का उपरोक्त में प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

47 इंड एएस 115– के अनुसार प्रकटीकरण –ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व

I. वस्तु और सेवाओं का स्वरूप

कंपनी के राजस्व में विद्युत की बिक्री, व्यापार के जरिए विद्युत की बिक्री, परामर्शी और अन्य सेवाओं से आय शामिल है। प्रमुख गतिविधियों का वर्णन निम्नलिखित है:

(क) विद्युत की बिक्री से राजस्व (स्वयं का सृजन)

कंपनी का प्रमुख राजस्व विद्युत की बिक्री और व्यापार के जरिए विद्युत की बिक्री से आता है। कंपनी थोक ग्राहकों, मुख्य रूप से राज्य सरकारों की स्वयं की बिजली कंपनियां और राज्य में प्रचालित निजी डिस्काम को विद्युत की बिक्री करती है। विद्युत की बिक्री सामान्यतया ग्राहकों के साथ किए गए दीर्घावधि विद्युत क्रय करार (पीएसए) के अनुसरण में की जाती है।

नीचे विद्युत बिक्री के लिए संविदाओं के अधीन स्वरूप के ब्यौरे, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें दी गई हैं:

उत्पाद / सेवा	स्वरूप, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
विद्युत बिक्री (स्वयं का सृजन)	कंपनी समय अवधि में विद्युत की बिक्री के लिए संविदाओं से राजस्व स्वीकार करती है क्योंकि ग्राहक कंपनी द्वारा मुहैया किए गए लाभ एक साथ प्राप्त और उपभोग करते हैं। विद्युत की बिक्री से राजस्व गणना करने के लिए टैरिफ का निर्धारण विद्युत क्रय करार (पीएसए) के अनुसार किया जाता है। राशि का बिल मासिक आधार पर भेजा जाता है और संविदात्मक सहमत क्रेडिट अवधि में देय होता है।

(ख) विद्युत व्यापार से राजस्व

(i) व्यापार के जरिए विद्युत की बिक्री

कंपनी डेवलपरों से विद्युत खरीद रही है और सिद्धांत के सिद्धांत आधार पर इसे डिस्काम को बेच रही है।

नीचे व्यापार के जरिए विद्युत की बिक्री के लिए संविदाओं के अधीन स्वरूप, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तों का ब्यौरा दिया गया है:

उत्पाद / सेवा	स्वरूप, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
व्यापार के जरिए विद्युत की बिक्री	कंपनी समय अवधि में व्यापार के जरिए विद्युत की बिक्री के लिए संविदाओं से राजस्व स्वीकार करती है क्योंकि ग्राहक कंपनी द्वारा मुहैया किए गए लाभ एक साथ प्राप्त और उपभोग करते हैं। व्यापार के जरिए विद्युत की बिक्री से राजस्व की गणना करने के लिए टैरिफ का निर्धारण करार की शर्तों के अनुसार किया जाता है। राशि का बिल मासिक आधार पर भेजा जाता है और संविदात्मक सहमत क्रेडिट अवधि में देय होता है।

(ग) सेवाओं की बिक्री से राजस्व

कंपनी सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी संविदाओं और अन्य परामर्शी संविदाओं का कार्य करती है।

परामर्शी और अन्य सेवाओं के लिए संविदाओं के अधीन स्वरूप, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

उत्पाद / सेवा	स्वरूप, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
परियोजना निगरानी फीस	कंपनी प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर किसी एक समय / समयावधि में परियोजना निगरानी फीस के लिए संविदाओं से राजस्व स्वीकार करती है। परियोजना निगरानी फीस से राजस्व संविदाओं की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाता हैं। स्वीकार किए गए राजस्व की राशि भिन्न भिन्न मदों, जहां लागू हो, के लिए समायोजित की जाती है, जिसका कंपनी के पास उपलब्ध ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर प्राक्कलन किया जाता है। संविदाओं की शर्तो के अनुसार राशि का बिल दिया जाता है और संविदात्मक सहमत क्रेडिट अवधि में देय होता है।
परामर्शी सेवाएं	कंपनी प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर समयावधि में परामर्शी सेवाओं के लिए संविदाओं से राजस्व स्वीकार करती है क्योंकि उपभोक्ता साथ–साथ प्राप्त और कंपनी द्वारा मुहैया किए गए लाभ का उपभोग करती है। परामर्शी सेवाओं से राजस्व संविदाओं की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। स्वीकार किए गए राजस्व की राशि भिन्न–भिन्न मदों, जहां लागू हैं, के लिए समायोजित की जाती है जिसका कंपनी के पास उपलब्ध ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर प्राक्कलन किया जाता है। संविदाओं की शर्तों के अनुसार राशि का बिल दिया जाता है और संविदात्मक सहमत क्रेडिट अवधि में देय होता है।

II. राजस्व का असमूहीकरण

उत्पाद और सेवाओं की प्रकार, भौगोलिक बाजार और राजस्व स्वीकरण के समय द्वारा राजस्व को निम्न लिखित सारणी में असमूहीकृत किया गया है:

₹ लाख

विवरण	विद्युत बिक्री (स्वयं का उत्पादन)	व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री	परियोजना निगरानी शुल्क	परामर्शी सेवाएं	अन्य	कुल
	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए					
राजस्व स्वीकरण का समय						
समय के दौरान अंतरित उत्पाद और सेवाएं	1,354.00	3,06,758.01	8,097.10	1,105.41	153.01	3,17,467.53
निश्चित समय में अंतरित उत्पाद और सेवाएं	-	-	3,437.21	-	686.49	4,123.70
	1,354.00	**3,06,758.01**	**11,534.31**	**1,105.41**	**839.50**	**3,21,591.23**

₹ लाख

विवरण	विद्युत बिक्री (स्वयं का उत्पादन)	व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री	परियोजना निगरानी शुल्क	परामर्शी सेवाएं	अन्य	कुल
			31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए			
राजस्व स्वीकरण का समय						
समय के दौरान अंतरित उत्पाद और सेवाएं	1,329.40	1,03,811.46	4,832.16	457.55	22.10	1,10,452.67
निश्चित समय में अंतरित उत्पाद और सेवाएं	-	-	2,360.37	-	550.49	2,910.86
	1,329.40	1,03,811.46	7,192.53	457.55	572.59	1,13,363.53

कंपनी ने संचयी प्रभाव पद्धति का प्रयोग करके इंड एएस 115 को लागू किया है। इस पद्धति के अंतर्गत तुलनात्मक आंकड़ों पुनः अभिव्यक्त नहीं किए गए हैं।

III. संविदा मूल्य के साथ स्वीकार किए गए राजस्व का समाधान :

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
संविदा मूल्य	3,21,624.16	1,13,390.94
निम्न के लिए समायोजन :		
छूट	(32.93)	(27.41)
स्वीकार किया गया राजस्व	**3,21,591.23**	**1,13,363.53**

IV. संविदा संतुलन

संविदा परिसंपत्तियों को तब स्वीकार जाता है जब संविदाओं के संबंध में ओवर बिलिंग के द्वारा अधिक राजस्व अर्जित किया जाता है। संविदा परिसंपत्तियों को बिल में शामिल न किए गए राजस्व को तब अंतरित किया जाता है जब नकदी को प्राप्त करने के लिए बिना शर्त अधिकार हो और संविदात्मक शर्तों के अनुसार केवल एक निश्चित समय बीतने की आवश्यकता होती है। संविदा देनदारियां मुख्यतया ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि से संबंधित होती है जिसका ग्राहकों से अग्रिम के रूप में उल्लेख किया जाता है।

निम्नलिखित सारणी में व्यापार प्राप्त राशियों, बिल में शामिल न किए गए राजस्व और ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के बारे में सूचना मुहैया करायी गई है:

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
	वर्तमान	गैर–वर्तमान	वर्तमान	गैर–वर्तमान
व्यापार प्राप्य	70,824.65	-	12,599.36	-
बिल रहित राजस्व	41,296.16	-	15,619.36	-
ग्राहकों से अग्रिम	1,702.11	602.06	651.90	349.17

कंपनी ने संचयी प्रभाव पद्धति का प्रयोग करके इंड एएस 115 को लागू किया है। इस पद्धति के अंतर्गत तुलनात्मक आंकड़े पुनः अभिव्यक्त नहीं किए गए हैं।

(V) कंपनी ने संचयी प्रभाव पद्धति का प्रयोग करके इंड एएस 115 को लागू किया है और तदनुसार तुलनात्मतक आंकड़ों का पुनः उल्लेख नहीं किया गया है और इंड एएस 11 और इंड एएस 18 के अनुसार सूचित करना जारी रखा है। इंड एएस 115 को अपनाने के कारण 1 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार किसी संचयी समायोजन की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, इंड एएस 11 और इंड एएस 18 की तुलना में इंड एएस 115 को लागू करने के परिणामस्वरूप चालू वर्ष में वित्तीय विवरण जैसी कोई मदों का उल्लेख नहीं किया गया है।

48. हाल ही की लेखाकरण उद्घोषणाएं

मानक/संशोधन जारी किए गए है परंतु अभी प्रभावी नहीं हैं:

30 मार्च, 2019 को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने निम्नलिखित मानक/संशोधन अधिसूचित किए हैं जो 1 अप्रैल, 2019 से लागू होंगे।

1. इंड एएस 116 "पट्टे"

इंड एएस 116 मौजूदा एएस 17 ''पट्टे'' और संबंधित व्याख्याओं को प्रतिस्थापित करेगा। मानक संविदा के दोनों पक्षकारों अर्थात् पट्टेदार और पट्टादाता के लिए पट्टों को स्वीकार करने, मापन, प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण के लिए सिद्धांत निर्धारित करते हैं। इंड एएस 116 एकल पट्टादार लेखाकरण मॉडल प्रवर्तित करता है और पट्टादार को बारह माह से अधिक अवधि के भीतर सभी पट्टों के संबंध में परिसंपत्तियां और देनदारियों को स्वीकार करना अपेक्षित करता है यदि नीचे दी गई परिसंपत्तियां कम मूल्य की नहीं हैं। वर्तमान में चल रहे पट्टा खर्च को लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया गया है। मानकों में भी पट्टोदारों के संबंध में संवर्धित प्रकटन आवश्यकताएं शामिल हैं। पट्टादाता लेखाकरण मौजूदा मानक के लिए एक जैसा बना हुआ है अर्थात पट्टादाता ने पट्टों को वित्त या प्रचलित पट्टे के रूप में वर्गीकृत करना जारी रखा है। इंड एएस 116 इंड एएस 17 में पट्टादाता की लेखाकरण अपेक्षाओं को पर्याप्त रूप से आगे बढ़ाता है। मानक परिवर्तन (ट्रांजिशन) के दो संभव तरीकों की अनुमति देता है।

- पूर्व प्रभावी दृष्टिकोणः इस दृष्टिकोण के तहत मानक को इंड एएस 8 लेखाकरण नीतियों को लागू करते समय लेखाकरण अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों के संबंध में प्रत्येक पूर्व अवधि के लिए पूर्व प्रभाव से लागू किया जाएगा।
- संशोधित पूर्व प्रभावी दृष्टिकोणः प्रारंभ में लागू करने के पूर्व प्रभावी संचयी प्रभाव के साथ मानक को प्रारंभ में लागू करने की तारीख से स्वीकृत किया गया है। संशोधित पूर्व प्रभावी दृष्टिकोण के अंतर्गत पट्टेदार पट्टे की देनदारी को पट्टे की शेष अदायगी के वर्तमान मूल्य के रूप में अंकित करता है, जिसे वृद्धिशील उधार पर छूट दी गई होती है और परिसंपत्ति को प्रयोग करने का निम्न दोनों में से एक रूप में अधिकार दिया गया होता है:

- इसकी आगे ले जानी वाली राशि को यदि मानक को इसके प्रारंभ की तारीख से लागू किया गया था परंतु जिसे प्रारंभ में लागू करने की तारीख को पट्टेदार की वृद्धिशील उधार दर पर छूट दी गई है अथवा

- पट्टे की देनदारी के बराबर राशि को जिसे उस पट्टे जिसे प्रारंभ में लागू करने की तारीख से तत्काल पूर्व इंड एएस 17 के अंतर्गत स्वीकार किया गया है, के संबंध में किसी पूर्व दत्त या उपचित पट्टा अदायगियों की राशि द्वारा समायोजित किया गया है।

कंपनी संशोधित पूर्व प्रभावी दृष्टिकोण का प्रयोग करके मानक को 1 अप्रैल, 2019 से लागू करेगी और तदुनसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनात्मक आंकड़ों को पूर्व प्रभावी से समायोजित नहीं किया जाएगा।

2. इंड एएस 12 परिशिष्ट 'ग', आयकर संबंधी अभिक्रियाओं पर अनिश्चितता

दिनांक 30 मार्च, 2019 को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने इंड एएस 12 परिशिष्ट 'ग', आयकर संबंधी अभिक्रियाओं पर अनिश्चितता को अधिसूचित किया है जिससे कर योग्य लाभ (या हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानियों, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कर दरों का निर्धारण करने के लिए तब लागू किया जाना है जब इंड एएस 12 के तहत आयकर अभिक्रियाओं के संबंध में अनिश्चितता होती है। परिशिष्ट के अनुसार कंपनियों को प्रत्येक कर अभिक्रिया या कर अभिक्रियाओं के समूह को स्वीकार करते हुए संगत कर प्राधिकारी की इस संभाव्यता को निर्धारित करने की आवश्यकता होती हैं जिसे कंपनियों ने उनकी आयकर रिटर्नो को दायर करने में प्रयोग में लाया है या प्रयोग में लाने की योजना है जिसे कर अभिक्रिया की अत्यधिक संभावित राशि या प्रत्याशित मूल्य का परिकलन करने के लिए उस समय ध्यान में लिया जाना होगा जब कर योग्य लाभ (कर हानि), कर आधारों, अप्रयुक्त कर हानियों, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कर दरों को निर्धारित किया जाता है।

मानक परिवर्तन के दो संभव तरीकों की अनुमति देता है - i) पूर्ण पूर्व प्रभावी दृष्टिकोण –इस दृष्टिकोण के तहत परिशिष्ट 'ग' इंड एएस 8 – लेखाकरण नीतियों, लेखाकरण अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तनों के अनुसार परिदृष्टि का प्रयोग किए बिना प्रदान की गई प्रत्येक पूर्ववर्ती रिपोर्टिंग अवधि के लिए पूर्व प्रभाव से लागू किया जाएगा और ii) परिशिष्ट 'ग' के प्रारंभ में लागू करने के संचयी प्रभाव के साथ पूर्व प्रभाव जिसे प्रारंभ में लागू करने पर ईक्विटी को समायोजित करके स्वीकार किया गया है।

3. इंड एएस 12, आयकर में संशोधन

इंड एएस 12 में 'आयकर' मार्गदर्शी नोट से संशोधन यह स्पष्ट करता है कि एक कंपनी लाभ हानि में अन्य व्यापक आय या इक्विटी में लाभांश के आयकर परिणामों को वहां मान्यता देगी, जहां पिछले लेन–देन या वितरण योग्य लाभ उत्पन्न करने वाले कार्यों को मूल रूप से मान्यता दी गई थी।

4. इंड एएस 19, 'कर्मचारी लाभ' में संशोधन – योजना संशोधन, संक्षेपण या परिशोधन

एक कंपनी के लिए योजना संशोधनों, संक्षेपणों और निपटान के लिए लेखाकरण के संबंध में इंड एएस 19, 'कर्मचारी लाभ' में मार्गदर्शन में संशोधन की आवश्यकता होती है:

- योजना संशोधन, संक्षेपण और निपटान के पश्चात, मौजूदा सेवा लागत और अवधि के शेष भाग के लिए निवल ब्याज के निर्धारण के लिए अद्यतन पूर्वानुमानों को प्रयोग करना; और

- पिछली सेवा लागत के एक भाग के रूप में लाभ या हानि या निपटान किए जाने पर लाभ या हानि, अधिशेष में किसी कटौती को, परिसपत्ति की सीमा निर्धारित करने के प्रभाव के कारण उस अधिशेष को पूर्व में स्वीकार नहीं किए जाने के बावजूद भी स्वीकार करना।

49. **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 द्वारा यथाअपेक्षित 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में सूचना :**

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
क) किसी आपूर्तिकर्ता को अदा न की गई शेष		
मूल राशि	-	81.97
उस पर देय ब्याज की राशि	-	-
ख) नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ताओं को प्रदत्त राशि सहित एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार प्रदत्त ब्याज की राशि	-	-
ग) अदायगियां करने में विलंब (जो अदा कर दी गईं हैं परंतु वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद अदा की गई)की अवधि के लिए परंतु एमएसएमईडी अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना देय और दातव्य ब्याज की राशि	-	-
घ) उपचित और अदत्त ब्याज की शेष राशि	-	-
ड.) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए उत्तरवर्ती वर्षों में भी उस तारीख तक जब ऊपर उल्लेख किए गए देय ब्याज की राशि लघु उद्यमों को वास्तव में अदा कर दी गई है, देय और दातव्य अतिरिक्त ब्याज की राशि	-	-

50. निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार कंपनी के पास उपलब्ध अधिशेष असंवितरित निधियों और अनुदानों को इस प्रयोजन के लिए जारी सरकार के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवधिक रूप से अल्पकालिक जमा में रखा जाता है।

51. कंपनी का निदेशक मंडल केवल एक स्वतंत्र निदेशक है, तदनुसार लेखापरीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 के अनुसार और कॉरपोरेट अभिशासन (गवरनेन्स) संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं है। इसके अलावा 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल में कोई महिला निदेशक भी शामिल नहीं है। कंपनी नेएमएनआरई से कंपनी के निदेशक मंडल में डीपीई दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक और स्वतंत्र निदेशक तथा महिला निदेशक की नियुक्ति करने के लिए अनुरोध किया है और यह नियुक्ति अभी भी लंबित पड़ी है।

52. चालू वर्ष के दौरान कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) के प्रति 245.01 लाख रु. (पिछले वर्ष 316.81 लाख रु.) का निवल प्रावधान किया गया है। इसकी राशि को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर जारी किया जाएगा।

53. 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार बकाया प्राप्त और दातव्य राशि क्रमशः 70,824.65 लाख रु. और 37,739.65 लाख रु. है। तथापि कंपनी की नीति के अनुसार 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार जिनके पास अदायगी की जानी शेष थी उन पार्टियों को पुष्टि करने के लिए पत्र भेजे गए थे। क्रमशः शेष 65,045.63 लाख रु. और 33,583.00 लाख रु. की पुष्टि की गई थी जबकि शेष राशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

54. व्यापार प्राप्त राशियों और वसूल की जाने वाली शेष राशियों को वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत दर्शाया गया है और व्यापार और अन्य दातव्य राशियों को वर्तमान देनदारियों के तहत दर्शाया गया है जिनमें पुष्टि/समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के

अध्यधीन शेष राशियां शामिल हैं। समाधान सतत आधार पर किया जाता है। जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, प्रावधान किए गए हैं। समायोजन, यदि कोई हो, को संबंधित पार्टियों के साथ इसकी पुष्टि/समाधान किए जाने पर लेखों में लिया जाता है, जिसका प्रबंधन की राय में कोई आर्थिक प्रभाव नहीं होगा।

55. व्यापार प्राप्त राशियों और व्यापार दातव्य राशियों में 49.57 लाख रु. बंगलौर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लि. (बीईएससीओएम) से प्राप्य है और कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लि. को के. वरह प्रभारों (किलोवोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव प्रभार), मीटर रीडिंग प्रभारों के प्रति देय है और बीईएससीओएम द्वारा विक्रय की गई ऊर्जा के प्रति 2% की दर से छूट की गई कटौती, जो पीएसए की शर्तों के अनुसार नहीं है; का समाधान किया गया है और समायोजन प्रविष्टि को एसपीडी से प्राप्त पुष्टि के आधार पर पारित किया गया है।

56. सेकी द्वारा सीओडी की घोषणा न करने के कारण 40 मेगावाट परियोजना क्षमता वाले 3 एसपीडी ने प्रत्येक में बीजक तैयार नहीं किए गए हैं और सेकी ने भी पीएसए के अनुसार डिस्कॉम को इसके लिए कोई बीजक नहीं दिए हैं। तथापि, 40 मेगावाट की परियोजना 19 दिसम्बर, 2018 को चालू की गई थी, अन्य 40 मेगावाट की परियोजना 20 दिसम्बर, 2018 को चालू की गई थी और 40 मेगावाट की अन्य परियोजना को 22 दिसम्बर, 2018 को चालू किया गया था।

57. सेकी ने सोलर पावर डेवलपर (एसपीडी) में 20 मेगावाट सौर विद्युत की खरीदारी के लिए पीपीए पर हस्ताक्षर किए हैं। एसपीडी ने प्रत्येक 10 मेगावाट की दो विभिन्न चरणों में परियोजना चालू की है। टैरिफ निर्धारण परियोजना चालू की है। टैरिफ निर्धारण और कमीशनिंग की स्वीकृति के लिए एमएनआरई का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण वर्ष के दौरान 1,524.79 लाख रु. (पिछले वर्ष तक 3,054.07 लाख रु.) की राशि विद्युत खरीद के रूप में स्वीकार नहीं की गई और 1,538.78 लाख रु. की तदनुरूपी राजस्व की बिक्री (पिछले वर्ष तक 3,082.09 लाख रु.) भी सौर विद्युत की बिक्री के रूप में स्वीकार नहीं की गई।

58. एमएनआरई ने अपने दिनांक 4 फरवरी, 2019 के आदेश के द्वारा पीएसएम दिशानिर्देश जारी किए थे। तदनुसार, कंपनी द्वारा पीएसएम निधि अनुरक्षित की जा रही है। इसके अलावा कंपनी की पीएसएम निधियों के संबंध में लेखाकरण नीति सं. 1.ग.24 के अनुसार विस्तार धनराशि की कारण पीएसएम निधि में 3,183.21 लाख रु. की राशि (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार – 723.40 लाख रु. की राशि) टैरिफ में छूट देने के कारण, 291.66 लाख रु. की राशि (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, 274.18 लाख रु.) अधिक बिक्री के कारण, 79.37 लाख रु. की राशि (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार – 57.86 लाख रु.) ट्रांसमिशन बिलिंग में अंतर के कारण और 12,776.94 लाख रु. की राशि (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार–शून्य) शामिल है। अदायगी सुरक्षा निधि (पीएसएफ) में एमएनआरई से प्राप्त 50,000 लाख रु. की राशि (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, 30,000 लाख रु.) शामिल हैं।

59. जेएनएनएसएम योजना के अंतर्गत सौर विद्युत विकासकों के साथ हस्ताक्षरित पीपीए के उपबंधों के अनुसार बैच–III 2000 मेगावाट और जेएनएनएसएम योजना बैच–IV– 5000 मेगावट और 2000 मेगावट और 5000 मेगावट के लिए दिशानिर्देश, एसपीडी से प्राप्त विस्तार प्रभारों का शेष जो 13,515.28 लाख रुपये बैठता है (पूर्व वर्ष–11,147.85 लाख रुपये) को प्रबंधन के अनुमोदन से ब्याज की राशि जो लगभग 1,341.44 लाख रुपये बैठती है (पूर्व वर्ष 466.91 लाख रुपये) के सहित पीएसएम निधि को अंतरित कर दिया गया है।

60. सेकी 160 मेगावट की क्षमता के साथ बैटरी ऊर्जा भंडारण साधनों (बीईएसएस) के साथ बड़े स्तर पर सौर–पवन हाईब्रिड परियोजना को विकसित करने की प्रक्रिया में लगी हुई है जिसमें आंध्र प्रदेश के रामागिरी जिले में 120 मेगावट की सौर और 40 मेगावट की पवन विद्युत शामिल है। परियोजना स्थापित करने के लिए कुल नियोजित भूमि लगभग 917 एकड़ है। 2,120.17 लाख रुपये की कुल अनुग्रह राशि जिला कलेक्टर, अनंथापुर को वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान निर्दिष्ट भूमि के लिए अदा की गई है और 2,926.17 लाख रुपये की राशि आंध्र प्रदेश की सरकार के आदेश के आधार पर भूमि हस्तांतरण प्रभारों के प्रति अदा की जाएगी। इसके अलावा, निजी भूमि (लगभग 28 एकड़) के संबंध में दर को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

61. वर्ष के दौरान एनबीसीसी द्वारा उनके दिनांक 10 अगस्त, 2018 के पत्र के द्वारा किदवई नगर काम्पलेक्स में स्थित प्रस्तावित कार्यालय परिसर के स्थान का कब्जा केवल एक तकनीकी कब्जा था और कार्यालय का स्थान वास्तविक रूप से कब्जे के लिए तैयार नहीं था। माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 20 अगस्त, 2018 के आदेश के द्वारा स्थगन आदेश के अनुसार कार्यालय स्थान का वास्तविक कब्जा न दिए जाने को देखते हुए परिसंपत्ति को बहियों में पूंजीकृत नहीं किया गया है और 19,619.29 लाख रुपये की राशि (पूर्व वर्ष में 16,422.18 लाख रुपये) पूंजीगत अग्रिम के तहत दर्शायी गई है।

62. कर्नाटक की 5 डिस्कॉम के साथ 930 मेगावाट के लिए हस्ताक्षरित पीएसए के संबंध में कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी विनियामक आयोग ने दिनांक 20 सितंबर, 2018 को टैरिफ दर को 4.50 रुपये प्रति यूनिट से कम करके 4.36 रुपये प्रति यूनिट करने के लिए एक आदेश पारित किया है। सेकी द्वारा प्रतिवादित आदेश को एपीटीईएल में चुनौति दी गई है। तथापि डिस्कॉम कम की गई टैरिफ 4.36 रुपये प्रति यूनिट की दर पर अदायगी कर रहे हैं, जिसके कारण कर्नाटक की संबंधित डिस्कॉम से प्रति यूनिट विभेदी राशि वसूली योग्य है। इस कारण कुल वसूली योग्य राशि व्यापार प्राप्य राशि में शामिल 2,188.38 लाख रुपये (पूर्व वर्ष में –शून्य) की राशि कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी विनियामक आयोग के दिनांक 20.09.2018 के आदेश के अनुसार टैरिफ में 0.14 पैसे की कमी के प्रति 2000 मेगावट की योजना में कर्नाटक की 5 डिस्कॉम से वसूल की जानी है। सेकी ने उपर्युक्त आदेश को रद्द करने के लिए एपीटीईएल के पास एक आवेदन दायर किया है। किसी प्रतिकूल न्याय निर्णय आदेश की दशा में विभेदी राशि दिशानिर्देशों के अनुसार पीएसएम निधि से वसूल की जानी है।

63. मैसर्स वेलस्पन एनर्जी प्राइवेट लि0 द्वारा सेकी के विरूद्ध दायर एक याचिका के मामले में सीईआरसी ने 17 दिसंबर, 2018 को एक आदेश पारित किया जिसमें सेकी को अन्य के साथ–साथ बाद की शर्तों को पूरा करने और पीपीए को बहाल करने में हुई देरी को माफ करने के लिए पीपीए बहाल करने को कहा गया है और इसके वित्तीय निहितार्थ डिस्कॉम के साथ दो तरफा आधार पर हैं। तदनुसार बहियों में कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मैसर्स वेलस्पन एनर्जी प्राइवेट लि0 द्वारा 648.00 लाख रुपये की राशि अदा की गई है जिसे विवाद के तहत प्राप्त की गई धनराशि के रूप में लेखे में लिया गया है और वर्तमान देनदारियों के तहत अन्य दातव्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उक्त राशि को ब्याज वहनीय लेखे में रखा गया है और 31 मार्च, 2019 तक उस पर प्रोद्भूत ब्याज की राशि 5.59 लाख रुपये है। दोनों राशियों को आस्थगित रखा गया है और न्यायालय निर्देशों के आधार पर तदनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

64. दि रूफटॉप – अन्य परिचालन आय के अंतर्गत 221.62 लाख रुपये की राशि (पिछले वर्ष 567.15 लाख रुपये) जिसे एलडी/दंड के प्रति वसूल किया गया है, शामिल है। आयकर के स्वीकरण के संबंध में सी एंड एजी की वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए लेखापरीक्षा टिप्पणियों के मद्देनजर इन्हें 14 मई, 2019 और 18 जून, 2019 के पत्रों के द्वारा आगे निर्देर्शों/सलाह के लिए एमएनआरई को भेजा गया है। एमएनआरई से निर्देशों/सलाह प्राप्त होने तक इसे लेखा नीति सं. 1.ग.10.3 के अनुसार सेकी की आय के रूप में माना गया है।

65. कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (सीएसआर)

65.1 कंपनी को इसकी सीएसआर नीति के अनुसार पिछले तत्काल तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी को होने वाले औसतन निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में व्यय करना अपेक्षित है। उपरोक्त आधार पर कंपनी द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान व्यय की जाने वाली राशि 138.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष में 78.12 लाख रुपये) है। तदनुसार कल्याण योजनाओं के संबंध में 113.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष में 78.12 लाख रुपये) की राशि स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 'स्वच्छ भारत कोष' में 44.00 लाख रु.,गंगा नदी के नवीकरण के लिए'स्वच्छ गंगा निधि' में (44.00 लाख रुपये) और केंद्रीय सैनिक बोर्ड को (25.00 लाख रुपये) का योगदान दिया गया था। वर्ष 2018–19 के लिए सीएसआर निधि की 25.00 लाख रुपये की अप्रयुक्त राशि पड़ी है जिसे केरल में सौर गृह प्रकाश प्रणाली/लालटेन के लिए अपरम्परागत ऊर्जा और ग्रामीण प्रौद्योगिकी एजेंसी (एएनईआरटी) को अंशदान किया जाना था। इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष 2017–18 से संबंधित 3.90 लाख रुपये की राशि संविदा की अदायगी शर्तों के अनुसार दातव्य है।

इसके अलावा निदेशक मंडल ने 30 अप्रैल, 2019 को हुई अपनी 43वीं बैठक में 25.00 लाख रुपये की अप्रयुक्त राशि को एमएनआरई के दिनांक 15 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 41/1/2019–एनएसएम के अनुसार भारतीय इंजीनियर्स संस्थान, उत्तराखंड राज्य केंद्र, देहरादून के सेमिनार हाल के नवीकरण कार्य में सहायता करने के प्रति अंशदान करने के लिए उपयोग में लाने को अनुमोदित किया है।

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
क. वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि	138.00	78.12
ख. पिछले वर्ष राशि में कमी	-	-
ग. जोड़ (क + ख)	**138.00**	**78.12**
घ. वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	113.00	78.12
कम राशि	25.00	-

66. पिछले वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी – आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का कर बाद लाभ की राशि (तुलनात्मक आंकड़ों के अन्तर्गत) का 1,336.65 लाख रु. से 1,304.77 लाख रु. पुनः उल्लेख किया गया था जिससे वर्ष 2017–18 के लिए समेकित वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने के बाद सेकी का शेयर 15.94 लाख रुपये तक कम हो गया। इन समेकित वित्तीय विवरणों में वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए धारित आय के अथ शेष में 15.94 लाख रुपये का प्रभाव माना गया है।

67. वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए समेकित वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने के बाद संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा/बाद में पुनः उल्लेखन के कारण वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए निवेश के निवल लाभ के शेयर में 102.20 लाख रुपये की वृद्धि हुई है।

68. इंड एएस–1 के अनुसार प्रकटीकरण– ''वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण

(क) महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों में परिवर्तन

सवंर्धित प्रकटीकरण के लिए वर्ष के दौरान लेखाकरण नीतियों में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं :

1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी नए इंड एएस 115 के अनुपालन हेतु राजस्व स्वीकरण नीति को संशोधित किया गया है।

(ख) तुलनात्मक आंकड़ों का पुनर्वर्गीकरण

वर्तमान वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ तुलनीयता को बढ़ाने हेतु तुलनात्मक अवधि के वित्तीय विवरणों का और कंपनी अधिनियम के डिविजन–II–इंड एएस अनुसूची III के संबंध में मार्गदर्शी टिप्पणी के साथ अनुपालन बढ़ाने के लिए कुछेक पुनर्वर्गीकरण किए गए हैं।

परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र में कुछेक समनुरूप मदों का पुनर्वर्गीकरण किया गया है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:–

₹ लाख

विवरण	पुनर्वर्गीकरण से पहले	पुनर्वर्गीकरण	पुनर्वर्गीकरण के बाद
अन्य गैर–वर्तमान देनदारियां	-	349.17	349.17
वर्तमान देनदारियां – अन्य वर्तमान देनदारियां	4,392.72	(349.17)	4043.55

69. तुलन पत्र की तारीख के बाद ऐसी कोई घटना नही हुई जिसका महत्वपूर्ण प्रभाव 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीयों पर पड़ता हो।

प्रचालन चक्र

70. कंपनी की गतिविधियों के स्वरूप और संपत्ति के अधिग्रहण और नकद अथवा नकदी समकक्ष में उनकी प्राप्ति के बीच सामान्य समय के आधार पर वर्तमान और गैर वर्तमान रूप में अपनी परिसम्पत्तियों और देयताओं के वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए कंपनी ने 12 माह के रूप में अपना प्रचालन चक्र निर्धारित किया है।

71. वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलना करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो पिछले वर्ष के आंकड़ो को पुनः व्यवस्थित अथवा पुनः समूहित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता0/–	हस्ता0/–	हस्ता0/–
(सुनील कुमार)	(सी कन्नन)	(जतींद्र नाथ स्वेन)
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्याः 17693	डीआईएन 06458185	डीआईएन 01969056

समसंख्यक तारीख को हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते आरएसपीएच एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन. 003013एन

हस्ता0/–
(सीए तरुण कुमार बत्रा)
साझेदार
सदस्यता संख्याः– 094318
यूडीआईएन 19094318एएएएएएफ6617
दिनांक : 22.07.2019

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.07.2019

फार्म एओसी–1

(कंपनी(लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उपधारा(3) के प्रथम परन्तुक का अनुसरण)

विवरण में सहायक कंपनियों / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों की वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं सम्मिलित हैं।

भाग''ए'' सहायक कंपनियां

(प्रत्येक सहायक कंपनी के संबंध में रुपये में राशि सहित सूचना)

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरे
1	सहायक कंपनी का नाम	लागू नहीं
2	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि यदि कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि अलग से हो	
3	विदेशी सहायक कंपनी के मामले में संबंधित वित्त वर्ष की अंतिम तिथि को रिपोर्टिंग मुद्रा एवं विनिमय दर	
4	शेयर पूंजी	
5	रिज़र्व एवं अधिशेष	
6	कुल परिसंपत्ति	
7	कुल देयताएं	
8	निवेश	
9	टर्नओवर	
10	कर पूर्व लाभ	
11	कर हेतु प्रावधान	
12	कर पश्चात् लाभ	
13	प्रस्तावित लाभांश	
14	शेयरधारिता का प्रतिशत	

टिप्पणी : विवरण के अंत में निम्न जानकारी अवश्य दें :

1. उन सहायक कंपनियों का नाम जिन्होंने अभी प्रचालन शुरू नहीं किया है।
2. उन सहायक कंपनियों का नाम जिन्हें वर्ष के दौरान समापन अथवा बेच दिया गया हो।

भाग''ख'' एसोसिएट्स एवं संयुक्त उद्यम

एसोसिएट कंपनी और संयुक्त उद्यम से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसरण में विवरण

संयक्त उद्यम का नाम	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	रिन्युएबल पावर कारपोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड	हिमाचल रिन्युएबल्स लिमिटेड
1. अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तारीख	31.03.2019	31.03.2019	31.03.2019	31.03.2019	31.03.2019	31.03.2019
2. वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा संयुक्त उद्यम के रखे गये शेयर	50%	50%	50%	50%	50%	50%
संख्या	50,000	5,00,000	5,00,000	10,000	5,000	2,500
संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि (लाख रुपये में)	5.00	50.00	50.00	100.00	50.00	25.00
होल्डिंग की सीमा प्रतिशत	50%	50%	50%	50%	50%	50%
3. कैसे यह महत्वपर्ण प्रभाव है वर्णन करें	संयुक्त उद्यम में कुल 20 प्रतिशत से अधिक शेयर पूंजी का नियंत्रण	संयुक्त उद्यम में कुल 20 प्रतिशत से अधिक शेयर पूंजी का नियंत्रण	संयुक्त उद्यम में कुल 20 प्रतिशत से अधिक शेयर पूंजी का नियंत्रण	संयुक्त उद्यम में कुल 20 प्रतिशत से अधिक शेयर पूंजी का नियंत्रण	संयुक्त उद्यम में कुल 20 प्रतिशत से अधिक शेयर पूंजी का नियंत्रण	संयुक्त उद्यम में कुल 20 प्रतिशत से अधिक शेयर पूंजी का नियंत्रण
4. संयुक्त उद्यम के समेकित न होने का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5. अद्यतन लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार शेयरधारिता का निवल मूल्य (लाख रुपये में)	10,235.14	2,881.18	343.41	2,215.31	218.31	42.22

6. वर्ष के लिए लाभ/हानि						
i. समेकित माने गए	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
ii. समेकित नहीं माने गए						

1. **उन सहायक कंपनियों या सुयुक्त उद्यमों का नाम जिन्होंने अभी प्रचालन शुरू नहीं किया है।**

   लागू नहीं

2. **उन सहायक कंपनियों या संयुक्त उद्यमों का नाम जिन्हें वर्ष के दौरान समापन अथवा बेच दिया गया हो।**

   लागू नहीं

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता0/–	हस्ता0/–	हस्ता0/–
(सुनील कुमार)	(सी कन्नन)	(जतींद्र नाथ स्वेन)
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्याः 17693	डीआईएन 06458185	डीआईएन 01969056

समसंख्यक तारीख को हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते आरएसपीएच एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआर संख्या 003013एन

हस्ता0/–
(सीए तरुण कुमार बत्रा)
साझेदार
सदस्यता संख्याः– 094318
यूडीआईएन 19094318एएएएएएफ6617
दिनांक : 22.07.2019

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.07.2019

बैंकरों, लेखापरीक्षकों, कंपनी सचिव के ब्यौरे तथा सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कारपोरेट कार्यालय के पते के ब्यौरे

बैंकर्स :

आंध्रा बैंक
एक्सिस बैंक लिमिटेड
बैंक ऑफ इंडिया
कैनरा बैंक
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
आईसीआईसीआई बैंक
इंडसइंड बैंक
आईडीएफसी बैंक लिमिटेड
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
विजया बैंक
यस बैंक
कारपोरेशन बैंक

सांविधिक लेखापरीक्षक :

आरएसपीएच एंड एसोसिएट्स
पूर्व में आर.के बत्रा एंड कं0
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
906, विक्रम टावर
16, राजेन्द्र प्लेस
नई दिल्ली–110008

कंपनी सचिव :

श्री सुनील कुमार महलावत

कारपोरेट कार्यालय

डी–3, प्रथम तल, विंग–ए, रेलिगेयर बिल्डिंग, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर
साकेत, नई दिल्ली, दिल्ली–110017

सेकी SECI

सूर्य सदैव SUN FOR EVER

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

डी–3, प्रथम तल, ए विंग, रेलिगेयर बिल्डिंग, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली – 110017

www.seci.co.in